चौथी पंचवर्षीय योजना

वार्षिक योजना 1972-73

National Staff College for Educational ... Ad...

उत्तर प्रदेश सरकार

नियोजन विभाग

अप्रैल, 1972

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
1—प्रस्तावना	1
2—वर्तमान स्थिति	6
3—वित्तीय दृष्टिकोण	14
4—क्षेत्रीय कार्यक्रम—	
(1) कृषि उत्पादन	18
(2) लघु सिंचाई	34
(3) भूमि संरक्षण	47
(4) कृषि शोध तथा शिक्षा	52
(5) छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर	55
(6) कृषि में विनियोजन के लिए संस्थागत वित्त	59
(7) भाण्डागार	60
5—पशुपालन	131
6—दुग्ध तथा दुग्ध सम्पूर्ति	151
7—मत्स्य	157
8—वन	162
9—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास—	
(1) सहकारिता	170
(2) सामुदायिक विकास	178
(3) पंचायती राज	179
10—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण—	
(1) सिंचाई	186
(2) बाढ़ नियंत्रण	195
11—विद्युत्	208
12—उद्योग एवं खनिकर्म—	
(1) बड़े और मध्यम उद्योग	226
(2) खनिज विकास	227
(3) ग्राम और लघुउद्योग	228
13—परिवहन तथा संचार—	
(1) सड़कें तथा पुल	246
(2) सड़क परिवहन	247
(3) पर्यटन	248

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
14—शिक्षा—	
(1) सामान्य शिक्षा	256
(2) प्राविधिक शिक्षा	261
15—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन	306
16—जल सम्पूर्ति	328
17—आवास और नगर विकास	332
18—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	336
19—समाज कल्याण	349
20—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	358
21—तकनीकी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार	365
22—सूचना एवं प्रसार—	367
23—अन्य कार्य-क्रम—	
(1) सांख्यिकी	370
(2) मूल्यांकन	370
(3) शोध संबंधी कार्य-क्रम	371
(4) ग्रामीण जनशक्ति	372
(5) उ० प्र० में नियोजन संगठन का पुनर्गठन और नियोजन संस्थान की स्थापना	37[illegible]
(6) दाशमिक तौल तथा माप	37[illegible]
24—पिछड़े क्षेत्रों तथा सामुदायों के कार्यक्रम	38[illegible]
25—प्रशासनिक नीति और संस्थागत रूप रेखा	419
तालिकाएं—	
तालिका 1—परिव्यय तथा व्यय	424
तालिका 2—केन्द्र द्वारा परोनिधानित योजनाएं	428
तालिका 3—भौतिक कार्यक्रम	446

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.............................
Date...............

(1)

प्रस्तावना

बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में आर्थिक विकास की मंदगति और बढ़ती हुई बेरोजगारी इस राज्य की कुछ प्रमुख समस्यायें हैं। लोगों के सर्वतोमुखी आर्थिक विकास में लगे हुए इस राज्य ने तीन पंच वर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं में भाग लिया और देश के शेष भाग के साथ-साथ चौथी योजना में भी भाग लेना प्रारम्भ किया।

2—अब तक हुई उपलब्धियों की समीक्षा करने से यह पता चलेगा कि कृषि तथा उद्योगों को विकसित करने के प्रयासों के बावजूद सिवाय पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान और वह भी खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रगति धीमी रही है। जो कुछ प्रगति राज्य कर सका है वह जन संख्या में वृद्धि होने से प्रायः बराबर हो जाता है।

3—इस धीमी प्रगति, जो अवरुद्धता की सीमा तक पहुंच गयी है, के कारण मालूम करना कठिन नहीं है। इनमें से सर्वाधिक स्पष्ट कारण यह है कि अब तक लगाई गई पूंजी बिलकुल अपर्याप्त रही। उत्तर प्रदेश में विकास संबंधी परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही अखिल भारतीय औसत की तुलना में काफी कम हुआ है। पहली योजना की अवधि के दौरान राज्य योजना पर प्रति व्यक्ति परिव्यय केवल 24 रु० था जबकि उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों म यह परिव्यय 40.94 रु०, 97.87 रु० पंजाब में, 57.17 रु० गुजरात में तथा 55.01 रु० पश्चिम बंगाल में था। दूसरी और तीसरी योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय बढ़कर क्रमशः 34 रु० और 75 रु० हो गया किन्तु प्रति व्यक्ति परिव्यय के संबंध में राज्य की तुलनात्मक स्थिति निम्नतम ही बनी रही अर्थात् दूसरी योजना में पन्द्रह राज्यों में पन्द्रहवीं और तीसरी योजना में सोलह राज्यों में पन्द्रहवीं। चौथी योजना में भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय की परिकल्पना 103.08 रु० की गयी है जबकि इसकी तुलना में अन्य राज्यों का प्रति व्यक्ति परिव्यय 122.39 रु० है। विकसित राज्यों जैसे हरियाणा (214.63 रु०), पंजाब (190.91 रु०), महाराष्ट्र (173.59 रु०) और गुजरात (165.30 रु०) को प्रति व्यक्ति परिव्यय अपेक्षाकृत काफी अधिक प्राप्त होता रहा।

4—उत्तर प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता भी बहुत कम रही है। पहली योजना के दौरान प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता केवल 13.38 रु० थी जबकि इसकी तुलना में शेष राज्यों की प्रति व्यक्ति सहायता 25.76 रु० थी। वस्तुतः उस समय पंजाब को दी गयी प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 84.66 रु० थी। यह स्थिति दूसरी और तीसरी योजनाओं में भी बनी रही। उत्तर प्रदेश राज्य को अधिकांश अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम केन्द्रीय सहायता मिलती रही है। यहां तक कि यह राज्य चौथी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता के विषय में दसवें स्थान पर रहा है (यदि आसाम, जम्मू और काश्मीर तथा नागालैंड जैसे विशेष राज्यों को इसमें सम्मिलित न किया जाय) और केवल 56.19 रु० प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता पा रहा है जबकि अन्य सभी राज्यों के लिए उक्त सहायता औसत रूप में 64.52 रु० है।

5—केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में पूंजी लगाने का स्तर भी बहुत निम्न रहा है। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में (जैसी कि स्थिति 31 मार्च, 1968 को थी) लगायी गयी कुल 3,042.4 करोड़ रु० की पूंजी में से उत्तर प्रदेश का अंश केवल 125.6 करोड़ रु० था जो कि लगाई गई कुल पूंजी का केवल 4.1 प्रतिशत था। चौथी योजना अवधि में भी सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगायी जाने वाली 3,150.86 करोड़ रु० की प्रस्तावित पूंजी में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल लगभग 39.4 करोड़ रु० होने की आशा

है। यह लगाई गयी कुल पूंजी का केवल 1.3 प्रतिशत होता है। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्य के निवासियों का रहन-सहन स्तर निम्न है। जन-संख्या अधिक होने तथा प्रसार का स्वरूप अनियमित होने से विनियोजन में उसका औचित्य अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा होना चाहिये, विशेषरूप से उस पूंजी पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगायी जाती है। यह दुर्भाग्य पूर्ण होने पर भी सच है कि राज्य को उसका उचित हिस्सा न तो केन्द्रीय क्षेत्र में लगायी गयी पूंजियों में मिला और न निजी क्षेत्र में लगायी गयी पूंजियों में ही। जहां तक निजी क्षत्र का संबंध है पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान लगायी गयी 9,000 करोड़ रु० से अधिक की पूंजी में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल 7 प्रतिशत ही था। यह कहा जाता है कि जो राज्य अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक विकसित होते हैं उनमें लोग अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लगाना चाहते है परन्तु जिन राज्यों का विकास बहुत ही कम हुआ हो वे भी इस बुरी स्थिति से तब तक छुटकारा पाने की आशा नहीं कर सकते जब तक कि उनमें अपेक्षाकृत अधिक पूंजी न लगायी जाय। अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है कि एक अल्प विकसित सम्भाग के तीव्र विकास के लिये ऐसा आवश्यक आर्थिक तथा समाजिक व्यय के लिये धनराशि न तो प्राप्त होती है और न वह उसे वहन ही कर सकता है जो शीध्र विकास के लिये आवश्यक है और इनके बिना आर्थिक लाभ को यह संतुलन इसके विपरीत प्रभाव पूर्वतर डालता रहता है। इस दुष्चक्र को उपयुक्त तथा प्रत्यक्ष सरकारी नीतियों को अपनाकर तोड़ देने की आवश्यकता है।

6—लोगों द्वारा की गई बचतें विनियोग (investment) का एक महत्वपूर्ण साधन है, किन्तु इस राज्य के अनुसूचित बैंकों में जमा की गयी बचतों का भी राज्य के भीतर विकास के लिये पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया है। 1969 में की गयी कुल बैंक जमा धनराशियों में से राज्य के भीतर विनियोग के लिये केवल 44.5 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध की गई जबकि सम्पूर्ण देश का तत्स्थानी प्रतिशत 72.2 था। जबकि इस राज्य ने देश में बैंक का कुल जमा धनराशि का 8.3 प्रतिशत अंशदान दिया, बैंक ऋण में इसका अंश केवल 5.1 प्रतिशत था। यह स्पष्ट है कि इस राज्य के लोगों द्वारा की गई बचतों का उपयोग अन्य राज्यों में पूंजी लगाने में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे निर्धन राज्य के लिये ऐसी स्थिति अहितकर है। इसलिये यह आवश्यक है कि वाणिज्य बैंकों की नीतियों का इस प्रकार फिर से अभिनवीकरण किया जाय जिससे यह सुनिश्चित हो सके की कम से कम इस राज्य में की गई बचतों की धनराशि ही इस राज्य में लगाई जाती है।

7—केन्द्रीय सरकार की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण सहायता अब तक बहुत निम्न स्तर पर रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दी गई अग्रिम धनराशियां समग्र रूप से देश को प्राप्त हुई कुल सहायता की लगभग 6.3 प्रतिशत है। इन संस्थाओं के मुख्यालयों की महानगरी क्षेत्रों (Metropolitan Areas) में स्थित होना उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्य के लिए अलाभकर सिद्ध हुआ है।

8—एक ओर राज्य सरकार कृषक और उद्यमकर्त्ताओं ओर दूसरी और केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के बीच स्थायी निकट सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी वित्तीय संस्था यें इस राज्य में अपने कार्यालय खोलें। राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना विकास में वृद्धि संबंधी समस्याओं का हल निकालने के उद्देश्य से तैयार की गयी थी। इस योजना का लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था में 5 से 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना है। इसे मुख्यतः कृषि क्षेत्र में 5 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र में लगभग 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करके प्राप्त किया जायगा। राज्य में रोजगार संबधी स्कीमें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करने, सम्भागीय असन्तुलन दूर करने, अपेक्षाकृत अच्छे संचार साधनों की व्यवस्था करने, संस्थागत ऋण संसाधनों में वृद्धि करने, तथा अतिरिक्त पेय जल संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये स्कीमें तैयार की गई थीं। जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार कम करने के लिये परिवार

नियोजन संबंधी कार्य-क्रमों पर पहले भी जोर दिया गया और अब भी जोर दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में अपनायी गयी नीति यह है कि अपेक्षाकृत अधिक निवेशों (inputs) की व्यवस्था की जाय और पूर्व वर्ती वर्षों में की गई प्रगति संहृत की जाय जिससे कि पहले से सृजित क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके। कार्य-क्रम यह है कि सघन खेती पर जहां सुनिश्चित निवेश और ऋण संबंधी संसाधन उपलब्ध हों, अधिक जोर दिया जाय। गेहूं और चावल की फसलों के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हुए हैं अन्य अनाज की फसलों, दाल, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे जूट, कपास और तम्बाकू पर जोर दिये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है और तदनुसार कृषि संबंधी कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में अपेक्षित नये ढंग से कार्य किया जा रहा है।

9—अवस्थापना (Infra-structure) को सुदृढ़ करने तथा वृद्धि दर में तेजी लाने में सहायक सिद्ध होने वाले संस्थात्मक और अवस्थात्मक (attitudinal) परिवर्तन करने की तुरन्त आवश्यकता है।

10—चौथी योजना के दौरान 29.90 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। सिंचाई संबंधी कार्य-क्रम का कार्यान्वयन लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि चिरकालिक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई आयोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। परन्तु लोहे के खम्भों, कंडक्टरों आदि जैसी महत्वपूर्ण सामग्री के न होने से कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सूखा ग्रस्त छः जिलों में लघु सिंचाई कार्य-क्रमों को बढ़ाने के लिये ग्रामीण निर्माण-कार्य संबंधी कार्य-क्रम भी प्रारम्भ किये गये हैं।

11—राज्य में कृषि तथा उद्योग के विकास के लिये अवस्थापना संबंधी व्यवस्था करने के उद्देश्य से चौथी योजना के दौरान विद्युत सबंधी कार्य-क्रमों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। 1968-69 में राज्य में 1,310 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता थी जो 1970-71 में बढ़कर 1,434 मेगावाट हो गई है किन्तु विद्युत् उत्पादन पहले की ही तरह मांग से बहुत कम है। वास्तव में विद्युत् की मांग सप्लाई की अपेक्षा अधिक है और इस कारण से विद्युत् कनेक्शनों के बहुत आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े रहते हैं। लोहा तथा अन्य सामग्रियों की कमी के कारण से भारी मशीनों की सप्लाई में अत्यधिक विलम्ब होने से भी विद्युत् कार्य-क्रमों के प्रसार में कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं।

12—अतिरिक्त कृषि श्रमिकों को कृषि से भिन्न धन्धों में लगाने के लिए राज्य में ग्राम तथा लघु उद्योग के प्रसार का बड़ा महत्व है। राज्य में लघु उद्योग बेरोजगार लोगों को रोजगार संबंधी अवसर प्रदान करनें में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पिछले वर्षों में राज्य में उद्योगों का प्रसार कार्य-क्रम वित्त तथा उद्यमकर्ताओं के प्रभाव में पिछड़ गया है।

13—वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है लेकिन अब भी वांछित स्तर पर उद्योग धंधे आरम्भ करने हैं। कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के अतिरिक्त वृहत् तथा मध्यम उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इन उद्योगों के स्थापित हो जाने से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ तीसरे दर्जे के क्षेत्र (tertiary sector) का और विकास होगा जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिये राज्य सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अतिरिक्त पूंजी लगाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार पर जोर डाल रही है। राज्य के वर्तमान वस्त्र तथा चीनी उद्योग जोकि राज्य की परम्परागत उद्योग है खराब हालत में है और उनका फिर से नवीकरण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। वस्त्र उद्योग को पुनः सशक्त करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई है। राज्य में चीनी उद्योग एक कठिन समय से गुजर रहा है और अनेक मिलों के लिए लाभकारी स्तरों पर उत्पादन बनाये रखना कठिन हो रहा है। राज्य सरकार ने ऐसी कमजोर यूनिटों के लिये प्राधिकृत-

नियंत्रक के रूप में कार्य करने के हेतु एक चीनी निगम की स्थापना की है जिन्हें उपेक्षित किये जाने से तथा संसाधन न होने से पहले हानि उठानी पड़ीं। उद्योग निदेशालय भारी उद्योगों का अनुभाग, निजी उद्यमकर्ताओं को भूमि, विद्युत तथा मशीनों आदि की प्राप्ति में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम औद्योगिक उपक्रमों के लिये निर्माण स्थलों का विकास कर रहा है।

14—इन प्रयासों के बावजूद राज्य में विकास की गति जनसंख्या की वृद्धि की दर बढ़ जाने से अवरूद्ध रही है। एक बहुत बड़ी जन संख्या वाले समाज के लोगों पर होने वाले कार्यों की पूर्ति के लिये उत्पादन कार्य-क्रमों से समाज कल्याण कार्य-क्रमों जैसे चिकित्सा, शिक्षा निवास संबंधी सुविधायें आदि के कार्य-क्रमों के हेतु अपेक्षाकृत अधिक धनराशियां संक्रमित किये जाने की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में परिवार नियोजन कार्य-क्रम का बहुत महत्व है। इस कार्य-क्रम को पूर्ववत् बहुत अधिक प्राथमिकता दी जा रही है जिससे कि जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार में इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ सके।

15—ऊपर बतायी गयी बड़ी समस्याओं में से बढ़ती हुयी बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक तीव्र है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है जो चौथी योजना में परिकल्पित विकास संबंधी कार्य-क्रमों के बावजूद ऐसी स्थिति में नहीं है जिससे कि श्रमिकों के उस अतिरिक्त दल को खपाया जा सके जो कि प्रति वर्ष लगभग 10 लाख के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। राज्य में निम्नस्तर पर लगायी गयी पूंजी के कारण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों की क्षमता भी सीमित है। बेरोजगारी की समस्या को निम्नलिखित प्रकार से हल किया जा सकता है :—सघन तथा विविध प्रकार के कृषि उत्पादन कार्य-क्रम आरंभ करके, बड़े, कारखानों से सम्बद्ध पूर्ति करने वाले तथा उनकी सहायता पर आधारित छोटे (upstream and downstream) सहायक उद्योगों की कृषि स्थापना पर आधारित अथवा उससे सम्बद्ध लघु औद्योगिक यूनिटों का एक वृहत् कार्य-क्रम आयोजित करके तथा मध्यम और बड़े औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करके। ग्रामीण निर्माण-कार्य सम्बन्धी कार्य-क्रम अथवा त्वरित रोजगार सम्बन्धी कार्य-क्रम) जैसे अन्य श्रम प्रधान स्कीमों का कार्यान्वयन भी कुछ हद तक इस समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा।

16—इस राज्य को अपने तीन पिछड़े हुए संभागों अर्थात् पूर्वी बुन्देलखंड और पर्वतीय संभागों के विकास की रफ्तार कैसे तेज की जाय इस समस्या का भी समाधान करना है। पूर्वी संभाग बहुत समय से एक पिछड़ा हुआ संभाग है और यहां की अधिक जनसंख्या होने से दबाव काफी है। इस संभाग के गरीबी से पीड़ित लोगों को समय-समय पर सूखा पड़ने तथा बाढ़ों के आ जाने से दैवी प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। इस राज्य के बुन्देलखंड संभाग की एक विशेष प्रकार की भौगोलिक दशा है और इसमें कृषि सम्बन्धी उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में सिंचाई तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की विशेष रूप से कमी है। इसी प्रकार दुर्गम्य भू-प्रदेश, अपर्याप्त संचार साधन और कम उत्पादिता के कारण पर्वतीय संभागों की अपनी समस्यायें हैं। राज्य योजना में इन सबका विशेष ध्यान रखा गया है और इनके लिये 338.40 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस 338.40 करोड़ रु० का परिव्यय इन तीनों मिले हुए क्षेत्रों के अतिरिक्त जिन्हें पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में मान लिया गया है राज्य में अन्य ऐसे जिले हैं जिनमें विकास सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव है और जिसमें कि पिछड़े हुए अंचल (Pockets) स्थित है। 1972-73 की वार्षिक योजना में एक विशिष्ट परिवर्तन यह किया गया है कि ऐसे जिलों अथवा क्षेत्रों के लिये विद्युत, सिंचाई तथा सड़क सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की गति को तेजी से बढ़ाने के लिये पृथक रूप से अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है जो किसी अवस्थापना के लिये बुनियादी रूप से आवश्यक हैं तथा जो आर्थिक विकास के लिये अपरिहार्य हैं।

17—किसी भी संगठन के नियोजन सम्बन्धी शासन-तंत्र को बराबर कार्य करने की स्थिति में बनाये रहना आवश्यक है जिसके कि वह अपने कार्यों और चुनौतियों का सामना कर सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त राज्य नियोजन परिषद् की स्थापना करके कतिपय संगठनात्मक सुधार किये गये हैं। इस परिषद् के अध्यक्ष राज्य के मुख्य मंत्री हैं। एक पूर्णरूपेण राज्य नियोजन संस्थान की भी स्थापना की गयी है। यह संस्थान ऐसे विशेषज्ञों की एक निकाय होगी जो अध्ययन, सर्वेक्षण तथा शोध के जरिये योजना सम्बन्धी समस्त सूचना देने के लिये उत्तरदायी होगी ताकि योजना बनाने वाले भविष्य में अपेक्षाकृत अच्छी योजनायें तैयार कर सकें। राज्य नियोजन संस्थान मध्यम तथा उच्चतर स्तर के कार्मिकों का मूल्यांकन करने, प्रायोजना सम्बन्धी अनुमान लगाने तथा उनके प्रशिक्षण के लिये भी जिम्मेदार होगा। संस्थात्मक वित्त के महत्व पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। विकास सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये संस्थात्मक संसाधनों से अधिकाधिक धनराशि प्राप्त करनी आवश्यक होगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग में एक पूर्णरूपेण प्रबंधित संस्थात्मक वित्त संगठन की स्थापना की गयी है जो राज्य के आर्थिक विकास के लिये अधिक से अधिक संस्थात्मक संसाधनों की व्यवस्था से संबंधित कार्य-क्रमों तथा कृत्यों को समन्वित करेगा।

वर्तमान स्थिति

राज्य में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को चालू हुए दो दशकों से अधिक समय हो गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972-73 से नियोजन काल का बाईसवां वर्ष शुरू हो जावेगा। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष भी होगा। यह उपयुक्त होगा कि इस समय राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का संक्षिप्त रूप से समीक्षा व विश्लेषण किया जावे।

2—1961 में इस राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ 37 लाख थी जो 1971 की जन गणना के अन्तः कालीन योगफल (Provisional Totals) के अनुसार वर्ष 1971 में बढ़कर 8 करोड़ 84 लाख हो गयी है। जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक चक्रवृद्धि दर जो 1951 से 1961 के बीच 1.6 प्रतिशत थी, 1961 से 1971 के बीच के दशक में बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गई। जन संख्या की यह वृद्धि विकास योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ को प्रायः निष्प्रभावित कर रही है।

3—अर्थ-व्यवस्था में समग्र रूप से कितनी वृद्धि हुई है यह बात प्रति व्यक्ति आय को देखने से भली-भांति विदित हो जाती है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय की दर की प्रवृत्ति पिछले वर्षों में उत्साहवर्धक नहीं रही है। वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये थी और आठ वर्ष बाद 1968–69 में, 1960–61 की कीमतों के आधार पर यह वास्तव में 1960-61 के बराबर ही थी यद्यपि कुल आय 1,799 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,129 करोड़ रुपये हो गयी है। जनसंख्या की वृद्धि ने आय की वृद्धि को समानान्तर कर दिया।

4—चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष अविक अनुकूल रहे। इस अवधि के दौरान जनसंख्या की वृद्धि की दर से आय की दर में अधिक वृद्धि हुई। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में 4.9 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई जबकि जनसंख्या में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले दो वर्षों में हुई वृद्धि की दर में तेजी उस समय स्पष्ट हो जाती है जब कि 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की दर की तुलना 2.1 प्रतिशत की वृद्धि की दर से की जाती है। वृद्धि की 1960–61 से 1968–69 की अवधि के दौरान अभिलिखित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1968–69 की 256 रुपये से वर्ष 1969–70 में बढ़कर 265 रुपये हो गई और यह अनुमान किया गया है कि वर्ष 1970–71 में यह बढ़कर 272 रुपये हो गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय की दर में करीब 3.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषि

5—राज्य की आय में कृषि तथा पशुपालन का योग दान वर्ष 1960-61 की कीमतों के आधार पर 1960-61 में 59.5 प्रतिशत था। वर्ष 1969-70 में यह प्रतिशत घटकर लगभग 56 प्रतिशत रह गया। कृषि तथा सम्बद्ध कार्य-कलापों में लगे हुए श्रमिकों की संख्या वर्ष 1960–61 में कुल श्रमिकों की संख्या का 75.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1971 में भी यह अनुपात इसी स्तर पर रहा। इस तरह राज्य की आय मुख्यतया कृषि पर ही पूर्ववत आधारित रही। कृषि से समुचित संख्या में हटकर कृषि से भिन्न व्यवसायों की ओर श्रमिकों के आने के अब भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं।

6—राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार पूर्ववत् बनी रही। कृषि उत्पादन का कुल मूल्य वर्ष 1960–61 की कीमतों के आधार पर वर्ष 1960–61 के 1,158 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1968-69 में 1262 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार वर्ष 1960-61 की स्थायी कीमतों के आधार पर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रों का राज्य की आय में अंशदान वर्ष 1960–61

के 1,072 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1669–70 में 1,280 करोड़ रुपये हो गया। यदि उत्पादन को ग्रामीण जनसंख्या के प्रति व्यक्ति उत्पादन मूल्य के रूप में देखा जाय तो इन उपलब्धियों को सराहनीय नहीं कहा जा सकता। वर्ष 1960–61 की कीमतों के आधार पर, वर्ष 1968–69 में कृषि उत्पादन का प्रति व्यक्ति मूल्य वर्ष 1960–61 की 180 रुपये की तुलना में 172 रुपये था। इस तरह से उत्पादित फसलों के प्रति व्यक्ति मूल्य में 4 प्रतिशत कमी हुई। यह कमी कुछ इस कारण हुई कि कृषि जलवायु संबंधी दशायें 1960–70 दशक के उत्तरार्ध में प्रतिकूल रहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान में यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से फिर पलट गयीं क्योंकि इस बीच कुछ अनाज की फसलों के उत्पादन की रफ्तार अपेक्षाकृत वृद्धि की ओर रही और गेहूं तथा चावल जैसे कुछ अनाजों में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई।

7—राज्य में खाद्यान्न उत्पादन के स्तरों की जांच करने पर यह विदित हुआ कि वर्ष 1950–51 में 117.75 लाख मी० टन का उत्पादन हुआ। वर्ष 1960–61 में उत्पादन बढ़कर 144.86 लाख मी० टन हो गया। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1968–69 में 160.41 लाख टन तथा वर्ष 1969–70 में 174.13 लाख टन के स्तर तक पहुंच गया। वर्ष 1970–71 के दौरान इस वर्ष के 182 लाख टन के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य की तुलना में लगभग 193.52 लाख टन का उत्पादन हुआ और चौथी योजना के अन्त तक यह उत्पादन 214 लाख मी० टन तक पहुंच जावेगा। रबी का उत्पादन बड़ा उत्साहवर्धक रहा परन्तु रबी की फसल की मड़ाई के दौरान असामयिक वर्षा से 200 करोड़ रुपये की कीमत की फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1971–72 में 190 लाख टन खाद्यानों के उत्पादन के लक्ष्य के समक्ष 193 लाख टन के उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 1972–73 के लिए 201 लाख टन का लक्ष्य है।

8—वर्ष 1971–72 के दौरान राज्य का कृषि उत्पादन कार्य-क्रम राज्य में अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण पिछड़ गया। राज्य में खरीफ की 125 करोड़ रुपये के मूल्य की लगभग 21 लाख टन फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है। खरीफ की फसल पैदा किया जाने वाला क्षेत्र 3 लाख हेक्टेयर के लगभग घट गया है। उत्पादन में इस कमी की पूर्ति इस वर्ष केवल रबी की बम्पर फसल पैदा करके की जा सकती है। इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस ओर भी कदम उठाये जा रहे हैं कि अधिक उपज वाली रबी की फसलों के अन्तर्गत 22 लाख हेक्टर क्षेत्र को बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर किया जाय और खरीफ की फसलों में लगातार हुए भारी नुकसान के बावजूद वर्ष 1971–72 के लिये निर्धारित खाद्यान्न के लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। यदि खाद्यान्नों के उत्पादन पर जनसंख्या के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार विचार किया जाय तो यह विदित होगा कि खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1968–69 में करीब-करीब वर्ष 1950–51 के स्तर के बराबर ही अर्थात् 516 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था किन्तु वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 के दौरान यह बढ़कर क्रमशः 550 ग्राम तथा 600 ग्राम हो गया। इस तरह से 19 औंस (539 ग्राम) प्रति वयस्क प्रति दिन के मानक (नार्म) से अधिक उत्पादन हुआ किन्तु यदि बीज, पशुओं का चारा संग्रह तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए आरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय तो राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन के स्तर को और बढ़ाने की जरूरत है। आधुनिक प्रविधियों अपेक्षाकृत अच्छी सिंचाई सुविधाओं तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि सम्बन्धी निवेशों (inputs) की व्यवस्था करके भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। अधिक उपज देने वाले बीजों की बुआई का कार्य-क्रम प्रगति पर है परन्तु अधिकांश किसान अब भी निर्धारित मान के अनुसार पूरी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उर्वरक का उपयोग अब दिन पर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। राज्य में वर्ष 1969–70 के अन्त तक उर्वरकों की खपत का स्तर 3.06 लाख मी० टन नाइट्रोजन, 0.99 लाख मी० टन सुपरफास्फेट और 0.55 लाख मी० टन पोटाश का रहा। यह आशा की गई थी कि इनकी खपत और बढ़कर वर्ष 1971–72 में क्रमशः 3.50 लाख टन, 0.70 लाख टन तथा 0.50 लाख

टन तक हो जायगी । यद्यपि उन्नत बीजों, उर्वरकों, सिंचाई और पौध संरक्षण उपायों के महत्व को प्रगतिशील किसानों द्वारा अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है तथापि छोटे किसानों तक उन्नत कृषि के लाभों को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने की आवश्यकता है । गन्ना, तिलहन, कपास और जूट जैसी व्यवसायिक फसलों के विकास के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

9--राज्य में कृषि का उत्तरोत्तर यन्त्रीकरण किया जा रहा है । ट्रैक्टरों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है । राज्य में 1971 में, वर्ष 1966 के 10,139 ट्रैक्टरों की तुलना में, 17,336 ट्रैक्टर थे । ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिए भी कम हैं और ट्रैक्टर की मांग का पंजीकरण करने के बाद किसानों को इससे 2 से 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । पावर थ्रेसर जैसे अन्य लघु कृषि उपकरणों की मांगों को पूरा करने के लोहे तथा इस्पात की कमी अब भी बाधा डाल रही है ।

10--राज्य में छोटे किसानों की संख्या अधिक होने के कारण कृषि विकास में सहायता पहुंचाने के हेतु विशेष स्कीमों की आवश्यकता है । यह अनुमान किया गया है कि राज्य में लगभग 76 प्रतिशत जोतें 5 एकड़ से कम की हैं । छोटे किसान स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि वे आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधियों से लाभ उठा सकें । भारत सरकार ने छोटे किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत की प्रति स्कीम के आधार पर 46 स्कीमें स्वीकृत की हैं । इनमें से चार आयोजनाएं इस राज्य में स्थापित की गई हैं । और यदि देश के कुल छोटे किसानों के अनुपात का विचार किया जाय तो यह राज्य अधिक प्रायोजनाओं का अधिकारी था । ये चारों प्रायोजनाएं इस समय रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बदायूं जिलों में चालू हो गयी हैं । इन प्रायोजनाओं का उद्देश्य उपर्युक्त प्रत्येक जिले में लगभग 50,000 छोटे किसानों की कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, सहायता करना है । यह सहायता उनको अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये और पशुपालन तथा कुक्कुट पालन इत्यादि ऋण संपूर्ति (Surplies) तथा प्रलोभनों के रूप में सहायक धन्धों के जरिए अपनी आय में वृद्धि करने के हेतु दी जायगी । इस तरह से अर्जित अतिरिक्त आय से छोटे किसानों को कृषि के क्षेत्र में धन लगाने में सहायता मिलेगी जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो । सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये भी दो विशेष प्रायोजनाएं जिला बलिया और मथुरा में स्थापित की गई है जहां कार्य अभी शुरू किया गया है ।

सिंचाई

11--कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादिता बढ़ाने के लिये जल एक आधारभूत निवेश है । इसलिये राज्य की योजनाओं में सिंचाई कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । वृहत् मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यक्रमों के जरिए सिंचाई क्षमता सृजित करने पर बराबर जोर दिया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के लिये चौथी योजना में 186 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है । इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई कार्यक्रमों का संस्थात्मक संसाधनों द्वारा व्यापक रूप से वित्त पोषण किया जाता है । राज्य के मैदानी भाग में कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 1960-61 के 55.28 लाख हेक्टर से बढ़कर 1970-71 में 89.38 लाख हेक्टर हो गया है । राज्य में नलकूपों की संख्या 4,734 से बढ़कर 10,264 हो गई है और विद्युत चालित कृषि पम्पों की संख्या 1130 से बढ़कर 116621 तक पहुंच गई है ।

12--चौथी योजना के दौरान 29.91 लाख हेक्टर क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है । सिंचाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति योजना के लक्ष्यों आगे बढ़ रही है । सूखे से चिरकाल से प्रभावित रहने वाले तथा सिंचाई की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है । गंडक, राम गंगा और शारदा सहायक जैसी बड़ी सिंचाई की प्रायोजनाओं से भविष्य में पूर्णलाभ प्राप्त होने की संभावना है । सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में चिरकालिक कठिनाई बिजली की कमी है, और इससे सिंचाई के कार्यक्रमों में निरन्तर बाधा पड़ रही है । बिजली की कमी को पूरा करने के लिये पूरे प्रयास किये

जा रहे हैं और जहां-जहां आवश्यक समझा गया है, इस कमी को डीजल से चालित पम्पों द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विद्युत

13—कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए विद्युत् अवस्थापना (infra-structures) का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। चौथी योजना के दौरान विद्युत् के विकास के लिये 375 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और यह राज्य योजना के पूरे आकार का लगभग 39 प्रतिशत है। पहली योजना के प्रारंभ में राज्य की अधिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता 178.54 मेगावाट थी जो दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में 370.17 मेगावाट तक पहुंच गई। वर्ष 1968–69 में उक्त अधिष्ठापित क्षमता 1310.04 मेगावाट थी और चौथी योजना के लिये 2479.49 मेगावाट का उत्पादन स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1970–71 के दौरान 259 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से केवल 66 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकी। इसके फलस्वरूप 193 मेगावाट की पूर्वावशिष्ट क्षमता रह गयी। चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1971–72 के दौरान 280 मेगावाट की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त की जानी थी। यह आशा है कि वर्ष 1971–72 के अन्त तक 1572.02 मेगावाट के स्तर की अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करने के लिए वर्ष 1971–72 के दौरान ओबरा जल-विद्युत्, हरदुआगंज प्रक्रम 4 और ओबरा थरमल प्रायोजनाओं के जरिए केवल लगभग 138 मेगावाट की क्षमता प्राप्त की जा सकेगी। इस वर्ष के लिये निश्चित मूल लक्ष्य की तुलना में अब भी इसमें लगभग 295 मेगावाट पहले का बाकी रह जायगा। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1972–73 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता में 255 मेगावाट की वृद्धि की जाय यद्यपि मूल लक्ष्य 410 मेगावाट का है। इस प्रकार वर्ष 1972–73 के अन्त तक 'चरणबद्ध योजना के 2277 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, राज्य की अधिष्ठापित क्षमता 1827 मेगावाट हो जायगी। जब तक बहुत बड़ी मात्रा में अतिरिक्त सृजन क्षमता प्राप्त नहीं की जाती तब तक विद्युत् -उत्पादन की भारी कमी रह जायगी। इस संदर्भ में शीघ्र एक आणविक विद्युत् स्टेशन की स्थापना एक विशेष महत्व रखती है। बिजली का उत्पादन, जो वर्ष 1960–61 में 125 करोड़ किलोवाट घंटे था, 1968–69 में बढ़कर 531 करोड़ किलोवाट घंटे का हो गया, जो वर्ष 1960–61 से 325 प्रतिशत अधिक तथा 1967–68 से 45 प्रतिशत अधिक था। राज्य में वर्ष 1968–69 के दौरान बिजली की खपत 429 करोड़ किलोवाट घंटे थी जो वर्ष 1960–61 से 361 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1960–61 में औद्योगिक विद्युत् के रूप में बिजली की खपत का अनुपात 51.6 प्रतिशत था। यह खपत वर्ष 1968–69 में बढ़कर 67.8 प्रतिशत हो गई। बिजली की खपत ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई, कुटीर उद्योग तथा घरेलू उपयोग में अब अधिक मात्रा में होती है।

14—वर्ष 1970–71 के दौरान 3,000 गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसकी तुलना में 3,383 गांवों को बिजली लगायी गयी और उस वर्ष के अन्त तक बिजली की सुविधा प्राप्त गांवों की कुल संख्या 20,719 हो गई। वर्ष 1970–71 में 30,000 निजी नलकूपों पंपिग सेटों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में लगभग 24,664 निजी नलकूपों पंपिग सेटों का विद्युतीकरण किया जा सका। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष के 361 सरकारी नलकूपों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 475 सरकारी नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया।

उद्योग

15—यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उद्योगों के विकास के लिये, विशेष-रूप से लघु तथा कुटीर उद्योग के क्षेत्रों में, यह आवश्यक है कि उद्यम-कर्ताओं को विशेष सुविधायें प्रदान की जाये। इस नीति के अनुसरण में राज्य का उद्योग विभाग सहायता तथा पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था करता है। वह उद्यम-कर्त्ताओं को भारत सरकार से विभिन्न उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में भी सहायता देता है। राज्य के उद्योग विभाग ने वर्ष 1970–71

के दौरान 278 प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये थे परन्तु केवल 17 प्रार्थियों को लाइसेंस प्राप्त हो सका। वर्ष के दौरान 10 इकाइयां कार्य करने लगी थीं। इनमें से सात इकाइयों को पिछले वर्ष लाइसेंस प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश उद्योग निगम ने वर्ष 1970-71 के दौरान 37 कम्पनियों को 60.3 लाख रुपये की धनराशि के ऋण दिये। उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने भी लगभग 65 लाख रुपये की धनराशि के ऋण, राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वितरित किये। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध की गयी अन्य सहायता के अतिरिक्त 29 लाख रुपये का ऋण भी दिया गया।

16—औद्योगिक आस्थान स्कीम के अधीन वर्ष 1970-71 के अन्त तक 779 आस्थान आवंटित किये गये। वर्ष 1970-71 के दौरान उद्योग निदेशालय में 5325 लघु औद्योगिक इकाइयों की रजिस्ट्री की गयीं। यह किसी भी एक वर्ष में अब तक की गयी रजिस्ट्रियों की अधिकतम संख्या है। 31 मार्च, 1971 को रजिस्ट्रीकृत इकाइयों की कुल संख्या 28,383 थीं।

17—सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत डल्ला, जिला मिर्जापुर में एक अतिरिक्त सीमेंट फक्ट्री स्थापित की गई है। दिसम्बर, 1970 से, इसमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। राज्य में निजी क्षेत्र में निम्नलिखित वृहत् उद्योगों की स्थापना की जा रही है :

	पूंजी जो लगाई जायगी (करोड़ रुपयों में)
1—ट्रैक्टर स्कीम, प्रतापगढ़	7.70
2—हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां ,रायबरेली ..	12.86
3—स्कूटर प्रायोजना, लखनऊ	1.55
4—पोलिस्टर फाइबर प्रायोजना, गाजियाबाद ..	5.75
कुल ..	27.86

इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना की जा रही है अथवा किये जाने की संभावना है।

	(करोड़ रुपयों में)
1—वायुयान संबंधी अतिरिक्त पुर्जे निर्माण करने के लिए लखनऊ में एक फैक्ट्री	7.50
2—टेलीफोन फैक्ट्री, नैनी, इलाहाबाद	5.00
3—भारत इलैक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद	17.00
4—एलाय स्टील प्रोजेक्ट, कानपुर	40.00
5—गैस सिलिंडर निर्माण संयत्र (प्लान्ट) ..	अप्राप्य

18—चीनी, सीमेंट, वनस्पति तथा वस्त्र उद्योग निर्माण उत्तर प्रदेश के प्रमुख परम्परागत उद्योग हैं। वर्ष 1969-70 के दौरान चीनी का उत्पादन 16.24 लाख मी० टन था जो इसके पूर्व के किसी भी वर्ष के उत्पादन से अधिक हैं। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1970-71 में 3.58 लाख टन था। 1970-71 में वनस्पति का उत्पादन 1.03 लाख मी० टन था जबकि 1970 के दौरान सूती कपड़े का उत्पादन 2534 लाख मीटर था। 1970-71 में 1687 लाख मीटर वस्त्र का उत्पादन हथ करघों के द्वारा भी हुआ।

19—राज्य का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होना इस बात से स्पष्ट है कि वर्ष 1969-70 के दौरान वृहत् तथा लघु उद्योगों का जिनमें असंगठित क्षेत्र भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश की

राज्य आय में केवल 10.7 प्रतिशत अंशदान था, जबकि इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंशदान 15.9 प्रतिशत था। राज्य के इस अंशदान का अधिकांश भाग असंगठित क्षेत्र द्वारा दिया गया था जिसके कारण कुल अंशदान में से केवल औद्योगिक क्षेत्र का 63.3 प्रतिशत था, जबकि देश का तत्स्थानी प्रतिशत 39 था। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य का आधुनिक औद्योगिक ढंग से विकास नहीं हुआ है।

20—वर्ष 1969 में राज्य की रजिस्ट्रीकृत फैक्ट्रियों में प्रति लाख जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या 402 थी जब कि इसकी तुलना में देश में यह संख्या 911, महाराष्ट्र में 2000, पश्चिमी बंगाल में 1880, तामिल नाडु में 1058, हरयाणा में 837 और पंजाब में 745 थी।

सड़कें

21—आर्थिक विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। बढ़ती हुई आबादी तथा माल के परिवहन के लिए अधिकाधिक सड़कों की आवश्यकता है।

22—वर्ष 1968-69 के अन्त में राज्य में (उत्तराखण्ड को छोड़कर) पक्की सड़कों की लम्बाई 29,213 किलोमीटर थी। वर्ष 1970-71 के दौरान 248 किलोमीटर की नई सड़कें निर्माण करने का लक्ष्य था। इसकी तुलना में 352 किलोमीटर की पक्की सड़कों का निर्माण हुआ था। यह पहला ही अवसर है जबकि उपलब्धि लक्ष्य से अधिक हुई। उत्तर प्रदेश सड़क निधि तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अधीन, वर्ष 1971 तक स्वीकृत पक्की सड़कों का निर्माण पूरा हो जाने पर उत्तर प्रदेश में (उत्तराखण्ड को छोड़कर) सड़कों की लम्बाई 37,918 किलोमीटर हो जायगी। ग्रामीण रोजगार की क्रैश स्कीम (त्वरित योजना) के अधीन एक बहुत ही ठोस सड़क निर्माण कार्यक्रम को भी हाथ में लिया गया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

23—वर्ष 1970 के अन्त में राज्य के एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की संख्या 1656 थी। इनके अतिरिक्त राज्य में 535 अन्य एलोपैथिक चिकित्सालय तथा औषधालय थे। 31 मार्च, 1970 से राज्य के आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों की संख्या 737 थी। शैय्या–जन-संख्या के अनुपात में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। जिला तथा उपनगर चिकित्सालयों में रोगनिदान (क्लिनिकल) संबंधी सुविधाओं में निरन्तर सुधार हुआ है।

24—बढ़ती हुई जन-संख्या पर रोक लगाने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम आवश्यक है। वर्ष 1970-71 के दौरान 386 हजार व्यक्तियों के अनुर्वरीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया था जिसकी तुलना में केवल 78 हजार व्यक्तियों का अनुर्वरीकरण किया जा सका। 183 हजार लूप लगाने के लक्ष्य की तुलना में केवल 97 हजार लूप लगाने में सफलता प्राप्त की जा सकी। इससे प्रतीत होता है कि राज्य में परिवार नियोजन का कार्य निश्चित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस कार्य को करने वाली मशीनरी की गति में तेजी लाने तथा सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है।

शिक्षा

25—सामान्य शिक्षा के लिये वर्ष 1970-71 में 616.80 लाख रुपये का परिव्यय था जिसकी तुलना में उस वर्ष के दौरान 652.71 लाख रुपये का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के अन्तर्गत 12.04 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1970-71 के दौरान 5.04 लाख रुपये का व्यय हुआ। उस वर्ष 175 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य निश्चित किया गया था और 210 स्कूल खोले गये। इसके फलस्वरूप वर्ष 1970-

71 के दौरान प्राथमिक (प्राइमरी) स्कूलों में छात्रों की भर्ती की संख्या में 5.28 लाख की वृद्धि हुई तथा छात्रों की कुल भर्ती की संख्या 108.28 लाख तक पहुंच गयी। 1970–71 में 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 88 हो गया। छात्र शिक्षक के अनुपात को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1970–71 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में 5,600 शिक्षक नियुक्त किये गये।

26—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, वर्ष 1970–71 के दौरान 225 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये तथा 330 अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्त किया गया। 1970–71 में सीनियर बेसिक स्कूलों में 18.62 लाख भर्ती के लक्ष्य की तुलना में भर्ती की संख्या 18.68 लाख हो गयी। यह उम्मीद है कि 1970–71 में कक्षा 9 से 12 के छात्रों की भर्ती की संख्या 10.73 लाख हो गई होगी। वर्ष 1970–71 के दौरान प्राविधिक संस्थाओं में 980 छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रम में तथा 5,530 छात्रों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भर्ती करने के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 1,036 तथा 4,517 छात्रों को भर्ती किया गया।

मूल्य तथा मजदूरी

27—उत्तर प्रदेश का कृषि थोक मूल्य सूचकांक मार्च, 1970 में 226.2 (जुलाई, 1957 जून, 1958—100) था। इसके बाद थोक मूल्यों में गिरावट का रुख दिखाई दिया और सूचकांक मई, 1970 में गिरकर 203.0 पर आ गया। परन्तु मूल्यों में पुनः वृद्धि होने लगी और सूचकांक सितम्बर, 1970 में 215.6 रहा। मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति फिर आ गई और यह स्थिति मई, 1971 तक रही जबकि सूचकांक 196.9 था। कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य एक बार पुनः बढ़ने लगे और थोक मूल्यों के सूचकांक का स्तर दिसम्बर, 1971 में 218.6 था। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक थोक मूल्य सूचकांक मार्च, 1970 में 238.3 (1948—100) था, जो मई, 1970 में बढ़कर 248.4 तक चला गया। यह जून, 1970 में घटकर 210.5 हो गया और इसके बाद दिसम्बर, 1970 तक जब इसका सूचकांक 213.7 था इसमें कोई अधिक घटती बढ़ती नहीं हुई। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य फिर बढ़ने लगे और अप्रैल, 1971 में सूचकांक 229.4 पर पहुंच गया। मई, 1971 में कुछ गिरावट के बाद दिसम्बर, 1971 के महीने में यह सूचकांक 221.4 था।

28—कृषि वर्ष 1970–71 के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ई और राजगीरों की दैनिक मजदूरी की दरों का वार्षिक औसत क्रमशः 5.85 रु० तथा 6.34 रु० रहने की सूचना मिली। ये औसत पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत बढ़ई तथा 3.8 प्रतिशत राजगीरों के संबंध में अधिक था। विभिन्न कृषि संबंधी कार्यों के लिए मजदूरी दैनिक दरें औसत रूप में 2 से 3 रु० के बीच रही। सिवाय खेत जोतने तथा बुवाई संबंधी कार्यों के, जिनकी मजदूरी का औसत पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक था, अन्य दशाओं में यह औसत सामान्यतः उसी स्तर का था जो पिछले वर्ष रहा। नागर क्षेत्रों में राजगीर तथा बढ़ई के कार्यों की दैनिक मजदूरी का वार्षिक औसत क्रमशः 7.10 रु० तथा 7.12 रु० रहा जबकि अकुशल श्रमिकों के संबंध में यह 3.81 था। वार्षिक मजदूरी की दरों के ये औसत पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत तक अधिक रहे।

बेरोजगारी कम करने के उपाय

29—राज्य में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिस पर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। इस समस्या का समाधान सघन कृषि करके, कृषि पर आधारित श्रम प्रधान लघु उद्योग इकाइयों की संख्या में वृहत् प्रसार करके बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योग इकाइयों की स्थापना कर के और सहायक उद्योगों का विकास करके किया जा सकता है।

30—प्राविधिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय की एक स्कीम तैयार की गई है। प्राविधिक व्यक्तियों को उपयुक्त स्थानों पर कृषि सेवा-केन्द्र स्थापित करने हेतु कृषि उद्योग निगम के माध्यम से ऋण प्रदान किये जायंगे।

31—चुने हुए उम्मेदवारों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिये सभी जिलों में एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके हेतु प्रत्येक जिले के लिये 12.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह इरादा है कि वर्ष में कम से कम दस माह के लिये 1,000 व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जाय और जिससे कि 100 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति की आय सुनिश्चित की जाय।

(3)

वित्तीय दृष्टिकोण

वार्षिक योजना 1972-73 के संसाधनों का विवरण जैसा कि वह योजना आयोग द्वारा परामर्श करके तैयार किया गया तथा जैसा कि वह राज्य सरकार द्वारा आयोग के समक्ष मूलतः प्रस्तुत किया गया था, वह निम्न प्रकार है :—

1972-73 के वित्तीय संसाधनों का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

मद	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुमान	योजना आयोग द्वारा विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया गया अनुमान
1	2	3
1—योजना परिव्यय	227.24	225.28
II—राज्य के बजट-संसाधन—		
1—1968-69 के कराधान की दरों पर चालू राजस्वों से अवशेष	45.40	73.53
2—स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों का अंशदान—		
(क) राज्य विद्युत परिषद् ..	10.61	8.42
(ख) सड़क परिवहन निगम ..	..	.
3—जनता से ऋण (शुद्ध) .	20.36	15.95
4—छोटी बचतों में अंश	15.50	16.00
5—अनधिक ऋण (Unfunded debt) ..	8.50	8.50
6—प्रकीर्ण पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध) ..	(-)32.46 }	(-)32.46
7—आरक्षित निधियों से निकाली गयी धनराशि	7.02 }	..
योग ..	74.93	89.96

(करोड़ रुपयों में)

मद	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुमान	योजना आयोग द्वारा विचार-विमर्श करके अन्तिम रूप दिया गया अनुमान
1	2	3
III—अतिरिक्त संसाधन जुटाना—		
(1) 1969–70 के साधन ..	7.27	7.27
(2) 1970–71 के साधन ..	8.14	8.14
(3) 1971–72 के साधन ..	..	10.00
(4) 1972–73 के साधन ..	..	10.00
(5) 1972–73 में मितव्ययता आदि से बचत	..	1.99
योग ..	15.41	37.40
घटाइये:—		
(1) मद्य-निषेध के कारण हानि ..	0.80	0.80
(2) सवा छः एकड़ तक लगान माफी से हानि	..	16.87
(3) वृत्ति व्यापार कर की समाप्ति से हानि	..	1.70
शुद्ध अतिरिक्त संसाधन ..	14.61	18.03
IV—बातचीत द्वारा तय हुए ऋणों तथा राज्य उपक्रमों के बाजार ऋण (सकल)		
1—राज्य सरकार—		
(क) जीवन बीमा निगम से ऋण ..	1.00	1.25
(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण .	2.00	1.75
2—राज्य उपक्रम—		
(क) जीवन बीमा निगम से ऋण ..	6.50	5.50
(ख) बाजार ऋण	13.20	6.75
योग ..	22.70	15.25
योजना के लिये राज्य के कुल संसाधन ..	112.24	123.24
केन्द्रीय सहायता	115.00	102.04
राज्य के कुल संसाधन	227.24	225.28

2—चालू राजस्व से अवशेष—

राज्य सरकार ने 1971–72 में सवा छः एकड़ तक की जोत का लगान तथा वृत्ति कर समाप्त कर दिया है। इसके फलस्वरूप राजस्व में जो कमी आई है उसे राज्य सरकार ने चालू राजस्व में ही दिखाया था। योजना आयोग ने इस कमी को इस मद से निकाल कर अतिरिक्त कराधान से होने वाली आय में से घटाया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार द्वारा अनुमानित चालू राजस्वों से अवशेष के आंकड़ों में योजना आयोग ने 18.57 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा अतिरिक्त कराधान के आंकड़ों में उतनी ही कमी कर दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार तथा योजना आयोग के आंकड़ों में जो अन्तर है उसका मुख्य कारण यह है कि आयोग ने केन्द्रीय करों में अपेक्षाकृत अधिक अंश दिये जाने का संकेत किया है।

3—अतिरिक्त कराधान—

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उत्तर प्रदेश कर जांच समिति 1968–69 ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के जिन उपायों की संस्तुति की थी उन्हें कार्यान्वित करने से चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में लगभग 175.85 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 1969–70 और 1970–71 में ऐसे कई उपाय आरम्भ किये गये जिनसे चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में 99.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया गया था। परन्तु उर्वरक पर से बिक्री-कर उसके लगाये जाने के शीघ्र बाद ही हटा लिया गया जिससे अतिरिक्त कराधान के राजस्व में चतुर्थ आयोजना काल में 8.73 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। इसी प्रकार मोटर वाहन कर के अन्तर्गत पे लोड बढ़ाने के आदेश भी शीघ्र ही वापस ले लेने पड़े जिनसे अतिरिक्त कराधान के राजस्व में 6.38 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। इसके अतिरिक्त 1971–72 से सवा छः एकड़ तक की जोत की लगान से मुक्त करने तथा वृत्ति कर को समाप्त करने से चतुर्थ आयोजना काल में 55.71 करोड़ रुपये की हानि होगी। राज्य सरकार ने मद्य-निषेध विषयक भी कुछ कदम उठाये हैं जिनसे चतुर्थ आयोजना काल में 6.02 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। इसमें से 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हो जाने की आशा है। शेष 3.01 करोड़ रुपये की राज्य सरकार को हानि उठानी ही पड़ेगी।

4—वित्तीय वर्ष 1969–70 में राज्य सरकार ने नहर की अधिकांश सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत तथा नलकूप की सिंचाई की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि किया है। प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि इससे राज्य सरकार को 5.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय 1970–71 से होगी जिससे चतुर्थ आयोजना काल में 22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो जायगा। परन्तु 1969–70 की कुल 18.39 करोड़ रुपये की सिंचाई की आय के मुकाबले 1970–71 की आय केवल 20.57 करोड़ रुपये है। इससे 5.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के अतिरिक्त आय के अनुमान की पुष्टि नहीं हो पाती है। वर्ष 1969–70 के अतिरिक्त कराधान से 1972–73 में होने वाली अतिरिक्त आय के जो आंकड़े राज्य सरकार ने योजना आयोग को सितम्बर 1971 में दिया था उसमें सिंचाई की दरों में वृद्धि से होने वाली अतिरिक्त आय के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण नहीं दिये जा सके थे। सिंचाई की समस्त आय चालू राजस्वों से अवशेष में ही दिखाई गई थी। यह स्थिति योजना आयोग को स्पष्ट कर दी गई थी।

5—जैसा कि पैरा 1 के मद 3–अतिरिक्ति कराधान के विवरण से स्पष्ट है, योजना आयोग ने राज्य सरकार के अतिरिक्त कराधान के आंकड़ों में से सवा छः एकड़ तक की जोत को लगान मुक्त करने तथा वृत्ति कर समाप्त करने से होने वाली 18.57

करोड़ रुपये की हानि और मद्य-निषेध से होने वाली हानि के 50 प्रतिशत को घटा कर अतिरिक्त कराधान के आंकड़े निकाले हैं। राज्य सरकार इससे सहमत नहीं है। उसके विचार से अतिरिक्त संसाधान जुटाने के प्रयास और आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से करों में दी गई छूट से होने वाली हानि दो पृथक-पृथक विषय हैं तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास से जो उपलब्धियां हुई हैं उन्हें इस प्रकार की छूट से नगण्य बना देना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने योजना आयोग से विचार-विमर्श के सार अभिलेख में सम्मिलित करने के लिये असहमति की एक टिप्पणी भी दी है।

6--राज्य विद्युत् परिषद्

(क) बाजार ऋण--

वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये राज्य विद्युत् परिषद् के 13.20 करोड़ रु० के बाजार ऋण के अनुमान लगाये गये थे परन्तु योजना आयोग ने राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत् परिषद् का मिलाकर 22.72 करोड़ बाजार ऋण की सीमा स्वीकृत की है जिसके हिसाब से परिषद् का बाजार ऋण केवल 6.75 करोड़ रुपये होता है।

(ख) आंतरिक संसाधन--

7--राज्य विद्युत् परिषद् के 1972-73 के आन्तरिक संसाधन का 10.61 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया था। योजना आयोग ने इसे घटा कर 8.42 करोड़ रु० कर दिया है। आयोग ने परिषद् द्वारा अनुमानित सकल प्राप्तियों में कार्य सम्पादन व्यय के अनुमानित आंकड़ों की अपेक्षा अधिक कमी की है तथा उनके ऋण निक्षेप प्राप्ति के अनुमानित आंकड़ों को भी 80 लाख रु० से कम कर दिया है। जिससे परिषद् के आन्तरिक संसाधन में 2.19 करोड़ रु० की कमी हो गयी है।

(4)

क्षेत्रीय कार्यक्रम

1—कृषि

(1) कृषि उत्पादन

उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का झुकाव ...मिक रूप से औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों (सर्विस सेक्टरों) की ओर होने के बावजूद इसका स्वरूप मुख्यतया कृषि प्रधान ही है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 1969-70 में लगभग 55 प्रतिशत था और इधर हाल ही में कृषि की पैदावार में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तब से उसमें वृद्धि ही हुई है।

2—हमारे यहां हरित क्रांति तो हुई किन्तु वह पूरी तौर से नहीं हुयी है। यद्यपि गेहूं और धान के उत्पादन तथा उत्पादित स्तरों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी है तथापि जहां तक अन्य फसलों का संबंध है, उच्चतर उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिये कृषि औद्योगिकी तथा अनुसंधान की उपलब्धियों का उपयोग किया जाना फिर भी बाकी है। गेहूं और धान को छोड़कर अन्य अनाजों की फसलों का उत्पादन अभी भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। तिलहन, दाल, कपास तथा तम्बाकू जैसे अखाद्यान्नों की फसलों का उत्पादन भी बहुत ही असंतोषजनक है। इसलिये हरित क्रान्ति की उपलब्धियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है। वष 1972—73 की कृषि योजना में इस स्थिति को सुधारने और फसलों, शेषकर वाणिज्यिक फसलों की पैदावार में वृद्धि करने की दिशा में पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है।

3—अब हम विकास के उस स्तर पर पहुंच गये हैं जहां कि कृषि के प्राविधिक तथा आर्थिक आधार को सुधारना और सुदृढ़ तथा अर्थ-सक्षम उद्योग के रूप में उसका विकास करना नितान्त आवश्यक हो गया है। ज्ञान, अनुभव तथा प्रविधियों का प्रचुर भण्डार हमने संहृत किया है जो किसानों को बराबर उपलब्ध हो रहा है। इस सम्बन्ध में किसानों की प्रतिक्रिया अनुकूल और उत्साहवर्द्धक रही है। वे तेजी से उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों, उन्नत प्रविधियों तथा सिंचाई का उपयोग करने लग गये हैं। खाद आदि निवेशों (inp. ts) की मांग तेजी से बढ़ रही है और कुछ चीजों की मांग उसकी सप्लाई की तुलना में कहीं अधिक है। उच्चतर स्तर की निपुणता और अधिक प्रभावकारी संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पूंजी तथा ऋण की मांग बढ़ती जा रही हैं और उनकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। कृषि की विविधता बढ़ती जा रही है और खाद आदि निवेशों (इनपुट्स) ऋण, संग्रहण तथा क्रय-विक्रय संबंधी सुविधाओं की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। सामग्री के रूप में निवेशों, ऋण तथा निपुणताओं के संघटन की इस समय जो कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता इस समय जितनी है उतनी इससे पूर्व पहले कभी महसूस नहीं हुई थी।

4—अधिक उपज देने वाली प्रजातियां उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पौध संवर्धन में फसल अनुसंधान किये जाने, कृषि के तरीकों में सुधार होने, उर्वरकों तथा नाशिकीट-मारों और प्रगाढ़ सिंचाई का प्रयोग किये जाने के अलावा कृषि उत्पादकों के लिये अधिक अच्छे मूल्य प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। योजनाओं तथा संस्थागत साधनों के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक पूंजी विनियोजन उपलब्ध कराने के लिये भी अनेक उपाय किए गए हैं।

5—कृषि के यंत्रीकरण की मांग पहले से बढ़ गई है। वर्ष 1971 की गर्मी में असाधारण वर्षा से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनसे प्रतिकूल मौसम तथा असाधारण ओले-पानी द्वारा फसलों को क्षति की रोक-थाम करने के लिये आधुनिक ढंग से कटाई करने और फसलों की कटाई के बाद आधुनिक प्रविधि अपनाने का महत्व बढ़ गया है। कृषि सम्बन्धी मशीनों की और अधिक बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि खेती करने में सुगमता और शीघ्रता हो। 'कस्टम सर्विस' सम्बन्धी सुविधायें अधिक से अधिक उपलब्ध करने के लिये विशेष जोर दिया जा रहा है जिससे कि मशीनीकरण का लाभ केवल उन्हीं कृषकों तक सीमित न रहे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है।

6—यदि कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित करना है, जैसा कि वस्तुतः उसे किया जाना चाहिये, तो वाणिज्यिक फसलों का महत्व स्पष्ट हो जाता है। खाद्यान्न सम्बन्धी राज्य की आवश्यकता सुनिश्चित कर ली जाने के पश्चात् फसल चक्र में परिवर्तन करने पर जोर देना आवश्यक होगा जिससे कि कृषि क्षेत्र की प्रत्याय में लाभ की मात्रा बढ़ सके। ऐसा करना इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि दाल तथा तिलहन सहित वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन स्तर उच्च हो जाने के फलस्वरूप सेवायोजन के अवसर भी अधिक उत्पन्न हो जायेंगे, क्योंकि वाणिज्यिक फसलों से विभिन्न प्रकार के उद्योग भी पनप सकते हैं।

7—संग्रह (स्टोर) करने की समस्या भी जटिल है। संग्रह करने की सुविधाओं का द्रुत गति से विकास करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि अतिरिक्त फसल को बाद में वितरित किये जाने के लिये समुचित रूप से संग्रह करके रखा जा सके।

8—हरित क्रान्ति से होने वाले लाभ अभी तक छोटे तथा सीमान्त वर्ग के किसानों को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाये हैं। अपेक्षाकृत सम्पन्न किसानों की संख्या कम है जबकि सामान्य वर्ग के किसानों की संख्या बहुत अधिक है। इन दोनों वर्गों क किसानों की उत्पादन क्षमताओं में स्पष्ट अन्तर है। प्रौद्योगिकी के लाभ अभी छोटे किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। छोटे तथा सीमान्त वर्ग के किसानों के लिये विशेष कार्यक्रम अनेक जिलों में चालू किये गये हैं, जिनके जरिये इस स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि छोटे वर्ग के किसानों को समय पर उर्वरक आदि विशेष सामग्री सुनिश्चित करके तथा उनकी पैदावार के संग्रहण तथा क्रय-विक्रय में उनकी सहायता करके उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की जाय। ऐसे छोटे किसानों के लिये जिनकी जोतें आर्थिक दृष्टि से न तो आत्म-निर्भर हैं और न ही इस योग्य हैं कि उनसे इतनी प्रत्याय हो सकती हो जो कि न्यूनतम जीवन स्तर बनाये रखने के लिये आवश्यक है, सहायक व्यवसायों की व्यवस्था करना भी नितान्त आवश्यक है।

9—कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्तपोषण की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है और उसके सभी साधनों से कृषि के विकास के लिये अधिक से अधिक पूंजी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

10—वर्ष 1971 में जो अभूतपूर्व बाढ़ें आई हैं, उसके कारण अब भूमि का इस प्रकार विकास करना तथा पानी के बहाव आदि को इस प्रकार नियंत्रित करना परमावश्यक हो गया है जिससे कि बाढ़ की उग्रता कम हो जाय और बाढ़ ग्रस्त तथा सम्भाव्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के किसान फसल पैदा करने के लिये ऐसा व्यवस्थित ढंग अपना सकें जिससे कि बाढ़ के दौरान उन्हें हानि कम से कम हो। जलागम-क्षेत्र के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता अब अनुभव की जाने लगी है। बाढ़ की विभीषिका का सामना करने के लिये दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनका उद्देश्य न केवल बाढ़ से सुरक्षा की व्यवस्था करना है बल्कि दीर्घकाल उपाय, जैसे सुदृढ़ आधार पर वनरोपण, भूमि संरक्षण तथा भूमि और जल संरक्षण प्रविधियां अपना कर बाढ़ों से होने वाली क्षति को यथासम्भव कम करना भी है।

11—कृषि विकास में भूमि सुधार का भी बहुत महत्व है और इस राज्य में इस दिशा में अग्रगामी कार्य किया गया है। खातेदारों को पहले से अधिक भूमि सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान करन

के उद्देश्य से अभी हाल में कुछ उपाय किये गये हैं। गांव सभाओं के गैर कानूनी पट्टे रद्द कर दिये गये हैं और ऐसी भूमि का वितरण भूमिहीन श्रमिकों तथा हरिजनों में कर दिया गया है। भौमिक अधिकार सम्बन्धी प्रणाली में और अधिक सुधार करने के प्रश्न पर सरकार बराबर विचार कर रही है।

12—कृषि का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है। कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये जिस तत्परता से किसान नई प्रविधियां अपना रहे हैं और जिस उत्साह से वे उर्वरक आदि निवेशों तथा प्राद्योगिक का कारगर उपयोग कर रहे हैं, वह भविष्य के लिये शुभ शकुन है।

कृषि विकास की समीक्षा

13—राज्य के कुल कृषि क्षेत्र में से लगभग 86 प्रतिशत क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। खाद्यान्न का उत्पादन, जो वर्ष 1969–70 में केवल 174.13 लाख मीट्रिक टन था वर्ष 1970–71 में बढ़कर 194.65 लाख मिट्रिक टन हो गया यद्यपि 1970–71 में फसल की कटाई के दौरान तथा फसल की कटाई के पश्चात् अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण फसलों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचा था तथापि उस वर्ष में कृषि के उत्पादन की कहानी खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बड़ी ही उत्साहवर्द्धक सफलता की कथा है। इसके बावजूद कृषि पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह मुख्यतया किसानों के प्रयास का फल है। इस सम्बन्ध में आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि गेहूं का उत्पादन जो वर्ष 1969–70 में 64.21 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 1970–71 में बढ़कर 76.90 लाख मीट्रिक टन हो गया, मक्का का उत्पादन जो वर्ष 1969–70 में 11.74 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 1970–71 में बढ़कर 17.96 लाख मिट्रिक टन हो गया और धान का उत्पादन जो वर्ष 1969–70 में 33.31 लाख मीट्रिक टन था वर्ष 1970–71 में बढ़कर 36.05 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार फसलों की पैदावार उस उत्पादन स्तर तक हो गयी जो पहले कभी नहीं हुई थी। यद्यपि अनाजों के उत्पादन में बराबर वृद्धि होती रही है, तथापि दाल का उत्पादन तदनुरूप प्रौद्योगिक प्रगति के अभाव में असन्तोषजनक रहा है। दाल का उत्पादन वर्ष 1969–70 में 33.30 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 1970–71 में घटकर 30.69 लाख मीट्रिक टन रह गया। फसलवार उत्पादन के आंकड़े अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं।

वर्ष 1971–72 में फसल संबंधी सम्भावनायें

14—मार्च 1971 के अन्त से असाधारण रूप से बराबर ओला-पानी गिरता रहा जो वर्षा-ऋतु के आने तक बराबर जारी रहा। निरन्तर वर्षा होने के कारण खेतों में खड़ी फसलों को तथा खलिहान में एकत्र फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा। राज्य असामयिक वर्षा के आघात से अभी संभल भी नहीं पाया था कि जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीनों में उसे अभूतपूर्व बाढ़ की भयंकरता का सामना करना पड़ गया। इससे अत्यधिक क्षति हुई। पचास लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ और अकेले उस भूमि के क्षेत्रफल में जिसमें केवल खाद्यान्नों की खेती होती थी, 3.35 लाख हेक्टेयर की कमी हुई। इसमें वह क्षति सम्मिलित नहीं है जो पानी भरे रहने के कारण फसलों को हुआ। इसके फलस्वरूप वर्ष 1971–72 में खरीफ का उत्पादन केवल 62.76 लाख मीट्रिक टन हुआ जब कि पिछले वर्ष वह 73.33 लाख मीट्रिक टन था। खरीफ की दालों जैसे अरहर, उरद और मूंग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और उनका उत्पादन विगत वर्षों में हुए उत्पादनों की तुलना में सबसे कम होने की संभावना है किन्तु रबी की फसल अच्छी होने की आशा की जाती है क्योंकि वर्षा बहुत बाद तक होती रही है। असामयिक वर्षा और प्रलयकारी बाढ़ों के बावजूद वर्ष 1971–72 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 193 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, यद्यपि उत्पादन का लक्ष्य 190 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। इस पर भी वर्ष 1972–73 के दौरान उत्पादन के वृद्धि करने के लिए संभव प्रयास किया जायगा जिससे कि वर्ष 1972–73 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 1971–72 के लिये निर्धारित लक्ष्य से लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि जा सके।

15—चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक फसलों के संबंध में की गई प्रगति नीचे दिखलायी गई है :—

सारिणी–1

मद	इकाई	चौथी योजना का लक्ष्य	वर्ष 1969–70 की उपलब्धि	वर्ष 1970–71 की उपलब्धि	1971–72 लक्ष्य	1971–72 अनुमानित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
तिलहन	लाख मीट्रिक टन	19.00	16.45	18.27	18.00	17.47
कपास	लाख मीट्रिक टन	0.95	0.49	0.43	0.65	0.26
जूट	लाख मीट्रिक टन	2.20	1.55	1.83	2.13	1.70
गन्ना (गुड़)	लाख मीट्रिक टन	65.75	60.68	54.67	64.00	48.61

वर्ष 1970–71 में तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक रहा। 1971–72 के दौरान यह लगभग 17.47 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। इस प्रकार चौथी योजना के लिये जो 19 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त कर लेना कठिन न होगा। गन्ना की पैदावार वर्ष 1971–72 में अच्छी नहीं हुई है। इसका क्षेत्र वर्ष 1970–71 में 13.69 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 1971–72 में घटकर 11.00 लाख हेक्टेयर हो गया है। जहां तक कपास का संबंध है उसका कृषि-कर्म तथा अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि वह खाद्यान्नों की उन अन्य फसलों से जिनसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। जूट का उत्पादन जो 1968–69 के 1.68 लाख गाठों की तुलना में 1969–70 में घटकर 1.55 लाख गाठों का था, वर्ष 1970–71 के दौरान बढ़कर 1.83 लाख गाठें हो गया। 1971–72 के दौरान यह लगभग 1.70 लाख गांठ होने का अनुमान है। जूट की फसल सामान्य तौर पर तराई की पट्टी में पैदा होती है और इसका उत्पादन असंतोषजनक रहा है।

16—चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान जिन विभिन्न भौतिक कार्य-क्रमों की परिकल्पना की गई थी वे इस प्रकार हैं:

सारिणी–2

मद	इकाई	उपलब्धि 1969–70	उपलब्धि 1970–71	1971–72 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1—अधिक उत्पादन वाली किस्मों के कार्यक्रम (एच०वी०पी०)	लाख हेक्टेयर	23.11	27.09	30.60	30.92
2—कई फसलें बोना (मल्टीपुल क्रापिंग) (अतिरिक्त) ..	तदेव	4.47	3.54	3.54	3.54
3—रासायनिक उर्वरक—					
नत्रजन (N)	लाख मीट्रिक टन	3.06	2.91	4.10	3.50
फास्फेट (P_2O_5)	तदेव	0.99	0.75	1.40	0.70
पोटाश (K_2O)	तदेव	0.55	0.45	1.00	0.50
4—नागर कम्पोस्ट	लाख मीट्रिक टन	6.79	7.12	8.10	8.10
5—हरी खाद	लाख हेक्टेयर	5.13	4.71	9.71	6.00
6—पौध सुरक्षा ..	तदेव	55.03	71.05	72.50	72.50

17—अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्य-क्रम को प्रगति लक्ष्य के अनुसार हो रही है लेकिन अधिकतर किसानों को अभी अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है फिर भी इनकी मांग बढ़ रही है । यूरिया, डी0ए0पी0 और सुपर फास्फेट किसानों में लोकप्रिय हैं । वास्तव में डी0ए0पी0 की मांग इतनी अधिक रही है कि उसे पूरा नहीं किया जा सका है ।

1972-73 का दृष्टिकोण तथा नीति

18—उन्नत प्रविधियां अपनाकर अपेक्षाकृत अच्छी सिंचाई संबंधी सुविधाओं तथा समय पर "इनपुट्स" की प्राप्यता की व्यवस्था द्वारा भूमि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर तथा भूमि और जल संरक्षण संबंधी कार्यों को निष्पादित करके भूमि पर और अधिक पूंजी लगायी जायगी तथा इसके अतिरिक्त संतुलित उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जायगा और अधिक उपज देने वाले बीजों की बुआई की जायगी । आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जायगा और पौध संरक्षण उपायों आदि को बड़े पैमाने पर अपनाया जायगा । अब से अधिक बड़े पैमाने पर फसलों को बदल कर बोने का कार्यक्रम चलाया जायगा । उदाहरणार्थ, सूखे उच्चतर भू-क्षेत्रों में, जिनमें सामान्यतः खरीफ की मोटे अनाज की फसल बोयी जाती थी, सोयाबीन या सनफ्लावर की बोआई की जायगी । ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें परम्परा से धान की खेती की जाती है और जिनमें आमतौर से पानी भरा रहता है, जूट की खेती की जायगी । सस्योत्तर प्रौद्योगिकी (पोस्ट हारवेस्ट टेक्नालाजी) के रूप में फसल की यथाशीघ्र कुटाई-मंड़ाई करने के लिये थ्रेशरों का प्रयोग किया जायगा तथा क्रय-विक्रय और संग्रह सुविधाओं का शीघ्रता के साथ विकास किया जायगा । सरकारी और निजी क्षेत्रों में उर्वरकों तथा नाशकीटमारों के लिये अतिरिक्त बिक्री केंद्र खोले जायेंगे, और भूमि-परीक्षा संबंधी अवस्थापना को उपयुक्त रीति से सुदृढ़ किया जायगा । कृषि विभाग द्वारा दी जाने वाली बीज उत्पादन संबंधी सुविधाओं को अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें, कृषि मशीनें, अनाज-गोदामों आदि के निर्माण की व्यवस्था करके सुदृढ़ किया जायगा । गन्ने की फसल के बाद देर से बोये जाने के लिये गेहूं आलू और अरहर की थोड़े समय में तैयार होने वाली किस्मों को विकसित करने के लिये शोध कार्यक्रम का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है । अरहर, चना और अलसी के जनियद्रव्य (जर्म प्लाज्म) को और भी विकसित किया जायगा । मक्के की ऐसी किस्मों को विकसित करने के प्रयास जारी रहेंगे जिनमें अच्छी किस्म की प्रोटीन अधिक मात्रा में हो ।

19—बार-बार बाढ़ आने और इस वर्ष उसके अप्रत्याशित रूप से आने से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये कुछ नये उपाय किये जाने की आवश्यकता हो गई है । जिन क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ें आती हैं उनमें रबी और जायद फसल के मौसमों में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये आवश्यक धन आदि की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है । जिन क्षेत्रों में आमतौर से सिंचाई के लिये जल का अभाव है वहां पर जायद और रबी फसलों का अधिकतम उत्पादन हासिल करने के लिये नलकूपों की बोरिंग की जायगी । इसके अतिरिक्त फसलों की थोड़े समय में होने वाली किस्मों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जन प्रिय बनाया जायगा । इस राज्य में बाढ़ आम तौर पर जलागम क्षेत्रों में असाधारण ओला-पानी गिरने से आती है । पूर्वी जिलों में बड़ी संख्या में तालाब और पोखर हैं जिनमें धीरे-धीरे बालू भरती जा रही है । इन तालाबों को चौड़ा और गहरा किये जाने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ के पानी का कुछ भाग इनमें इकट्ठा हो जाय जिसे बाद में सिंचाई और मत्स्य पालन के लिये उपयोग में लाया जा सके । भू-संरक्षण संबंधी उपायों, तथा कन्टूर बन्ध, रोक बांध आदि को सम्पादित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने का कार्यक्रम है । इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि रबी और जायद की फसल में अभिवृद्धि करने के कार्य-क्रमों को बढ़ाया जाय । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हाल में DIARA क्षेत्र की समस्या को आंकने और ऐसे कार्यक्रमों का सुझाव देने के लिये, जो वहां किये जा सकें, एक समिति बनाई है।

20—कृषि उद्योग निगम का ट्रैक्टर द्वारा खीचे जाने वाले और बैलों द्वारा खीचे जाने वाले उपकरणों के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर करने का विचार है । वर्ष 1971-72 के दौरान 32 ब्लाकों के 14 जिलों में कस्टम सेवा केंद्रों की स्थापना की योजना स्वीकृत की गई है । ये कृषि उद्योग निगम द्वारा स्थापित केंद्रों के अतिरिक्त है । यह योजना विशेष रूप से उन छोटे कृषकों के लाभ के लिये बनाई गई है जो अन्यथा कृषि मशीनें जैसे पम्पसेट, थ्रेशर, ट्रैक्टर आदि नहीं रख सकते । आधुनिक कृषि प्रविधियों के उचित प्रसार के लिये किसानों को प्रशिक्षित करने और क्षेत्र कर्मचारिवर्ग के लिये सेवारत प्रशिक्षण के कार्य बड़े पैनाने पर संघटित करने का भी लक्ष्य है ।

लक्ष्य

21—168 लाख टन के आधारभूत उत्पादन स्तर के ऊपर लगभग 33 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने की क्षमता की व्यवस्था करना है जिससे कि वर्ष 1972-73 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 201 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच जाय । यद्यपि फसलों के अनुसार सविस्तर विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है तथापि कुछ चुने हुए खाद्यान्नों तथा प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के लक्ष्य नीचे दिये जाते हैं—

सारिणी-3

मद	इकाई	1972-73 का लक्ष्य
1	2	3
1—खाद्यान्न	लाख टन	201.00
2—गन्ना (गुड़)	तदेव	60.00
3—तिलहन	तदेव	18.60
4—कपास	लाख गांठों	0.60
5—जूट	तदेव	2.16

22—कार्य-क्रम संबंधी लक्ष्यों तथा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाये जाने के लिए योगदान संबंधी ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

सारिणी-4

चुने हुए कार्य-क्रम संबंधी लक्ष्य

मद	इकाई	1972-73 का लक्ष्य
1	2	3
1—अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के कार्यक्रम	लाख हेक्टेयर	34.92
2—कई फसलें बोना (मल्टीपुल क्रापिंग) ..	तदेव	3.54
3—रासायनिक उर्वरक—		
नत्रजन (N)	लाख मीट्रिक टन	4.30
फास्फेट (P_2O)	तदेव	1.50
पोटाश (K_2O_5)	तदेव	1.00
4—नगर कम्पोस्ट	तदेव	8.80
5—हरी खाद	लाख हेक्टेयर	10.93
6—पौध सुरक्षा	तदेव	84.25

सारिणी—5

खाद्यान्न उत्पादन क्षमता का अनुमान (1968–69 के ऊपर)

(लाख मीट्रिक टन)

कार्यक्रम	खाद्यान्न उत्पादन क्षमता का अनुमान (1968–69 के ऊपर)					
	1969–70 वास्तविक आंकड़े	1970–71 वास्तविक आंकड़े	1971–72 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	चौथी योजना के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1—अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम ..	9.05	7.99	12.43	12.74	19.65	29.89
2—लघु सिंचाई ..	2.09	4.64	6.76	6.93	9.18	9.86
3—बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	0.14	0.27	0.67	0.50	0.83	1.86
4—कई फसलें बोना	0.89	1.16	1.41	1.41	2.15	2.91
5—भूमि संरक्षण ..	0.28	0.57	0.78	0.85	1.07	1.36
6—भूमि को कृषि योग्य बनाना	0.03	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12
योग ..	12.48	14.70	22.12	22.52	32.97	46.00

परिव्यय

23—कृषि के लिए, जिसमें कृषि-उत्पादन, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा संग्रहागार सम्मिलित है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 175.80 करोड़ रु० की धनराशि प्रदिष्ट की गई है। 1969–70 और 1970–71 के दौरान 68.74 करोड़ रु0 की धनराशि का इस्तेमाल कर लिया गया था। 1971–72 के लिए 38.28 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी परन्तु अनुमानतः 39.33 करोड़ का व्यय होगा। 1972–73 में 35.49 करोड़ का परिव्यय है। परिव्ययो का शीर्षकों के अनुसार विभाजन अनुलग्नक 3 में दिया गया है।

कृषि विकास का सामान्य कार्यक्रम

24—उन्नत बीज—ऐसी भूमि का रकबा जिसमें उन्नत बीज बोये गए थे वर्ष 1969–70 के अंत में 135.62 लाख हेक्टर था जिसके 1971–72 में बढ़कर 144.78 लाख हेक्टेयर हो जाने की आशा है। विभागीय फार्मों से रजिस्टर्ड बीज का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बीज संवर्धन फार्मों को और सज्जित किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारियों को बीज निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय बीज निगम अभी भी राज्य के लिये बीज प्रमाणित करने वाली एजेन्सी है। कानपुर की बीज परीक्षण प्रयोगशाला, बीज अधिनियम के प्रयोजन के लिए बीज प्रयोगशाला के रूप म अधिसूचित की गयी है।

25—रासायनिक उर्वरक—कृषि उत्पादन की नीति में एक महत्वपूर्ण तथ्य उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करना है। फसल उत्पादन की अर्थ व्यवस्था के आधार पर किसान कुछ प्रकार के उर्वरकों को अधिक वरीयता देते हैं। राज्य सरकार ने उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष उन पर से बिक्री-कर समाप्त

कर दि ा था परन्तु उनकी खपत अभी तक वांछित उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंची है फिर भी पोलीन्यूट्रिएट/ग्रेनुलेटेड उर्वरक के अब संतुलित प्रयोग में क्रमशः वृद्धि हो रही है ।

राज्य में वर्ष 1969–70 के अन्त तक रासायनिक उर्वरकों की खपत नत्रजन (N) की 3.06 लाख मीट्रिक टन, फास्फेट (P_2O_5) 0.99 लाख मीट्रिक टन और पोटास (K) की 0.55 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गयी। वर्ष 1970–71 में इसका स्तर क्रमशः 2.91 लाख मीट्रिक टन, 0.75 लाख मीट्रिक टन और 0.45 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 1971–72 के दौरान 4.10 लाख मीट्रिक टन नत्रजन (N), 1.40 लाख मीट्रिक टन फास्फेट (P_2O_5) और 1 लाख मीट्रिक टन पोटाश (K) वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 3.50 लाख मीट्रिक टन नत्रजन (N), 0.70 लाख मीट्रिक टन फास्फेट (P_2O_5) और 0.50 लाख मीट्रिक टन पोटाश (K) वितरित हो जाने की संभावना है। 1972–73 का लक्ष्य क्रमशः 4.30 लाख मीट्रिक टन, 1.50 लाख मीट्रिक टन और 1.00 लाख मीट्रिक टन प्रस्तावित है।

26—मलोपयोग—मार्च, 1969 के अन्त तक 22 मलोपयोग योजनायें पूरी की गई जिनके अन्तर्गत 6,734 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 1969–70 के दौरान 12 योजनाओं के लिए निधियां प्रदान की गई जिनमें से 3 योजनायें अंशतः पूरी की जा सकीं जिनसे 461 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचा। 1970–71 के दौरान आठ चालू योजायें और 5 नई योजनायें प्रारम्भ की गईं जिनमें से 3 अंशतः पूरी की गईं जिनके अन्तर्गत 146 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 1971-72 वर्ष के दौरान 11 चालू और 17 नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है। ऐसी आशा है कि 1971–72 के दौरान केवल एक योजना (आजमगढ़) में पूरी होगी जिसके अन्तर्गत 81 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 1972–73 के दौरान 9 और योजनायें पूरी हो जाने की आशा है जिनके अन्तर्गत 2,256 हेक्टयर क्षेत्र आ जायगा।

वष 1972–73 के दौरान 20 चालू योजनाओं के लिए 40 लाख रु० की धनराशि का परिव्यय है।

27—ग्रामीण कम्पोस्ट—वर्ष 1969–70 के अन्त तक ग्रामीण कम्पोस्ट का उत्पादन 658 लाख मीट्रिक टन था जिसके कि 1971–72 तक बढ़कर 841 लाख मीट्रिक टन हो जाने की संभावना है। 1972–73 के लिए 864 लाख टन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

28—नगर कम्पोस्ट—वर्ष 1969–70 के अन्त तक नगर कम्पोस्ट का उत्पादन 6.79 लाख मीट्रिक टन था जिसके कि 1971–72 तक बढ़कर 8.10 लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशा है। वर्ष 1972–73 का लक्ष्य 8.80 लाख मीट्रिक टन है।

29—संग्रहण क्षमता—राज्य में वर्तमान संग्रहागार क्षमता और 1973–74 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने वाली संग्रहागार क्षमता इस प्रकार है :—

सारिणी—6 (लाख मीट्रिक टन)

	1970–71			1973–74		
	निजी गोदामों की संग्रहण क्षमता	किराये के गोदामों की संग्रहण क्षमता	योग	निजी गोदामों की संग्रहण क्षमता	किराये के गोदामों की संग्रहण क्षमता	योग
1	2	3	4	5	6	7
खाद्यान्न ..	5.4	8.4	13.8	8.5	8.4	16.9
उर्वरक ..	0.5	6.7	7.2	1.8	6.7	8.5
चीनी ..	11.00	..	11.00	11.00	..	11 00

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्याशित उत्पादन को देखते हुए उक्त कुल अनुमानित संग्रहागार क्षमता बिल्कुल अपर्याप्त होगी। पर्याप्त संग्रहण-क्षमता बनाये रखने के लिए निजी और निगम क्षेत्रों में अतिरिक्त विनियोजन अपेक्षित होगा।

30—पौध संरक्षण—1969–70 में 55.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध-संरक्षण सम्बन्धी कार्य किये गये जो 1970–71 में बढ़कर 71 05 लाख हेक्टेयर हो गया। यह आशा की जाती है कि 1971–72 वर्ष के दौरान 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य होने लगेगा। 1972–73 के लिए 84.25 लाख हेक्टर का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन विभिन्न उपायों का प्रयोग किया जायगा वे अनुलग्नक 2 में दिये गये हैं।

31—स्थानिक क्षेत्रों में वायुयान द्वारा रासायनिक संक्रियाओं (ऐरो-केमिकल आपरेशन) द्वारा फसल के नाशि कीटों और रोगों को दूर करने की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के कार्यान्वयन में अभी अधिक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इस योजना पर होने वाले व्यय में किसानों द्वारा वहन किया जाने वाला अंश उनकी सामर्थ से अधिक है। यह योजना 1972–73 के लिए फिर से प्रस्तावित है।

32—कृषि सम्बन्धी उपकरण—कृषि क्रान्ति के लिए यंत्रीकरण महत्वपूर्ण है। वर्ष 1971–72 की असामयिक वर्षा के कारण यंत्रीकृत संक्रिया की फसल तथा फसलोत्तर प्रोद्योगिकी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। 1971–72 में 14 जिलों के 32 खंडों में कस्टम सर्विस केंद्र प्राप्त किए गए है। यह योजना उन छोटे किसानों के लिए विशेष लाभ के निमित्त तैयार की गई है जो अन्यथा कृषि यंत्र, जैसे पम्प सेट, थ्रेशर, ट्रैक्टर इत्यादि खरीदने की स्थिति में नहीं है। ये केन्द्र इसी प्रकार के उन केन्द्रों के अतिरिक्त हैं जो कि राज्य कृषि उद्योग निगम, अपना स्वयं का रोजगार करने वाले इंजीनियरों और अन्य व्यापारिक सूत्रों द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। कृषि उपकरण खरीदने के लिये कृषकों को तकावी ऋण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

33—कृषि उद्योग निगम ने 1969–70, 1970–71 और 1971–72 (30 सितम्बर, 1971 तक) के दौरान राज्य के भीतर 2,869 आयातित ट्रैक्टर वितरित किये हैं। इसने 15 पावरटिलर, 125 पावर थ्रेशर और 6 बीज ड्रिल भी वितरित किये हैं। 1972–73 में इसका वितरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इसे आवंटित ट्रैक्टरों की संख्या पर निर्भर रहेगा। फिर भी 30,000 ट्रैक्टरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। निगम ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले और बैलों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरणों का निर्माण भी कर रहा है। 1970-71 में इसने 29.71 लाख रुपये की लागत के उपकरण तैयार किये थे। वर्ष 1971–72 में 50 लाख रुपये की लागत के उपकरण निर्मित किये जायंगे। वर्ष 1972–72 में 55 लाख रुपये तक के ऐसे उपकरण निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

34—कृषि विकास में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम का विशेष महत्व रहा है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की काश्त का रकबा 1969–70 में 23.11 लाख हेक्टर था जो बढ़कर 1970–71 में 27.09 लाख हेक्टर हो गया। लगातार तथा भारी वर्षा होने और तत्पश्चात् भयंकर बाढ़ आने के आरण 1971–72 में खरीफ कार्यक्रम में बाधा पड़ी। फिर भी खरीफ के मौसम में फसलों को जो क्षति हुई उसकी प्रतिपूर्ति रबी में हो जायगी। गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों का लक्ष्य 22 लाख हेक्टर से बढ़ा कर 25 लाख हेक्टर कर दिया गया है। वर्ष 1971–72 में अधिक उत्पादन वाली फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 31 लाख हेक्टर तक हो जायगा। 1972–73 के लिए 34.92 लाख हेक्टर का लक्ष्य रखा गया है। किसानों ने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को उल्लेखनीय रूप से अपनाया है तथा पसंद किया है। गेहूं के बाद दूसरा स्थान चावल का है जिसकी अधिक उपज देने वाली

किस्मों को किसानों ने अपनाया तथा ग्रहण किया है, परन्तु मक्का, ज्वार, बाजरा की अधिक उपज देने वाली किस्में लोकप्रिय नहीं हैं जिसका कारण यह है कि बाजार में उपभोक्ता इन्हें कम पसन्द करते हैं और इनकी फसलों में बीमारियों का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है और उन्हें नाशिकीटों से भी अधिक क्षति होती है।

35—कई फसलें बोना—वर्ष 1969–70 में 53.12 लाख हेक्टर क्षेत्र में एक से अधिक बार फसलें बोयी गयीं। 1970–71 में इस क्षेत्र में वृद्धि हुई और वह बढ़कर 56.66 लाख हेक्टर हो गया और आशा की जाती है कि 1971–72 में वह 60.20 लाख हेक्टर के स्तर तक पहुंच जायगा। 1972–73 में 63.74 लाख हेक्टर के क्षेत्र में कई फसलें बोने का लक्ष्य है।

36—फसल क्रम—लघु सिंचाई तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों के कारण राज्य में फसल पैदा करने के प्रतिरूप में क्रमिक परिवर्तन होता जा रहा है। अच्छे खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। धान की नई किस्में विकसित होने से चावल की खेती में भी उतनी ही उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। सिंचाई की सुनिश्चित सुविधाओं के अभाव के कारण मोटे बाजरे का उत्पादन तथा क्षेत्र कम होता जा रहा है। तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि शनैः-शनैः रही है। किसान आलू की खेती करना अधिक पसन्द कर रहे हैं। गन्ने की खेती का रकबा अधिकतर बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। कपास के उत्पादन में अब तक वृद्धि नहीं हुई है किन्तु नई किस्में विकसित हो जाने से आगामी वर्षों में उसके उत्पादन में कुछ प्रगति करना सम्भव होगा। जूट साधारणतया तराई इलाके में पैदा किया जाता है और इसका उत्पादन संतोषजनक रहा है। महत्वपूर्ण खाद्यान्न और नकदी फसलों की औसत उपज नीचे दिखाई गयी है:

सारिणी—7

क्विटल / हेक्टेयर में औसत उपज

फसल		1969–70	1970–71	1971–72 प्रत्याशित	1972–73 लक्ष्य
1		2	3	4	5
1—चावल	..	7.56	8.09	6.76	8.70
2—गेहूं	..	11.90	13.07	13.22	13.32
3—जौ	..	10.14	10.77	10.72	11.98
4—ज्वार	..	5.95	6.52	2.24	5.80
5—बाजरा	..	7.26	7.75	6.25	4.24
6—मक्का	..	7.85	11.80	7.25	10.00
7—गन्ना	..	44.08	40.67	41.36	46.02
8—जूट	..	13.65	14.05	12.75	16.20
9—कपास	..	1.73	1.41	1.30	1.92
10—आलू	..	82.20	94.18	92.10	98.86

37—अनाज की प्रमुख फसलों के सम्बन्ध में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को चालू किये जाने के फलस्वरूप फसल पैदा करने के प्रतिरूप में परिवर्तन होना आवश्यम्भावी है। इस परिवर्तन की दिशा में संचालन इस तरह किया जायगा जिससे कि वाणिज्यिक फसलों, जैसे तिलहन, फल और शाकसब्जी के उत्पादन और उनकी काश्त के रकबों में

वृद्धि हो। तिलहन में सोयाबीन और सूर्यमुखी की खेती के कार्यक्रम में तेजी लाई जायगी। उन शुष्क ऊंचे क्षेत्रों में जिनमें साधारणतया खरीफ के मोटे अनाजों की फसलें बोई जाती हैं सोयाबीन और सूर्यमुखी की खेती की जायगी। परम्परागत धान क्षेत्रों में, जहां पानी जमा हो जाता हैं, जूट की खेती को बढ़ावा दिया जायगा। फसलों, खासकर फलीदार फसलों (लेगूम) की थोड़े समय में ही पक जाने वाली प्रजातियों की खेती को बड़े पैमाने पर प्रचलन में लाकर दुहरी / कई फसलें बोने के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया जायगा।

38—कृषि पदार्थों का क्रय बिक्रय—250 मुख्य मंडियों तथा इतनी ही सहायक मंडियों में से अभीतक केवल 84 मंडिया विनियमित की गई हैं। वर्ष 1971–72 में शेष समस्त 166 मंडियों को भी विनियमित करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। अब तक राज्य की आत्म निर्भर मंडियों में 23 वाणिज्यिक श्रेणीकरण इकाइयां और 5 पर्यवेक्षक श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1973–74 के अन्त तक राज्य की प्रत्येक आत्मनिर्भर मंडी में एक श्रेणीकरण इकाई स्थापित करने का विचार है।

विशिष्ट फसलों के लिए कार्यक्रम

39—तिलहन—राज्य की मुख्य तिलहन फसलें मूंगफली, श्वेत सरसों, पीली सरसों, तिल तथा श्वेत अलसी है। 1969-70 में तिलहन का उत्पादन 16.45 लाख मीट्रिक टन था 1970-71 में यह 18.27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। किन्तु 1971-72 वर्ष में इसका उत्पादन केवल 17.47 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। 1972-73 के लिए लक्ष्य 18.60 लाख मीट्रिक टन नियत किया गया है। वर्ष 1971–72 से सोयाबीन और सूर्यमुखी की खेती और बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। ये दोनों फसलें लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इसकी पूरी सम्भावना है कि किसान इन्हें व्यापक रूप से अपनायेंगे।

40—कपास—कपास का क्षेत्र 1966–67 में 0.68 लाख हेक्टर था जो 1968–69 में घटकर 0.48 लाख हेक्टर रह गया। तथापि 1969–70 में उसमें वृद्धि हुई और वह 0.51 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया। आशा है 1971–72 में इसकी काश्त का क्षेत्र 0.62 लाख हेक्टर हो जायगा जब कि 1970–71 में वह 0.52 लाख हेक्टर था। कपास का उत्पादन 1969–70 में 0.49 लाख गांठ था। जो 1970–71 में घटकर 0.43 लाख गांठ रह गया। आशा है 1971–72 में इसका उत्पादन 0.26 लाख गांठ होगा। 1972–73 के लिए कपास-उत्पादन का लक्ष्य 0.60 लाख गांठें निर्धारित किया गया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में कपास का अधिकतम उत्पादन करने के लिए एक योजना तैयार की गई है जो केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में निष्पादित की जायगी और यह परिकल्पना की जाती इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में कपास की खेती का क्षेत्र 0.10 लाख हेक्टर हो जायगा।

41—जूट—जूट का उत्पादन 1969–70 में 1.55 लाख गांठ था जो 1970–71 में बढ़कर 1.83 लाख गांठ हो गया था तथापि यह अनुमान है कि 1971–72 में इसका उत्पादन 1.70 लाख गांठ होगा। 1972–73 के लिए 2.16 लाख गांठ का लक्ष्य नियत किया गया है। जूट की खेती बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव करने, रेटिंग टैंकों का निर्माण करने तथा राजसहाय्यित आधार पर उन्नत बीजों का वितरण करने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

42—गन्ना विकास—चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने की काश्त का क्षेत्रफल, जो 1968–69 में 8.79 लाख हेक्टर था, बढ़कर 1969–70 में 10.46 लाख हेक्टर और 1970–71 में 10.78 लाख हेक्टर हो गया। 1971–72 में 10.13 लाख हेक्टर के क्षेत्र में इसकी खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, किन्तु निरन्तर वर्षा और भारी बाढ़ें आने के कारण, गन्ने की काश्त के रकबे में काफी कमी हुई है और अब उसके 9.46 लाख हेक्टर से अधिक होने

को आशा नहीं है। 1972-73 में 10.33 लाख हेक्टर क्षेत्र में गन्ने की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है।

43--वर्ष 1969-70 में आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन उस वर्ष के लिए निर्धारित 396 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से 78 लाख मीट्रिक टन अधिक हुआ। 1970-71 में इसका उत्पादन 458.85 लाख मीट्रिक टन था जबकि लक्ष्य 422.60 लाख मीट्रिक टन था। 1971-72 के लिए उत्पादन लक्ष्य 456.25 लाख मीट्रिक टन नियत किया गया था किन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गन्ने की फसल को भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है और इसलिए इसका उत्पादन 350 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

1972-73 के लिए उत्पादन लक्ष्य गुड़ के रूप में 60 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य में समग्ररूप से गन्ने का उत्पादन गुड़ के रूप में 1971-72 में 48.61 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है जब कि वह 1970-71 में 54.67 लाख मीट्रिक टन और 1969-70 में 60.68 लाख मीट्रिक टन था।

44--प्रति हेक्टर औसत उपज में वृद्धि करने के लिए अपनाई जाने वाली मुख्य नीति यह होगी कि गन्ने के ऐसे क्षेत्रों में जहां गन्ना उत्पादकों के अपने ही संसाधनों से और आवश्यकता पड़ने पर अन्य एजेंसियों की सहायता से 6 से 8 बार सिंचाई करने के सुनिश्चित साधन उपलब्ध हों सभी आवश्यक इनपुट्स की व्यवस्था की जायगी। 1969-70 से अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की तरह की एक सघन गन्ना उत्पादक योजना आरम्भ की गई है। 1972-73 में गन्ने की काश्त के उस सम्पूर्ण रकबे में जिसमें आवश्यक सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हों यह कार्यक्रम लागू किया जायगा।

45--1972-73 में लघु सिंचाई निर्माण कार्यों द्वारा 0.94 लाख हेक्टर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है जब कि 1971-72 में 0.81 लाख हेक्टर की सिंचन क्षमता सृजित किये जाने की आशा थी। नाइट्रोजन के रूप में रसायनिक उर्वरकों की खपत का स्तर 1971-72 में 0.51 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1972-73 में 0.55 लाख मीट्रिक टन हो जायगा। गन्ने के बीज के वितरण का लक्ष्य 1972-73 में 3.00 लाख टन रखा गया है जब कि 1970-71 में 0.91 लाख टन बीज वितरित किया गया था और 1971-72 में 3 लाख मीट्रिक टन बीज वितरित किये जाने की आशा है। 1972-73 में गन्ना विकास योजनाओं के लिये 60 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

फल उपयोग (उद्यान-कर्म)

46--पर्वतीय क्षेत्र में फलोद्यानों का रकबा 1968-69 के अन्त तक कुल मिलाकर 0.39 लाख हेक्टर था जो 1970-71 के अन्त तक बढ़कर 0.49 लाख हेक्टर हो गया। 1971-72 के अंत तक यह रकबा बढ़कर 0.52 लाख हेक्टर हो जाने की आशा है। यह अनुमान लगाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों का वार्षिक फल उत्पादन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 19,000 मीट्रिक टन होगा, वर्ष 1970-71 में वह बढ़कर 60,000 मीट्रिक टन हो गया और अब उसमें 5,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

47--उद्यान कर्म के साथ साथ शाक सब्जी की खेती को तीव्र करने के लिए भी प्रभावकारी उपाय किए गए हैं। वर्ष 1968-69 के अन्त में पर्वतीय क्षेत्रों में शाकसब्जी की खेती 1,939 हेक्टर क्षेत्र में की जाती थी। वर्ष 1970-71 में शाक सब्जी की खेती का रकबा बढ़कर 4,291 हेक्टर हो गया। वर्ष 1971-72 में 280 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र शाक सब्जी की खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है और आशा है यह लक्ष्य प्राप्त हो जायगा। शाक सब्जी की खेती का रकबा, जो वर्ष 1969-70 में 2.93 लाख हेक्टर था वर्ष 1970-71 में बढ़कर 3.84 लाख हेक्टर हो गया। आशा है वर्ष 1971-72 के दौरान 3.88 लाख हेक्टयर क्षेत्र में शाक भाजी की खेती होने लगेगी।

48—वर्ष 1972–73 के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में 3,200 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में बगीचे लगाने और 500 हेक्टर क्षेत्र में शाक-सब्जी की खेती करने और मैदानी क्षेत्रों में 390 लाख हेक्टर क्षेत्र में गीचे लगाने का लक्ष्य है। इसी वर्ष के लिए जो अन्य कार्यक्रम तैयार किये गये है उनमें फलों के 9.60 लाख पौधों का वितरण, 7,200 हेक्टर भूमि में पौधा संरक्षण संबंधी उपायों को अपनाना, 2,300 हेक्टर क्षेत्र में पुराने फलोद्यानों का पुनर्नवीकरण तथा 5 पौधशालाओं की स्थापना सम्मिलित है। इसके अलावा 4,200 फल उत्पादकों को बागवानी का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जायगा।

फल पट्टियां और उद्यान उपनिवेशन स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत 20 फल पट्टियों को चुना गया है जिनमें से 14 पट्टियों में वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1970–71 के अंत तक 1034 हेक्टर भूमि में वृक्षारोपण किया जा चुका है। वर्ष 1970-71 के दौरान 950 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायगा। वर्ष 1972–73 में 1,185 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है।

वर्ष 1970–71 के अन्त में 33 सामुदायिक डिब्बाबंदी तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 1971–72 के दौरान पांच नये केन्द्रों की स्थापना की जायगी। जनता की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1972–73 के दौरान 5 और केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1972–73 के दौरान फल उपयोग योजनाओं के लिए 37 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है।

49—<u>आलू</u>—विगत दो दशकों में आलू के उत्पादन और क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1960–61 में आलू की खेती केवल 1.14 लाख हेक्टर क्षेत्र मे की जाती थी जो बढ़कर वर्ष 1969–70 में 1.55 लाख हेक्टर और वर्ष 1970–71 मे 1.76 लाख हेक्टर हो गया। 1971–72 के दौरान आलू की खेती 1.90 लाख हेक्टर में करने का लक्ष्य है। वर्ष 1969–70 में आलू का उत्पादन 8 लाख टन था जो बढ़कर 1970–71 में 16.27 लाख टन हो गया। वर्ष 1971–72 के दौरान 17.50 टन आलू पैदा होने की आशा है। वर्ष 1972–73 में 21.75 लाख टन आलू पैदा करने का प्रस्ताव है। आलू का सघन रूप से विकास करने के लिए प्रसार संगठन की उपयुक्त अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) गठित की गयी है जो कि अब श्रेणीकरण का कार्य भी कर रहा है।

50—<u>मक्का</u>—वर्ष 1969–70 में 14.82 हेक्टर क्षेत्र में मक्के की फसल बोई गई। खराब मौसम के कारण 1971–72 में यह क्षेत्र घटकर 12.13 हेक्टर रह गया। इसमें लगभग 0.15 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के लिए है। वर्ष 1972–73 में 0.30 लाख हेक्टर को अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के लिये रखने का प्रस्ताव है। मक्के की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रति अभी किसानों में अधिक उत्साह नहीं है क्योंकि उसकी खेती के लिए आधुनिकतम प्रविधियां आवश्यक हैं तथा खरीफ की फसल पैदा करने में अन्तर्निहित अनेक जोखिम हैं। संकर मक्का के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रसार करने में उपभोक्ता की पसन्द बाधक हो रही है।

51—<u>ज्वार</u>—वर्ष 1968–69 में ज्वार की फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 8.26 लाख हेक्टर था, जिसमें से 0.08 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक उत्पादन वाली किस्मों की काश्त का था। यह क्षेत्र घटकर वर्ष 1969–70 में 7.28 लाख हेक्टर (अधिक उत्पादन वाली किस्मों का 0.07 हेक्टर क्षेत्र सम्मिलित करके) और वर्ष 1970–71 में 7.26 लाख हेक्टर (अधिक उत्पादन वाली किस्मों का 0.01 लाख हेक्टर क्षेत्र को सम्मिलित करके) रह गया। वर्ष 1971–72 के दौरान केवल 8.00 लाख हेक्टर (अधिक उत्पादन वाली किस्मों की काश्त का 0.02 लाख हेक्टर सहित) के ज्वार की खेती होने की आशा है। वर्ष 1972–73 में

8.50 लाख हेक्टर क्षेत्र में ज्वार की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 0.02 लाख हेक्टर अधिक उत्पादन वाली किस्मों के लिये होगा। अधिक उपज देने वाली ज्वार की किस्में किसानों में लोकप्रिय नहीं हैं, क्योंकि उनमें बीमारियों तथा कीड़ों के लगने की संभावना अधिक रहती है।

52—धान—वर्ष 1970–71 में धान के अन्तर्गत कुल क्षेत्र लगभग 42.28 लाख हेक्टर था जब कि 1969–70 में यह क्षेत्र 42.13 लाख हेक्टर था। वर्ष 1971–72 में धान की खेती का कुल क्षेत्र 45.72 लाख हेक्टर हो जायगा। अधिक उपज देने वाले धान की किस्मों की खेती के कुल क्षेत्र में भी धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। वर्ष 1971–72 में अधिक उपज देने वाले धान की खेती का क्षेत्र 8.50 लाख हेक्टर हो जाने की आशा है जब कि वर्ष 1970–71 में यह क्षेत्र 6.77 लाख हेक्टर था। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अतिरिक्त कुछ स्थानीय किस्में भी प्रचलन में हैं। वर्ष 1972–73 में 9.25 लाख हेक्टर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती करने के अलावा 7.83 लाख के हेक्टर क्षेत्र में स्थानीय किस्में बोने का प्रस्ताव है। राज्य में भिन्न-भिन्न परिक्षेत्रों के उन क्षेत्रों के लिये जो खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं सुधा, काशी, बुन्देला, रोहेला और मझोला–3 आदि जैसी किस्में विकसित की गयी हैं और वे बोने के लिए दी गयी हैं। अधिक उपज देने वाली स्थानीय किस्मों में बाला, साकेत 1, एन० एस० जे० 200, एन० एस० जे० 98 और धानेश्वर प्रमुख हैं। गहरे पानी की खेती के लिये उपयुक्त कुछ और किस्में भी जैसे जलमग्न और जलमग्न क्षेत्रों में खेती के लिए उपर्युक्त 'मधुकर' और 'चकिया' बोने के लिए दे दी गई है।

53—गेहूं—वर्ष 1969–70 में गेहूं की खेती का क्षेत्र 54.50 लाख हेक्टर था और उसके वर्ष 1971–72 में बढ़कर 59.00 लाख हेक्टर हो जाने की आशा है। वर्ष 1972-73 में गेहूं के अन्तर्गत 59.38 लाख हेक्टर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। वर्ष 1969–70 में गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती का रकबा 16.40 लाख हेक्टर था जो 1971–72 में बढ़कर 22.00 लाख हेक्टर तक पहुंच जायगा। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्य-क्रम के अन्तर्गत 1972–73 के लिये 25 लाख हेक्टर का लक्ष्य है। पिछले 3 वर्षों में गेहूं के उत्पादन में अधिदर्शनीय वृद्धि हुई है और नये कीर्तिमान स्थापित हुए हैं।

54—दालें—दालों की खेती का कुल क्षेत्र वर्ष 1969–70 में 40.72 लाख हेक्टर था जो घटकर 1970–71 में 38.80 लाख हेक्टर रह गया। यह आशा है कि दालों की खेती में क्षेत्र वर्ष 1971–72 के दौरान 39.30 लाख हेक्टर हो जायगा। वर्ष 1972–73 में 39.80 लाख हेक्टर क्षेत्र दालों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अब तक किये गये अनुसंधानों के फलस्वरूप प्रत्येक दाल की फसल में उपेक्षाकृत उत्तम उपज वाली किस्मों को विकसित किया गया है। उदाहरणार्थ ये इस प्रकार है: (क) चना टी 1, टी–2, टी–3, और राधे, (ख) मटर : टी–63, (ग) अरहर : टी–21, टी 17 और टी 7, और (घ) मूंग टी–1, टी–51, टी 0 54। दालों की अल्पकालिक खरीफ की फसल की खेती को बहु फसल कार्य-क्रम के भाग के रूप में विकसित किया जाता है। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1972–73 में दालों की खेती को विकसित करने के कार्य-क्रमों तथा राइजोबियाम कल्चर तैयार करने का कार्य चालू किया जाय।

55—जौ—लोगों की रुझान गेहूं की खेती की ओर अधिक होने से जौ का उत्पादन तथा उसका क्षेत्र शनैः शनैः घटता जा रहा है। जौ की खेती का क्षेत्र वर्ष 1968–69 में 14.91 लाख हेक्टर था जो 1970–71 में घटाकर 13.51 हो गया। वर्ष 1971–72 के दौरान इसका क्षेत्र 14 लाख हेक्टर होने की आशा है। वर्ष 1972–73 के दौरान 14.20 लाख हेक्टर क्षेत्र में जौ की खेती करने का लक्ष्य है। राज्य के उन क्षेत्रों के लिए जो वर्षा पर ही निर्भर

रहते हैं इस फसल का विशेष महत्व है। शोध कार्य के फलस्वरूप जौ की नई किस्में जैसे के-12, के-18, के-24, और "ज्योति" विकसित की गयी है और राज्य में बोने के लिये दी गयी हैं। एक अन्य किस्म "अम्बर" को भी उपयोग में लाया गया है। ऐसी किस्म को उत्पन्न करने का कार्यक्रम है जो औद्योगिक उपयोग के लिये उपयुक्त है।

प्रसार प्रशिक्षण तथा किसानों की शिक्षा

56—किसानों के प्रशिक्षण का सामान्य कार्यक्रम सामुदायिक विकास, विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सामुदायिक विकास विभाग द्वारा संचालित 20 प्रशिक्षण केन्द्र इस समय ग्राम सेवकों, सहायक विकास अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को सेवा-पूर्व प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण और शिल्पियों, ग्राम सहायकों तथा प्रगतिशील किसानों को अल्पावधि प्रशिक्षण दे रहे हैं। आयोजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति तथा चतुर्थ वर्ष का कार्यक्रम नीचे दिया गया है।

सारिणी—8

कार्यक्रम	1969-70 उपलब्धि	1970-71 उपलब्धि	1971-72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 का लक्ष्य
1—ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण	5,738	5,674	6,500	4,400
2—ग्राम शिल्पियों का प्रशिक्षण	255	292	300	300
3—सहायक विकास अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण ..	263	202	400	480
4—ग्राम सेवकों का उच्चतर प्रशिक्षण ..	269	698	800	900
5—ग्राम सेवकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण ..	457	503	800	900
6—खंड विकास अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण ..	65	47	80	120
7—ग्राम युवक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ..	394	477	500	680

57—कृषि विभाग के अधीन विभिन्न संभागीय शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान संस्थान तथा डिप्लोमा स्कूलों में किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। किसानों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अधीन प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1970-71 के दौरान क्षेत्र में कुल 112 प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। वर्ष 1971-72 से, कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर, द्वारा भी फैजाबाद, आजमगढ़ और कानपुर जिलों में इन प्रदर्शनों को आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1972-73 में 350 प्रदर्शन आयोजित करने का लक्ष्य है।

जोतों की चकबन्दी

58—राज्य में कुल लगभग 125 लाख हेक्टर क्षेत्र में जोतों की चकबन्दी की जानी है। 1968-69 तक 88.96 लाख हेक्टर क्षेत्र में 29.34 करोड़ रुपये की लागत से चकबन्दी की गयी थी। वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के दौरान 4.51 लाख हेक्टर और

4.38 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में क्रमशः 4.05 करोड़ रुपये और 4.17 करोड़ रुपये व्यय करके चकबन्दी की गयी थी। वर्ष 1971-72 के लिये 4.40 करोड़ रुपये से 6.82 लाखहेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी करने का लक्ष्य नियत किया गया है और आशा है यह लक्ष्य प्राप्त हो जायगा। वर्ष 1972-73 के दौरान 4.24 करोड़ रुपये की लागत से 6 लाख हेक्टर के अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी करने का लक्ष्य है।

पिछड़े क्षेत्र

59—कृषि उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत पर्वतीय तथा बुन्देलखन्ड और पूर्वी जिलों के पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये 30.67 करोड़ रु0 का परिव्यय नियत किया गया है। योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय की प्रगति और 1972-73 के लिये नियत परिव्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

सारिणी—9

(लाख रुपयों में)

संभाग		चौथी योजना का परिव्यय	1967-70 का वास्तविक व्यय	1970-71 का वास्तविक व्यय	1971-72 परिव्यय	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 परिव्यय
1		2	3	4	5	6	7
1—पर्वतीय जिले	..	443.81	55.39	79.63	78.81	89.23	130.11
2—पूर्वी जिले		2377.43	372.43	398.93	437.53	493.60	463 26
3—बुन्देलखंड		246.41	28.08	31.98	52.74	85.74	83.33
योग		3067.65	455.90	510.54	569.08	668 57	676.70

60—महत्वपूर्ण मदों के अन्तर्गत वास्तविक प्रगति नीचे दी जाती है।

सारिणी—10

मद	इकाई	पर्वतीय क्षेत्र	पूर्वी जिला	बुन्देल-खंड
1	2	3	4	5
1—अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र	(000 हेक्टर)			
1970–71 (उपलब्धि)	,,	54	997	79
1971–72 (प्रत्याशित)	,,	68	1,120	88
1972–73 (लक्ष्य)	,,	74	1,208	93
2—उर्वरकों का वितरण	(00 मेट्रिक टन)			
1970–71 (उपलब्धि)	,,	12	151	7
1971–72 (प्रत्याशित)	,,	19	273	11
1972–73 (लक्ष्य)	,,	23	333	13
3—पौधों संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र	(लाख हेक्टर)			
1970–71 (उपलब्धि)	,,	2.01	25.78	5.86
1971–72 (प्रत्याशित)	,,	2.78	27.79	6.47
1972–73 (लक्ष्य)	,,	3.13	30.40	7.10

61—खरीफ की बाढ़ से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्वी जिलों के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 1972–73 में फसल सम्बन्धी कृषिकार्य पर अग्रगामी प्रायोजना आरम्भ की जायगी। उत्तराखंड में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। 1972–73 में इसका विस्तार अन्य पर्वतीय जिलों में भी किया जायगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1972–73 पर्वतीय क्षेत्रों में मशरुम की खेती तथा मधु विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित करने का भी लक्ष्य है। 1972–73 में पौड़ी गढ़वाल में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का भी लक्ष्य है।

(2) लघु सिंचाई

(क) निजी लघु सिंचाई

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में 56 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था निजी लघु सिंचाई कार्यों के हेतु की गयी है। पहले तीन वर्षों में 25.60 करोड़ रुपये का उपयोग किये जाने की आशा की जाती है और शेष 30.29 करोड़ रुपये की धनराशि अगले दो वर्षों के लिये बच जाती है। निजी लघु सिंचाई कार्य-क्रम का कार्यान्वयन अब अधिकांशतः संस्थागत

वित्त के माध्यम से किया जा रहा है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1972-73 के दौरान इस कार्य-क्रम के लिये 7.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कुल प्रत्याशित व्यय 32.72 करोड़ रुपये होता है। मदवार प्रगति तथा कार्य-क्रम निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपय में)

मद	चौथी योजना का परिव्यय	सम्भावित व्यय 1969-70	सम्भावित व्यय 1970-71	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 प्रस्तावित परिव्यय	योग 1969-73
1	2	3	4	5	6	7
1—ऋण ..	2000.00	252.88	181.16	118.43	45.30	597.77
2—अनुदान ..	750.00	114.84	48.15	25.30	20.00	208.29
3—निम्नलिखित के लिये ऋण पत्रों पूंजी अंश (शेयर) में विनियोजन:—	2175.00	510.00	435.00	580.00	545.00	2070.00
(क) भूमि विकास बैंक ..	1425.00	449.21	418.43	500.00	425.00	1792.64
(ख) कृषि पुनर्वित्त निगम ..	600.00	30.79	16.57	80.00	120.00	247.36
(ग) कृषि उद्योग निगम	150.00	30.00	..	..	..	30.00
4—बोरिंग गोदाम	3.00	0.37	0.65	0.50	0.50	2.02
5—लघु सिंचाई तथा जल प्रयोग में प्रशिक्षण ..	6.00	1.09	0.88	1.30	1.20	4.47
6—कर्मचारीवर्ग	400.00	66.51	61.31	75.00	75.00	267.82
7—प्रासंगिक व्यय	19.00	4.62	4.35	5.00	5.00	16.97
8—उपकरण ..	247.00	42.72	27.07	35.00	20.00	104.79
योग ..	5600.00	993.03	747.57	819.53	712.00	3272.13

2—वर्ष 1972–73 के परिव्यय में 2.49 करोड़ रुपये 15 पूर्वी जिलों के लिये, 0.50 करोड़ रुपये 5 पर्वतीय जिलों के लिये और 0.53 करोड़ 4 बुन्देलखण्ड जिलों के लिये सम्मिलित हैं।

ऋण

3—चौथी योजना के 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 5.52 करोड़ रुपये की धनराशि की पहले तीन वर्षों में वितरित हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1972–73 के दौरान 45.301 लाख रुपये की और धनराशि की निम्नलिखित प्रकार से वितरित करने का लक्ष्य है:

				लाख रुपये
1—5 पर्वतीय जिलों में	..	..	..	35.00
2—भूमि संरक्षण क्षेत्रों में	..	..	..	0.001 (प्रतीक व्यवस्था)
3—बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में निजी नलकूपों की मरम्मत के लिए ..			..	5.00
4—गांव सभाओं के लिए	..	..	..	5.30
		योग	..	45.301

4—भूमि संरक्षण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए पृथक व्यवस्था करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। चूंकि भूमि विकास बैंक के कार्य क्षेत्र का प्रसार पर्वतीय जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कर दिया गया है, इसलिए चौथी योजना के परिव्यय का पूरा उपयोग करना संभव नहीं होगा। वर्ष 1972–73 के दौरान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी :—

1—झांसी, हमीरपुर, बांदा और मिर्जापुर जिलों में पुराने बायदों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए।

2—गांव सभाओं को विशेषतः निजी नलकूपों के निर्माण के लिए;

3—5 पर्वतीय जिलों के किसानों के लिए;

4—भूमि संरक्षण क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के सम्पादन के लिए;

5—बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में निजी नल कूपों की मरम्मत के लिए, और

6—पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा तथा भूमि स्खलनों से क्षति ग्रस्त गूलों की मरम्मत के लिए।

अनुदान

5—निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम की मुख्य मदों के लिये 1 अप्रैल, 1969 से राज-सहायता देने की सुविधा बन्द कर दी गयी है। इस लिए चौथी योजना के 7.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का पूरा उपयोग करना सम्भव नहीं है। योजना के पहले तीन वर्षों में 1.88 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग होने का अनुमान है। इस मद के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 के दौरान निम्नलिखित के हेतु 0.20 करोड़ रुपये का परिव्यय है :

1—कुओं में बोरिंग के लिये 2.02 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की जोत वाले कृषकों को निजी एजेंसी के जरिए बोरिंग कराने के लिये 2 रुपये प्रति फुट,

2—बुन्देलखंड प्रभाग (डिवीजन), राप्ती पार क्षेत्र, मिर्जापुर, जिला इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलों और वाराणसी जिले की चकिया तहसील में निजी बन्धियां में 4.04 हेक्टेयर (10 एकड़) तक की जोत वाले कृषकों को ऋण अथवा लागत का जो भी कम हो 25 प्रतिशत,

3—पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों तथा तालाबों के निर्माण के लिये ऋण अथवा लागत का जो भी कम हो, 50 प्रतिशत।

4—केवल पर्वतीय भागों में पम्पिंग सेटों के लगाने हेतु दिये जा सकने वाले ऋण अथवा लागत जो भी कम हो, का 25 प्रतिशत।

5—गांव सभाओं द्वारा प्रारम्भ किये गये निर्माण-कार्य—पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों और तालाबों के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत,

6—उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समितिः गाजीपुर, आजमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी जिलों में बोरिंग का कार्य करने वाले उन कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु जिनकी स्वीकृत सरकार ने दी है,

7—पुराने मामलों में पिछले वायदों की पूर्ति के लिए।

6—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज सहायता केवल निर्माण-कार्यों की कुछ मदों के लिये दी जा रही है और वह भी छोटी जोत वालों अथवा ऐसे किसानों के लिए जिनके पास पिछड़े संभागों में अलाभकारी जोतें हैं।

संस्थागत वित्त

7—निजी लघु सिंचाई कार्य-क्रम के लिए संस्थागत वित्त (Institutional Finance) प्राप्त करने में हुई प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गयी है। इसमें वर्ष 1972-73 का कार्य-क्रम भी दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

संस्था	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 कार्य-क्रम
1	2	3	4	5	6
1—भूमि विकास बैंक—					
(क) सकल (Gross) अंशदान	95.00	17.53	18.38	20.00	17.00
(ख) ऋण पत्रों में पूंजी विनियोजन	14.25	4.49	4.18	5.00	4.25
(ग) शुद्ध अंशदान	80.75	13.04	14.20	15.00	12.75
2—कृषि पुनर्वित्त निगम—					
(क) सकल अंशदान	40.00	2.48	1.69	8.00	12.00

(करोड़ रुप में)

संख्या	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 कार्य-क्रम
1	2	3	4	5	6
(ख) ऋण पत्रों में पूंजी विनियोजन	6.00	0.31	0.17	0.80	1.20
(ग) शुद्ध अंशदान	4.00	2.17	1.52	7.20	10.80
3—कृषि उद्योग निगम—					
(क) सकल अंशदान	30.00	0.52	0.02	..	..
(ख) अंश पूंजी में विनियोजन	1.50	0.30	..	..	..
(ग) शुद्ध अंशदान	28.50	0.22	0.02	..	..
4—केन्द्रीय सहकारी बैंक शुद्ध अंशदान	25.00	2.20	0.11	0.50	0.50
5—वाणिज्यिक बैंक— शुद्ध अंशदान	15.00	..	..	..	..
6—योग—					
(क) सकल अंशदान	205.00	20.73	20.20	28.50	29.50
(ख) ऋण पत्रों/अंश पूंजी में विनियोजन	21.75	5.10	4.35	5.80	5.45
(ग) शुद्ध अंशदान	183.25	15.63	15.85	22.70	24.05

8—उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण पत्रों/अंशपूंजी में विनियोजन की दर चौथी योजना के कार्य-क्रम के साथ-साथ चल रही है परन्तु संस्थात्मक वित्त में शुद्ध अंशदान निर्धारित स्तर से पीछे है, जिसके मुख्य कारण ये हैं—(1) भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों में 15 प्रतिशत के मूल कार्य-क्रम के स्थान पर विनियोजन का उच्चतर प्रतिशत (25 प्रतिशत), (2) कृषि उद्योग निगम के कार्य-क्रम का कार्यान्वयन न किया जाना, (3) केन्द्रीय सहकारी बैंक का अपेक्षाकृत कम अंशदान (4) वाणिज्यिक बैंकों से लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये उनके अंशदान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध न होना।

भूमि विकास बैंक

9—पर्वतीय जिलों को छोड़ कर भूमि विकास बैंक अब राज्य भर में कार्य कर रहा है। चौथी योजना के 95 करोड़ रुपये के सकल अंशदान में से पहले तीन वर्षों में 55.91 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा, जिसमें से 13.67 करोड़ रुपये का विनियोजन सरकार द्वारा किया जायगा। वर्ष 1972–73 के दौरान बैंक के ऋण-पत्रों में 4.25 करोड़ रुपये का विनियोजन करने का प्रस्ताव है जिसके आधार पर बैंक का सकल विनियोजन 17.00 करोड़ रुपये का होना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर सकल विनियोजन की धनराशि 72.91 करोड़ रुपये हो जायगी। आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक 95 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा कर लिया जायगा।

कृषि पुर्नवित्त निगम

10—राज्य सरकार ने अब तक कृषि पुर्नवित्त निगम, बम्बई को 77 स्कीमें भेजी हैं जिनमें से निगम द्वारा 29.73 करोड़ रुपये की धनराशि की 33 स्कीमें स्वीकृत कर ली गयी हैं। उपर्युक्त स्वीकृत स्कीमों में से 12 स्कीमों को जून, 1971 तक पूरा कर लिया गया है। आशा की जाती है कि विचाराधीन 44 स्कीमें जिनकी लागत 63.55 करोड़ रुपये है, बहुत शीघ्र निगम द्वारा स्वीकृत हो जायगी।

11—आशा है कि चौथी योजना के लिये निर्धारित 40 करोड़ रुपये के सकल अंशदान में से वर्ष 1971-72 के अन्त तक 12.17 करोड़ रुपये का उपयोग हो जायगा। वर्ष 1972-73 के लिये 12 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है जिसके द्वारा विनियोजन की कुल धनराशि 24.17 करोड़ रुपये हो जायगी। यदि निगम से काफी स्कीमों की स्वीकृति मिल जाती है तो चौथी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

12—राज्य के निम्नलिखित चार जिलों के लिये छोटे किसानों के विकास एर्जेसियों की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। इन जिलों के सम्मुख उनके लिए स्वीकृत परिव्यय तथा कार्यक्रम भी दिया गया है।

जिला		परिव्यय लाख रुपयों में	भौतिक लक्ष्य				
			पक्के कुएं (सं०)	बोरिंग तथा रहट (संख्या)	पम्पिग सेट (संख्या)	निजी नलकूप (संख्या)	नालियां (कि० मी०)
1—रायबरेली	..	197.30	1,500	150	350	2,600	80
2—प्रतापगढ़	..	168.60	750	..	278	2,246	75
3—फतेहपुर	..	176.85	1,500	..	350	2,025	80
4—बदायूं	..	159.00	1,200	1,200	300	1,750	100
योग	..	701.75	4,950	1,350	1,278	8,621	335

उपर्युक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन जून 1974 के अन्त तक किया जाना है और यह पूरी धनराशि कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा बहन की जायगी। इसके अतिरिक्त दो जिलों अर्थात् मथुरा और बलिया को भी सीमान्त किसानों (marginal farmers) की स्कीम के अन्तर्गत ले लिया गया है। बलिया जिले की परियोजना को निगम की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है और मथुरा जिले की परियोजना तैयार की जा रही है।

कर्मचारी वर्ग

13—यह प्रस्ताव है कि कर्मचारी वर्ग की वर्तमान संख्या को कायम रखा जाय। अतएव, 1972-73 के लिए 75.00 लाख रुपये के परिव्यय है।

उपकरण

14—वर्ष 1972-73 में 20.00 लाख रुपये का परिव्यय है जो मुख्यतः उपकरणों की मरम्मत, गहरी बोरिंग करने वाले रोटेरी रिगों तथा केसिंग पाइपों आदि के खरीदने के काम में लाया जायगा।

भौतिक कार्य-क्रम

15—चौथी योजना का लक्ष्य, पहले तीन वर्षों की उपलब्धियां तथा योजना के चौथे वर्ष का कार्यक्रम नीचे दिया जाता है :—

मद	इकाई	1969–74 लक्ष्य		उपलब्धि		1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 कार्यक्रम
		मूल	पुनरीक्षित	1969–70	1970–71		
1	2	3	4	5	6	7	8
1–पक्के कुएं	संख्या	3,28,000	2,25,000	45,899	32,633	35,000	35,000
2–बोरिंग—							
(1) कुओं में	"	3,00,000	3,00,000	37,489	29,059	35,000	35,000
(2) गड्ढों में	"	2,00,000	2,00,000	56,060	53,167	65,000	65,000
3–रहट	"	2,00,000	1,75,000	23,601	20,036	25,000	25,000
4–पम्पिंग सेट	"	1,55,000	1,55,000	27,588	25,900	30,000	30,000
5–निजी नलकूप	"	2,00,000	2,00,000	45,105	53,468	46,500	46,500
6–कुओं को गहरा करना	"	4,500	4,500	282	275	900	900
7–बन्धियां	हेक्टेयर	93,079	93,079	21,549	29,427	23,047	23,047
8–पर्वतीय क्षेत्रों में गूल तथा तालाब	"	9,652	9,652	1,364	1,239	1,780	1,700

16—उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि 1971–72 के प्रत्याशित निर्माण-कार्यों की प्रगति को वर्ष 1972–73 में भी बनाये रखने का लक्ष्य है।

17—उपर्युक्त भौतिक कार्य-क्रम की लागत तथा वे स्रोत जहां से इस कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था की जायगी, नीचे दिये जाते हैं :

(करोड़ रुपयों में)

स्रोत	चौथी योजना	1969–70	1970–71	1971–72 प्रत्याशित	1972–73 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1–राज्य क्षेत्र[1]	49.25	8.78	6.64	7.13	6.10
2–सहकारी क्षेत्र[2]	105.72	13.24	14.31	15.50	13.25
3–निगम क्षेत्र[3]	62.50	2.39	1.54	7.20	10.80
4–निजी क्षेत्र	161.50	48.20	54.99	43.42	43.10
योग ..	379.00	72.61	77.48	73.25	73.25

सिंचन क्षमता

18—इस राज्य में सिंचन क्षमता का निर्धारण निम्नलिखित मानकों (Norms) के आधार पर किया जाता है :

	क्षेत्र हेक्टेयर में	क्षेत्र एकड़ में
कुआं	1.21	3
रहट	0.81	2
पम्पिंग सेट	3.23	8
निजी नलकूप	8.08	20

1—ऋण, अनुदान और ऋण-पत्रों में विनियोजन के लिए योजना परिव्यय।

2—भूमि विकास बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक।

3—कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि उद्योग निगम तथा वाणिज्यिक बैंक।

19—उपर्युक्त आधार पर वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 के दौरान क्रमशः 5.49 और 6.03 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 1971–72 के दौरान 5.61 लाख हेक्टेयर की और सिंचन क्षमता सृजित कर लेने की आशा की जाती है। 1972–73 के लिये भी इसी प्रकार के लक्ष्य का कार्यक्रम बनाया गया है। इस प्रकार योजना के पहले चार वर्षों में पांच वर्ष के 26.38 लाख हेक्टेयर के पुनरीक्षित लक्ष्य की तुलना में 27.74 लाख हेक्टेयर की अतिरित सिंचन क्षमता सृजित हो जाने की आशा है परन्तु पुराने लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की गणना करने के पश्चात् शुद्ध कुल उपलब्धता निम्न प्रकार से होगी :

मद	1968–69 उपलब्धि	1969–70 उपलब्धि	197 –71 उपलब्धि	1971–72 संभावित	1972–73 लक्ष्य	1969–74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
अतिरिक्त क्षमता	548.07	548.89	603.12	561.04	561.04	2638.11
कुल क्षमता	3862.21	4411.10	5014.22	5575.26	6136.30	6500.32
पुराने निर्माण कार्यों में 5 प्रति-शत की दर से मूल्यह्रास	325.01	515.60	725.45	953.91	1198.01	1539.00
शुद्ध कुल क्षमता	3537.19	3895.50	4277.86	4621.35	4937.29	4961.32
शुद्ध अतिरिक्त क्षमता	376.32	358.31	393.27	332.58	315.94	1424.03

20—उपलब्धि के आधार पर आशा है कि चौथी योजना की अवधि के दौरान लगभग 17.00 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हो जायगी।

निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण

21—चौथी योजना में 2.00 लाख निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें से 51,108 इकाइयों का पहले दो वर्षों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। वर्ष 1971–72 तथा इसके बाद के दो वर्षों में प्रतिवर्ष 50,000 इकाइयों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया गया है। सामग्री के अभाव के कारण प्रगति में तेजी लाने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई

22—राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में राजकीय लघु सिंचाई स्कीमों के लिये 40.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पहले तीन वर्षों में 38.92 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग किये जाने की आशा है। इस प्रकार, योजना के शेष दो वर्षों के लिये केवल 1.08 करोड़ रुपये की धनराशि शेष बची है। किन्तु लघु सिंचाई परियोजनाओं की तुरन्त आवश्यकता है और संपूर्ण राज्य में जनता की इसके विकास के लिए विशेषकर राजकीय नलकूपों के लिये बड़ी मांग है। डाल सिंचाई (lift irrigation) परियोजनाओं के विकास की बुन्देलखंड और पूर्वी संभागों में बड़ी मांग है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार 1972-73 के राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रम को केवल 13.36 करोड़ रुपये की धनराशि तक सीमित कर दिया गया है। व्यय के उप-शीर्षकों के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

तालिका—7

(लाख रुपयों में)

उप-शीर्षक	चौथी योजना परि-व्यय	1969-70 वास्त-विक व्यय	1970-71 संभा-वित व्यय	1971-72 प्रत्या-शित व्यय	1972-73 परि-व्यय	1969-73 योग
1	2	3	4	5	6	7
1—नलकूप कार्यक्रम ..	2378	789	1224	1113	1109	4235
2—डाल सिंचाई ..	1325	271	178	190	150	789
3—अन्य कार्यक्रम ..	297	22	38	67	77	204
योग ..	4,000	1082	1440	1370	1336	5228

नलकूप

23—चौथी योजना में 1.5 क्यूसेक के 1,000 नलकूपों, 3.0 क्यूसेक के 200 नलकूपों और 5.00 क्यूसेक के 100 नलकूपों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यद्यपि 5 क्यूसेक के नलकूप का निर्माण और परिचालन प्राविधिक रूप से वांछनीय है तथापि अच्छी सिंचाई योग्य भूमि के सघन क्षेत्रों के उपलब्ध न होने के कारण उसकी सप्लाई की आर्थिक उपयोगिता में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। 3 क्यूसेक के नलकूपों का निर्माण केवल कुछ उपयुक्त क्षेत्रों तक ही

सीमित है। किन्तु 1.5 और 2.00 क्यूसेक के नलकूपों का निर्माण लक्ष्य से अधिक हो गया जो नीचे की तालिका में दिया गया है:—

तालिका—8

(संख्या)

अवधि/मद		नलकूप जो ड्रिल किये गये	नलकूप जिनमें प्लान्ट्स लगाये गये	नलकूप जिनके लिये पम्प घर बनाये गये	नलकूप जिनका ऊर्जीकरण किया गया
1		2	3	4	5
1968–69 के अंत की स्थिति	..	9634	9480	9390	9400
1–1969–70 में वृद्धि—					
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	..	31	21	27	11
(2) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	..	605	514	491	378
2—1970–71 में वृद्धि—					
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	..	27	26	23	22
(2) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	..	752	578	590	453
3—1971–72 में वृद्धि (प्रत्याशित)—					
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	..	40	40	40	20
(2) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	..	800	750	750	780
4—1972–73 में वृद्धि (कार्यक्रम)—					
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	..	30	30	30	20
(2) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	..	820	800	800	780
5—1969–72 का योग—					
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	..	128	117	120	73
(2) 3 क्यूसेक से कम के नलकूप	..	2977	2642	2631	2391

24—चौथी योजना में 2,600 क्यसेक की कुल क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी तुलना में 1969–71 के दौरान 1,363 क्यूसेक की वृद्धि की गई और

1971-73 के दौरान 3,133 क्यूसेक क्षमता की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

तालिका 9 (क्यूसेक)

नलकूप	चौथी योजना का लक्ष्य	उपलब्धि 1969-70	उपलब्धि 1970-71	1971-72 प्रत्याशित	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1—1.5 क्यूसेक	1500	582	680	325	..
2—2.0 क्यूसेक	..	..	..	1126	1560
3—3.00 क्यूसेक	600	33	63	57	60
4—5.0 क्यूसेक	500	..	5	5	..
योग .	2600	615	748	1513	1620

इस प्रकार योजना के पहले चार वर्षों में 4,496 क्यूसेक क्षमता सृजित होने की आशा है जो चौथी योजना के लक्ष्य का 173 प्रतिशत होगा।

25—वर्ष 1972-73 के दौरान नलकूप कार्यक्रम के परिव्ययक के लिये 1109.40 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

तालिका 10

मद	1972-73 का परिव्यय
1—प्रत्येक नलकूप पर 28,000 रु० की दर से 820 नलकूपों का ड्रिलिंग ..	229.00
2—प्रत्येक नलकूप पर 2,000 रु० की दर से 800 नलकूपों का विकास ..	16.00
3—प्रत्येक नलकूप पर 15,000 की दर से 800 नलकूपों पर पम्पघरों, डिलिवरी टैंकों, साइफनों, कच्ची गूलों आदि का निर्माण ..	120.00
4—भूमि सम्बन्धी व्यय	20.00
5—प्रति नलकूप 10,000 रु० की दर से 800 नलकूपों पर पम्पिंग सेटों तथा उपसाधन यंत्रों का अधिष्ठान..	80.00
6—नलकूपों का ऊर्जीकरण	65.00
7—प्रति मील 25,000 रु० की दर से 700 मील गूलों तैयार करना ..	175.00
8—विशेष उपकरण तथा स्थिरयंत्र	40.00
9—उच्चतर क्षमता वाले नलकूपों का निर्माण	20.00
10—पक्की गूलों का विस्तार (100 मील)	25.00
11—सर्विस सड़कों का निर्माण	5.00
12—नलकूपों का आधुनिक करण	20.00
13—भू-तलीय जल सर्वेक्षण	20.00
	835.00
14—अधिष्ठान तथा सामान्य व्यय (over head charges) ..	205.70
योग	1040.70

डाल सिंचाई

26—राज्य में डाल सिंचाई स्कीमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वर्ष 1966–67 में चालू की गयी थीं। इन स्कीमों के द्वारा अब नदियों तथा जलस्त्रोतों में बराबर उपलब्ध रहने वाले जल की सप्लाई ऐसे क्षेत्रों की सिंचाई के वास्ते की जा रही है। जहां पर नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की संभावनायें बहुत कम हैं परन्तु राज्य सरकार, ने इन स्कीमों के निष्पादन को उन स्कीमों तक सीमित कर दिया है जिनको 'न लाभ, न हानि' के आधार पर चलाना संभव है। चूंकि अब सिंचाई सुलभ साधन उपयोग में लाये जा चुके हैं इसलिए अधिकांश नई स्कीमों में पानी को अपेक्ष‍ृत अधिक ऊंचा उठाने की आवश्यकता पड़ती है इसलिये इन स्कीमों को अब "न लाभ, न हानि" के आधार पर चलाना संभव नहीं है। डाल सिंचाई कार्य-क्रम यद्यपि राज्य की आवश्यकताओं के लिये परम आवश्यक है, फिर भी इसमें कटौती की गयी है और वर्ष 1972–73 के लिये 1.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपयोग ऐसी स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने तथा कुछ उन नई स्कीमों को चालू करने में किया जायेगा जो उपर्युक्त मापदंड के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती हैं।

जलोत्सारण सम्बन्धी सुधार की स्कीमें

27—इन परियोजनाओं के लिये चौथी योजना में 56.64 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। किन्तु इस धनराशि की उपयोग की गति धीमी रही। जिसका मुख्य कारण यह था कि भूमि अध्याप्त करने में कठिनाइयां हुईं। इस वर्ष की अभूतपूर्व बाढों ने जलोत्सारण की स्कीमों की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया है और इसलिये वर्ष 1972–73 में इन परियोजनाओं के लिये 15.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

अन्य स्कीमें

28—ये स्कीमें मुख्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में नालियों और बुन्देलखंड तथा पूर्वी जिलों में छोटे संचयागारों से सम्बन्धित हैं। 1968–69 से अधिनीत स्कीमों (Spillover) को वर्ष 1972–73 के दौरान पूरा कर लिया जायेगा। अन्य समस्त (Scheme) प्रवाह सिंचाई (flow irrigation) की चालू स्कीमों को चौथी योजना के अन्त तक अनुसूची के अनुसार पूरा हो जाना है और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था भी की गई है। पिछड़े हुए जिलों में चार नई स्कीमें 1972–73 में चालू करने का लक्ष्य है।

सिंचाई की क्षमता तथा उसका उपयोग

29—चौथी योजना में 5.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई थी जिसमें से 3.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में योजना के पहले तीन वर्षों में क्षमता सृजित कर ली गई है। 1972–73 के दौरान 1.35 हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है, जिससे कुल क्षमता बढ़कर 4.67 लाख हेक्टेयर हो जायेगी

वर्गानुसार विवरण नीचे दिया गया है :—

तालिका 11

(लाख रुपयों में)

साधन	चौथी योजना का लक्ष्य	1969–70 उपलब्धियां	1970–71 उपलब्धियां	1971–72 प्रत्याशित	1972–73 का लक्ष्य	1969–73 योग
1	2	3	4	5	6	7
नलकूप ..	2.75	0.73	0.70	1.13	1.14	3.60
डाल सिंचाई ..	2.71	0.37	0.24	0.24	0.18	1.03
अन्य स्कीमें ..	0.09	..	..	0.01	0.03	0.04
योग ..	5.55	1.00	0.94	1.38	1.35	4.67
कुल सिंचन क्षमता ..	—23.73	19.18	20.12	21.50	22.85	22.85
कुल सिंचन क्षमता का उपयोग	21.47	17.11	18.45	19.47	20.35	20.35

30—सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच जो कुछ अन्तर प्रतीत होता है उसका कारण यह है कि राज्य के नलकूपों द्वारा अतिरिक्त क्षमता बहुधा वर्ष के अन्त में सृजित की जाती है जिसका उपयोग अगले वर्ष में ही किया जा सकता है। अतः इस समय लगभग 89 प्रतिशत क्षमता का जो उपयोग किया जा रहा है, वह सन्तोषजनक है।

(3) भूमि संरक्षण

भूमि पर दबाव समान रूप से बढ़ता जा रहा है। भूमि बिर्माण साधनों तथा भूमि की कटाव शक्तियों के बीच प्राकृतिक सन्तुलन असन्तुलित हो गया है। वन काटने और खेती से फायदा उठाने की प्रवृति से यह समस्या उग्र हो गई है। अतः ऐसी परिस्थितियों में भूमि संरक्षण कार्य-क्रमों का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

2—कृषि और वन विभागों तथा विकास अन्वेषणालय की स्कीम भी भूमि संरक्षण क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई है। चौथी योजना का परिव्यय, वर्ष 1969–70 तथा 1970–71

का व्यय, वर्ष 1971–72 का परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय और वर्ष 1972–73 का परिव्यय नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

विभाग	चौथी योजना का परिव्यय	व्यय		1971–72		1972–73
		1969–1970–	1970–1971	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
कृषि	2000.00	328.45	358.52	404.14	410.02	397.00
वन	125.00	24.84	25.01	25.00	25.00	25.00
विकास अन्वेषणालय	15.00	3.23	3.84	3.00	3.00	..
योग ..	2140.00	356.52	387.37	432.14	438.02	422.00

कृषि विभाग की स्कीमें

3–राज्य में भूमि और जल संरक्षण सम्बन्धी व्यापक अधिनियम पहले से ही है जो 1963 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर एक राजकीय भूमि तथा जल संरक्षण परिषद् गठित किया गया है और जिला स्तर पर कार्य-क्रमों के मार्ग-दर्शन तथा अनुमोदन हेतु जिला भूमि संरक्षण समितियां बनाई गई हैं। इस अधिनियम की विशेषतायें ये हैं कि ऐसे वाटर शेडों (जल विभाजनों) में जहां कोई लाभार्थी ऋण पाने का पात्र न हो अथवा वह निर्माण-कार्य को उस ढंग से निष्पादित नहीं करता है जैसा कि प्रायोजना सम्बन्धी योजना में व्यवस्थित तथा अनुमोदित किया गया है उक्त निर्माण-कार्य राज्य के खर्चे से निष्पादित किये जा सकते हैं तथा उनकी लागत लाभार्थी से आसान किस्तों में वसूल की जा सकती है।

4–संरक्षण कार्यक्रमों, भूमि के दक्षतापूर्वक उपयोग तथा जल व्यवस्था के उपायों का समन्वय भूमि से करने के उद्देश्य से इन कार्य-क्रमों में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि संरक्षण कार्यों को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिये उनको भूमि की चकबन्दी तथा लघु-सिंचाई कार्य-क्रमों से समन्वित किया जा रहा है। अब तक भूमि संरक्षण कार्य के अनुरक्षण के कार्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति में अनुरक्षण यूनिटों की क्रमशः व्यवस्था करके सुधार किया जाना है।

5—लगातार बाढ़ आने तथा इस वर्ष उसका प्रकोप अभूतपूर्व जलागम क्षेत्र में ठोस जल व्यवस्था क्रियाओं का महत्व और भी बढ़ गया है।

6—भूमि संरक्षण कार्य-क्रमों को वाटर शेडों (जल विभाजनों) के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है और अब तक 114 उप-प्रभागीय तथा 14 प्रभागीय यूनिटें राज्य में स्थापित की जा चुकी हैं।

7—वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण क्रियाओं को क्रमशः 2.38 लाख और 2.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चालू किया गया। वर्ष 1971-72 के दौरान यथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इस कार्य को 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चलाने की आशा की जाती है। वर्ष 1972-73 में इस कार्य-क्रम के अधीन 2.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। चालू वर्ष से आरम्भ किये गये इस कार्य-क्रम की एक और विशेषता उन क्षेत्रों में जहां भूमि संरक्षण के उपाय किये जाते हैं, लघु सिंचाई कार्य-क्रम को कार्यान्वित करना है। भूमि संरक्षण का यह कार्य-क्रम वर्षा पर निर्भर रहने वाले कृषि क्षेत्रों में समग्र रूप से निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार के जिन क्षेत्रों की भूमि में पानी होने की संभावना है उनमें नलकूपों, बोरिंगों, पम्पसेटों आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस उद्देश्य के हेतु कृषकों को लघु सिंचाई के उपकरणों के उपलब्ध कराने तथा उन्हें प्रतिष्ठापित करने के लिये तकावी ऋण दिये जाते हैं। चालू वर्ष में इन क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्य-क्रमों के हेतु 46.60 लाख रु० वितरित करने का अनुमान है और वर्ष 1972-73 में इसके लिये 100.00 लाख रु० वितरित करने का कार्य-क्रम है।

8—चौथी योजना के 300 सहायकों तथा 1,300 उप-सहायकों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1971-72 के अन्त तक 127 सहायकों तथा 863 उप-सहायकों के प्रशिक्षित हो जाने की आशा है।

9—राज्य के लम्बे असें से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अर्थात् वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद और बांदा जिलों में जहां बार-बार सूखा पड़ता है; भूमि तथा जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को निष्पादित करने के लिये वर्ष 1969-70 में एक विशेष स्कीम चालू की गयी थी। वर्ष 1969-70 तथा वर्ष 1970-71 के दौरान इस स्कीम के अधीन क्रमशः 0.200 हजार हेक्टेयर तथा 3.935 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इस कार्य को चालू किया गया था। वर्ष 1971-72 के दौरान यह अनुमान है कि इस कार्य को 8,000 हेक्टेयर और क्षेत्र में पूरा कर लिया जायगा। वर्ष 1972-73 के लिये 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

10—कन्दराओं के खेती योग्य बनाने के कार्य-क्रम (Ravine reclamation Programme) के अन्तर्गत गहरी कन्दराओं पर वन विभाग द्वारा वन रोपण किया जा रहा है जबकि इन कन्दराओं की परिधि पर स्थित ऊंच समतल भूमि को कृषि विभाग द्वारा भूमि को कटाव रोकने के लिये निर्माण-कार्य करके पक्का किया जा रहा है। इस कार्य-क्रम के सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान भौतिक उपलब्धियां क्रमशः 17,090 हेक्टेयर तथा 17,148 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई। वर्ष 1971-72 के लिये प्रत्याशित उपलब्धि 12,800 हेक्टेयर क्षेत्र की है और अगले वर्ष के लिये 14,300 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

बागानी खेती—

11—इस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रों के लगभग केवल 36 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हैं। इस तरह से जितने क्षेत्र में काश्त की जाती है उसका एक

बहुत बड़ा भाग अब भी फसल उत्पादन के लिये वर्षा पर निर्भर रहता है। भूमि तथा जल संरक्षण कार्य-क्रमों द्वारा जल संरक्षण के कार्य को शुष्क क्षेत्रों में समग्र रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्य-क्रम में भूमि समतल करने के कार्य की तरह के भूमि विकास कार्य को सम्मिलित करने की भी परिकल्पना की गयी है जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में जल का संविलयन और अवरोधन किया जा सके। अपेक्षाकृत कम अवधि में तैयार होने वाली तथा कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को और बड़े क्षेत्रों में बारी-बारी से बोने के कार्य में प्रगति लायी जा रही है। फसल की ऐसी किस्में जो मुख्यतया वर्षा पर अवलम्बित रहती हैं, राज्य बीज संबर्धन फार्मों पर वितरण के लिये सम्बर्धित की जा रही हैं। ऊंचाई पर स्थित शुष्क क्षेत्रों में सोयाबीन और सूर्यमुखी की खेती आरम्भ किये जाने से अगली खेती का आर्थिक महत्व बढ़ जायगा।

12—वर्ष 1970–71 में झांसी जिले के विरधा विकास खंड में बागनी खेती के एक केन्द्रीय पुरोनिधानित कार्य-क्रम को चालू किया गया। 810 हेक्टेयर क्षेत्र में ब्योरेवार सर्वेक्षण और नियोजन कार्य पूरा किया गया। जल संचय प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने के लिये एक योजना भी तैयार की गयी। 5 जल संचय बन्धियों तथा 9 खुले कुओं पर इस सम्बन्ध में कार्य चालू किया गया जिनमें से 2 जल संचय बन्धियां बनकर तैयार हो गयी। वर्ष 1970–71 के दौरान प्रायोजना क्षेत्र के 800 हेक्टेयर में 3,711 कि० ग्राम उर्वरक तथा 270 कि० ग्राम० उन्नत किस्म के बीजों का भी वितरण किया गया।

13—वर्ष 1971–72 के दौरान झांसी में बागानी खेती की प्रायोजना के अन्तर्गत विभिन्न भूमि तथा जल संरक्षण के द्वारा 800 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्य है। भूमि संरक्षण तथा ब्योरेवार नियोजन के कार्य को प्रयोजना क्षेत्र के कुछ भागों में पूरा भी कर लिया गया है और प्रायोजना की इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। जल संचय बन्धियों के निर्माण हेतु स्थलों का भी चुनाव कर लिया गया है।

14—झांसी जिले के अलावा बागानी खेती प्रायोजनाओं को आगरा तथा गाजीपुर में भी चालू कर दिया गया है। वर्ष 1972–73 के दौरान झांसी, आगरा और गाजीपुर की प्रायोजनाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत 800 हेक्टेयर की एक अतिरिक्त क्षेत्र बागानी खेती के कार्य-क्रमों के अधीन लाने का लक्ष्य है। इस कार्य में भूमि और जल संरक्षण उपायों तथा भूमि विकास संबंधी कार्य भी सम्मिलित किये जावेंगे। जल संचय बन्धियों के निर्माण द्वारा जल संरक्षण को सुनिश्चित किया जावेगा। फसलों के लिये सिंचाई की आवश्यकता के समय इन बन्धियों में इकट्ठा किये गये पानी को उपयोग में लाया जावेगा। छिड़काव द्वारा सिंचाई कार्यों के प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव है। लघु सिंचाई कार्यों को चालू करने तथा उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को खरीदने के लिये किसानों को ऋण दिये जावेंगे। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि बागानी खेती की प्रक्रियाओं के प्रसार तथा अनुसरण के लिये किसानों के प्रशिक्षण शिविर और अवलोकन बिहार (sight seeing trips) आयोजित किये जायं।

15—कृषि प्रयोजनों के लिये कन्दराओं के उद्धार पुनसंचार के हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम भी कानपुर जिले में 1969–70 से आरम्भ की गयी है।

आयाकट का विकास—

16—आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट पम्प कैनाल से सींचे जाने वाले क्षेत्र में आयाकट विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को प्रारम्भ किया गया है। इस स्कीम के अधीन जलवाहक प्रणालियों

के भूमि तथा जल व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को जल के अधिकतम उपयोग करने का प्रशिक्षण देने का आयोजन किया जा रहा है।

वन विभाग की स्कीमें--

17--राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या जो विशेषकर हिमालय संभागों और अंचल तथा यमुना जलागम क्षेत्रों में भूमि के कटाव की है। यहां संरक्षण के कार्य-क्रम वन विभाग द्वारा आरम्भ किये गये हैं। यह विभाग नदी घाटी प्रायोजनाओं के जलागम क्षेत्रों तथा कन्दराओं की भूमि में भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को भी देखभाल करता है।

18--राज्य योजना के अधीन वन विभाग की भूमि संरक्षण स्कीम अर्थात् कन्दराओं को खेती योग्य बनाना, कन्दराओं में वनारोपण तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित रामगंगा के जलागम क्षेत्र में नदी घाटी की स्कीम तीसरी योजना काल से चालू है। इन दोनों स्कीमों के अन्तर्गत भूमि संरक्षण कार्य-क्रम को चौथी योजना के दौरान और तेजी से बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा चौथी योजना में वर्ष 1970-71 में माताटीला बांध जलागम क्षेत्र में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित एक स्कीम को भी चालू किया गया है।

19--राज्य योजना की कन्दराओं को खेती योग्य बनाना, कन्दराओं में वनरोपण की स्कीम के अन्तर्गत कन्दराओं का खेती योग्य बनाने का कार्य चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कुल 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा कर लिये जाने की आशा है जबकि चौथी योजना का लक्ष्य 25,000 हेक्टयर का था। वर्ष 1972--73 में कन्दराओं को खेती योग्य बनाने के कार्यों को 5,000 हक्टेयर और क्षेत्र में करने का लक्ष्य है।

20--राम गंगा के जलागम क्षेत्र में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित नदी घाटी प्रायोजना की स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1969--70 और 1970-71 के दौरान कुल 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, चारागाह विकास तथा कृषि योग्य भूमि को ठीक करने का कार्य आरम्भ किया गया। आशा है कि 1971--72 के दौरान इस कार्य को 3000 हेक्टेयर और क्षेत्र में पूरा कर लिया जावेगा। वर्ष 1972--73 के लिये तीन हजार हेक्टेयर का लक्ष्य है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित वन विभाग की दोनों स्कीमों पर चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 61.94 लाख रुपये का व्यय होने की आशा है। वर्ष 1972--73 के लिये 25 लाख रुपये की धनराशि है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये परिव्यय--

21--भूमि संरक्षण क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों उत्तरा खंड को छोड़कर, के लिये चौथी योजना में 1,289.90 लाख रु० कुल परिव्यय है, जिसमें कृषि और वन विभागों का हिस्सा क्रमशः 1,228.65 लाख रु० तथा का 61.25 लाख रु० है। कृषि विभाग की चौथी योजना के परिव्यय में 263.01 लाख रु० पांच पर्वतीय जिलों के लिये 654.04 लाख रु० पूर्वी जिलों के लिये तथा 311.60 लाख रु० बुन्देलखंड के लिये रखे गये हैं। वन विभाग के सम्बन्ध में चौथी योजना का परिव्यय केवल बुन्देलखंड के लिये है। चौथी योजना के कुल परिव्यय की तुलना में योजना के पहले तीन वर्षों में प्रत्याशित व्यय की धनराशि 721.38 लाख रु० है, जिसमें 96.77 लाख रु० पांच पर्वतीय जिलों के लिये 380.78 लाख रु० पूर्वी जिलों के लिये और 243.83 लाख रु० बुन्देलखंड के लिये सम्मिलित है। वर्ष 1972--73 में पिछड़े (उत्तराखंड को छोड़कर) क्षेत्रों के लिये कुल परिव्यय 254.43 लाख रु० का है, जिसमें 52.53 लाख रु० पांच पर्वतीय जिलों के लिये, 126.41 लाख रु० पूर्वी जिलों के लिये और 75.49 लाख रु० बुन्देलखंड के लिये सम्मिलित हैं।

(4) कृषि शोध तथा शिक्षा

कृषि शोध

विभिन्न फसलों पर कृषि संबंधी शोध कार्य करने के लिये राज्य में 1968–69 के अन्त तक आधारभूत अवस्थापना सृजित कर दी गयी थी । इसमें धान, गेहूं कपास, जूट, तिलहन, ज्वार, बाजरा, दालें, मोटा अनाज, फल, सागसब्जी, गन्ना, आलू आदि के संबंध में शोध कार्य करने की सुविधायें भी शामिल हैं । कृषि रसायन विज्ञान, कीट विज्ञान, पौध-व्याधि विज्ञान और फसल क्रिया विज्ञान, के विषयों से संबंधित कार्यात्मक शोध प्रभाग भी स्थापित किये गये हैं । वर्ष 1969–70 के दौरान आर्थिक वनस्पतिज्ञ (तिलहन) औद्यानिक शोध संस्थान, सहारनपुर, आर्थिक वनस्पतिज्ञ (धान), फसल शोध केंद्र बस्ती, फसल क्रिया विज्ञान तथा कीट विज्ञान के अनुभागों को सुदृढ़ किया गया । इसके अतिरिक्त संभागीय शोध केंद्रों को सज्जायुक्त किया गया । वर्ष 1971–72 में धान के लिये शोध सज्जा की क्षमता इस उद्देश्य से और बढाई गई है कि राज्य के विभिन्न भागों के लिये, कृषि-जलवायु संबंधी आधार पर, फसल की विभिन्न किस्में तथा फसल क्रिया की प्रविधियां विकसित की जा सकें ।

2—इनके अतिरिक्त, तिलहन, सोयाबीन, चावल, जौ, मक्का, मोटा अनाज, दालें, जूट, गेहूं, आम, अमरूद और आलू के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित शोध प्रायोजनायें भी प्रगति कर रही हैं । भारतीय कृषि शोध परिषद् द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली किस्मों में सामान्य उर्वरक कृषकों के खेतों पर जांच स्वरूप कृषि प्रयोग (साइल एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेंट्स) भूमि संरचना की माप तथा मूल्यांकन संबंधी अध्ययन, तथा भूमि के मापन, सिंचाई, जलोत्सारण भू-विज्ञान एवं जल व्यवस्था से संबंधित समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

3—राज्य की कृषि शोध शाखा (Complex), कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर और कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के अधीन कार्य कर रही है । शोध कार्य की कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं—

(1) धान—साकेत-1, आस-116, साकेत 2, साकेत–3 तथा मझेरा–3 की नई किस्में निकाली गई हैं और कृषि के लिये दे दी गई हैं । साकेत-1 की संपूर्ण राज्य के लिये आस-116 देर में तैयार होने वाले धान के क्षेत्रों के लिये तथा साकेत-2 वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लिये सिफारिश की गई है । साकेत-3 जायद की फसल के लिये उपयुक्त है और मझरा-3 की सिफारिश पहाड़ों के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिये की गयी है । कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में विजातीय तथा देशी फसलों की खेती के तरीकों का मूल्यांकन किया गया है । भारतीय शोध संस्थान से प्राप्त आई० आर० 661, आई०-140–3 की फसलें बहुत ही उत्साहवर्धक पाई गई हैं ।

(2) गेहूं—के-68 तथा के-65 नामक गेहूं की दो किस्मों की खेती राज्य में सामान्यतया की जाती है । कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर ने "कुंदन" नामक एक नई किस्म निकाली है । यह कम अवधि वाली और "रस्ट" न लगने वाली किस्म है । इन्डो-मैक्सिकन की संकर (Crosses) किस्मों में से के-803, के-804 तथा के-804-ए उत्साहवर्धक पायी गयी हैं । पर्वतीय क्षेत्रों के लिये, सामान्य गेहूं की वी०एल०-61, वी०एल-78, वी०एल-88 तथा वी०एल०-99 किस्में और वी०एल०एस-402 (दो जीन ड्वार्फ) तथा वी०एल० एस-501 (तीन जीन ड्वार्फ) विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा द्वारा निकाल गयी है और उत्साहवर्धक प्रतीत होती है । वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में "कल्याण सोना", सी-306 तथा के-65 अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल सिद्ध हुई है । पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित दो तीन ड्वार्फ सेलेक्शन यू० पी० 205 ने, उत्तरी मैदानी क्षेत्र के कम उपजाऊ भूमि तथा सिंचाई की

सुविधा के अभाव की परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावारें दी हैं। ट्रिटिकल निकालने के कार्यक्रम को भी हाथ में लिया गया है। 'ट्रिटिकल' की किस्मों की समन्वित जांच 20 प्रविष्टियों से, जिनमें से 5 प्रविष्टियां कृषि विश्वविद्यालय ने भेजी हैं, पहलीबार राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही हैं। गन्ना, आलू तथा अरहर की फसल के बाद देर में बोयी जाने वाली तथा कम समय में लेने वाली गेहूं की किस्मों के विकास का कार्य भी चल रहा है।

(3) मक्का—मक्का की दो नई किस्में अर्थात् गंगा सफेद-4 तथा गंगा पीली-7 को यू०पी० वेराइटी रिलीज कमेटी द्वारा खेती के लिये दी जा रही है। ये दोनों किस्में खेती के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जा रही हैं। ट्रिनीदाद× एंटिगुआ जो०पी०ओ-2×डी-1 की एक मिश्रित किस्म ने 'किसान' या विजया की तुलना में बहुत अधिक पैदावार दी है। इसे इस वर्ष खेती के लिये दिये जाने की सिफारिश की जा रही है। खरीफ 1970 के दौरान की गयी समन्वित जांचों में 45 प्रत्येक कम्पोजिटों तथा 32 'फ्लोरी कम्पोजिटों' का परीक्षण किया गया था। खेती के लिये उपयुक्त किस्मों के भी कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में परीक्षण किये जा रहे हैं।

(4) दालें—कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर ने राज्य के पूर्वी भू-भागों के लिये चने की 'राधे' नामक एक किस्म खेती के लिये दी है। लगभग 10-14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार वाली हरे बीज की उर्द की "टी-65" नामक किस्म पूर्वी तथा केंद्रीय भू-भागों के लिये निकाली है। मूंग की एक "शीला" नामक नई किस्म, जिसकी पैदावार क्षमता 11-14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, खेती के लिये दी गयी है। कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में अरहर चने तथा अलसी के हरे प्लाज्म का और मूल्यांकन किया जा रहा है तथा अधिक पैदावार देने वाली और रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन किया जा रहा। अरहर की कुछ किस्मों का चयन, जो 130 से 145 दिन में तैयार हो जाती हैं, कर लिया गया है। टी-163 किस्म के अतिरिक्त मटर की जी०सी०-141, जी०सी०-142 तथा जी०सी०-449 किस्में अपेक्षाकृत अच्छी पायी गयी हैं। चने की सी-235 तथा जी०-130 किस्में अपेक्षाकृत अधिक पैदावार देने वाली तथा साथ ही रोग निरोधक भी पायी गयी हैं। काबली चने की प्लाज्म का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

(5) जौ-शोध के परिणामस्वरूप जौ की नई किस्में जैसे के-12, के-186, के-24 तथा "ज्योति" निकाली गई है और राज्य में खेती के लिये दे दी गई हैं। एक दूसरी किस्म "अम्बर" को भी वर्ष 1969 में खेती के लिये दे दिया गया है, जिसकी पैदावार क्षमता लगभग 32 क्विटल प्रति हेक्टेयर है। भविष्य के शोध कार्यक्रमों में यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसी उपयुक्त किस्मों को तैयार किया जाय जो औद्योगिक प्रयोग के लिये उपयुक्त हों और जिनकी खेती वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में की जा सके।

(6) अन्य फसलें—तिलहन, चुकन्दर, कपास, जूट, सोयाबीन इत्यादि पर भी कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में कार्य हो रहा है। कृषि शोध कार्य के लिये आइसोटोप्स (Isotopes) का उपयोग करने के एक नये कार्यक्रम के अतिरिक्त कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के कुछ शोध अनुभागों को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम भी है।

4—परिव्यय—कृषि संबंधी शोध कार्यों के लिये चौथी योजना में 139.33 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान 33.72 लाख रुपये की धनराशि का व्यय किया गया था । 1971-72 के लिये 32.33 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसकी तुलना में 33.17 लाख रुपये का व्यय होने की आशा है । वर्ष 1972-73 के दौरान शोध संबंधी प्रयत्नों में और अधिक तेजी लायी जायेगी । इस प्रयोजन के लिये 42.44 लाख रुपये का परिव्यय है।

कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर

5—चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विश्वविद्यालय के लिये 175 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है जिसकी तुलना में योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 61.85 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी । 1971-72 के लिये 40 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसका संपूर्ण उपयोग हो जाने की आशा है । 1972-73 के लिये 36.05 लाख रुपये का परिव्यय है।

6—कृषि विश्वविद्यालय ने शोध तथा प्रसार कार्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । धान के संबंध में बहुत से विदेशी तथा देशी धानों की किस्मों की खेती का मूल्यांकन किया गया है । संसार भर से प्राप्त लगभग 3,500 गेहूं की किस्मों को यहां रखा गया है । इस वर्ष, विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शोध केंद्रों से जल्दी पैदावार देने वाली उत्पादन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं । उक्त कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ट्रिपिल ड्वार्फ किस्मों की गेहूं की खेती के संबंध में अपना कार्य जारी रखा है । इन किस्मों की जांच सामान्यरूप से संभागीय परीक्षणों में की जा रही है। इसके अतिरिक्त 7 छोटी (नैरो) पत्तियों वाली किस्मों को भी प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षणों में शामिल किया गया है । ये किस्में गेहूं की उत्पादन क्षेत्र में एक नई धारणा को व्यक्त करती है और इनका व्यापक महत्व है । दो जीन ड्वार्फ यू०पी०-215 नामक किस्म भारत प्रायद्वीप के लिये बहुत उपयुक्त पायी गई है । राष्ट्रीय स्तर पर ट्रिटिकल किस्मों पर परीक्षण के लिये प्राप्त 20 प्रविष्टियों में से 5 उक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी है। दालों तथा तिलहन के संबंध में अरहर, चना तथा अलसी के हरे प्लाज्म का मूल्यांकन किया जा रहा है । दालों की विभिन्न किस्मों पर उनके पकाने के गुणों तथा प्रोटीन की मात्रा की दृष्टि से भी कार्य किया जा रहा है । लोबिये से एक ऐसा पदार्थ तैयार किया गया है जिसमें लगभग 30 प्रतिशत प्रोटीन है, इसके अतिरिक्त चुकन्दर, सोयाबीन, कपास तथा जूट जैसी फसलों के संबंध में भी कार्य किया जा रहा है ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमें—भारतीय कृषि शोध परिषद् द्वारा वित्तपोषित योजनायें

7—इस राज्य में भारतीय कृषि शोध परिषद् द्वारा वित्तपोषित 16 स्कीमें चल रही हैं । ये अधिकतर तिलहन, सोयाबीन, चावल, जौ, मोटा अनाज, दालें, जूट, सब्जियां, आलू, गेहूं तथा आम की अखिल भारतीय समन्वित स्कीमों से सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों से सम्बद्ध उर्वरक परीक्षण संबंधी स्कीमों के न्यादर्श (माडल) कृषि प्रयोग तथा भूमि के खारापन विषयक अध्ययन को भी कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1970-71 के दौरान इन स्कीमों पर 12.37 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी तथा 1971-72 के दौरान 19.03 लाख रुपये की धनराशि के व्यय होने की संभावना है । 1972-73 के लिये 20.29 लाख रुपये का परिव्यय है ।

कृषि संबंधी शिक्षा

8—चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि संबंधी शिक्षा के लिये 279.17 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है । योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 98.71 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई थी । 1971-72 के लिये 75.58 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसकी तुलना में 85.54 लाख रुपये के व्यय होने की सभावना है । 1972-73 के लिये 80.56 लाख रुपये का परिव्यय है।

9—कृषि के डिप्लोमा स्कूलों तथा कृषि महाविद्यालयों में कृषि के संबंध में विशेषित प्रशिक्षण दिया जाता है । कृषि के विषय पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा 26 संस्थाओं में दी जाती हैं जिनमें कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर भी सम्मिलित हैं । स्नातकों के अध्यापन सम्बंधी पाठ्यक्रम से गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 1969-70 से एक त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है । कृषि विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त अब तक सात निजी संस्थाओं ने भी त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया है और यह आशा है कि 1971-72 में दस और निजी संस्थायें इस पुनरीक्षित पाठ्यक्रम को आरम्भ कर देंगी ।

10—राज्य में लगभग 1,500 से 1,700 तक कुल कृषि स्नातक पास होकर निकलते हैं जब कि रोजगार के अवसर इससे बहुत कम है । किन्तु अब वाणिज्यिक बैंकों ने कृषि स्नातकों को अपनी कृषि संबंधी वित्तपोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया है ।

11—1972-73 में तीन डिप्लोमा स्कूलों को अतिरिक्त भवन तथा प्राविधिक सज्जा की व्यवस्था करके और सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम है।

(5) छोटे किसान और खेतिहर मजदूर

कृषि क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे किसानों को इस योग्य बनाया जाय कि वे विकास प्रक्रिया में भाग ले सकें और उसके लाभ के भागी हो सकें । इसकी प्राप्ति का प्रयास विभिन्न उपायों, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों, द्वारा किया जा रहा है । सामान्य उपायों का संबंध उन्हीं क्षेत्रों से है जिनमें लघु सिंचाई कृषि संबंधी ऋण और पशु विकास सम्मिलित हैं । छोटे किसानों की दशा में सुधार करने हेतु केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये हैं—

1—छोटे किसानों के विकास अभिकरण ।

2—उपांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये प्रायोजनायें ।

3—शुष्क भूमि में खेती करना ।

4—ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम ।

5—ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिये क्रैश स्कीम (त्वरित योजना)/इन प्रायोजनाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे के अनुच्छेदों में दी जाती है—

(1) छोटे किसानों के विकास अभिकरण

2—राज्य में छोटे किसानों के चार विकास अभिकरणों की स्थापना ऐसे छोटे किसानों के लिये की गयी है, जिनके पास एक हैक्टेयर से तीन हैक्टेयर तक भूमि है। ये प्रायोजनायें के बदायूं, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों में चालू की गई हैं। इन जिलों में जिन किसानों को छोटा किसान समझा गया है उनकी कुल संख्या 2.24 लाख है। इन अभिकरणों के मुख्य कार्य भूमि विकास बैंकों तथा अन्य बैंकों के जरिये मुख्यतया ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देना तथा राज सहायता के रूप में वर्तमान सहकारी अवस्थापन एवं प्रोत्साहन देना है। यह सहायता लघु सिंचाई कार्यक्रमों, फसल संबंधी ऋण, कस्टम सर्विस स्टोरेज बिन्स के निर्माण, दुग्ध व्यवसाय और कुक्कुट पालन जैसे सहायक धंधों के लिये दी जाती हैं। अब तक रहट युक्त 826 पक्के कुयें 322 डीजल पंपिंग सेट और 1,364 नलकूप इन जिलों में निर्मित या अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। वर्ष 1972–73 के लिये इनका लक्ष्य क्रमशः 1302, 523 और 3183 का निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने इन प्रायोजनाओं के क्षेत्रों में "कस्टम सर्विस" केंद्रों की स्थापना की है। छोटे किसानों के प्रत्येक विकास अभिकरण प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये हैं। इन प्रायोजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा कुल 124.26 लाख रुपये की निधियां दी गयी हैं। इस धनराशि के उपयोग की गति अभी धीमी है। इसका कारण इन क्षेत्रों में होने वाली संगठन संबंधी रूढ़िगत कठिनाइयां और सहकारी बैंकों की कमजोर कार्यप्रणाली है। इस उद्देश्य से कि उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपयोग हो सके, सम्बद्ध मशीनरी को सक्रिय बनाने के हेतु कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

(2) उपान्त किसानों तथा खेतिहार मजदूरों की स्कीम

3—उपान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये 2 स्कीमें मथुरा तथा बलिया जिलों में चालू की गयी हैं। इन अभिकरणों का पंजीकरण जनवरी, 1971 में किया गया था इन दो जिलों में इन स्कीमों से लाभान्वित होने वालों की कुल संख्या 29209 है।

4—मुख्य कार्यक्रम, जिनको कार्यान्वित किया जायगा वे छोटी सिंचाई, फसल संबंधी ऋण, कस्टम सेवा की व्यवस्था तथा दुग्ध व्यवसाय और कुक्कुट पालन जैसे सहायक धंधों की उन्नति और साथ ही खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने के लिये आयोजित ग्रामीण निर्माण-कार्य विषयक कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। 290 नलकूपों, 160 पंपिंग सेट्स, तथा 110 पक्के कुओं के निर्माण का कार्यक्रम है। दीर्घकालिक ऋण संबंधित भूमि विकास बैंकों के माध्यम से और अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाते हैं। लघु सिंचाई के कार्यक्रमों, "कस्टम सर्विस" तथा दुधारू पशुओं और कुक्कुटों की खरीद के लिये उनकी लागत की 33-1/3 प्रतिशत तक की राज सहायता दी जाती है। इन स्कीमों के लिये वर्ष 1971-72 के दौरान भारत सरकार द्वारा कुल 26.90 लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गयी है। चूंकि यह स्कीम अभी प्रारम्भिक स्थिति में है इसलिये इस पर अब तक व्यय बहुत कम हुआ है। आशा है कि निकट भविष्य में इसकी प्रगति में तेजी लायी जा सकेगी।

(3) बागानी खेती की प्रायोजनाएं

5—राज्य का अधिकांश कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिये वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं—(1) जल तथा

भू-संरक्षण के प्रसार कार्यक्रमों द्वारा जल का संरक्षण । इसके अन्तर्गत भूमि विकास कार्य जैसे भूमि को समतल बनाना, करने का विचार किया गया है जिससे कि भूमि अधिकतम जल सोख सके और जल एकत्र रख सकें, (2) कम समय लेने वाली तथा अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को बदल-बदल कर बोयी जाने वाली फसलों के रूप में अधिक कृषि करने हेतु बढ़ावा दिया जा रहा है और (3) प्रमुख रूप से वर्षा पर आधारित परि-स्थितियों में उगने वाली फसलों की किस्मों को, राज्य बीज बर्धन फार्मों में वितरण हेतु बढ़ाया जा रहा है ।

6---केंद्र द्वारा पुरोनिधानित कार्यक्रम राज्य में चालू किया गया है। इसके अन्तर्गत बागानी खेती करने की प्रायोजनायें झांसी, आगरा और गाजीपुर जिलों में स्थापित की गई हैं । इस कार्यक्रम के अधीन किये जाने वाले कार्य में भूमि तथा जल संरक्षण के उपाय और भूमि विकास भी सम्मिलित है । पानी इकट्ठा करने को बंधियों को निर्माण करके जल संरक्षण सुनिश्चित किया जायगा तथा छिड़काव द्वारा सिंचाई का प्रदर्शन किया जायगा । सिंचाई निर्माण-कार्य करने तथा उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की खरीदने के लिये भी किसानों को ऋण दिये जायेंगे । प्रायोजना के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करने, संस्तुत उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की किस्मों का वितरण करने तथा पौध सुरक्षण के समुचित उपायों को कार्यान्वित करने का भी एक कार्यक्रम है । इस उद्देश्य से कि बागानी खेती के उन्नत तरीकों को किसान अपना सकें, उनके लिये प्रशिक्षण शिविरों तथा सम्बद्ध स्थलों को देखने हेतु यात्राओं का भी आयोजन किया जायगा ।

(4) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम

7---राज्य के चिरकाल से सूखा ग्रस्त जिलों की सूखे की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1970-71 से केंद्र द्वारा पुरोनिधानित एक आयोजनेतर स्कीम के रूप में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये प्रत्येक जिले के वास्ते 2 करोड़ रुपया उपलब्ध किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी प्रकार के ऐसे नागरिक निर्माण-कार्य किए जायेंगे जो उत्पादन में सहायक और श्रम प्रधान हों, जैसे, भू-संरक्षण, कंटूर बंधी लघु तथा मध्यम सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्य, सड़कें आदि । इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 6 जिलों में स्वीकृत किया गया है ।

1---मिर्जापुर

2---वाराणसी (चकिया तहसील)

3---इलाहाबाद (मेजा और करछना तहसीलें)

4---बांदा (मऊ तथा करवी तहसीलें और नरेनी तहसील में बधेड़ा, नदी का पूर्व दक्षिणी भाग)

5---हमीरपुर (मौदहा, सुमेरपुर, महोवा, चरखारी और सरीला ब्लाक)

6---जालौन (उरई और कालपी तहसीलें)

8---चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस से 122.66 लाख श्रम दिनों के लिये रोजगार के साधन सृजित हो जाने की संभावना है । जिलेवार रोजगार के सम्भावित अनुमान निम्नलिखित हैं:---

जिले	(लाख श्रम दिन)
1---मिर्जापुर	18.72
2---वाराणसी	31.65

जिले				(लाख श्रम दिन)
3—इलाहाबाद	..	..	..	19.51
4—बांदा ..	..	..	..	17.66
5—हमीरपुर ..	..	..	..	17.72
6—जालौन ..	..	..	..	17.40
		योग ..		122.66

9—भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि वर्ष 1970–71 में व्यय, 1971–72 का परिव्यय तथा योजना के शेष दो वर्षों के लिये परिव्यय नीचे दिये गये हैं:—

(लाख रुपयों में)

जिले		भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	1970–71 व्यय	1971–72 परिव्यय	1971–72 तथा 1973–74 के परिव्यय
मिर्जापुर	..	235.76	23.51	111.36	100.89
वाराणसी	..	113.51	..	53.20	60.31
इलाहाबाद ..	.	..	..	..	..
बांदा ..	..	130.55	..	19.94	110.61
हमीरपुर ..	..	61.66	..	10.60	51.06
जालौन ..	..	52.57	..	18.51	34.06
योग	..	594.05	23.51	213.61	356.93

10—अन्य धनराशियों का आवंटन समय-समय पर प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण-कार्यों की प्रगति के आधार पर उपलब्ध किया जायगा।

(5) ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित कार्यक्रम

11—ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1971 से एक त्वरित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण भी पूर्णतः

केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। 1971–72 से 1973–74 के दौरान उक्त कार्यक्रम से 1000 व्यक्तियों को हर जिले में रोजगार मिलेगा। भारत सरकार प्रति वर्ष 12.50 लाख रु० प्रति जिले के हिसाब से 675 लाख रु० की सहायता देगी। वर्ष 1971–72 के लिये 679 लाख रु० की धनराशि नियत की गई है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादक किस्म के स्थायी निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे जैसे सड़कों, नालियों और गूलों का निर्माण, वनीकरण, भू-संरक्षण, मत्स्य क्षेत्र का विकास, बाढ़ रक्षा कार्य आदि। ये कार्यक्रम उन कार्यक्रमों के अतिरिक्त होंगे जो योजना के अन्तर्गत चालू किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम श्रम प्रधान होंगे।

(6) कृषि में विनियोजन के लिए संस्थात्मक वित्त

1—कृषि क्षेत्र में संस्थात्मक वित्त अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इस संबंध में कृषि के विकास के लिये विनियोजन में वृद्धि करने हेतु सभी संसाधनों का पता लगाया जा रहा है। 1970–71 के दौरान 23.70 करोड़ रुपये को संस्थात्मक वित्त की व्यवस्था की गयी थी जिसके 1971–72 के दौरान बढ़कर 35.14 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। 1972–73 के लिये 44.35 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। संस्थात्मक वित्त के दो प्रमुख स्रोत भूमि विकास बैंक (लैन्ड डेवलपमेंट बैंक) तथा कृषि पुनर्वित्त निगम (एग्रिकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन) हैं। इन संस्थाओं द्वारा किये गये विकास कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है।

भूमि विकास बैंक

2—उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० द्वारा लघु सिंचाई कार्यों के लिये ऋण पूर्ववत् दिये जा रहे हैं। इस बैंक ने वर्ष 1970–71 के दौरान 18.14 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। वर्ष 1971–72 के लिये 20 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। यह अनुमान है कि यह बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972-73 के वास्ते सामान्य कार्यक्रम के लिये 20.00 करोड़ रुपये तथा कृषि पुनर्वित्त निगम की स्कीमों के लिये 11.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि पुनर्वित निगम

3—कृषि पुनर्वित्त निगम ने 47.29 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की 40 स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 32.92 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की लघु सिंचाई की 37 स्कीमें, 4.80 करोड़ रुपये के परिव्यय से कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा 4 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के गोदामों के निर्माण की एक स्कीम, 9.27 करोड़ रुपये के परिव्यय की ग्रामीण विकास हेतु स्थापित औद्योगिक बैंकों द्वारा फार्म विकास तथा मशीनरी के लिये सहायता प्राप्त तराई बीज प्रायोजना तथा 30 लाख रुपये के परिव्यय की एक दुग्ध व्यवसाय संबंधी स्कीम सम्मिलित है। 40 स्कीमों में से लघु सिंचाई की 12 स्कीमों को 30 जून, 1971 तक पूरा कर लिया गया था। इन स्कीमों का कुल परिव्यय 5.47 करोड़ रुपये था। बाकी 28 स्कीमें 1971–72 के दौरान कार्यान्वित की जा रही ह। 41.83 करोड़ रुपये के परिव्यय की 46 स्कीमें कृषि पुनर्वित्त निगम के पास स्वीकृति के लिये विचाराधीन है, इस समय 5.62 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की 11 स्कीमें निगम को भेजी जा रही हैं।

(7) भण्डारागार (warehousing)

भण्डारागार के क्षेत्र में, चौथी योजना का परिव्यय, वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 का व्यय, 1971–72 का प्रत्याशित व्यय तथा वर्ष 1972–73 का परिव्यय नीचे दिया गया है :––

(लाख रुपयों में)

विभाग	चौथी योजना का परिव्यय	व्यय 1969–70	व्यय 1970–71	1971–72 परिव्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
सहकारी ..	30.00	..	7.50	7.00	7.00	7.00
कृषि	74.35	6.16	15.15	19.16	21.07	22.00
योग ..	104.35	6.16	22.65	26.16	28.07	29.00

सहकारी विभाग की स्कीमें––

2. खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के संग्रह के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार करने तथा कृषकों को ऋण सुविधायें देने के इन दो उद्देश्यों से लगभग 13 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम (उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन) की स्थापना की गई थी। यह अनुमान है कि संग्रह करने में गलत तरीके अपनाने तथा उचित ढंग से न रखे जाने के कारण से अभी भी 5 से 10 प्रतिशत तक अन्न खराब हो जाता है। भण्डारागार निगम इन हानियों को कम करने में सफल रहा है। उक्त निगम ने जून 1971 तक एक करोड़ पचपन लाख क्विंटल से अधिक अन्न तथा अन्य वस्तुओं को भण्डारागार में रखने के लिये स्वीकार किया है।

3. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, आशा है कि निगम, सामान्य भण्डारागार कार्यक्रमों के अधीन 30,000 मीट्रिक टन क्षमता तथा इसके अतिरिक्त त्वरित कार्यक्रमों के अधीन 30,000 मीट्रिक टन की और क्षमता का निर्माण कर लेगा। चौथी योजना में 60 लाख रुपये के परिव्यय में, राज्य भण्डारागार निगम तथा केन्द्रीय भण्डारागार निगम का बराबर–बराबर हिस्सा रहेगा। योजना की व्यवस्था के अनुसार, 7.50 लाख रुपये की धनराशि दोनों उक्त अभिदाताओं में से प्रत्येक द्वारा 1970–71 के दौरान और उसके बाद शेष धनराशि चौथी योजना की बाकी अवधि में दी जानी थी। 15 लाख रुपये की धनराशि जिसमें केन्द्रीय भण्डारागार निगम का 7.50 लाख रुपये का अंश (शेयर) सम्मिलित है, राज्य भण्डारागार निगम को 7,500 टन की संग्रह क्षमता के भण्डारागार के निर्माण हेतु उपलब्ध की जा चुकी है।

4. इसके अतिरिक्त 30,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के 30 नये भण्डारागार किराये के स्थानों पर स्थापित किये जावगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में सभी भण्डारागारों की कुल

संग्रह क्षमता 70,551 मीट्रिक टन थीं। 30 जून, 1971 के अन्त तक यह बढ़कर 4.51 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक हो गई है। हाल के वर्षों में निगम की यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। उपयोगिता का प्रतिशत 96 से अधिक है।

5. निगम द्वारा वसूल की गयी संग्रह शुल्क (Storage charge) की धनराशि हर वर्ष बढ़ती जा रही है। वर्ष 1969-70 के दौरान भण्डारगारों द्वारा काफी परिमाण में रखी गयी वस्तुओं के कारण संग्रह शुल्क की धनराशि 52.67 लाख रुपये तक पहुंच गयी तथा वर्ष 1970-71 के दौरान यह आय 91.51 लाख रुपये से अधिक हुई। वर्ष 1971-72 के दौरान आय में और वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 1968-69 के दौरान निगम को 4 लाख रुपये का लाभ हुआ था जो वर्ष 1969-70 के दौरान बढ़कर 21.91 लाख रुपये हो गया। उम्मीद है कि वर्ष 1970-71 में लगभग 40 लाख रुपये का लाभ होगा तथा चालू वर्ष के लाभ में और वृद्धि होने की संभावना है।

6. अक्तूबर, 1971 के अन्त तक निगम, समस्त उत्तर प्रदेश में 35 भण्डारागारों तथा 37 उप-भण्डारागारों को चला रहा था। मंडियों की क्षमता का अनुमान लगाने के पश्चात् और अधिक संग्रहागारों की व्यवस्था की जायगी। कृषकों तथा सहकारी समितियों की संख्या जिन्हें संग्रहागारों की सुविधा का लाभ हो रही है, 35 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

कृषि विभाग की स्कीमें

7. वार्षिक योजना 1971-72 के केन्द्रीय कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर कृषि विभाग की क्रय-विक्रय संबंधी स्कीमों को भण्डारागार क्षेत्र में संक्रमित कर दिया गया है। संग्रहागार क्षेत्र के अन्तर्गत इस समय कृषि विभाग की चार स्कीमें हैं। इनमें से जो दो स्कीमें 1969-70 से चल रही हैं वे इस प्रकार हैं--(1) बाजारों का विनियमन तथा (2) क्रय-विक्रय के विनियमन हेतु कृषि क्रय-विक्रय अनुभाग को सुदृढ़ बनाना। शेष दो स्कीमों को अर्थात् (1) बाजार संबंधी अधिसूचना, वर्गीकरण, प्रसार तथा शोध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा (2) कृषि संबंधी सूचनाओं के प्रसार के साधन के रूप में विनियमित मंडी-उपयोग विषयक स्कीमों को वर्ष 1971-72 से योजना में शामिल कर लिया गया है।

8. बाजारों के विनियमन की स्कीम के अधीन, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अधीन 250 मुख्य जमघाट वाले बाजारों (Assemblies markets) को विनियमित करने के लिये चुना गया था। इनके अतिरिक्त इतने ही छोटे बाजार हैं जिनको उप बाजार यार्डों (सब मार्केट यार्ड) के रूप में उक्त विनियम की सीमा के अन्तर्गत लाया जा रहा है। अब तक 84 बाजार विनियमित किये जा चुके हैं। शेष 166 बाजारों को 1971-72 के दौरान विनियमित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

9. अब तक, 25 वाणिज्यिक वर्गीकरण इकाइयों (कामर्शियल ग्रेडिंग यूनिट) तथा 5 पर्यवेक्षण वर्गीकरण केन्द्रों को राज्य के उन बाजारों में स्थापित कर दिया है जो आत्मनिर्भर हैं। चौथी योजना के दौरान यह प्रस्तावित है कि 3 अतिरिक्त वर्गीकरण इकाइयां शेष आत्मनिर्भर बाजारों में स्थापित की जायंगी जिनमें 23 को वर्ष 1971-72 में, 5 को वर्ष 1972-73 में तथा 2 को वर्ष 1973-74 में स्थापित किया जायगा।

10. बाजारों के विनियमन हेतु कृषि संबंधी क्रय-विक्रय अनुभाग को सुदृढ़ बनाने की स्कीम के अन्तर्गत जूट उत्पादकों को उनकी उपज क्रय-विक्रय के संबंध में लाभ पहुंचाने के हेतु, लखीमपुर खीरी में एक जूट वर्गीकरण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सामान्यतः पर्वतीय फलों तथा विशेषतः, सेवों के लिये भुवाली (रामगढ़) (नैनीताल) में एक वर्गीकरण केन्द्र की स्थापना की गई है। "एगमार्क" के अधीन आमों का वर्गीकरण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 10 आलू वर्गीकरण केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं। राज्य में वर्ष 1970-71 के दौरान पहली बार 'एगमार्क' के आधीन आलू के बीज के वर्गीकरण का कार्य शुरू किया गया।

11. 1971–72 के दौरान एक 'सेल' की स्थापना की जा रही है जो क्रय-विक्रय संबंधी प्रविधियों के ज्ञान का ऐसी सभी एजेन्सियों में प्रचार करेगा, जो उत्पादन स्थल (फार्म) से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादन को पहुंचाने में लगी हुई हैं।

12. अधीनस्थ कृषि सेवा के सदस्य को भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्य-क्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप एक सदस्य को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण हेतु नागपुर भेजा जाता है। अधीनस्थ कृषि सेवा (ग्रुप 1, 2 तथा 3) के सदस्य को दस-दस के समूह में बाजार सेक्रेटरीज के चार माह के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिक्ति कर्मचारियों को भी ग्रेडरों (वर्ग निर्धारकों) असैसरों (मूल्यांकन कर्त्ताओं) तथा पर्यवेक्षकों के तीन माह के पाठ्य-क्रम में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 12,280 तथा 59 है।

13. 1970–71 में, स्वाधिकृत तथा किराये के भण्डारागारों की कुल संग्रह क्षमता खाद्यान्नों उर्वरकों तथा चीनी के मामले में क्रमशः 13.847 लाख मीट्रिक टन, 7.205 लाख मीट्रिक टन तथा 11.00 लाख मीट्रिक टन थी। 1973–74 के अन्त में उपर्युक्त पदार्थों के सम्बन्ध में यह संग्रह क्षमता क्रमशः 16.997 लाख मीट्रिक टन 8.565 लाख मीट्रिक टन तथा 11.00 लाख मीट्रिक टन हो जाने की संभावना है। वर्ष 1973–74 के अनुमानों में 90,000 टन की वह संग्रह क्षमता भी शामिल है जिसको भारतीय खाद्य निगम ने संग्रहभाण्ड (साइलोज) के रूप में, खुर्जा में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्याशित खाद्य उत्पादन को ध्यान में रखते हुये संभवतः वर्ष 1973–74 के अन्त तक की 16.997 लाख टन की खाद्यान्न संग्रह क्षमता प्राप्त नहीं क्योंकि मौजूदा सुरक्षित स्टाक से खरीद के मौसम के प्रारम्भ में उपलब्ध स्थान की और भी कमी पड़ जायगी। इस प्रकार 1973–74 में प्रत्याशित बचे हुये कृषि पदार्थों का संग्रह सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त संग्रह क्षमता सृजित करने के लिये निजी तथा सहकारी क्षेत्र में अतिरिक्त विनियोजन की आवश्यकता है।

ग्रामीण भण्डारागार कार्यक्रम

14. अब तक भण्डारागार कार्यक्रम राज्य के नागर तथा प्रमुख मंडी केन्द्रों तक ही सीमित रहा है। किन्तु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (नेशनल कोआपरेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन) ने, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रह संबंधी सुविधाओं के विकास की एक स्कीम की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि 12,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की लागत से 50–60 टन की संग्रह क्षमता के छोटे गोदामों के निर्माण हेतु चुनी हुई सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाय। राज्य सरकार के सहकारी विभाग द्वारा इस स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

अनुलग्नक—1 (कृषि)

उत्पादन का लक्ष्य

मद	इकाई	चौथी योजना के आधारिक वर्ष का उत्पादन	1969-70 वास्तविक उपलब्धि	1970-71 वास्तविक उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य	1971-72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य	चौथी योजना का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—खाद्यान्न—	लाख मीट्रिक टन							
(क) चावल	.. ..	28.83	33.31	36.05	38.20	38.81	39.30	43.00
(ख) गेहूं ..	.. ..	63.90	64.21	76.90	70.20	82.10	79.00	83.00
(ग) मक्का ..	.. ..	13.40	11.74	17.96	15.50	10.46	16.00	17.00
(घ) ज्वार ..	.. ..	4.77	4.33	4.86	4.90	2.39	4.95	5.00
(ड) बाजरा	.. ..	6.02	7.41	8.82	5.40	5.28	5.50	6.00
(च) अन्य अनाज	.. ..	16.65	19.83	19.37	21.24	19.58	21.25	23.45
(छ) दालें ..	.. ..	34.43	33.30	30.69	34.56	34.38	35.00	36.55
योग खाद्यान्न ..		168.00	174.13	194.65	190.00	193.00	201.00	214.00
2—वाणिज्यिक तथा रोपावनी फसलें—								
(क) गन्ना (गुड़)	..लाख मीट्रिक टन	51.50	60.68	54.67	64.00	48.61	60.00	65.75
(ख) तिलहन	.. „	17.00	16.45	18.27	18.00	17.47	18.60	19.00
(ग) कपास ..	.. „	55	49	43	65	26	60	95
(घ) जूट .. (180 किलो ग्राम प्रति गांठ)	.. '000 गांठें	190	155	183	213	170	216	220

अनुलग्नक–2 (कृषि)

चुने हुए कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य

मद	इकाई	1968–69 वास्तविक आंकड़े	1969–70 वास्तविक आंकड़े	1970–71 वास्तविक आंकड़े	1971–72 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	चौथी योजना का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र	क्षेत्रफल ,000 हेक्टेयर में							
(क) धान	..	331	561	677	797	850	925	1015
(ख) गेहूं	..	1358	1640	1938	2200	2200	2500	2385
(ग) मक्का	..	85	81	63	30	15	30	40
(घ) ज्वार	..	8	7	1	7	2	2	8
(ड) बाजरा ..	..	10	22	30	26	25	35	24
(क) से (ड०) तक का योग	..	1792	2311	2709	3060	3092	3492	3472
2—कई फसलें बोना (अतिरिक्त)	..	213	447	354	354	354	354	1770

(क) नाइट्रोजन (एन) ..	..	220	306	291	410	350	430	550
(ख) फास्फेटिक (पी 2 ओ 5)	..	77	99	75	140	70	150	220
(ग) पोटास (के 2 ओ)	..	42	55	45	100	50	100	160
(क) से (ग) तक का योग		339	460	411	650	470	680	930
4—जैविक (आर्गेनिक) खाद और हरी खाद—								
(क) शहरी कम्पोस्ट ..	'000 मीट्रिक टन	689	679	712	810	810	880	950
(ख) हरी खाद ..	'000 हेक्टर	566	513	417	971	600	1093	1200
5—पौध संरक्षण—								
(क) बीजोपचार ..	..	1964	1886	2525	3045	3045	3538	4032
(ख) घास पात उन्मूलन ..	..	54	120	146	72	072	084	096
(ग) रोग निरोधी (प्रोफ्लैक्टिक) छिडकाव	..	1221	1566	1926	1957	1957	2275	2592
(घ) चूहा नियंत्रण ..	..	1088	1443	1963	1668	1668	1938	2208
(ङ) महामारी रोकथाम ..	..	343	488	545	508	508	590	672
पौध संरक्षण के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का योग		4670	5503	7105	7250	7250	8425	9600

अनुलग्नक 2 (क्रमश :)

मद	इकाई	1968–69 वास्तविक आंकड़े	1969–70 वास्तविक आंकड़े	1970–71 वास्तविक आंकड़े	1971–72 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	चौथी योजना का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6—प्रमाणित बीज–वितरित मात्रा	'000 मीट्रिक टन							
(क) खाद्यान फसलें ..	„	17.74	38.81	25.99	22.26	34.50	24.10	26.62
(ख) अन्य	„	3.13	6.85	4.59	3.93	6.00	4.28	4.70
(क) से (ख) का योग		20.87	45.66	30.58	26.19	40.00	28.36	31.32
7—कृषि मशीनरी तथा उपकरण (वर्ष में वितरित)								
(क) ट्रैक्टर ..	„	353	1333	781	25,000	785	30,000	1,25,000
(ख) शक्ति चालित हल ..	„	..	..	14	..	1	..	..
(ग) थ्रेसर ..	„	..	64	39	240	22	264	979
(घ) बीज एवं उर्वरक ड्रिल ..	„	..	..	3	60	3	66	200
(ङ) स्प्रेयर्स थ्रेशर								
हस्त चालित	„	..	..	9	20	20	25	80

विद्युत चालित ..	,,	,,	..	17	34	34	40	141
(च) पंपसेट.. ..	,,	1130	1242	..	2,300	..	..	6,000
8—कृषि मशीनरी भाड़ा केंद्र (वर्ष के अन्त में क्रियाशील केंद्रों की कुल संख्या)—								
'(क) कृषि उद्योग द्वारा चलाये जाने वाले ..	,,	..	1	5	25	25	1	..
(ख) अन्य द्वारा चलाये जाने वाले	,,	..	..	..	99	99	40	23
योग (क) और (ख)	,,	..	1	5	124	124	41	23
1—लघु सिंचाई (1) क्षेत्र	'000 हेक्टेयर (अतिरिक्त कुल)							
(क) राजकीय निर्माण-कार्यों द्वारा	,,	51	100	94	141	138	135	555
(ख) निजी निर्माण कार्यों द्वारा	,,	376	358	393	335	333	316	1424
योग (क) और (ख)		427	458	487	476	471	451	1979

अनुलग्नक—2 (समाप्त)

मद	इकाई	1968–69 वास्तविक आंकड़े	1969–70 वास्तविक आंकड़े	1970–71 वास्तविक आंकड़े	1971–72 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	चौथी योजना का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2) संख्या	'000 में संख्या							
(क) खोदे हुए कुएं ..	"	49	46	33	45	35	35	225
(ख) खोदे हुए कुंओं में बोरिंग आदि का सुधार ..	"	43	37	26	45	35	35	300
(ग) डिजल पंपसेट ..	"	34	27	26	30	30	30	155
(घ) विद्युत पंपसेट ..	"	38	45	53	45	47	47	200
(ङ) नलकूप ..	"	38	45	53	45	47	47	200
10—भू-संरक्षण ..								
(क) कृषि योग्य भूमि ..	हजार हेक्टेयर	146	238	242	225	225	228	1080
(ख) जलागम क्षेत्र या नदी घाटी परियोजनायें ..	"	4.4	3.1	2.9	3.3	3.3	3.3	13.4

11—भूमि पुर्नवापण ..	”	..	..	..	..	..	..	..
12—चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र ..	”	88.96	93.47	97.85	104.67	104.65	110.65	115.26
13—वर्ष के अन्त में नियंत्रित बाजार उप-बाजार ..	संख्या	58	79	171	..	..	..	250
14—वर्ष के अन्त में श्रेणियों (ग्रेडिंग) इकाइयां ..	”	20	20	23	28	28	30	30

अनुलग्नक–3 (कृषि)

वित्तीय परिव्यय का शीर्षक के अनुसार/उपशीर्षक के अनुसार विभाजन

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या		1969–74 चौथी योजना का परिव्यय	1967–70 वास्तविक आंकड़े	1970–71 वास्तविक आंकड़े	1971–72 अनुमोदित परिव्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 परिव्यय कुल	1972–73 परिव्यय पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—कृषि शोध और शिक्षा—								
	(1) कृषि शोध ..	139	9	25	32	33	42	4
	(2) कृषि शिक्षा ..	279	52	46	76	86	81	47
2—कृषि उत्पादन—								
	(1) प्रसार प्रशिक्षण और कृषकशिक्षा	219	33	44	46	46	46	1
	(2) उन्नत बीज ..	261	32	88	68	76	69	27
	(3) उर्वरक और खाद ..	721	156	62	79	73	83	62
	(4) पौध संरक्षण ..	707	103	68	103	89	63	..
	(5) कृषि उपकरण और मशीनरी (कृषि उद्योग निगम सहित) ..	271	20	27	85	136	35	14
	(6) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम और कई फसलें बोना	298	8	10	18	16	22	1

(7) वाणिज्यिक फसलें ..	418	54	49	78	72	71	20
(8) औद्यानिकी ..	183	28	56	71	61	87	28
(9) कृषि साख्यिकी ..	9	..	..	..	..	2	..
(10) कृषि प्रशासन ..	..	..	2	28	23	18	4
(11) बागनी खेती ..	..	..	..	..	..	..	..
(12) ऊसर क्षेत्र ..	..	..	..	..	..	..	..
(13) भूमि पुनर्वापण ..	..	..	..	..	..	..	..
(14) प्रकीर्ण ..	130	2	8	26	11	7	8
3—छोटे कृषक और कृषि श्रमिक ..	100	..	..	..	..	..	..
4—भूमिसुधार (जोतों की चकबन्दी सहित)	2,000	405	416	415	440	424	..
5—लघु सिंचाई ..	9,600	2,075	2,188	2130	2,190	2048	1927
6—भू-संरक्षण ..	2,140	357	387	432	438	422	..
7—क्षेत्रीय विकास ..	..	..	35	115	115	..	..
8—कृषि विपणन स्टोरेज और भांडागार—							
(1) कृषि विपणन.. ..	75	6	15	19	21	22	2
(2) स्टोरेज और गोदाम ..	30	..	8	7	7	7	..
योग—कृषि ..	17,580	3,340	3,534	3,828	3,933	3549	2145

परिशिष्ट —

परियोजना वार

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग : 1.1. कृषि उत्पादन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(1) उन्नत बीज कार्यक्रम			
	कृषि विभाग—			
110101	उन्नत बीजों के वर्द्धन, संग्रहण और वितरण के योजना का सुदृढ़ीकरण	236.58	32.46	..
110102	बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	17.78	1.50	..
110103	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में हाईब्रिड एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन ..	7.08	..	..
110104	सीड ऐक्ट, 1966 का क्रियान्वयन ..	..	..	..
110105	पर्वतीय जिलों में बीज वर्द्धन फार्म की स्थापना	..	..	..
	नई योजनायें :			
	विवेकानन्द प्रयोगशाला अल्मोड़ा में शोधकार्यों के मूल्याकन के पश्चात् कृषकों के आधुनिक प्रविधियों तथा उन्नत किस्म के बीज के प्रयोग में प्रशिक्षण देना	..	..	..
	जिला कृषि अधिकारियों के लिए ट्रेलर सहित जीप की व्यवस्था ..	..	..	..
	योग (1)	261.44	33.96	..

4

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
30.35	83.80	64.03	73.96	62.01	22.09	..
..	1.82	0.23	0.23	0.25	..	..
1.40	1.07	0.77	0.77	0.72	..	..
..	1.25	1.26	1.26	0.01	..	..
..	..	1.85	..	5.83	4.52	..
..	..	..	..	0.62	..	..
..	..	..	..	0.001	..	..
31.75	87.94	68.14	76.22	69.44	26.61	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1 कृषि उत्पादन— (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(2) उर्वरक तथा खाद			
	कृषि विभाग—			
110201	राज्य के पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों में उर्वरकों के यातायात पर राज सहायता	15.00	..	..
110202	कृषि सम्पूर्ति संगठन का सुदृढ़ीकरण—गोदामों का निर्माण ..	400.88	258.50	..
110203	उर्वरकों के अधिग्रहण, संग्रहण एवं वितरण की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	0.01	..
110204	उर्वरक नियन्त्रण आदेश, को लागू करने की योजना ..	5.21	..	..
110205	पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि सम्पूर्ति कार्यक्रम का विस्तार तथा कृषि सम्पूर्ति संगठन का सुदृढ़ीकरण	..	..	..
110206	सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	..	..	..
110207	उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के लिए गोदामों का निर्माण :—			
	(क) पिछड़े और अगम्य क्षेत्रों में	..	..	..
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में ..	..	..	..
110208	मिट्टी पर परीक्षण तथा जोनल फील्ड परीक्षण का एकीकृत कार्यक्रम ..	..	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72			1972-73 परिव्यय	
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
3.01	3.00	3.00	3.00	3.00	..	..
122.99	27.19	2.30	2.30	1.50	0.75	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
स्कीम त्याग दी गई						
..	..	6.86	6.86	8.95	..	..
..	..	13.65	8.42	8.42	8.42	..
..	..	1.00	0.91	13.14	13.14	..
..	..	2.48	1.60	3.77	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	नई परियोजनाएं—			
	कृषि निदेशालय के उर्वरक एवं खाद सेक्शन के उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला का विस्तार ..	..	..	..
	गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मिट्टी परीक्षण एवं कृषि प्रदर्शन प्रयोगशाला की स्थापना तथा वर्तमान राजकीय प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान करना ..	..	..	..
	उर्वरक नियन्त्रण आदेश के क्रियान्वयन हेतु संस्थापन	..	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	421.10	258.51	..
	स्वायत्त शासन विभाग—			
110220	मलोपयोग सम्बन्धी योजना ..	300.00	300.00	5.00
	योग (2).. ..	721.00	558.51	5.00
	(3) पौध सुरक्षा			
	कृषि विभाग—			
110301	पहाड़ी क्षेत्रों में कुरमुला कीट का नियन्त्रण ..	39.60	..	..
110302	पौध सुरक्षा सेवा का विस्तार ..	667.60	..	..
110303	छोटे किसानों को एग्रो केमिकल क्रियाओं द्वारा इन्डेमिक क्षेत्रों में फसलों के रोगों तथा कीटाणुओं को नष्ट करने के योग्य बनाना ..	..	..	..
	योग 3 ..	707.20	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	1.25	..	..
..	..	..	..	2.64	..	..
..	..	..	..	0.50	..	..
126.00	30.19	29.29	23.09	43.17	22.31	..
30.00	32.00	50.00	50.00	40.00	40.00	1.00
156.00	62.19	79.29	73.09	83.17	62.31	1.00
2.58	..	0.001	..	0.001	..	..
100.73	68.46	97.95	89.52	62.84	..	..
..	..	4.90	0.001	0.001	..	..
103.31	68.46	102.85	89.52	62.84	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदे मु
1	2	3	4	5
	4—कृषि उपकरण—			
	कृषि विभाग—			
110401	चार पूर्वी जिलों में कृषि कर्मशालाओं का विस्तार	19.13	1.25	..
110402	उन्नत कृषि उपकरणों के प्रदर्शन, विक्रय तथा उनको लोकप्रिय बनाने की योजना का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि विभागों में कृषिकों को उपकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए सेल की स्थापना ..	7.28	..	..
110403	नये कृषि यन्त्रों तथा मशीनरी के डिजाइनिंग हेतु पुरस्कार ..	2.00	..	..
110404	उन्नत कृषि यन्त्रों को लोकप्रिय बनाने की योजना	75.00	75.00	..
110405	कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना ..	..	..	..
	नयी योजनायें—			
	कृषि उद्योग सेल की स्थापना ..	..	..	..
	मेन्टेनेंस प्रभाग की स्थापना ..	..	..	..
	योग ..	103 41	76 25	..
	(5) वाणिज्यिक फसलें तथा औद्यानिकी			
	(क) वाणिज्यिक फसलें			
	कृषि विभाग—			
110501	जूट की फसलों में छिड़काव के लिये यूरिया दिये जाने की योजना ..	2.05	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परि-व्यय)	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	4.95	4.03	4.73	0.70	..
..	..	स्कीम त्याग दी गई				
..	..	तदैव				
19.62	17.88	35.00	100.00	10.00	10.00	..
..	..	44.73	32.00	20.00	3.20	..
..	..	..	..	0.10	..	..
..	..	..	..	0.001	..	..
19.62	17.38	84.68	136.03	34.83	13.90	..
..	0.06	0.44	स्कीम त्याग दी गई			

मद—1. कृषि कार्य-क्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
110503	सीतापुर लखीमपुर–खीरी और बहराइच में जूट की सघन खेती ..	9.28	..	..
110508	जूट सम्बन्धी विशेष "पैकेज" कार्यक्रम	0.54	..	..
110509	जूट की फसल पर यूरिया एवं कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव	0.92	..	..
110510	जूट एवं मेस्ता के किस्म का सुधार ..	1.01	..	..
110511	जूट के उन्नतशील बीजों का कम दर पर वितरण	2.31	..	..
110512	ब्रूड लाख फार्मों तथा प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना	1.36	..	..
110513	जूट कृषकों को ऋण ..	..	..	..
110514	तम्बाकू विकास	..	..	..
110515	सोयाबीन की खेती का विकास तथा विख्यापन ..	..	..	..
110516	उ० प्र० के उत्तरी–पूर्वी भाग में तम्बाकू विकास	..	..	..
	नई परियोजनायें—			
	मशरुम का विकास ..	..	..	..
	गैर-फैक्टरी क्षेत्रों में गन्ना विकास ..	..	..	..
	सूर्यमुखी का सघन विकास ..	..	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	17.47	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
1.14	1.20	1.67	1.27	1.39	..	..
	स्कीम त्याग दी गई					
		तदेव	..	..	..	..
		तदेव	..	..	..	..
		तदेव	..	..	..	..
0.11	0.17	0.69	0.23	0.27	..	..
..	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	..
..	..	0.98	0.51	0.67	..	..
..	..	4.07	..	3.23	..	..
..	..	..	0.24	2.49	1.00	..
..	..	..	..	0.001	..	..
..	..	..	..	0.001	..	..
..	..	..	..	1.25	..	..
1.25	3.43	9.85	4.25	11.30	3.00	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(ख) हार्टीकल्चर			
	कृषि विभाग—			
110502	पर्वतीय जिलों में आलू विकास कार्य का सघनीकरण	1.21	..	..
110504	औद्योनिक विकास कार्यक्रम का सघनीकरण	36.40	10.95	..
110505	शाक-भाजी के उत्पादन का सघनीकरण एव सब्जी बीज उत्पादन ..	16.64	1.20	..
110506	देहरादून के चकराता तहसील के जौनसार-बावर के पिछड़े क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास कार्य का सघनीकरण ..	17.71	10.00	..
110507	आलू विकास के कार्यक्रम का तीव्रतर किया जाना	10.84	..	..
110531	चुने हुए ब्लाकों में संहत औद्यानिक विकास	..	..	..
110532	आगरा में अंगूर की सघन खेती ..	..	..	..
110533	सचल दलों द्वारा बुन्देलखन्ड में औद्यानिकी विकास ..	..	..	..
110534	गुलाब के फूलों का उत्पादन व निर्यात बढ़ाना	..	..	..
110535	अंगूर सुखाकर किशमिश बनाने की अग्रगामी योजना	..	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परि-व्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.16	5.52	8.34	3.64	7.44	2.00	..
4.78	7.19	6.98	8.80	8.28	3.82	..
0.49	1.95	3.37	3.37	2.76	0.40	..
1.43	3.23	3.87	1.87	4.26	2.00	..
0.16	4.77	1.78	1.66	3.14	..	..
..	4.08	9.82	4.66	5.04	2.20	..
..	..	0.08	0.07	0.11	..	..
..	..	0.47	0.42	0.23	..	..
..	..	1.27	1.22	0.43	..	..
..	..	..	0.14	0.08	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	नई परियोजनायें—			
	औद्यानिक सेट-अप का पुनः संगठन ..	..	..	..
	कृषि पुर्नवित निगम द्वारा औद्यानिकी विकास के लिए सहायता (राज्य अंश)	..	..	..
	मथुरा के ऊसर भूमि में वृक्षारोपण ..	..	..	..
	वाराणसी और गोरखपुर मण्डलों में सचल दलों द्वारा औद्यानिकी विकास	..	..	..
	मसाले तथा औषधियों का विकास ..	..	..	..
	आलू विकास निगम की स्थापना ..	..	..	..
	योग (1). . . .	82.80	22.15	..
	फलोपयोग—			
110541	प्रजनि फलोद्यानों की स्थापना ..	16.38	2.85	..
110542	औद्यानिक प्रसार एवं पौध संरक्षण सेवा का सुदृढ़ीकरण ..	8.54	..	..
110543	फल-पट्टियों तथा उद्यान उपनिवेशों की स्थापना एवं फलोत्पादकों को दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण का संवितरण	53.60	48.90	..
110544	कीटनाशक औषधियों, फल के पौधों तथा सब्जी बीजों का कम मूल्य पर वितरण	3.10	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	0.66	..	..
..	..	..	..	11.52	4.78	..
..	..	..	..	2.50	1.00	..
..	..	..	..	0.57	..	..
..	..	..	..	3.00	1.00	..
..	..	..	..	0.10	..	..
7.02	26.74	35.98	25.85	50.12	17.20	..
0.75	2.63	3.88	4.03	4.03	0.15	..
2.31	2.11	1.90	1.85	3.49	0.15	..
14.07	14.96	10.47	10.47	10.45	7.75	..
..	1.72	0.79	0.78	0.79	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन--(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
110545	पर्वतीय फलों एवं सब्जी पर अनुसन्धान कार्य का सघनीकरण ..	2.10	0.60	..
110546	फल संरक्षण एवं डिब्बाबन्दी संस्थान, लखनऊ में शोध कार्य का सघनीकरण	9.40	2.80	..
110547	भवन निर्माण	2.96	2.96	..
110548	अतिरिक्त सामुदायिक डिब्बाबन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ..	3.92	..	..
110549	*भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में, सेब, आड़ू आदि पर समन्वित योजना	..	..	..
110550	फलों के विपरण एवं निर्यात प्रोन्नति की योजना	0.001	..	..
110551	खाद्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	..
110552	शाक-सब्जी पर शोध तथा परीक्षण प्रयोगशाला एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र की स्थापना	..	..	..
110553	घाटी फल शोध योजना ..	..	..	..
110554	फलोशोध केन्द्र, चौबटिया में केशर, अदरख तथा मसालों पर शोध तथा पर्वतीय क्षेत्र में इनकी खेती ..	..	..	..

*भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से वित्त पोषित।

(लाख रुपयों में)

तविक व्यय		1971-72		1972-73 (परिव्यय)		
69-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.59	0.55	0.31	0.81	0.36	0.03	..
0.70	1.49	1.39	1.12	1.50	..	..
1.05	0.22	0.50	..	..	..	..
1.05	0.88	2.61	2.60	3.47	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.47	0.69	0.55	0.46	..	..
0.14	..	0.91	0.91	0.001	0.001	..
..	0.53	3.53	3.41	3.85	2.00	..
..	1.87	1.53	1.36	1.72	..	..
..	0.21	0.19	0.19	0.21	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी
1	2	3	4	5
110555	औद्यानिकी प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं विख्यापन	..	..	
110556	फलोपयोग निदेशालय का सुदढ़ीकरण	..	..	
110557	विषाणुयुक्त फलवृक्षों का प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं पंजीकरण ..	..	..	
110558	आदर्श उद्यान चौबटियों के लिए भूमि क्रय	..	..	
110559	राजकीय उद्यान दूनागिरी में कार्यालय भवन व फल गोदाम का निर्माण	..	..	
110560	अल्मोड़ा व टेहरी गढ़वाल में फल उत्पादकों में वितरण हेतु आदर्श उद्यानों की स्थापना	..	..	
110561	चम्बा, मसूरी क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय राजकीय उद्यान की स्थापना ..	..	..	
110562	फार्म आचर्ड तथा नर्सरीज का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	
110563	राजकीय फार्म सियानों में आवासीय भवनों का निर्माण ..	..	..	
110564	गढ़वाल और कुमायूं प्रभागों में मशरूम का उत्पादन	..	..	
110565	कुमायूं और गढ़वाल प्रभागों में सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	..	..	
110566	इन्डोजर्मन प्रोजेक्ट अल्मोड़ा में औद्यानिक विकास ..	..	..	

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
.	0.53	0.94	0.94	1.21	0.25	..
..	..	0.09	..	0.001	0.001	..
.	..	0.15	..	..	..	..
.	0.61	..	..	..	..	..
.	..	..	0.15	0.61	0.61	..
.	..	3.40	3.40	1.05	..	..
..	..	0.60	0.61	1.22	..	..
..	..	0.27	0.18	0.42	0.12	..
..	..	0.05	0.05	0.22	0.22	..
..	..	..	0.25	1.01	..	..
..	..	..	0.35	0.93	..	..
..	..	0.80	0.64	0.001	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	नई परियोजनायें—			
	गोदाम तथा ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना	..	..	..
	टेहरी गढ़वाल में पौध सुरक्षा यूनिट की स्थापना	..	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए एकमुश्त धनराशि ..	..	..	..
	योग फलोपयोग ..	100.00	58.11	..
	(ग) वाणिज्यिक फसलें—			
	गन्ना विभाग—			
110571	गन्ने का सघन उत्पादन ..	69.00	..	..
110572	खाद की सुविधाओं का तीव्रतर किया जाना ..	14.14	..	..
110573	बीजों का बदलना तथा बीज-नर्सरियों की स्थापना ..	31.84	..	..
110574	गन्ना के पौधों की सुरक्षा कार्यक्रम का सघनीकरण ..	77.00	..	..
110575	नये चीनी मिल क्षेत्रों में विकास कार्य ..	15.02	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	0.001	..	..
..	..	..	..	0.001	..	..
..	..	..	0.35	..	..	..
20.66	28.78	35.00	35.00	37.00	11.28	..
12.22	13.31	15.66	15.66	16.00	..	..
2.77	1.71	2.62	2.62	2.75	..	..
1.26	0.50	3.00	3.00	2.00	..	..
10.62	11.22	11.66	11.66	14.00	..	..
1.63	3.78	6.00	6.00	7.00	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना		चौथी योजना परिव्यय 1969–74	
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
110576	गन्ना-प्रतियोगिता	5.00	..	..
110577	गन्ना उत्पादन कार्यक्रम एवं उसके प्रभाव का अध्ययन ..	4.40	..	..
110578	सड़क निर्माण (स्पिल ओवर) ..	72.00	72.00	..
110579	सड़क निर्माण (नवीन) ..	90.00	90.00	..
110580	'इपीडेमिक' नियंत्रण ..	21.60	21.60	..
110581	इन्डेमिक क्षेत्रों में ग्रासहापर्स का नियंत्रण	..	..	..
110582	सरकारी कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में वृद्धि के लिये एकमुश्त प्राविधान	..	..	..
	योग, गन्ना विभाग ..	400.00	183.60	..
	योग, वाणिज्यिक फसलें ..	417.47	183.60	..
	योग, हार्टीकल्चर ..	182.80	80.26	..
	योग (5) ..	600.27	263.86	..

(6) कृषि शिक्षा }
(7) कृषि शोध } इन कार्यक्रमों के लिए एक अलग सेक्टर "1.5 कृषि शोध व शिक्षा" खोल दिया गया है।

(लाख रुपयों में)

स्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
969–70	1970–71	स्वीकृत परि-व्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	1.25	..	..	..	..
..	0.02	0.68	0.64	0.93	..	..
9.47	9.50	14.45	9.58	7.32	7.32	..
2.16	5.57	9.38	15.93	10.00	10.00	..
12.62	..	3.30	..	..	..	.
..	..	..	1.50	..	..	..
..	..	..	1.00	..	..	..
52.75	45.61	68.00	67.59	60.00	17.32	..
54.00	49.04	77.85	71.84	71.30	20.32	..
27.68	55.52	70.98	60.85	87.12	28.48	..
81.68	104.56	148.83	132.69	158.42	48.80	..

मद--1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.1. कृषि उत्पादन --(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(8) प्रसार प्रशिक्षण एवं कृषक शिक्षा			
	कृषि विभाग--			
110801	तीन कृषि स्कूलों में 'एक्सटेंशन विंग्स' की स्थापना	13.15	..	..
110802	मालियों के प्रशिक्षण की योजना के सम्बन्ध में भवन निर्माण ..	..	..	..
	नयी परियोजना			
	मालियों का प्रशिक्षण	..	..	..
	योग, कृषि विभाग	13.15	..	..
	विकास अन्वेषणालय--			
110811	कृषि प्रक्षेत्र प्रबन्ध तथा कृषि प्रशिक्षण, जिसमें फूलपुर में एक प्रशिक्षण प्रक्षेत्र की स्थापना भी सम्मिलित है, के कार्यक्रम	5.65	..	..
	सामुदायिक विकास विभाग----			
110815	प्रक्षेत्र मैकेनिकों के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों पर क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण	80.00	5.00	..
110816	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रोन्नति	36.00	..	..
110817	किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा .. (सात दिनों का प्रशिक्षण)	12.00	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
1.08	0.79	1.76	1.73	1.78	..	..
0.10	0.01	..	..	..	..	..
..	..	..	..	0.10	..	..
1.18	0.80	1.76	1.76	1.88	..	..
1.21	0.84	1.14	1.14	1.25	..	..
10.99	14.82	14.50	14.00	14.50	1.00	..
5.99	6.42	7.50	7.00	7.00	..	..
	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित सेक्टर को स्थानान्तरित।					

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
110818	ग्रामसेवकों के लिये ट्रेनिंग रिजर्व ..	72.00	..	..
110819	पीपुल्स कालज हल्द्वानी की स्थापना ..	..	..	..
	योग, सामुदायिक विकास विभाग ..	200.00	5.00	..
	योग, (8) ..	218.80	5.00	
	(9) कृषि सांख्यिकी—			
	कृषि विभाग—			
110901	पर्वतीय क्षेत्र के 'नान-रिपोर्टिंग' क्षेत्र में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन का अनुमान ..	8.55	..	.
110902	आलू के फसल का औसत उपज तथा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये रैंडम सर्वेक्षण	..	..	..
110903	खण्ड स्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाना	..	..	..
110904	कृषि फसलों के उत्पादन का कटाई के पूर्व अनुमान लगाना ..	..	..	..
	नई योजनायें—			
	कृषि निदेशालय के मुख्यालय पर आपरेशनल सांख्यिकी शोध यूनिट की स्थापना	..	..	..
	उ० प्र० में प्रमुख फसलों के उत्पादन में लागत का अध्ययन ..	..	..	..
	कृषि निदेशालय के सांख्यिकी प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	..	..	..
	योग (9) ..	8.55	..	

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
14.06	20.66	21.00	21.00	20.00	..	..
..	..	..	1.17	1.50	..	..
31.04	41.90	43.00	43.17	43.00	1.00	..
33.43	43.54	45.90	46.07	46.13	1.00	..
..	स्कीम त्याग दी गई		..	..	..	..
..	..	तदेव		..	..	..
..	..	तदेव	..	..	..	..
..	..	तदेव	..	..	..	..
..	..	..	..	0.16	..	..
..	..	..	..	0.89	..	..
..	..	..	..	0.76	..	..
..	..	..	..	1.81	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदे: मुद्रा
1	2	3	4	5
	(10) सघन कृषि कार्यक्रम			
	कृषि विभाग—			
111001	उत्तर प्रदेश में मिट्टी परीक्षण सुविधा का विस्तार ..	82.77	..	.
111002	अधिक उत्पादन वाली किस्मों तथा बहुमुखी (मल्टीपुल) कृषि का कार्यक्रम	184.87	..	..
111003	बहुमुखी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अल्मोड़ा में सघन कृषि विकास ..	30.85	..	.
111004	सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन कृषि क्षेत्रों में गोदाम का निर्माण..	0.001	..	.
111005	कृषि के एरिया प्रोग्राम जिलों में प्रचार	..	..	..
111006	'ओयस्का' इन्टर नेशनल जापान के सहयोग से सघन कृषि का मशीनीकरण तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना ..	..	..	..
	नई परियोजनाए—			
	बाढ़ पीड़ित जिलों में डी० आई० ए० आर० ए० के प्रदर्शन की अग्रगामी योजना	..	..	..
	दालों की सघन खेती ..	..	..	..
	योग (10) ..	298.49	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
8.14	9.59	13.52	13.57	14.78	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	4.81	2.11	2.57	..	..
..	..	..	..	1.76	0.75	..
	..	..	..	3.00	..	..
8.14	9.59	18.33	15.68	22.11	0.75	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(11) भूमि सुधार—			
111101	खेरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत सारदा ब्रिज की डेकिंग तथा भवन निर्माण	..	..	.
	(12) जोतों की चकबन्दी—			
	राजस्व विभाग—			
111201	जोतों की चकबन्दी ..	2000.00	..	.
	(13) एग्रो इन्डस्ट्रीज एवं विविध—			
	(क) एग्रो इंडस्ट्रीज—			
	कृषि विभाग			
111301	उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना	167.79	167.79	..
	(ख) अन्य :			
111302	बाजारों का विनियमन ..	..	..	.
111303	बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपणन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	.
111304	मधुमक्खी पालन परियोजना का सुदृढ़ीकरण	2.27	..	.
111305	बंजर भूमि का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण	5.94	..	.
111306	सार्वजनिक क्षेत्र में शीत गृहों का निर्माण	60.00	..	.

(लाख संपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	..	..	..
404.80	416.52	415.00	440.00	423.75	..	..
..	10.00	..	..	..	..	..

सेक्टर "2.5 वेयर हाउसिंग" को स्थानान्तरित

0.16	0.41	0.57	0.21	0.23	..	..
0.41	..	..	स्कीम त्याग दी गई			
0.93	4.78	8.00	8.00	3.00	3.00	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
111307	नई स्कीमों के लिये तदर्थ प्राविधान ..	61.89	..	..
111308	क्षेत्रीय उपनिदेशकों के कार्यालय एवं निवास के लिये भवनों का निर्माण ..	..	..	..
111309	कृषि निदेशालय की दक्षता बढ़ाने हेतु स्कीम	..	..	..
111310	कृषि निदेशालय में आडिट सेल की स्थापना	..	..	..
111311	कृषि सूचना ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण द्वारा राज्य के लाखों कृषकों तक उन्नत कृषि का संदेश पहुंचाना ..	..	..	..
111312	गढ़वाल में उप निदेशक कृषि के कार्यालय की स्थापना ..	..	..	..
	नई योजनायें—			
	कृषि भवन का विस्तार ..	..	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता के लिये प्राविधान ..	..	..	..
	निर्माण कार्यों पर प्रतिष्ठान व्यय, उपकरण एवं संयंत्र ..	..	..	..
	योग, (ख) ..	130.10	..	..
	योग (13) ..	297.89	167.79	..
(15)	क्षेत्रीय विकास निगम—			
111501	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल विकास निगमों में पूंजी विनियोजन ..	..	..	..
	योग, 1.1 कृषि उत्पादन ..	5217.15	1105.37	5.00

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	15.19	..	..	..	..
		स्कीम त्याग दी गई				
..	..	3.61	3.59	6.04	5.84	..
..	1.05	6.42	4.06	5.52	..	..
..	1.32	10.65	10.66	4.71	..	..
..	..	2.91	1.26	1.75	..	..
..	..	..	..	1.00	1.00	..
..	..	4.16	3.50	..	..	..
	2.64	2.25	2.34	2.25	2.25	..
1.50	10.20	53.76	33.62	24.50	12.09	..
1.50	20.20	53.76	33.62	24.50	12.09	..
..	35.00	115.00	115.00	..	..	..
840.23	865.38	1131.78	1157.92	927.00	165.46	1.00

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1-1.2. लघु सिंचाई

संकेत संख्या	परियोजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(1) निजी लघु सिंचाई—			
120101	ऋण— (1) पक्के कुंए (2) कुओं में बोरिंग (3) कुओं को गहरा करना (4) रहट (5) पम्प सेट (6) निजी नलकूप (7) निजी बंधियां (8) पहाड़ों में गूल और तालाब	2000.00	2000.00	..
120102	अनुदान	750.00	..	.
120103	अधिष्ठान, उपकरण और संयंत्र तथा उचन्त	666.00	..	.
120104	गोदामों का निर्माण ..	3.00	3.00	..
120105	जल उपयोग तथा लघु सिंचाई के परीक्षण की योजना ..	6.00	..	..
120106	पूंजी विनियोजन—			
	(1) भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों में	1425.00	1425.00	..
	(2) कृषि पुनर्वित निकम के ऋण पत्रों में	600.00	600.00	..
	(3) कृषि उद्योग निगम के शेयर पूंजी में	150.00	150.00	..
	योग, (1) निजी लघु सिंचाई ..	5600.00	4178.00	..
	राज्य सिंचाई			
	(2) नलकूप कार्यक्रम—			
120201	(i) 1.5, 3.0 तथा 5.0 क्यूसेक नलकूपों का निर्माण ..	2208.00	2208.00	95.00
	(ii) नलकूपों पर सर्विस मार्गों का निर्माण	..	..	..

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
53.87	181.16	105.00	118.43	45.30	45.30	..
114.84	48.15	33.20	25.30	20.00	..	..
113.85	81.73	115.00	94.00	100.00	..	..
0.37	0.65	0.50	0.50	0.50	0.50	..
1.09	0.88	1.30	1.30	1.20	..	..
480.00	418.43	500.00	500.00	425.00	425.00	..
..	16.57	80.00	80.00	120.00	120.00	..
30.00	..	..	..	..	..	..
994.02	747.57	835.00	819.53	712.00	590.80	..
703.83	1110.44	870.60	1005.00	1013.40	1013.40	..
6.17	5.00	8.00	8.00	6.00	6.00	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग–1.2. लघु सिंचाई

संकेत संख्या	परियोजनायें		चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
			कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2		3	4	5
120202	पक्की गूलों का निर्माण	..	70.00	70.00	
120203	नलकूपों का आधुनीकरण	..	40.00	40.00	.
120204	ग्राउन्ड वाटर सर्वे ..	..	60.00	60.00	15.0
120205	सिंचाई प्रसार सेवा	..	..	..	.
	योग, (2)	..	2378.00	2378.00	110.0
	(3) डाल सिंचाई परियोजनायें—				
120301	चालू परियोजनायें ..	..	30.00	30.00	..
120302	नई परियोजनायें ..	..	1295.50	1295.50	..
	योग, (3)		1325.50	1325.50	.
	(4) जलोत्सारण प्रसारण—				
120401	चालू परियोजनायें ..	..	6.64	6.64	..
120402	नई परियोजनायें ..	..	50.00	50.00	..
	योग, (4)	..	56.64	56.64	.
	(5) अन्य कार्यक्रम—				
	चालू परियोजनायें—				
120501	रायपुर तालाब प्रणाली के नहरों का पुनर्निर्माण ..	..	0.15	0.15	.
120502	कल्याण सागर से विजय नगर तालाब तक फीडर चैनल का निर्माण ..		0.24	0.24	.
120503	कुलपहाड़ तालाब की क्षमता को बढ़ाना		0.54	0.54	.
120504	पौड़ी-गढ़वाल में पर्वतीय नहरों का पक्का करना ..	..	0.93	0.93	.
130505	गढ़वाल भाभर में राजकीय नहरों का पक्का करना ..	..	1.22	1.22	.
120506	हरियावाला नहर ..	..	1.93	1.93	.

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
4.41	32.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
63.78	50.00	45.00	45.00	35.00	35.00	
10.26	25.89	25.00	25.00	25.00	25.00	
3.60	..	..	..	..	..	..
792.05	1224.33	978.60	1113.00	1109.40	1109.40	..
271.00	178.04	250.00	190.00	150.00	150.00	..
271.00	178.04	250.00	190.00	150.00	150.00	..
6.81	5.81	13.10	10.00	15.00	15.00	..
6.81	5.81	13.10	10.00	15.00	15.00	..
..	0.07	0.48	0.20	..	..	..
..	0.03	0.20	0.20	..	..	..
..	0.03	0.52	0.60	0.10	0.10	..
0.43	..	..	..	..	..	..
0.36	..	..	..	..	..	..
0.02	0.06	1.50	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजनायें	चौथी योजना परिव्यय 1969—74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
120507	पौड़ी-गढ़वाल में 27.36 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ..	13.42	13.42	..
120508	टेहरी-गढ़वाल में 41.84 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ..	18.64	18.64	..
120509	अल्मोड़ा और नैनीताल में 61.15 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण	24.11	24.11	..
	अन्य परियोजनायें	..	..	..
	योग ..	61.18	61.18	..
	नई परियोजनायें			
120510	गोलापार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	8.00	8.00	..
120511	गोलापार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	10.00	10.00	..
120512	दून घाटी में नहरों का पक्का करना ..	31.35	31.35	..
120513	दून घाटी में छोटी नहरों का निर्माण ..	28.33	28.33	..
120514	बाजपुर खंड में छोटी नहरों का निर्माण	3.18	3.18	..
120515	गढ़वाल भाभर में गूलों का पक्का करना	6.54	6.54	..
120516	मोतीपुर सरोवर का पुर्ननिर्माण ..	1.40	1.40	..
120517	गोचई नाला तालाब ..	1.46	1.46	..
120518	बमोरी तालाब	5.50	5.50	..
120519	बन्ट तालाब की क्षमता बढ़ान ..	0.77	0.77	..
120520	बरवार नहर का प्रसार ..	0.45	0.45	..
120521	पर्वतीय क्षेत्र में 64.37 किलोमीटर लम्बी नहरें ..	30.00	30.00	..
120522	लालढोंग सिंचाई परियोजना ..	9.49	9.49	..
120523	चित्तपुर बंधी	7.46	7.46	..
120524	रघुनाथपुर बंधी	8.18	8.18	..
120525	अरोखास बंधी	10.41	10.41	..

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
2.82	1.88	4.00	5.00	1.50	1.50	..
3.41	5.32	5.00	6.00	5.00	5.00	..
4.87	6.00	6.00	7.50	4.00	4.00	..
0.12	..	..	..	..	..	..
12.03	13.39	17.70	19.50	10.60	10.60	
..	..	..	1.00	5.00	5.00	..
..	..	..	1.00	5.00	5.00	..
..	2.00	7.00	7.50	8.20	8.20	..
..	..	3.00	3.00	5.00	5.00	..
..	1.28	0.90	0.90	..	..	..
..	..	..	..	2.00	2.00	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.54	0.50	0.20	0.30	0.30	..
..	0.19	0.36	0.36	..	..	..
..	4.78	5.84	10.00	7.00	7.00	..
..	1.14	3.00	3.00	3.00	3.00	..
..	..	..	..	..	..	..
..	2.80	3.00	3.00	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1·2. लघु सिंचाई—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजनायें		चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
			कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2		3	4	5
120526	बरकचा बंधी ..	..	10.37	10.37	..
120527	रामपुर पिंडरिया बंधी	..	5.79	5.79	..
120528	पिछड़े हुए क्षेत्र में नयी छोटी परियोजनाएं ..	..	..	..	..
120529	छोटी सिंचाई परियोजनायें	..	..	..	..
120530	दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बंधियां	..	..	..	..
120531	मिर्जापुर जिले में 15 बंधियों का पक्का करना ..	..	..	..	..
120532	लोअर डिवीजन पूर्वी यमुना नहर पर टेलस्केप का निर्माण	..	..	..	..
120533	नैनीताल जिले में श्रीपुर गूल पर रेगुलेटर का निर्माण	..	..	..	..
	पिछड़े जिलों में नहरों का पक्का करना		..	..	..
	योग	..	178.68	178.68	..
	योग, (5)	..	239.86	239.86	..
	योग, (2-5)	..	4000.00	4000.00	110.00
	योग, 1.2 लघु सिंचाई	..	9600.00	8178.00	110.00

(लाख रुपये में)

विक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
9–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	0.86	5.00	3.00	4.00	4.00	..
..	1.95	4.00	4.00	2.60	2.60	..
2.81	3.16	..	0.34	..	..	..
0.60	(–)0.34	..	..	..	..	..
..	..	3.00	0.10	0.50	0.50	..
..	0.53	..	0.10	..	..	..
..	..	..	..	8.40	8.40	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
3.41	18.89	35.60	37.50	51.00	51.00	..
15.44	32.28	53.30	57.00	61.60	61.60	..
5.30	1440.46	1295.00	1370.00	1336.00	1336.00	..
79.32	2188.03	2130.00	2189.53	2048.00	1926.80	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.3—भूमि संरक्षण

संकेत	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	कृषि विभाग—			
130101	अत्यन्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये भूमि संरक्षण की योजना ..	45.53	..	
130102	भूमि तथा जल संरक्षण की योजना मुख्यतया कृषि जल विभाजित क्षेत्रों में ..	1325.66	..	
130103	खालों का पुनर्वापण–सीमांत भूमि का संरक्षण ..	139.12	..	
130104	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण (कुमायूं प्रभाग) ..	241.56	..	
130105	शोध, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ..	47.60	..	
130106	कृषि भूमि में भूमि संरक्षण के लिये ऋण..	135.00	135.00	
130107	ऊसर एवं कटी हुई भूमि का पुनर्वापण तथा भूमि संरक्षण प्रदर्शन प्रायोजनाओं की स्थापना ..	41.80	..	
130108	मिट्टी तथा भूमि का सर्वेक्षण ..	23.38	..	
130109	रिहन्द जलाशय के पुनर्वापित क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण ..	0.35	..	
	सरकारी कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायत हेतु प्राविधान ..	..	..	
	सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतिष्ठान व्यय ..	..	..	
	योग ..	2000.00	135.00	

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
3.10	8.78	12.42	12.42	12.55	..	..
252.00	279.20	301.33	304.53	292.85	..	..
27.99	28.68	29.25	29.25	32.05	..	..
20.53	23.16	33.24	35.74	35.00	..	.
6.60	5.59	7.93	7.93	11.76	.	..
8.48	..	..	..	..	..	..
5.57	9.35	10.70	8.53	8.27	..	..
3.52	3.73	4.43	4.43	4.52	..	..
0.66	..	..	..	..	..	..
..	..	4.84	7.19	..	..	..
..	0.03	..	..	..	..	..
328.49	358.52	404.14	410.02	397.00	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.3 भूमि संरक्षण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
130201	खालों का पुनबर्षीय करण विकास अन्वेषणालय ..	125.00	..	..
130301	मुजफ्फरनगर में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र ..	5.40	..	..
130302	फूलपुर प्रोजेक्ट (इलाहबाद) में भूमि तथा जल संरक्षण ..	9.60	..	..
		15.00	..	..
	योग, 1.3—भूमि संरक्षण	2140.00	135.00	..

(लाख रुपये में)

तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
169-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
24.84	25.01	25.00	25.00	25.00	..	..
1.10	1.03	0.98	0.98	संकेत सं0	130105	में स्थापित
2.13	2.81	2.02	2.02	तदेव	130102	तदेव
3.23	3.84	3.00	3.00	..	..	..
356.52	387.37	432.14	438.02	422.00	..	..

मद 1.—कृषि कार्यक्रम—

वर्ग 1.5—कृषि शोध एवं शिक्षा—

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	वि[illegible]
1	2	3	4	5
	(1) कृषि शिक्षा—			
	कृषि विभाग—			
150101	कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर की स्थापना	175.00	135.00	
150102	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में उच्चस्तरीयकरण ..	86.67	16.46	
150103	निजी कृषि कालेजों को 3 साल की डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के लिये सहायक अनुदान ..	10.00	..	
150104	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर में एक ग्लास हाउस का निर्माण ..	0.003	0.003	
150105	तीनों कृषि स्कूलों में कृषि शिक्षा का सघनीकरण ..	7.50	..	
150106	कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में शोध छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा परिसंवाद एवं संगोष्ठी का आयोजन ..	..	..	
150107	निजी कृषि संस्थाओं को सहायक अनुदान	..	..	
150108	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर में लेक्चर रूम तथा प्रयोगशाला का निर्माण	..	..	

(लाख रुपयों में)

लविक व्यय		1971-72			1972-73 परिव्यय	
69-70	1970-71	स्वीकृत परि० व्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
48.20	30.05	40.00	40.00	36.05	28.00	..
0.74	9.38	27.29	27.25	28.05	12.76	..
1.24	2.00	2.00	2.00	2.00	..	..
0.01	..	..	..	..	..	..
..	1.52	0.31	0.31	4.00	..	..
0.26	1.47	1.96	1.96	1.96	..	..
1.95	1.88	2.00	2.00	2.00	..	..
..	0.01	0.01	0.01	..	..	..

मद 1.—कृषि कार्यक्रम—

वर्ग 1.5—कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
150109	कृषि विज्ञान संस्थान के प्रक्षेत्र फार्मों का विकास	..	..	..
150110	कृषि विज्ञान संस्थान के पशु चिकित्सालय तथा मीट टेक्नोलोजी के लिये भवन निर्माण	..	..	..
150111	कृषि विज्ञान संस्थान के सड़कों पर बिजली के प्रकाश की व्यवस्था ..	..	..	..
150112	कृषि विज्ञान संस्थान के एक्सटेन्शन विंग के प्रथम मंजिल पर कमरों का निर्माण	..	..	..
	नयी परियोजनायें—			
	कृषि विज्ञान संस्थान में 2 ओवर हेड टैंकों का निर्माण ..	..	..	..
	संस्थान के सांख्यिकी अनुभाग के प्रथम खण्ड में कमरों का निर्माण ..	..	..	
	योग, (1) ..	279.17	151.46	
	(2) कृषि शोध—			
	कृषि विभाग—			
150201	कृषकों के खेतों में न्यादर्श उर्वरकों के परीक्षण की पुनरीक्षित योजना ..	2.33	..	
150202	चरागाहों में खेती तथा चारा बारी-बारी से उगाना (ले फार्मिंग) ..	0.36	..	

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	10.00	6.00	6.00	..
..	..	0.82	0.82	..	..	..
..	..	0.99	0.99	..	..	..
..	..	0.20	0.20	..	..	..
..	..	..	..	0.30	0.30	..
..	..	..	..	0.20	0.20	..
2.40	46.31	75.58	85.54	80.56	47.26	..
0.25	0.14	0.17	0.17	0.17	..	..
0.07	0.06	0.07	0.07	..	..	..

मद 1.—कृषि कार्यक्रम—

वर्ग 1.5.—कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
150203	देवरिया जिले में गन्ना शोध उपकेन्द्र की स्थापना तथा गन्ना शोध उपकेन्द्र, गोला गोकरनाथ का सुदृढ़ीकरण	3.69	..	.
150204	पर्वतीय क्षेत्रों के उन्नत कृषि उपकरणों के लिए शोध एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.67	..	.
150205	खरबूजा, तरबूज तथा सरदा पर शोध	0.001	..	..
150206	औद्यानिक शोध संस्थान, सहारनपुर में रेडियो आइसोटोप के सहित शोध कार्य का सघनीकरण ..	4.94	..	0.12
150207	जैवकीय नियन्त्रण और केमोस्टीलियन्स का प्रयोग करके नाशकीट और नमोटोड के एकीकृत नियन्त्रण की योजना	3.54	..	..
150208	इकानामिक बोटनिस्ट (आलू) के अनुभाग का विस्तार ..	2.75	..	.
150209	इकानामिक बोटनिस्ट (फली) के अनुभाग का विस्तार ..	6.02	..	.
150210	इकानोमिक बोटनिस्ट (रबी खाद्यान्न) के अनुभाग का विस्तार ..	7.85	0.50	.

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परि-व्यय		
69-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.71	0.72	0.86	0.86	0.90	..	..
0.14	0.39	0.50	0.49	0.55	..	..
0.02	..	..	..	..	..	..
0.09	0.41	1.14	1.14	0.97	..	..
0.05	0.58	0.48	0.48	0.53	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..

मद 1.—कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.5.—कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
150211	रीजनल शोध स्टेशनों का सघनीकरण तथा फैजाबाद में एक नये रीजनल शोध स्टेशन की स्थापना ..	36.38	1.60	..
150212	अधिक उपज वाली किस्में, बहुफसली एवं सघन कृषि कार्यक्रमों से उत्पन्न पैथालाजिकल समस्याओं का अध्ययन	4.99	..	..
150213	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा के फिजिओलोजी अनुभाग के लिए कुछ आवश्यक मदों का प्राविधान	0.70	..	..
150214	न्यादर्श एग्रोनामिक परीक्षण ..	0.73	..	..
150215	समन्वित एग्रोनामिक परीक्षण (मुख्यलय के लिये स्टाफ) ..	0.80	..	..
150216	धान की विदेशों से लाई हुई किस्मों का सूखे से प्रभावित न होने देना तथा उनके गुणों में सुधार ..	17.32	0.55	..
150217	इकानामिक बोटनिस्ट (तिलहन) के अनुभाग का सुदृढ़ीकरण ..	2.42	..	..
150218	पौध शरीर क्रिया विज्ञान के शोध का सघनीकरण	3.96	..	..
150219	कृषि रसायन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	5.14	1.00	..
150220	'फाइबर' फसलों पर सघन शोध ..	3.51	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
4.04	4.60	9.60	9.60	7.89	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.56	0.24	0.18	0.19	0.53	..	..
0.12	0.21	0.28	0.28	0.30	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.20	1.14	1.90	1.90	1.74	..	..
..	0.23	0.14	0.14	0.16	..	..
0.34	0.51	0.33	0.33	0.35	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..

मद 1.—कृषि कार्यक्रम—

वर्ग 1.5.—कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
150221	फल शोध स्टेशन बस्ती तथा उप स्टेशन, इलाहाबाद में शोध कार्य का सघनीकरण	4.04	0.31	..
150222	राजकीय सब्जी शोध स्टेशन कल्याणपुर (कानपुर) का विस्तार ..	2.13	..	..
150223	पांच औद्यानिक शोध उप स्टेशनों के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.10	..	..
150224	गन्ना-शोध उप स्टेशन, मुजफ्फरनगर में भवन निर्माण ..	0.05	..	..
150225	पांच नये रीजनल शोध स्टेशनों की स्थापना तथा वर्तमान पांच स्टेशनों के सघनीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.33	..	..
150226	इकानामिक बोटानिस्ट (रबी खाद्यान्न) अनुभाग के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण ..	0.001	0.001	..
150227	जूट शोध स्टेशन बहराइच के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.26	0.26	..
150228	पैथालाजी अनुभाग कानपुर के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	..	..
150229	उन्नत कृषि उपकरणों के शोध, परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापन की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण..	0.01	0.01	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73		
69-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	0.72	0.94	0.94	2.15	..	..
0.20	..	..	..	..	..	..
..	0.07	0.14	0.14	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.40	0.07	0.09	0.09	0.001	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.07	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1.12	..	..

मद—1. कृषि कार्य क्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
150230	कीट एवं रोग नाशक रसायनों तथा उर्वरकों के परीक्षण हेतु कानपुर में एक शोधशाला की स्थापना ..	6.57	..	
150231	राज्य के विभिन्न क्लाइमेटिक मण्डलों में गन्ने पर सघन वेराइटल, कल्चरल तथा बाइलाजिकल अध्ययन ..	10.38	0.50	
150232	गेहूं में रतुआ (रस्ट) रोग के नियन्त्रण की एकीकृत योजना ..	..	..	
150233	सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	..	..	
150234	देशी तम्बाकू का सुधार ..	..	..	
150235	धान के शोध स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण	..	..	
150236	सोयाबीन पर शोध	..	..	
150237	गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) में आलू शोध केन्द्र की स्थापना ..	..	..	
150238	पर्वतीय क्षेत्र में मिलट का सुधार ..	..	..	
150239	देवरिया में मसालों की खेती का विकास तथा मसाला शोध केन्द्र की स्थापना	..	..	
150240	धान के शोध के बिस्तृत योजना ..	..	..	
150241	आम शोध संस्थान की स्थापना ..	..	..	
150242	पर्वतीय धान का विकास ..	..	..	
150243	सिंचाई प्रदर्शन एवं शोध फार्म के लिए भवन निर्माण	..	..	

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.13	1.44	2.22	2.22	0.87	..	..
..	..	..	..	..	..	..
1.35	1.32	1.44	1.44	1.50	..	..
..	4.98	कृषि उत्पादन क्षेत्र को स्थानान्तरित				
..	0.04	..	..	..	..	..
..	3.56	2.94	2.94	0.50	..	..
..	0.28	0.78	0.78	..	..	..
..	1.81	1.82	1.82	2.00	..	..
..	..	0.72	0.67	0.92	..	..
..	..	1.80	1.66	2.46	1.23	..
..	..	2.93	2.93	9.13	..	..
..	..	0.001	..	..	..	..
0.01	..	..	..	..	..	..
..	0.04	..	..	..	..	..

मद 1.–कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.5.—कृषि शोध एवं शिक्षा—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	नई परियोजनायें—			
	कृषि विज्ञान संस्थान में आडिट सेल की स्थापना	..	..	.
	नागउ हार्टीकल्चर रिसर्च स्टेशन का सुधार करना	..	..	.
	धान शोध स्टेशन मझेरा में ब्रिडल रोड का निर्माण	..	..	..
	गन्ना शोध स्टेशन गोला गोकरननाथ में ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि की व्यवस्था	..	..	..
	कृषि विज्ञान संस्थान में रेडियो आइ-सीटोप की स्थापना ..	..	..	..
	राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए एक मुस्त धनराशि का प्रावि-धान	..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रति-ष्ठान व्यय, उपकरण एवं संयत्र ..	..	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	134.98	4.73	0.12
	विकास अन्वेषणालय—			
150291	चिनहट लखनऊ, में कृषि अभियन्त्रम शोध कर्मशाला की स्थापना ..	4.35	..	..
	योग, (2) ..	139.33	4.73	0.12
	योग, 1.5—कृषि शोध एवं शिक्षा ..	418.50	156.19	0.12

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
69-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	0.52	..	..
..	..	..	..	0.79	..	..
..	..	..	..	0.57	..	..
..	..	..	..	2.70	..	..
..	..	..	..	1.00	1.00	..
..	..	..	0.82	..	..	
..	..	..	0.21	1.12	1.12	..
.68	23.63	31.47	32.31	41.44	3.35	..
0.68	0.73	0.86	0.86	1.00	..	..
9.36	24.36	32.33	33.17	42.44	3.35	..
61.76	70.67	107.91	118.71	123.00	50.61	..

मद 2—समवर्गी कार्य-क्रम—

सेक्टर 2.5—भण्डारागार

(लाख रु0 में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सहकारिता विभाग—										
250101	उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डारागारनिगम में अंशकों में पूंजी विनियोजन ..	30.00	30.00	..	..	7.50	7.00	7.00	7.00	7.00	..
	कृषि विभाग—										
250201	बाजारों का विनियमन ..	52.21	17.46	..	5.93	13.09	12.94	12.67	9.22	1.41	..
250202	बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपरण विभाग का सुदृढ़ीकरण ..	22.14	..	..	0.23	2.06	5.11	4.73	9.14	..	..
250203	ग्रेडिंग प्रसार व शोध व मार्केट इन्टेलिजन्स के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ..	..	..	..	..	..	1.11	0.67	1.64	..	..
250204	विनियमन मंडियों द्वारा कृषि सूचना की प्रसारण की योजना ..	..	..	..	..	..	..	2.70	2.00	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता की एक मुश्त धनराशि	..	..	..	..	..	..	0.30	..	..	..
	योग ..	74.35	17.46	..	6.16	15.15	19.16	21.07	22.00	1.41	..
	योग, सेक्टर 2.5 ..	104.35	47.46	..	6.16	22.65	26.16	28.07	29.00	8.41	..

(5)

पशु पालन

पशुपालन कृषि में एक बहुत महत्वपूर्ण और सहायी भूमिका निभाता है। वह दूध, अंडे और मांस के उत्पादन द्वारा खाद्य कार्यक्रम की अनुपूर्ति करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, विशषतया छोटे और सीमान्त किसानों के रोजगार और उनकी आय बढ़ाने के अधिक साधनों की व्यवस्था करता है। पशुधन विकास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(1) अधिक अच्छे पोषण संबंधी मानकों की प्राप्ति के लिए संरक्षी खाद्यों की सप्लाई में सुधार,

(2) खेती के कार्य के लिए लद्दू या भारवाहक पशु उपलब्ध करना,

(3) व्यापारिक उत्पादन जैसे ऊन, चमड़ा, खालें, इत्यादि के लिए अधिक ऊंचे उत्पादन-स्तर प्राप्त करना,

(4) कृषकों के लिये सहायक व्यवसाय और पूरक आय की व्यवस्था करना। पशुधन विकास नीति का दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यक्रमों से अभिन्न संबंध है।

2—प्रजनन, रोग नियंत्रण और राज्य के पशुधन की उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिये चारे, भूसे तथा दाना के साधनों के विकास की जो सुविधायें उपलब्ध की गई थीं उन्हें दूध, अंडे और ऊन की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से चतुर्थ आयोजना के अधीन प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 1969–72 की अवधि के दौरान और भी बढ़ाया जायगा।

3—राज्य क्षेत्र में पशुपालन कार्यक्रम के लिये चौथी आयोजनावधि के दौरान 550.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस निर्धारित धनराशि में से वर्ष 1969–70 के लिए 100.00 लाख रुपये वर्ष 1970–71 के लिए 105.00 लाख रुपये और वर्ष 1971–72 के लिये 123.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई हैं। वर्ष 1969–70 के लिये निर्धारित 100.00 लाख रु० के परिव्यय में से राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए 74.56 लाख रुपये की बजट-व्यवस्था थी जिसमें से 53.47 लाख रुपये व्यय किये गए।

4—वर्ष 1970–71 के दौरान 105.00 लाख रुपये के परिव्यय में से राज्य क्षेत्र में 103.87 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया। वर्ष 1970–71 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः लक्ष्यगत विदेशी भेड़ें प्राप्त न की जा सकने तथा भवन निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रहने के कारण हुई। वर्ष 1971–72 के दौरान 123.00 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में बजट में 120.30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। परिव्यय और बजट- व्यवस्था के बीच के अन्तर को दूर करने के लिये कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव किये गये हैं और चालू वर्ष के लिए निर्धारित परिव्यय की धनराशि को पूर्ण रूप से उपयोग करना संभव हो जाना चाहिये। 1969–70 और 1971–71 के परिव्ययों तथा व्यय और 1971–72 के प्रत्याशित व्यय तथा 1972–73 के लिये प्रस्तावित परिव्यय का समूहवार विभाजन आगे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

समूह		चौथी आयोजना का परिव्यय 1969–74	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73
			परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1—पशु प्रजनन	...	247.33	49.63	21.80	33.44	49.26	47.80	55.45	51.95
2—दाना [illegible]र चारा विकास	...	15.00	3.00	4.45	2.77	6.88	6.47	8.48	6.79
3—भेड़ तथा ऊन विकास	...	49.45	4.41	8.27	13.23	8.47	7.55	9.45	12.65
4—कुक्कुट विकास	..	29.44	6.09	6.27	18.85	8.48	10.44	10.97	11.64
5—पशु चिकित्सा सहायता एवं रोग नियंत्रण	..	87.66	10.77	3.89	19.97	17.76	34.52	26.72	29.40
6—पशुपालन, शोध, प्रशिक्षण एवं सांख्यिकी	..	39.55	9.97	3.30	4.88	3.39	4.83	4.35	5.08
7—शूकर विकास	..	6.16	0.84	..	0.57	0.59	0.70	0.65	0.30
अन्य योजनायें	...	75.41	15.29	5.49	11.29	9.04	9.69	6.78	7.19
		550.00	100.00	53.47	105.00	103.87	123.00	122.85	125.00

5—पशु प्रजनन—प्राकृतिक गर्भाधान और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक गर्भाधान के लिए सांड़ केवल ऐसे क्षेत्रों में ही दिये जाते हैं जहां विशिष्ट स्थान विज्ञान (टोपोग्राफी) के कारण कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें प्रदान करना कठिन होता है। 1968–69 के अन्त में विद्यमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों की संख्या और 1969–70, 1970–71 के दौरान स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे ही केन्द्रों/उपकेन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:—

संस्थायें	1968–69 के अंत में उपलब्धि	स्थापित की गई नई संस्थाओं की संख्या 1969–70	1970–71	1971–72 में स्थापित की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	1971–72 के अन्त में योग
1—वीर्य संग्रह केन्द्र	14	5	4	2	25
2—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	616	18	29	23	686
3—कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्र	481	150	347	37)	1,348

6—वर्ष 1970–71 के अंत में उक्त केन्द्रों में रखे गये सांड़ों की कुल संख्या 1,430 थी। इनके अतिरिक्त 8,325 सांड़ और 3,231 भैंसें प्राकृतिक गर्भाधान के लिए क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। सांड़ों की उस कुल संख्या का उपयोग 25.92 प्रतिशत गायों और 19.90 प्रतिशत भैंसों के लिए गर्भाधान की व्यवस्था करने के लिये किया गया। वर्ष 1971–72 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान और प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा सृजित अतिरिक्त निवेशों (इनपुट्स) के माध्यम से 1971–72 के अंत तक 26.57 प्रतिशत गायों और 20.42 प्रतिशत भैंसों के लिये प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध होंगी। चूंकि वीर्य की सप्लाई तथा उसका उपयोग दो सांड़ों वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की अपेक्षा वीर्य संग्रह केन्द्रों में दक्षतापूर्वक और नियमित रूप से होता है, अतः यह प्रस्ताव है कि भविष्य में दो सांड़ों वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के बजाय, भविष्य में वीर्य संग्रह केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाय।

7—सघन पशु विकास प्रायोजनायें—वर्ष 1968–69 के अन्त में राज्य में चार सघन पशु विकास प्रायोजनायें लखनऊ, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद में कार्य कर रही थीं।

1969–70 और 1970–71 में क्रमशः अलीगढ़ और हल्द्वानी (नैनीताल) में एक–एक सघन पशु विकास प्रायोजना आरम्भ की गई। इस प्रकार इस समय राज्य में छः सघन पशु विकास प्रायोजनाएं कार्य कर रही हैं। वर्तमान सुविधाओं का स्तर विहित मानक तक बढ़ाने के उद्देश्य से इन प्रायोजनाओं के हित के लिए अतिरिक्त निवेशों (इनपुट्स) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

8—वर्ष 1972–73 में दो अतिरिक्त वीर्य संग्रह केन्द्र, 20 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र खोलने और 4 दो सांड़ वाले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

9—संतति परीक्षण योजनायें—सांड़ों की प्रजनन क्षमता (पोटेंशल) का विकास करने के उद्देश्य से बाबूगढ़ और माधुरीकुंड कृषि क्षेत्रों में वर्ष 1964–65 से संतति परीक्षण योजना आरम्भ की गई थी। इससे प्रजनन कार्यक्रम को अधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायता मिलेगी। इस योजना को चौथी आयोजनावधि में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में जारी रखे जाने का प्रस्ताव था किन्तु चूंकि भारत सरकार की स्वीकृति नहीं प्राप्त की जा सकी थी अतः इसे 1971–72 से राज्य आयोजना में सम्मिलित कर लिया गया। अब तक हरियाना नस्ल के 50 सांड़, मुर्रा नस्ल के 40 सांड़ और साहीवाल नस्ल के 5 सांड़ संतत परीक्षण योजना के अधीन रखे गये हैं।

10—चारा तथा दाना विकास—चारे का उत्पादन पशुओं के विकास के लिये एक आवश्यक सहायक अंग है। अतएव चारा संबंधी संसाधनों की उन्नति चौथी आयोजना अवधि का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली चारे के बीजों की किस्मों के वितरण की परिकल्पना की गयी है। पिछड़े क्षेत्रों में बीजों का वितरण 50 प्रतिशत राज सहायता के आधार पर किया जाता है। शेष जिलों में बीज पूरे लागत-मूल्य पर वितरित किये जाते हैं। 1969–70 के दौरान वितरित किये गये बीजों की कुल मात्रा 2098.62 क्विन्टल थी और वह 3867.09 हेक्टेयर क्षेत्र में वितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त चारे की उन्नत किस्मों के 2415.13 क्विंटल बीज 50 प्रतिशत राज सहायता के आधार पर सघन पशु विकास प्रायोजनाओं के 4796.54 हेक्टेयर क्षेत्र में बोने के लिये वितरित किये गये। इस प्रकार 1969–70 के दौरान राज्य का 8664 हेक्टेयर क्षेत्र इन उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाया गया। 1970–71 के दौरान 12974 हेक्टेयर के क्षेत्र में, जिसमें सघन पशु विकास क्षेत्र भी सम्मिलित है, बोने के लिये चारे के बीज वितरित किये गये। 1971–72 के दौरान यह आशा की जाती है कि सघन पशु विकास प्रायोजनाओं के क्षेत्रों को सम्मिलित करके कुल 15165 हेक्टेयर क्षेत्र में चारे के बीज वितरित किये जायेंगे।

11—वर्ष 1972–73 में 17,503 हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसमें सघन पशु विकास प्रायोजनाओं के क्षेत्र सम्मिलित हैं, में चारे के बीज वितरित करने का प्रस्ताव है। राज्य के 800 गाटों (प्लाटों) पर चारे की फसलों के प्रदर्शन आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

12—भेड़ और ऊन विकास—वर्ष 1968–69 के अन्त में 122 भेड़ और ऊन प्रसार केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र थे। दो नये भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र वर्ष 1969–70 में और इतने ही केन्द्र वर्ष 1970–71 में स्थापित किये गये। वर्ष 1971–72 में 27 नये भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार वर्ष 1971–72 के अन्त तक ऐसे 153 केन्द्र हो जायेंगे। प्रजनन संबंधी सुविधायें बराबर बनाये रखने और उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से अच्छे किस्म के 2,000 मेंढ़ पुनर्भरण के लिये सप्लाई किये जायेंगे।

13—पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ों की नस्लों के उन्नयन के लिये 100 विदेशी भेड़ों का आयात का भी प्रस्ताव है तथा भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने के कार्यक्रम को जारी रखा जायगा। नये वर्ष 1972–73 में 18 नये भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

14—बकरी विकास—बकरियों की नस्ल सुधारने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जमुनापारी और बरबरी नस्लों के बकरे और पर्वतीय क्षेत्रों में चम्बा बकरे काम में लाये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये विकसित बकरे बकरी–प्रजनकों को नाममात्र अंशदान के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। पशु-चिकित्सालयों में भी बकरे रक्खे गयें हैं जहां उनके द्वारा नैसर्गिक रूप में प्रजनन की सुविधायें प्रति बकरी 50 पैसा देने पर उपलब्ध की जाती है। वर्ष 1968–69 के अन्त में ऐसे चिकित्सालयों की संख्या जहां बकरे रक्खे गयें थे, 160 थी। 1969–70 के दौरान 100 चिकित्सालयों में बकरे रखे गये और 1970–71 में अन्य 90 चिकित्सालयों में बकर रखे गये। वर्ष 1971–72 के दौरान 90 अन्य चिकित्सालयों में बकरे रखे जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1972–73 के दौरान अन्य 50 चिकित्सालयों में बकरे रखने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप, उन पशु-चिकित्सालयों की संख्या जहां बकरे रखे जायेंगे, 1972–73 के अन्त में 490 हो जायेगी।

15—कुक्कुट विकास—सतत विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुक्कुटों की संख्या जो 1956 में 20,80 लाख थी, बढ़कर 1961 में 32.54 लाख और 1966 में 37.71 लाख हो गयी। संख्या में वृद्धि के साथ ही उन्नत किस्म के कुक्कुट में भी वृद्धि हुई है और 1961 में जहां इनकी संख्या 6.04 प्रतिशत थी वहां 1966 में वह 18.72 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान राज्य में क्रमशः 7.75 लाख और 8.89 लाख मुर्गे–मुर्गियों का वितरण किया गया, जिनमें एक दिन वाले चूजे भी शामिल थे।

16—वर्ष 1971–72 के दौरान 11.23 लाख कुक्कुटों और एक दिन वाले चूजे का वितरण किया जाता है। किसानों को उन्नत किस्म के पक्षी और चूजे वितरित करने का कार्यक्रम वर्ष 1972–73 के दौरान भी बराबर जारी रहेगा। लखनऊ, गोरखपुर और देहरादून में कुक्कुट–चारे का उत्पादन और वितरण जारी रखा जायगा और जहां आवश्यक होगा वहां इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रसार किया जायगा।

17—कुक्कुट विकास कार्यक्रम व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम से भी सम्बद्ध है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान क्रमशः 103 और 115 खण्डों में कार्य आरम्भ किया गया था। वर्ष 1971–72 के दौरान यह कार्यक्रम 104 खंडों में चालू रहने की आशा है। वर्ष 1972–73 में इस कार्यक्रम को 89 खण्डों में आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	लिए गए खंडों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		वितरित चूजों/पक्षियों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1969–70	103	2060	2202	82,400	78,494
7970–71	115	2300	2320	92,000	1,16,700
1971–72	104	2080	2080 प्रत्याशित	83,200	83,200 प्रत्याशित
1972–73	89 प्रस्तावित	1780 प्रस्तावित	..	71,200 प्रस्तावित	..

18—सूकर विकास—केन्द्रीय दुग्धशाला, (सेंट्रल डेयरी फार्म), अलीगढ़ में स्थापित संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र और आराजीलाइन, जिला वाराणसी में स्थापित सूकरालय इकाई का कार्य वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान जारी रहा और उनमें सूकर विकास कार्य के हेतु क्षेत्र में वितरण के लिए उन्नत किस्म के सूकर-सांड़ पैदा किये गये। वर्ष 1969-70 के दौरान वैभागिक संस्थाओं में सूकर-सांड़ रखने की एक अग्रगामी योजना चालू की गई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय दुग्धशाला के आस-पास स्थापित सूकर विकास खंडों के चार केन्द्रों में से प्रत्येक में एक-एक सूकर-सांड़ रखा गया था। इस केन्द्रों में प्रजनन क्रिया संबंधी कार्य उत्साहवर्द्धक पाया गया और इस अनुभव के आधार पर वर्ष 1970-71 के दौरान राज्य में एक योजना चालू की गई थी जिसके अन्तर्गत राज्य के सूकर पालन क्षेत्रों के 20 पशु-चिकित्सालयों में सूकर-सांड़ रखे गये। अभिरुचि रखने वाले प्रजनकों को भी प्रजनन के प्रयोजनों के लिए 20 रु० सूकर-सांड़ के हिसाब से नाममात्र अंशदान करने पर सूकर-सांड़ वितरित किए जा रहे हैं। वर्ष 1972-73 के दौरान संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, अलीगढ़, और सूकर प्रजनन इकाई, आराजीलाइन, वाराणसी में उन्नत किस्म के अभिजनक सूकर-सांड़ों और मादा सूकरियों का, उत्पादन कार्य और सूकर विकास खंडों में तथा उन पशु चिकित्सालयों के माध्यम से, जहां सूकर-सांड़ रखे गये हैं, प्रजनन का कार्य जारी रहेग।

19—रोग नियंत्रण—वर्ष 1968-69 के अन्त में राज्य में रोग नियंत्रण की सुविधा 994 पशु चिकित्सालयों और 1,407 पशुपाल केन्द्रों के द्वारा उपलब्ध थी। इस प्रकार राज्य के प्रति 50,000 पशुओं पर एक पशु-चिकित्सालय और प्रति 37,000 पशुओं पर एक पशुपाल केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध थीं। वर्ष 1969-70 के दौरान, 24 और पशु चिकित्सालय तथा 140 पशुपाल केन्द्र स्थापित किये गये थे। वर्ष 1970-71 में 37 पशु चिकित्सालय और 87 पशुपाल केन्द्र और स्थापित किये गये, 50 पशुपाल केन्द्रों को "घ" श्रेणी के पशु-चिकित्सालयों में उन्नत कर दिया गया। वर्ष 1971-72 के दौरान 25 पशु चिकित्सालयों (सघन पशु-विकास प्रायोजना, मुरादाबाद में स्थापित किये जाने वाले 3 पशु-चिकित्सालयों को सम्मिलित करते हुए) और 110 पशुपाल केन्द्र (सघन पशु विकास प्रायोजना क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले 80 पशुपाल केन्द्रों को शामिल करते हुए) स्थापित किये जाने हैं और 50 पशुपाल केन्द्रों को "घ" श्रेणी के पशु-चिकित्सालयों में उन्नत किया जाना है। वर्ष 1972-73 के दौरान, अतिरिक्त पशु-चिकित्सालय और 92 पशुपाल केन्द्र स्थापित करने और 60 पशुपाल केन्द्रों को "घ" श्रेणी के पशु-चिकित्सालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

20—शोध और प्रशिक्षण—अध्यापन संबंधी मुख्य कार्यकलाप पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा म केन्द्रित हैं जहां स्नातक की उपाधि ग्रहण करने तथा एम० वी० एस-सी० और पी० एच० डी० आदि जैसे स्नातकोत्तर पाठय क्रमों की सुविधायें उपलब्ध हैं। पशुपाल (स्टाक मैन) पाठ्यक्रमों तथा कम्पाउन्डर प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन चक गंजरिया (लखनऊ), पशुलोक और बरेली में किया जाता है। पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करने के लिये सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सुविधायें चक गंजरिया, पशुलोक तथा मथुरा में भी उपलब्ध हैं। शोध विषयक कार्यकलाप पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा, पशुशोध केन्द्र, मथुरा और उसके चक-गंजरिया (कुक्कुट संबंधी) अलीगढ़ (सूकर संबंधी) और पशुलोक (भेड़-प्रजनन संबंधी स्थित उपकेंद्रों में किये जाते हैं। उनके अतिरिक्त, राज्य में शोध सम्बन्धी अन्य योजनायें हैं जिनका वित्तपोषण अंशतः भारतीय कृषि शोध परिषद् (I. C. A. R.) से प्राप्त सहायता से किया जाता है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पशु-महाविद्यालय, मथुरा में और पशुपाल तथा कम्पाउन्डर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये भी अध्यापन संबंधी कार्यकलाप जारी रखे जायेंगे।

21—पशुपालन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाओं के लिए चौथी आयोजना अवधि के दौरान 88.03 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। चौथी आयोजना के प्रति दो वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर लगभग 14.76 लाख रु० व्यय

किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1971-72 के दौरान, 8.35 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1971-72 के अंत में कुल 23.11 लाख रुपय व्यय हो जाने की प्रत्याशा है। इस आयोजना के शेष दो वर्षों के लिए 58.78 लाख रुपया शेष रह जाता है। 1972-73 के लिए 46.40 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। वर्ष 1967-68 के अन्त में भारत-नेपाल के प्रवास-मार्गों (चन्दन चौकी, जिला खीरी और पिपरवा, जिला बहराइच) पर नेपाल से आने वाले पशुओं में लगी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिये दो टीका केन्द्र इस उद्देश्य से स्थापित किये गये थे। वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान ये केन्द्र कार्य करते रहे और वर्ष 1972-73 के दौरान भी इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव है।

22—वर्ष 1969-70 के दौरान अन्तर्राज्य मुख्य मुख्य प्रवास-मार्गों पर 20 पड़ताल चौकियां स्थापित करने का लक्ष्य था किन्तु उस वर्ष के केवल ग्यारह पड़ताल चौकिया ही स्थापित की जा सकीं। ये पड़ताल चौकियां चौथी आयोजना क अन्त तक कार्य करती रहेंगी। अन्तर्राज्य सीमापर निरापद परिक्षेत्र (इम्यून जोन) स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत माडल योजना के अनुसार 12 दल नियुक्त किये गये हैं। ऐसे प्रत्येक दल में एक सहायक पशु-चिकित्सक (असिस्टेंट विटेरिनरी सर्जन) और 10 पशुपाल हैं। वर्ष 1969-70 के दौरान इन दलों द्वारा 5.53 लाख पशुओं को टीके लगाये गये थे और वर्ष 1970-71 के दौरान 8.95 लाख पशुओं को टीके लगाये गए। चौथी आयोजना के शेष वर्षों में भी इस कार्यक्रम को जारी रखा जायगा।

23—राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में पशुधन तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चौथी आयोजना से इन क्षेत्रों के लिए नियत 231.03 लाख रुपये की धनराशि में से आयोजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1969 से 1972 तक में 123.29 लाख रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है जो कि कुल आवंटित परिव्यय का 53.4 प्रतिशत है। इस से आयोजना के शेष 2 वर्षों के लिए 107.29 लाख रुपया शेष रह जाता है। वर्ष 1972-73 के लिए 60.83 लाख रु० की धनराशि आबंटित की गई है जिसमें से 36.14 लाख रुपये पूर्वी जिलों के लिए, 6.65 लाख रुपये बुन्देलखंड के लिए और 18.04 लाख रुपये पर्वतीय जिलों के लिए है।

मद—2—समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग–2.1. पशुपालन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1970–71		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1—पशु अभिजनन										
210101	राज्य पशुधन एवं कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त आवश्यकता तथा प्रसार ..	34.99	24.92	..	..	10.19	2.34	3.95	0.49	..	..
210102	राज्य में चकबन्दी एवं ए-1 प्रोग्राम का प्रसार	88.82	24.90	..	7.14	19.81	21.94	24.45	18.49	2.08	..
210103	अलीगढ़ एवं हल्द्वानी के सघन पशु विकास योजना	28.47	6.26	..	1.88	4.53	6.02	6.72	13.85	1.00	..
210104	पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना ..	2.37	1.35	..	0.03	0.30	0.57	0.58	0,38	..	..
210105	खंड पशुओं का क्रय एवं वितरण ..	7.50	..	..	2.97	1.50	0.90	1.00	0.50	..	..
210106	गोशाला विकास योजना ..	3.92	..	..	0.58	0.51	0.29	0.55	0.41	..	..

210107	सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सामग्री का प्राविधान (लखनऊ कानपुर एवं मुरादाबाद)	79.76	22.46	..	8.90	9.07	12.59	13.44	14.29	..	..
201108	पशु इन्श्योरेंस योजना ..	1.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..
210109	भारत-जर्मन प्रायोजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	0.30	1.15	1.15	2.54	0.59	..	..
210110	बाबूगढ़ एवं मेरठ पशुधन एवं क्षेत्र पर सांड़ों का संतोति परीक्षण ..	..	..	..	..	2.20	2.00	2.22	2.29	..	..
	पर्वतीय और अधिक वर्षा के क्षेत्र विकास नगर (देहरादून) में पशु अभिजनन ..	..	.		..	..	..	..	0.66	..	..
	योग, (1) ..	247.33	97.89	..	21.80	49.26	47.80	55.45	51.95	3.07	..

2—पोषण और विकास

210201	पूर्वी जिलों, बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय										
210202	क्षेत्रों में उ० प्र० में अधिक पैदा होने वाली पौष्टिक चारे की फसलों का विकास और मूल दाम पर चारा बीज का वितरण ..	15.00	..	..	4.45	6.88	6.47	8.48	6.79	..	..
	योग, (2) ..	15.00	..	..	4.45	6.88	6.47	8.48	6.79	..	..

मद—2—समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. भेड़ तथा ऊन विकास										
210301	उ० प्र० में भेड़, ऊन तथा अन्य पशुधन के सुनियोजित विकास की योजना	28.44	15.90	5.00	4.55	3.55	2.13	1.41	1.69	0.05	0.001
210302	उ० प्र० में भेड़ों का परोपजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिए उन्हें सामूहिक रूप से औषधि पिलाना	3.75	..	..	1.00	0.75	0.75	0.91	0.75	..	..
210303	भेड़ और मेढ़ा का क्रय ..	10.00	..	..	1.96	2.67	2.20	2,10	1.10	..	..
210304	इलाहाबाद जिले के फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में भेड़ गर्भाधान की सघन योजना ..	0.35	0.35	..	..	..	0.07	0.07	0.07	0.07	..
210305	लालबहादुर सेवा निकेतन ..	0.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..
210306	राज्य के पूर्वी सम्भाग में एक बकरी अभिजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ..	0.68	0.08	..	0.15	0.22	0.16	0.07	0.12	..	..
210307	राज्य के बकरियों के लिए अभिजनन सुविधा का प्रसार ..	5.86	..	..	0.59	0.98	1.38	1.35	1.51	..	..

210308	भारत-जमन प्रायोजना क अन्तगंत अल्मोड़ा जिले में भेड़ तथा ऊन विकास ..	..	..	..	0.02	0.30	0.86	0.22	0.32	..	..
	इलाहाबाद वाराणसी तथा मिर्जापुर में सघन भेड़ विकास ..	..	..	..	..	..	..	3.32	7.09	..	..
	योग, 3.. ..	49.45	16.33	5.00	8.27	8.47	7.55	9.45	12.65	0.12	0.001
	4—कुक्कुट विकास										
210401	हवालबाग रोजनल कुक्कुट क्षेत्र का विस्तार ..	8.66	6.34	..	0.55	0.20	0.47	0.26	0.41	0.29	..
210402	एस० पी० एफ० चक गंजरिया, लखनऊ को सस्ता कुक्कुट राशन योजना से संबंधित कुक्कुट पौष्टिक रिसर्च लेबोरेटरी सुदृढ़ीकरण ..	2.18	0.84	..	0.09	0.16	0.42	0.41	0.29	..	..
210403	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कुक्कुट पालन प्रायोजना फूलपुर (इलाहाबाद) की स्थापना ..	6.75	..	..	0.67	0.63	1.00	0.85	1.00	..	..
210404	कुक्कुट पालकों को ऋण ..	2.50	2.50	..	..	2.79	2.68	2.50	1.00	1.00	..
210405	पूर्वी जिलों में सघन कुक्कुट विकास खण्ड ..	9.35	..	..	0.68	0.76	1.19	1.21	0.93	..	..
210406	यूनीसेफ की सहायता से व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम ..	..	..	..	4.28	3.94	4.68	4.31	3.82	..	..
210407	पर्वतीय क्षेत्र में कुक्कुट विकास ..	..	..	..	..	..	..	0.25	0.82	..	..

मद—2—समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन (क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210408	मुर्गियों के अभिजनन प्रोजेक्ट की योजना	..	..	..	..	..	0.50	0.55	2.53	..	..
210409	अलीगढ़ में सघन कुक्कुट (वोयलर) विकास	..	..	..	..	..	0.50	0.58	0.64	..	..
	मुर्गी पालकों के लिये खाद्य इकाई की स्थापना पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी ..	..	..	..	..	..	..	0.05	0.20	0.20	..
	योग, 4 ..	29.44	9.68	..	6.27	8.48	11.44	10.97	11.64	1.20	..

5—पशु-चिकित्सा, सहायता एवं रोग नियंत्रण—

210501	राज्य में नये पशु औषधालयों एवं पशुपालन केंद्रों का सुधार ..	31.85	10.33	..	1.70	6.54	12.56	11.90	14.32	..	..

210502	वर्तमान पशु औषधालयों की अतिरिक्त सुविधा का प्राविधान ..	17.71	15.30	..	1.24	7.42	10.50	10.16	7.66	..	..
210503	स्थानीय निकायों द्वारा पशु औषधालयों के लिये अतिरिक्त औषधि एवं केमिकल्स का प्राविधान ..	4.48									
210504	राज्य में निदान संबंधी लैबोरेटरी का प्राविधान ..	2.50	0.10	..	0.10	0.50	0.37	0.35	0.40	..	..
210505	पशु औषधालयों का प्रान्तीयकरण ..	6.35	2.41	..	0.52	0.78	1.51	0.91	0.93	..	..
210506	जैविकीय उत्पादन अनुभाग का सुधार तथा प्रसार ..	19.77	6.64	0.82	0.33	2.52	4.46	1.96	2.63	1.30	0.50
219507	रिन्डरपेस्ट टिशू कल्चर वैकसिन लेबोरेटरी की स्थापना ..	5.00	..	0.82	..	..	0.15	..	..	..	..
210508	सचल इकाई की स्थापना ..	..	..	..	..	..	3.00	0.96	0.71	..	..
210509	इपीडिमालोजिकल इकाई की स्थापना	..	..	..	..	..	0.20	..	0.09	..	..
210510	स्नातकों को इन्टर्नीशिप की व्यवस्था	..	..	..	..	..	1.17	0.37	2.22	..	..
210511	सोवाइन फिवर वैक्सिन की उत्पादन तथा सोवाइन फिवर की रोकथाम	..	..	..	..	..	0.50	..	0.41	..	..
210512	ऐ० डी० आई० ओ० योजना का प्रसार ..	..	..	..	..	..	0.10	0.11	0.03	..	..
	योग, (5) ..	87.66	34.78	1.64	3.89	17.76	34.52	26.72	29.40	1.30	0.50

मद—2—समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन (क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6—पशुपालन शोध शिक्षा तथा सांख्यिकी										
210601	भारतीय कृषि शोध परिषद् की योजनाओं में राज्य का अंश ..	17.43	..	..	0.64	0.57	1.00	0.77	0.15	..	..
210602	पशुधन उत्पादन पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रसार एवं प्रगाढ़ रूप से करना	2.50	..	..	0.44	0.48	0.50	0.50	0.50	..	..
210603	राज्य में पशु चिकित्सालय अन्वेषण केंद्र मथुरा एवं क्षेत्रीय उप केंद्र का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण ..	2.60	0.53	..	0.60	0.42	0.79	0.79	0.19	..	..
210604	गोरखपुर में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अन्वेषण उपकेंद्र की स्थापना की योजना	4.83	3.00	..	0.50	..	0.38	..	0.06	..	..

210605	पशु चिकित्सा के देशी प्रणाली में अन्वेषणालय की योजना (वर्तमान योजना का द्वितीय स्तर) ..	0.84	..	..	0.20	0.06	0.05	0.07	0.11	..	..
210606	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में समन्वय और पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की योजना	2.52	0.35	..	0.21	0.56	0.15	0.15	0.09	..	..
210607	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय मथुरा में चरागाह और फोरेज अनुसंधान के प्रसार तथा बांटेनी सेक्शन के जोड़ने का प्रस्ताव ..	1.68	..	..	0.15	0.09	0.31	0.13	0.31	..	..
210608	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय मथुरा से लगा हुआ दुग्ध और कुक्कुट पालन क्षेत्र का विकास ..	3.04	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..
210609	चक गंजरिया, लखनऊ में कृत्रिम गर्भाधान की [illegible] कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	2.07	..	..	0.11	0.07	0.26	0.27	0.26	..	..
210610	पशुधन उत्पादन तथा सांख्यिक अध्ययन करना और पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रगाढ़ रूप से करना	2.04	..	..	0.15	0.05	0.23	0.16	0.28	..	..

मद--2--समवर्गीय कार्यक्रम

वर्ग 2·1--पशुपालन (क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210611	एम० बी० एस० छात्रों को प्रयोगता छात्रवृत्ति ..	..	..	..	0.04	0.10	0.11	0.12	0.11	..	..
210612	चल चिकित्सालय का प्राविधान ..	..	..	..	..	0.36	0.11	0.11	0.11	..	..
210613	पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाह और फोरेज अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	..	..	..	0.06	0.15	0.53	0.73	2.32	1.35	..
210614	फिजालोजी सालबीया की योजना ..	..	..	..	..	0.33	..	..	..	..	..
210615	लेबोरेटरी तकनीकी में सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	..	..	..	..	..	0.15	0.09	0.10	..	..
210616	पशुओं के लिये वीरस शोध लेबोरेटरी (सेल्स कल्चर की सुविधा) ..	..	..	..	..	0.15	0.25	0.40	0.41	..	..
	स्नातकों को अतिरिक्त सुविधा का प्राविधान ..	..	..	..	..	..	..	0.06	0.08	..	..
	योग, 6 ..	39.55	6.88	..	3.30	3.39	4.83	4.35	5.08	1.35	..

7—सूकर विकास—

210701	सूकर अभिजनन के लिये उन्नतिशील सूकरों की विकास योजना तथा क्रय-विक्रय के लिये सुविधाओं का प्राविधान ..	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..
210702	बेकन फैक्ट्री के एफ्लुयेंट्स का उपयोग	5.00	3.50	..	..	..	..	..	..	..	..
210703	पशु चिकित्सालयों पर सूकर रखने की योजना ..	..	..		..	0.59	0.70	0.65	0.30	..	..
	योग, (7) ..	6.16	3.50	..	..	0.59	0.70	0.65	0.30	..	..

8—अन्य योजनायें—

210801	विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं निरीक्षण ..	15.00	0.19	..	..	0.23	0.55	0.46	0.40	..	..
210802	प्रकाशन संबंधी प्रसार वस्तुओं का उत्पादन ..	2.25	..	..	0.18	0.71	0.45	0.69	0.26	..	..
210803	पशुओं का मेला लगना ..	5.50	..	..	0.94	0.79	0.98	0.55	0.55	..	..

मद—2—समवर्गीय कार्यक्रम

वर्ग 2.1.पशुपालन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970 71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210804	आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बख्शी का तालाब लखनऊ नलकूप का लगाना ..	0.45	0.45	..	0.22	0.23	..	..	..	..	..
210805	यूनीसेफ की सहायता से वृहद रूप से ऊन की ग्रेडिंग और क्रय-विक्रय की योजना ..	21.02	9.20	..	..	3.95	3.00	3.16	3.33	..	..
210806	उत्तर प्रदेश में पांच कुक्कुट पालन, क्रय-विक्रय की सहकारी समितियों की स्थापना	1.81					0.10	..	0.11		

210807	खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपभोग एवं उत्पादन केंद्र देहरादून एवं झांसी का प्रसार	2.54	1.33	..	..	..	..	..	..	..	..
210808	छुट्टा और जंगली पशुओं के उत्पात पर नियंत्रण ..	5.73	..	..	0.46	0.47	0.40	0.50	0.50	..	..
210809	गोसदन योजना ..	1.07	0.36	..	..	..	0.71	..	..	..	..
210810	तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भवनों का निर्माण ..	14.00	14.00	..	2.94	1.98	2.00	0.67	0.90	0.90	..
210811	पशु मारे जाने वाले घर (कसाई खाने) का आधुनिकीकरण ..	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
210812	मुख्य अभिजनन क्षेत्रों में पशु ढारों के निबन्धन का प्रसार तथा अभिजनन समितियों का गठन ..	4.04	..	..	0.75	0.69	0.80	0.75	1.13	..	..
210813	प्रसार इकाई का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	0.58	..	..	..	..

मद—2—समवर्गीय कार्यक्रम

वर्ग 2.1. पशुपालन—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210814	गुलर भोज गोसदन, जिला नैनीताल के लिये दिल्ली राज्य गोसम्बर्द्धन परिषद् को अनुदान ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग, 8 ..	75.41	25.53	..	5.49	9.04	9.69	6.78	7.19	0.90	..
	कुल योग, 2.1—पशुपालन	550.00	194.59	6.64	53.47	103.87	123.00	122.85	125.00	7.94	0.50

6

दुग्ध शाला तथा दुग्ध सम्पूर्ति

देश की पौष्टिक आहार की समस्या हल करने में दूध और दुग्ध पदार्थों जैसे सहायक खाद्यों के उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है । एक ओर पशु पालन के उन्नत तरीकों को जिनमें प्रजनन, दाना चारे की व्यवस्था और प्रबन्ध व्यवस्था सम्मिलित है, अधिकाधिक अपना कर और दूसरी ओर दूध और दूध से बनी वस्तुओं के संग्रह, विधायन सम्पूर्ति और क्रय-विक्रय के लिये एक सुसंगठित सहकारिता ढांचा स्थापित करके दूध को सम्पूर्ण बढ़ाने का प्रयास किया जाना आवश्यक है ।

2—उत्पादकों को अपने माल के लिये सुगम और अनुकूल बाजार और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध और दूध से बनी वस्तुयें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द्वितीय आयोजना के पश्चात् दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध सम्पूर्ति के अन्तर्गत कार्यवाहियां आरम्भ की गई । इस दृष्टि से कि राज्य में छोटे कृषकों की संख्या बहुत अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायोजन और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिये दुग्ध उद्योग का विकास करने की आवश्यकता और महत्व और भी बढ़ गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने और दूध के संग्रहण विधायन, परिवहन और क्रय-विक्रय की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये दुग्धशाला विकास कार्यक्रम की नीति अभिस्थापित की जा रही है ।

3—चौथी आयोजना के दौरान दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध सप्लाई कार्यक्रमों का परिव्यय, प्रथम दो वर्षों का व्यय, 1971-72 का प्रत्याशित व्यय तथा 1972-73 का परिव्यय इस प्रकार है:— (लाख रुपयों में)

चौथी आयोजना का परिव्यय	व्यय 1969-70	व्यय 1970-71	1971-72 परिव्यय	1971-72 बजट	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 परिव्यय
400.00	48.31	47.61	65.54	64.91	72.21	165.00

4—प्रथम दो वर्षों में व्यय का स्तर कम रहा है । यह मुख्यतया इस कारण से था कि नई स्कीमें प्रारम्भ करने के बजाय वर्तमान दुग्ध योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया । इन वर्षों के दौरान केवल एक ही नई योजना हाथ में ली गई जो अलीगढ़ में नगर दुग्ध सप्लाई योजना के नाम से चलाई गई थी ।

5—जहां तक वास्तविक उपलब्धि का संबंध है, कानपुर दुग्ध प्रायोजना 14 नवम्बर, 1969 को चालू की गई थी । उस समय इस प्रायोजना के अन्तर्गत प्रतिदिन औसतन 1,20,065 लीटर दूध का लेन-देन होता था जब कि लक्ष्य 1,29,400 लीटर प्रतिदिन रखा गया था । 1970-71 के दौरान मिश्रित दुग्ध संयंत्र की एक नई योजना फैजाबाद में चलाई जाने के लिये

अनुमोदित की गई थी किन्तु प्रायोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण यह योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी, मथुरा में दुग्ध सप्लाई संघ चालू किया गया और मुरादाबाद जिले की बेबी फूड फैक्टरी में भी उत्पादन होने लगा है।

6—राज्य में सहकारिता द्वारा दूध का औसत लेन-देन 31–3–70 को 1,20,06 लीटर था जो बढ़कर 31–3–71 को 1,55,142 लीटर हो गया, जब कि इसका लक्ष्य मार्च 1970 के लिये 1,29,400 लीटर और मार्च, 1971 के लिये 1,65,400 लीटर था। जहां तक प्रतिशत का संबंध है, उपलब्धि 1969–70 के लक्ष्य के 92.7 प्रतिशत और 1970–71 के लक्ष्य के 93.8 प्रतिशत तक हुई।

7—वर्तमान दुग्ध योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के कार्य पर 1971–72 के दौरान भी जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष मिश्रित दुग्ध संयंत्र, फैजाबाद नामक केवल एक ही नई प्रायोजना चलाई गई जिसके लिये भूमि की खरीद, भवनों का निर्माण और भीतरी तथा बाहरी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अब प्रायोजना के लिये भूमि फैजाबाद-अयोध्या रोड, रानूपल्ली पर चुन ली गई है। बलिया जिले में एक ग्रामीण दुग्धशाला केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिसके लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त इस वर्ष मेरठ में एक नई दुग्ध सप्लाई योजना चालू की जा रही है। दूध के दैनिक लेन-देन का लक्ष्य 2,32,200 लीटर रखा गया है।

8—चौथी पंचवर्षीय आयोजना के चौथे वर्ष अर्थात् 1972–73 के लिये दुग्धशाला योजनाओं के निमित्त 165.00 लाख रुपये का परिव्यय (जिसमें से 0.20 लाख रु० विकास अन्वेषणालय की दूध के सघन उत्पादन की योजना के लिये है) आवंटित किया गया है। अग्रगामी योजनाओं को पूरा करने और कुछ महत्वपूर्ण नगर दुग्धशाला संयंत्रों का विस्तार करने और उन्हें फिर से चालू करने पर जोर दिया जायगा। 1972–73 के लिये दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध सप्लाई की जो वार्षिक आयोजना तैयार की गई है उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

(1) नगर दुग्ध सम्पूर्ति योजना के अधीन एक नई इकाई हरिद्वार में 10 विधायन इकाइयां जिनमें से प्रत्येक की प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध के लेन-देन की क्षमता हो, और दूसरी इसी प्रकार की इकाई अलीगढ़ में खोले जाने का प्रस्ताव है और इससे राज्य में दुग्ध व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों को अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है और इससे गांव के लोगों को अपनी आय बढ़ाने के और स्रोत भी प्राप्त होंगे। यह योजना राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से कार्यान्वित की जायगी।

(2) दुग्धशाला विस्तार योजना के अधीन वर्तमान तथा प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक प्राथमिक समितियों के सदस्यों के लिये सचल पशु–चिकित्सा संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार वर्तमान तथा प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों की प्रत्येक समिति को प्रत्येक सदस्य द्वारा लाये गये दूध में चिकनाई की मात्रा की जांच करने की सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव है।

(3) वर्ष 1972–73 में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय करने वाले सदस्यों को उत्पादन ऋणों के वितरण के लिये 10.00 लाख रुपया सम्मिलित किया गया है।

(4) राज्य में दूसरा दुग्ध उत्पादन कारखाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना के लिये पहले कदम के रूप में वर्ष 1972-73 में 10.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(5) राज्य में पशुओं के चारे का एक कारखाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 1.00 लाख रुपये की प्रतीक व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

9--उपर्युक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ के दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में उन्नत दुधारू पशु क्रय करने के लिये ऋण के रूप में सहायता देने के निमित्त संस्थागत वित्त भी लिया जा रहा है। योजनायें तैयार कर ली गई है और कृषि पुनर्वित्त उनका परीक्षण कर रहा है।

10—दूध का दैनिक लेन-देन 1972-73 के अन्त तक बढ़ाकर 3,10,700 लीटर कर दिया जायगा।

11—पिछड़े क्षेत्रों के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत नियत 117.52 लाख रुपये के परिव्यय में से, प्रथम तीन वर्षों (1969-72) का प्रत्याशित व्यय 45.44 लाख रुपये है जो कुल परिव्यय का 38.6 प्रतिशत है। इस प्रकार शेष दो वर्षों अर्थात 1972-73 और 1973-74 के लिये कुल परिव्यय में से 72.08 लाख रु० रह जाता है जिसमें से 33.92 लाख रुपये वर्ष 1972-73 के दौरान आवंटित किये जाने का लक्ष्य है।

मद—2—समवर्गीय कार्यक्रम

वर्ग—2.2. दुग्धशाला तथा दुग्ध सम्पूर्ति

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969—74)			वास्तविक व्यय		1971-72		1972—73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मूद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220101	कानपुर दुग्ध प्रायोजना ..	20.00	16.00	..	1.57	8.56	1.40	0.91	..	..	..
220102	नये दुग्ध संघो की स्थापना ..	6.00	1.25	..	3.87	2.06	0.55	5.91	0.40	..	..
220103	बेबी फूड फैक्ट्री, मुरादाबाद ..	33.00	26.40	..	23.07	9.93	..	..	..	..	..
220104	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार ..	8.98	4.84	..	1.94	..	..	..	..	..	..
220105	ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्रों की स्थापना	1.00	0.91	..	..	..	0.80	..	1.00	0.98	..
220106	दुग्धशाला प्रशिक्षण ..	0.27	..	..	0.14	0.09	0.04	0.04	..	..	..
220107	हल्द्वानी दुग्ध यूनियन के प्रसार कार्यक्रम की पूर्ति	5.00	4.00	..	1.00	4.00	..	..	..	..	..

नई योजनायें—

220108	नगर दुग्ध सम्पूर्ति योजना ..	15.00	12.42	..	4.00	1.00	5.00	5.00	20.30	9.24	..
220109	वर्तमान दुग्ध संघों का प्रसार, आधुनिकीकरण तथा पुनर्जीवन ..	50.00	42.00	7.00	1.88	..	9.00	9.00	12.00	9.38	..
220110	दुग्धशाला विकास खण्ड ..	8.00	..	..	0.02	0.08	1.40	0.70	5.00	..	..
220111	दुग्धशाला सर्वेक्षण मूल्यांकन ..	0.75	..	..	0.10	0.29	0.30	0.30	0.60	..	..
220112	उत्पादन ऋण	70.00	70.00	..	9.61	18.00	18.95	18.95	10.00	10.00	..
220113	प्रादेशिक सहकारी दुग्धशाला फेडेरेशन को सहायता ..	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	.
220114	स्टेटरी मिल्क बोर्ड ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
220115	मिल्क प्रोडक्ट फैक्टरी ..	32.00	26.00	2.50	..	..	..	..	10.00	7.60	2.50
220116	कैटिल फीड फैक्टरी ..	20.00	17.20	..	..	..	..	..	1.00	0.80	..
220117	खंसाज और खोलाज के लिये अग्रगामी योजना	5.00	2.95	..	..	..	..	..	2.00	1.20	..
220118	फैजाबाद जिले सहित पूर्वी जिलों के लिये दुग्धशाला योजना ..	50.00	40.24	2.50	..	..	20.00	20.00	24.50	19.70	..

मद—2. समवर्गीय कार्यक्रम

वर्ग—2.2 दुग्धशाला एवं दुग्ध सम्पूर्ति (समाप्त)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969—74			वास्तविक व्यय		1971—72		1972—73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70	1970—71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220119	ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र ..	10.00	8.19	..	..	0.50	3.00	5.25	0.25	0.25	..
220120	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार ..	59.50	27.40	..	0.81	2.70	3.60	4.84	77.00	15.26	..
220121	दुग्धशाला प्रशिक्षण ..	2.50	..	..	0.30	0.40	0.50	1.31	0.75	..	..
220122	दुग्ध विकास निगम ..	..	..	..	..	..	1.00	..	..	..	..
	विकास अन्वेषणालय										
220123	सघन दुग्ध उत्पादन योजना ..	..	..	..	..	..	..	0.18	0.20	..	..
	योग, 2.2 दुग्धशाला तथा दुग्ध का वितरण	400.00	30 .40	12.00	48.31	47.61	65.54	72.39	165.00	74.41	2.50

मत्स्य पालन

उत्तर प्रदेश एक अन्तरस्थलीय राज्य है। सरोवरों, नदियों, झीलों, जलाशयों, पोखरों, तालाबों, आदि के रूप में यहां व्यापक जल संसाधन उपलब्ध हैं। इस राज्य में जो परिरुद्ध जल संसाधन हैं उनकी विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सघन मत्स्य सम्वर्द्धन की महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

2. मत्स्य पालन से सम्बन्धित आयोजनागत योजनायें राज्य में कृषि उत्पादन से सम्बद्ध कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं। स्थूल रूप से मत्स्य पालन सम्बन्धी चालू चौथी पंचवर्षीय आयोजना की तृतीय आयोजना अवधि के दौरान और अंत में प्रारम्भ की गई उत्पादन प्रमुख योजनाओं के क्रम में अथवा उनकी अनुवर्ती आयोजना के रूप में समझा जाना चाहिए। चौथी आयोजना में अतिरिक्त लक्ष्य और निवेश सम्मिलित कर लिये गये हैं जिनके अन्तर्गत मत्स्य बीज उत्पादन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावहारिक शोध की सहायक योजनाएं भी आती हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय को सहकारिता के आधार पर संगठित करने के लिए एक साधारण योजना भी सम्मिलित कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समितियों को मछली मारने की सज्जा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है। किन्तु जलाशयों के अधिकतम उपयोग और सघन मत्स्य संम्बर्द्धन कार्यकलापों के प्रसार जैसी मत्स्य उत्पादन योजनाओं को विशेषरूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक पोषाहार कार्य-क्रम के अन्तर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई हैं।

3. चौथी आयोजना अवधि के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिये परिव्यय के रूप में 90 लाख रु० की धनराशि प्रविष्ट की गई है जब कि इस निमित्त 1969–70 के दौरान 20 लाख रु०, 1970–71 के दौरान 20 लाख रु० तथा 1971–72 के दौरान 21 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। 1969-70 के दौरान 20 लाख रु० और 1970–71 के दौरान 20 लाख रु० के कुल परिव्यय में से सम्बद्ध वर्ष के आय-व्ययक क्रमशः 15.41 लाख रु० और 14.40 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। 1971–72 के दौरान आय व्ययक में इस निमित्त 20.88 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। 1972–72 के लिये 21 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। चौथी आयोजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में कुल 23.74 लाख रु० का व्यय हुआ था। 1971–72 के दौरान 21 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। अभी तक व्यय में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि रचनात्मक कार्य-क्रमों और कर्मचारियों की भर्ती में कुछ विलम्ब हुआ तथा मछली मारने के दिवसों की हानि हुई।

4. राज्य में पर्याप्त संख्या में जल संसाधन उपलब्ध हैं। अनुमान है कि कुल लगभग 11.65 लाख हेक्टेर जल क्षेत्र विद्यमान है जिसमें से 2.83 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र बड़े सरोवरों और झीलों के रूप में और 1.62 लाख हेक्टेयर जल-क्षेत्र ग्रामीण पोखरों और तालाबों के रूप में उपलब्ध है। विभाग का सम्बन्ध परिरुद्ध जल संसाधनों के विकास से है। मार्च, 1971 तक 1,37,319 हेक्टेयर जल क्षेत्र में जिसमें 35 जलाशय, 27 मध्यम गहराई के जल क्षेत्र और 389 विभागीय तालाब सम्मिलित हैं, मत्स्य सम्बर्द्धन कार्य कलाप प्रारम्भ किये गये हैं। 1971–72 के दौरान ए० एन० पी० खण्डों के अलावा दो अतिरिक्त जलाशयों अर्थात गुलेरिया (इलाहाबाद) और

चन्द्रावल (हमीरपुर) में भी यह कार्य शुरू किया जायगा। सिंचाई विभाग द्वारा 6 गोली बंधियां संक्रमित कर दी गई हैं। पांच शुल्क बंधियां जो निर्माण के विभिन्न प्रक्रम में हैं 1971-72 में पूरी हो जायगी।

5. राज्य के जलाशय सम्भागों में श्रमिक मछुआ सहकारी समितियां संगठित की जा रही है। 1971-72 के दौरान दो श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जायगी और 1972-73 के दौरान दो और श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों को ये सुविधायें प्रदान करने का विचार है।

6. बड़े और मध्यम आकार के जलाशयों से मत्स्य उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 1969-70 के दौरान 12,478 कुन्तल मत्स्य उत्पादन हुआ जिससे 31.32 लाख रु० का राजस्व प्राप्त हुआ। 1970-71 में यह उत्पादन बढ़कर कर 14,705 कुन्तल हो गया जिससे 32.59 लाख रु० का राजस्व प्राप्त हुआ। 1969-72 के दौरान. अधिकार में लिये गये नौ जलाशयों में 1972-73 के दौरान मेजर कार्य मछली की 90 लाख उत्तम वृहताकार मत्स्य अंगुलिकायें रखी जायगी। ऐसे नये जलाशयों में अभी मत्स्य-उत्पादन होने की कोई आशा नहीं है। क्योंकि उत्पादन स्तर पर पहुंचने में सामान्यतया 7 से 10 वर्ष तक का समय लग जाता है। किन्तु जंगली और मत्स्य भक्षी मीनों की समाप्त करने के लिये इन जलाशयों में प्रयोगात्मक आधार पर मछली मारने का काम जारी रखा जायगा और 1972-73 के दौरान 36.5 मीट्रिक टन मछली पकड़े जाने का अनुमान किया जाता है।

7. रिहन्द जलाशय में सघन उपयोग और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। लक्ष्य के अनुसार यह कार्यक्रम 1971-72 के दौरान चालू रखा जायगा। 550 मीटरिक टन मत्स्य उत्पादन होने का अनुमान है जिससे 20 लाख रु० की आय होने की आशा की जाती है। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन का औसत जो 1961-62 में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था बढ़ कर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। कीथम जलाशय में मत्स्य सम्बर्द्धन कार्य कलापों के सघनीकरण अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जल की सिवार को नियंत्रित करने, उर्वरीकरण पर प्रयोग करने, मत्स्य संख्या के कुशल प्रबन्ध तथा अवरोधों को दूर करने आदि की प्रकल्पना की गई है और यह कार्यक्रम चालू रखा जायगा। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित नौकुचियाताल, भीमताल, और सात ताल में नियमित रूप से और सघन रूप से मिरर कार्प मत्स्य अंगुलिकायें संग्रह करने का विचार है जिसके लिये भोवाली स्थित मत्स्य अन्ड सेवन गृह (हैचरी) का नवीकरण कर दिया गया है।

8. रिहन्द (मिर्जापुर) और गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र, जौनपुर में क्रमशः जलाशयों में ताजे पानी की मछलियों के वातावरण के अध्ययन तथा देशी और विदेशी मछलियों के संयुक्त सम्बर्द्धन पर अध्ययन से सम्बन्धित भारतीय कृषि शोध परिषद की समन्वित शोध प्रायोजना चालू रखी जायगी।

9. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो सहायक मत्स्य पालन निदेशक और एक ज्येष्ठ मत्स्य पालन निरीक्षक, अर्थात अप्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष बम्बई स्थित केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। इसी तरह आगरा स्थित अंतरस्थलीय कर्मी सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र में विशिष्ठ पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये प्रति वर्ष 15 अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में चार मत्स्य-पालन निदेशक और ज्येष्ठ मत्स्यपालन निरीक्षक को बम्बई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है और इस के अतिरिक्त 35 अभ्यर्थियों को आगरा में विशिष्ठ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण पाने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है। 1972-73 के दौरान प्रशिक्षण पाने के लिये परिलक्षित संख्या में प्रशिक्षार्थियों को प्रतिनियुक्त किया जायगा।

10. मिश्रित मत्स्य उद्योग (फिश फार्मिंग) के लिये विभाग के पास बड़े लम्बे चौड़े कार्यक्रम हैं। कामन कार्प मछली का अभिजनन व्यापक रूप से राज्य भर में किया गया है। और मत्सय अंगुलिकायों के लिये मांग प्राप्त होने पर अब निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में मत्स्य अंगुलिकायें वितरित की जाती हैं। गत दो वर्षों के दौरान इस राज्य में ग्रास कार्प ओटिनो फेरिंगोडाउन इडेलियस और सिलवर कार्य हाइपोथल मिचिस मोलीट्रिक्स नामक मछली की दो अन्य विदेशी प्रजातियों का पालन शुरू किया गया है। इन मछलियों का समुचित प्रजनन सुनिश्चित करने तथा मिश्रित मत्स्य सम्बर्द्धन करने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं।

11. बलिया जिले में उपसीमान्त भूमि वाले किसानों और कृषि श्रमिकों की आवश्यकता के अनुकूल एक विशेष मत्स्य सम्बर्द्धन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायगा। ग्रामीण जनता के लिये अतिरिक्त आय और रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण सेवायोजन की त्वरित योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में मत्स्य सम्बर्द्धन को विकसित करने के विचार से जलक्षेत्रों के सुधार से सम्बन्धित कई योजनायें शुरू की जा रही है।

12. अधिकांश मत्स्य विकास कार्यक्रम राज्य के पिछड़े सम्भागों में चल रहे हैं। पूर्वी जिलों में अर्थात् मिर्जापुर, वाराणसी, गोंडा और बहराइच में कई बड़े और मध्यम गहराई के जलाशय विद्यमान हैं तथा आजमगढ़ और बलिया, जौनपुर और गोरखपुर जिलों में काफी संख्या में झीलें, तालाब और पोखरे स्थित हैं जो अधिकांशतया सम्बन्धित ग्राम समाज में निहित हैं। इसी प्रकार बुन्देलखंड सम्भाग और तराई क्षेत्रों में मानव द्वारा निर्मित कई जलाशय विद्यमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई प्राकृतिक सरोवर हैं। इन सम्भागों के लिये चौथी आयोजना के दौरान 64.24 लाख रु० के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। प्रथम तीन वर्षों (1969-72) में 28.89 लाख रु० व्यय होने का प्रत्याशा है। इस प्रकार शेष दो वर्षों (1972-74) के दौरान 35.35 लाख रु० का परिव्यय बाकी रह जाता है जिसमें से 1972-73 में 19.09 लाख रु० परिव्यय रखा गया है।

मद—2—समवर्गीय कार्यक्रम

वर्ग—2.4. मत्स्य पालन (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240101	जल कुंडों का विकास एवं अन्वेषण	24.84	14.52	..	3.60	4.42	3.10	5.11	4.97	3.26	..
240102	रिहन्द जलकुंड में मत्स्य विभाग का सघनीकरण ..	9.66	0.30	..	1.35	1.50	1.97	2.74	1.98	0.03	..
240103	इंडूस्ड ब्रीडिंग और सिप्रिनस कार्य मत्स्य का सम्बर्द्धन ..	18.03	15.66	..	1.13	1.48	3.24	1.52	4.39	4.39	..
240104	खंड क्षेत्रों में नलकूप का प्राविधान	3.86	3.00	..	0.45	2.49	3.88	2.69	0.75	..	..
240105	अतिरिक्त मत्स्य बीज उत्पादन एवं नर्सरी फार्म का प्राविधान	14.12	11.30	..	..	..	0.20	..	0.10	0.10	..
240106	गन्दगी अध्ययन इकाई की स्थापना	0.85	..	..	0.05	0.09	0.18	0.10	0.18	..	..
240107	श्रम सहकारिता का संगठन ..	1.67	1.10	..	0.03	0.06	0.33	0.29	0.30	0.20	..
240108	मुख्यालय पर कर्मचारियों का शक्तिकरण ..	1.06	..	..	..	..	..	0.09	0.08	..	..
240109	मत्स्य शिक्षा एवं अन्वेषण ..	1.67	..	..	0.16	0.24	0.28	0.18	0.26	..	..
240110	अघनीत योजनायें ..	12.14	12.14	..	1.76	0.49	3.98	0.43	2.83	2.83	..
240111	यूनीसेफकी सहायता से व्यावाहारिक [illegible] कार्यक्रम	2.10			0.90	1.02	1.49	1.88	1.68	..	

240112	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समन्वय से गुजरताल पर भारतीय एवं विदेशीय मछलियों का सम्मिलित मत्स्य पालन कार्यक्रम	..	..	..	..	..	0.29	0.09	0.05	0.10	..	..
240113	गुजरताल पर सघन मत्स्य प्रक्षेत्र का प्रबन्ध ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
240114	विकास खंडों में मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुधार एवं प्रसार	..	..	..	..	..	0.59	0.75	0.69	0.66	0.66	..
240115	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समन्वय से रिहन्द पर अनुसंधान परियोजना ..	..	.	..	..	..	0.21	0.08	0.12	0.09	..	..
240116	भीमताल तथा नवकुचियाताल (नैनीताल) में पर्वतीय मत्स्य विकास	..	..	..	..	..	0.36	..	0.13	2.15	1.88	..
240117	चरखारी (हमीरपुर) स्थित तालाबों में मत्स्य विकास	..	..	..	..	..	..	,.	..	..	..	..
240118	प्रचार इकाई योजना	..	..	.	..	..	..	..		..	..	..
240119	गियर इकाई की प्रसार	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
240120	मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ की व्यवस्था और एक अभियंत्रण इकाई की स्थापना ..	..	..	..	..	0.16	0.24	0.20	0.36	0.40	..	..
240121	कीथम जलाशय (आगरा) में सघन मत्स्य विकास ..	..	..	..	..	..	0.21	0.08	0.10	0.08	..	..
240122	मुख्यालय पर भवनों का निर्माण	..	..	..	..	..	0.45	0.25	..	..	..	..
	कुल योग, 2.4. मत्स्य	..	90.00	58.00	..	9.59	14.14	20.82	16.47	21.00	13.35	..

(8)

वन

वन इस राज्य के, जिसमें कि खनिज संसाधनों का अभाव है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में हैं । इस योजना का वास्तविक उद्देश्य यह है कि वन उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त की जाय । कृषि एवं उद्योग दोनों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि वन उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा उसमें विविधता लायी जाय । इस उद्देश्य को प्राप्त करने की रीति यह है कि शीघ्र उगने वाली कीमती प्रजातियों तथा आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण किया जाय । साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि वर्तमान वन संसाधनों का उपयोग प्रगाढ़ रूप से किया जाय और उन्हें उचित ढंग से उपयोग में लाया जाय । कुल उपलब्ध क्षेत्र को ध्यान में रख कर, राज्य के लिये एक भावी वृक्षारोपण कार्यक्रम तैयार किया गया है । साथ ही वनीकरण कार्यक्रमों से भूमि संरक्षण कार्यक्रमों का सामंजस्य भी स्थापित किया जा रहा है ताकि भूमिका क्षारण कम से कम हो ।

2. वानिकी क्षेत्र में चौथी योजना का परिव्यय 1300 लाख रुपये का है । इसकी तुलना में वर्ष 1969–70 और 1970–71 में कुल 400.21 लाख रुपये का व्यय हुआ और वर्ष 1971–72 के लिये प्रत्याशित व्यय का अनुमान 256 लाख रुपये लगाया गया है । इस प्रकार यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में चौथी योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक 656.21 लाख रुपये की धनराशि या चौथी योजना के परिव्यय का 50.05 प्रतिशत का उपयोग हो जायगा । इन स्कीमों के वास्ते वर्ष 1972–73 के लिये 270 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है ।

3. वानिकी स्कीमों के अधीन भौतिक उपलब्धियां संतोषजनक रही हैं और यह आशा की जाती है कि वर्ष 1971–72 में, विभिन्न स्कीमों के अधीन प्रस्तावित लक्ष्यों को भी पूर्णरूप से प्राप्त कर लिया जावेगा ।

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यतः संबंधित स्कीमें निम्नलिखित हैं (1) आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के प्रजातियों के वृक्ष लगाना (2) ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाना एवं कृषि वानकी और (3) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षों का रोपण । आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों के रोपण की स्कीम के अधीन वर्ष 1969–70 और 1970–71 में क्रमशः 8,290 तथा 8,938 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया गया और वर्ष 1971–72 में इस कार्य को 8,880 हेक्टेयर के एक अतिरिक्त क्षेत्र में पूरा करने की आशा है । ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाने की एवं कृषि वानिकी स्कीम के अधीन वर्ष 1969–70 और 1970–71 वृक्षारोपण में कार्य कुल 2,600 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया पर वर्ष 1071–72 में वृक्षारोपण के कार्य को 1,300 हेक्टेयर के एक और क्षेत्र में पूरा करने की आशा है । शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षों के रोपण की स्कीम के अधीन वर्ष 1969–70 और 1970–71 में वृक्षारोपण का कार्य क्रमशः 13,552 तथा 14,233

हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया और यह आशा की जाती है कि वर्ष 1971–72 में वृक्षारोपण का कार्य 14,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में पूरा कर लिया जावेगा। सड़कों के किनारे-किनारे मार्गों के प्रबन्ध की स्कीम के अधीन वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 1969–70 और 1970–71 में क्रमशः 797 तथा 722 कि० मी० में पूरा किया गया और यह आशा की जाती है कि वर्ष 1971–72 में इस कार्य को 800 कि०मी० और क्षेत्र में आरम्भ किया जावेगा।

5. इस क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वर्ण कार्यक्रम इस प्रकार है—अब वनों में पुनः वृक्षारोपण करना, इमारती लकड़ी के लट्ठे बनाना और वन सड़कों का निर्माण करना; अवनत वनों में पुनर्वृक्षारोपण की स्कीम के अधीन वर्ष 1969-70 और 1970–71 के दौरान बांस तथा साल के वृक्ष क्रमशः 3,230 तथा 5,256 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये। वर्ष 1971–72 में इस कार्य को 7,400 हेक्टेयर और क्षेत्र में पूरा करने की आशा है। "उन्नत इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार करने की स्कीम" के अधीन वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान इमारती लकड़ी के उन्नत लट्ठे तैयार करने की क्रियायें क्रमशः 2,847 तथा 3,700 घन मीटर क्षेत्र में की गयी। वर्ष 1971–72 के दौरान इन क्रियाओं की 3,700 घन मीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में किये जाने की आशा है।

6. संचार साधनों की स्कीम के अधीन, चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 208.5 कि०मी० नई सड़कों का निर्माण 102.30 कि० मी० वर्तमान सड़कों का नवीकरण, 13 पुलों का निर्माण और 236.5 कि०मी० लम्बी नई टेलीफून की लाइनें अधिष्ठापित की गयी। वर्ष 1971–72 के दौरान 275.00 कि० मी० लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया जायगा, 425 कि० मी० लम्बी सड़कों का नवीकरण किया जायगा, 32 पुलों का निर्माण पूरा हो जायगा तथा 270 कि०मी० दूरी तक टेलीफोन की लाईन अधिष्ठापित की जावेगी।

7. चतुर्थ योजना तथा वर्ष 1972-73 के लिये पार्ट कल्पित वन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत न केवल ऐसे उपायों पर बल दिया गया है; जिनके द्वारा वनों पर आधारित उद्योगों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूरा करने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उपलब्ध वन संसाधनों का जिनमें घटिया किस्म की इमारती तथा घरेलू उपयोग की लकड़ी भी सम्मिलित है, और अधिक मितव्ययिता तथा दक्षता से उपयोग हो बल्कि निम्नलिखित उपायों द्वारा उत्पादन और उपज में वृद्धि करने के तत्कालिक उद्देश्य पर भी जोर दिया गया (1) कम मूल्य की घटिया किस्म की वन फसलों के बदले आर्थिक एवं और औद्योगिक महत्व की अधिक उपयोगी फसल पैदा करना (2) शीघ्र उगने वाले वनी प्रजातियों के वृक्षों का रोपण (3) लट्ठे तथा इमारती लकड़ी तैयार करने की अधिक अच्छी तथा आधुनिक प्रविधियां (4) वन संचार पद्धति का विकास।

8. वर्ष 1972–73 के लिये प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों में निम्नलिखित हैं:—(1) 'आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षारोपण की स्कीम" के अधीन 8,880 हेक्टेयर में वृक्षारोपण (2) ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी स्कीम" के अधीन 13,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण, (3) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण की स्कीम" के अधीन 14,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण (4) सड़क के किनारे-किनारे 800 कि० मी० में वृक्षारोपण।

9. अवकृष्ट वनों के फिर से लगाये जाने की स्कीम के अधीन 7900 हेक्टेयर क्षेत्र में सम्बर्धनिक क्रियायें करने का प्रस्ताव है। उन्नत इमारती लकड़ी के लट्ठों को तैयार करने की स्कीम के अधीन इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार करने की क्रियायें 4000 घन मीटर लकड़ी

प्रस्तावित की गयी है। संचार साधनों की स्कीम के अधीन 280 कि०मी० लम्बी नई सड़कों का निर्माण 403 कि०मी० सड़कों का नवीकरण 22 पुलों का निर्माण तथा 274 कि०मी० लम्बी टेलीफोन की लाईन के अधिष्ठापित करने का विचार है।

10. प्रत्येक स्कीम की अद्यावधिक प्रगति तथा वर्ष 1972–73 के दौरान परिकल्पित कार्य कलापों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी—

(1) इस स्कीम का उद्देश्य ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जलाने की लकड़ी की मांग की पूर्ति करना है, जिससे कि गोबर की खाद के रूप में प्रयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिलती है। चतुर्थ योजना की अवधि के दौरान 6,500 हेक्टेयर भूमि में ईंधन की लकड़ी का वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसकी तुलना में चतुर्थ योजना की अवधि के प्रथम तीन वर्षों में 3,900 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपणकार्य पूरा हो जाने की आशा की गयी है। वर्ष 1972–73 में 1300 हेक्टेयर और क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है।

संचार साधन—

(2) इस स्कीम में जो द्वितीय योजना काल से चली आ रही है, नई सड़कों का निर्माण, वर्तमान सड़कों का नवीकरण, पुलों का निर्माण और टेलीफोन लाईन का अधिष्ठापन करने का कार्य किया है। इस स्कीम के अधीन, प्रस्तावित चतुर्थ योजना के लक्ष्य में, 1410 कि०मी० नई सड़कों का निर्माण 3,330 कि०मी० वर्तमान सड़कों का नवीकरण, 200 पुलों का निर्माण तथा 2,022 कि०मी० में टेलीफोन की लाईनों का अधिष्ठापन सम्मिलित है। आशा की जाती है कि चतुर्थ योजना के तीसेरे वर्ष के अन्त तक, 483.5 कि० मी० नई सड़कों का निर्माण, 527.30 कि० मी० वर्तमान सड़कों का नवीकरण, 15 पुलों के निर्माण की समाप्ति तथा 506.5 कि० मी० टेलीफोन की लाईनों का अधिष्ठापन कर दिया जावेगा। वर्ष 1972–73 के दौरान यह प्रस्ताव किया गया है कि 280 कि० मी० नई सड़कों का निर्माण 403 कि०मी० वर्तमान सड़कों का नवीकरण, 22 पुलों का निर्माण तथा 274 कि०मी० टेलीफोन की लाइनों का अधिष्ठापन किया जाय।

शीघ्र उगाने वाली प्रजातियां—

(3) यह स्कीम, जो वर्ष 1962–63 में केंद्र द्वारा पहले पहल चलाई गयी थी, चतुर्थ योजना में राज्य योजना के अन्तर्गत संक्रमित कर दी गयी है। इस स्कीम के अधीन लगाये गये वृक्षों का उपयोग कागज और रेयन ग्रेड पल्प बनाने में किया जाता है। इस स्कीम के अधीन, चतुर्थ योजना का लक्ष्य 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षों का रोपण करना है। आशा की जाती है कि वर्ष 1972–73 के अन्त तक इस स्कीम के अन्तर्गत 41,785 हेक्टेयर क्षेत्र आ जायगा। वर्ष 1972–73 के दौरान यह लक्ष्य है कि इस तरह का वृक्ष 14,000 हेक्टयर के और क्षेत्र में लगाये जायं।

आर्थिक और औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों का रोपण—

(4) इस स्कीम के अधीन किये जाने वाले वृक्षारोपण से विभिन्न उद्योगों जैसे दिया-सलाई की लकड़ी, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड तथा पार्टिकल बोर्ड इत्यादि के लिये कच्ची

सामग्री की मांग की पूर्ति की जाती है। चतुर्थ योजना काल के दौरान 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का विचार है। आशा है कि चतुर्थ योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक, 26,108 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हो जावेगा। वर्ष 1972–73 के लिये 8,880 हेक्टेयर का लक्ष्य है।

उन्नत इमारती लकड़ी के लट्ठे--

(5) इस स्कीम के अधीन चौथी योजना के दौरान 20,000 घन मीटर लकड़ी से इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। चौथी योजना के तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 10,240 घन मीटर की उपलब्धि की आशा की जाती है। वर्ष 1972–73 का लक्ष्य 4,000 घन मीटर है।

अवकृष्ट वनों (Degraded forests) का वृक्षारोपण--

(6) चौथी योजना के दौरान, इस स्कीम के अन्तर्गत, 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वनवर्धन क्रियायें किये जाने का प्रस्ताव है। इसकी तुलना में चौथी योजना के पहले तीन वर्षों की प्रत्याशित उपलब्धि 15,895 हेक्टेयर है। वर्ष 1972–73 के लिये 7,900 का लक्ष्य है।

प्रकृति द्वारा संरक्षण--

(7) यह स्कीम, जो दूसरी योजना से चली आ रही है, मूल रूप से सम्पूर्ण राज्य के वन्य जीवों की संरक्षण, पार्कों पशु विहारों (सैंकचुअरीज) के अनुरक्षण तथा सुधार एवं अवन्य पशुओं आदि की गणना से संबंधित है। ये कार्य चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान चलते रहे हैं और 1972–73 के दौरान भी चलते रहेंगे।

वन शोध--

(8) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कार्य योजना तथा शोध (Working Plan & Research) की एक संयुक्त स्कीम के अधीन शोध कार्य आरम्भ किया गया था किन्तु वर्ष 1966–67 से वानिकी शोध (Forestry Research) की एक अलग स्कीम प्रारम्भ की गयी और इसे चौथी योजना के दौरान चालू रखने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अधीन देशी तथा विदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण आरम्भ करने के संबंध में शोध कार्य किया जा रहा है। पहाड़ी, पीपल, यूकलिप्टस और उष्ण कटिबन्धीय चीड़ के अध्ययन पर उनके शीघ्र बढ़ने की गति तथा औद्योगिक महत्व के कारण विशेष जोर दिया जा रहा है।

वनसंसाधन सर्वेक्षण (केन्द्रद्वारा पुरोनिधानित)--

(9) यह स्कीम, जो तीसरी योजना की अवधि के दौरान राज्य योजना के अधीन सम्मिलित की गई थी, अब चौथी योजना में एक केंद्रीय पुरोनिधानित स्कीम में बदल दी गई है। यह स्कीम से यह ज्ञात करने के लिये सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी कि वन उपज की विभिन्न मदों में से कौन-कौन सी उपज कहां-कहां पर कितनी मात्रा में होती है। इस स्कीम के अधीन 1971–72 के अन्त तक 1,81,224 हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो जाने की आशा है जबकि चौथी योजना का लक्ष्य 2,50,000 हेक्टेयर का है। 1972–73 के दौरान 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करना है।

प्रकीर्ण—

(10) इस क्षेत्र के अधीन प्रकीर्ण कार्यक्रमों में निम्नलिखित स्कीमें सम्मिलित हैं :

(1) कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण, (2) भवनों का निर्माण, (3) वन विषयक प्रचार, (4) सार्वजनिक निर्माण विभाग से ली जाने वाली सड़कों के किनारे-किनारे मार्ग का प्रबन्ध, (5) कार्य योजनाओं (वर्किंग प्लान) का पुनरीक्षण और उन्हें तैयार करना, (6) वन अर्थ शास्त्र तथा संख्या प्रभाग, और (7) अग्नि सुरक्षा।

11. चौथी योजना की अवधि के दौरान उक्त प्रशिक्षण स्कीम के अधीन, जिसमें कि 5 अरण्यपालों/उप अरण्यपालों, 9 भारतीय सेवा/ प्रांतीय अरण्य सेवा अधिकारियों, 20 वन रेंजरों, 275 उप रेंजरों। वन पालों (फारेक्टर्स) और 606 वनरक्षियों (फारेस्ट गार्डों) को प्रशिक्षण देने का विचार है। यह आशा की जाती है कि 1970–71 के अन्त तक उक्त प्रशिक्षण 5 अरण्यपालों/उप अरण्यपालों, जिनमें एक भारतीय वन सेवा। प्रांतीय वन सेवा के हैं, 4 वन रेंजरों, 165 उप रेंजरों वनपालों और 360 वनरक्षियों (फारेस्ट गार्डों) को प्रशिक्षण दिया जा चुकेगा। 1972–73 के दौरान 1 अरण्यपाल/उप अरण्यपाल, 55 उप रेंजरों/वनपालों और 120 वनरक्षियों (फारेस्ट गार्डों) को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।

12. भवनों की स्कीम के अधीन, जिसमें चौथी योजना की अवधि के दौरान 240 भवनों के निर्माण का विचार है, चौथी योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक आशा है 148 भवन बन कर तैयार हो जायेंगे। 1972–73 के दौरान 70 और भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।

13. वन प्रचार स्कीम के अधीन, जो तीसरी योजना से चली आ रही है, प्रचार कार्य समाचार-पत्रों, प्रकाशनों और पुस्तिकाओं (पैम्फलेट्स) के वितरण आदि द्वारा किया गया है। प्रचार कार्य पूरी चौथी योजना अवधि में चलता रहेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग से ली जाने वाली सड़कों के किनारे-किनारे मार्गों के प्रबन्ध की स्कीम के अधीन 1971–72 के अन्त तक सार्वजनिक निर्माण विभाग से 2,056 किलोमीटर क्षेत्र लिया जायगा और इस अवधि में 2,319 किलोमीटर में वृक्षारोपण कार्य पूरा हो जाने की आशा है। 1972–73 के दौरान 800 किलोमीटर और क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। इस स्कीम के अधीन चौथी योजना का वृक्षारोपण लक्ष्य 4,000 किलोमीटर है।

14. वन क्षेत्रों में वृद्धि होने तथा विकास की स्कीमों के प्रभाव स्वरूप, जितनी सामान्य बजट में व्यवस्था की गई थी; उससे अधिक तीव्र गति से इन कार्य योजनाओं को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ी। तदनुसार कार्य योजनाओं के पुनरीक्षण तथा उन्हें तैयार करने की एक स्कीम तीसरी योजना में प्रारम्भ की गई और यह स्कीम चौथी योजना में चल रही है।

15. वन अर्थ तथा संख्या प्रभाग की स्कीम, जो वर्ष 1966–67 से चल रही है, सांख्यिक आंकड़ों के संग्रह, उसके संकलन सांख्यिक विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या (interpretation) से मुख्यतः संबंधित है। उक्त स्कीम के अधीन कार्य चालू है।

16. अग्नि सुरक्षा स्कीम के अधीन 1971–72 के अन्त तक 3 अग्निशमन इकाइयां स्थापित की गई थीं तथा 5 और इकाइयां स्थापित किये जाने का कार्य चालू रहा। वर्ष 1972–73 के लिये किसी कार्यक्रम का विचार नहीं किया गया है। चौथी योजना की अवधि के दौरान उक्त स्कीम में ऐसी आठ इकाइयां स्थापित किये जाने का विचार है।

17 वानिकी क्षेत्र के अधीन पिछड़े हुए क्षेत्र (उत्तराखण्ड को छोड़कर) के लिये चौथी योजना का कुल परिव्यय 720.02 लाख रु० है। इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 404.46 लाख रु०, पूर्वी जिलों के लिये 280.56 लाख रु० तथा बुन्देलखंड के लिये 35 लाख रु० सम्मिलित है। इसकी तुलना में पहले तीन वर्षों के प्रत्याशित व्यय की धनराशि 372.82 लाख रु० है, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों का 183.83 लाख रु0, पूर्वी जिलों का 157.96 लाख रु० और बुन्देलखंड का 31.03 लाख रु० का प्रत्याशित व्यय सम्मिलित है।

18. पिछड़े हुये क्षेत्रों (उत्तराखण्ड को छोड़कर) के लिये 1972–73 के हेतु 171.53 लाख रु० के कुल परिव्यय का लक्ष्य है। इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 93.87 लाख रु०, पूर्वी जिलों के लिये 57.79 लाख रु० और बुन्देलखंड के लिये 19.87 लाख रु० सम्मिलित है।

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.3 वन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
230101	आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की जातियों का वृक्षारोपण ..	310.00	..	..
230102	निम्नवर्गीय वनों का पुनरुद्धार ..	25.00	..	..
230103	प्रकाष्ठ के उन्नत लट्ठे तैयार करना ..	45.00	..	..
230104	संचार साधन, सड़कें, पुल तथा टेलीफोन लाइनें (जीप की व्यवस्था सहित)	150.00	..	..
230105	कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	38.00	..	..
230106	भवन ..	15.00	..	..
230107	वन प्रख्यापन ..	10.00	..	.
230108	प्रकृति का परीक्षण ..	35.00	..	..
230109	वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे के पेड़ों का प्रबन्ध करना ..	50.00	..	..
230110	कार्य आयोजनाओं का बनाना और पुनरीक्षण	25.00	..	..
230111	वन संबंधी शोध कार्य ..	25.00	..	..
230112	वन अर्थ संख्या प्रभाग की स्थापना ..	3.00	..	..
230113	ईंधन तथा कृषि वानिकी	32.00	..	..
230114	शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण ..	537.00	..	54.00
230115	अग्नि से सुरक्षा ..	..	..	..
	सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के लिये एक मुश्त परिव्यय ..	..	..	..
	योग 2.3—वन ..	1300.00	..	54.00

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 (परिव्यय)		
1969-70	1970-71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
60.39	53.15	60.00	60.00	62.00	..	..
3.04	2.74	6.00	6.00	6.50	..	..
5.89	6.34	6.35	6.35	9.66	..	..
					..	..
5.82	5.37	20.00	20.00	34.00	..	..
6.13	5.28	10.94	10.94	9.00	..	..
1.56	2.39	5.26	5.26	5.79	..	..
1.97	2.14	2.10	2.10	2.50	..	..
5.81	6.43	10.00	10.00	10.00	..	..
11.23	11.56	14.40	14.40	12.80	..	..
2.65	1.85	5.00	5.00	5.00	..	..
2.40	2.90	7.08	7.08	8.00	..	..
0.28	0.37	0.75	0.75	0.80	..	..
5.83	6.01	6.05	6.05	6.25	..	..
93.48	85.41	94.34	94.34	95.00	..	..
..	1.79	4.71	4.71	2.20	..	..
..	..	3.02	3.02	..	..	..
206.48	193.73	256.00	256.00	270.00	..	..

(9)

सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

(1) सहकारिता

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियां प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहकारी संगठन को एक समुचित अभिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसका स्वरूप ही ऐसा है कि उससे इस बात की आशा की जाती है कि उसके विचार और कार्य सामाजिक प्रयोजन से प्रेरित होंगे। सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक संगठन के रूप में कार्य करते हुए एक विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है अर्थात् उन्हें समाज के कमजोर वर्ग तक अपनी पहुंच करनी है।

2. चौथी आयोजना की प्रमुख बात यह है कि विकास के साथ-साथ स्थिरता भी होनी चाहिए। अतः इस दृष्टि से आयोजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहकारी समितियों का प्रमुख स्थान है। विकास प्रक्रिया में संस्थानिक वित्त एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। ऐसे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किसी ठोस और स्वस्थ सहकारी ढांचे पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में सहकारी संगठनों को सुप्रवाही बनाना, सुदृढ़ करना और पुनर्जीवित करना विशेषरूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

3. सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी, उद्योग और वित्त विभागों की योजनायें आती हैं। इस क्षेत्र के लिये चौथी आयोजना का परिव्यय, वर्ष 1969–70 और 1970–71 का व्यय, वर्ष 1671–72 के लिये परिव्यय और प्रत्याशित व्यय तथा वर्ष 1972–73 के लिये परिव्यय नीचे दिये गये हैं:—

(लाख रुपयों में)

विभाग	चौथी आयोजना का परिव्यय	व्यय 1969-70	व्यय 1970-71	1971–72 परिव्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
सहकारिता	1000.00	31.91	143.47	285.40	277.08	277.00
उद्योग	50.00	10.00	30.00	40.00	40.00	40.00
वित्त	50.00	3.71	5.27	8.00	9.79	11.00
योग	1100.00	45.62	178.74	333.40	326.87	328.00

सहकारिता विभाग की योजनायें

4. कृषि के आधुनिकीकरण के लिये कृषि उधार के संबंध में पर्याप्त और सामयिक तथा सुप्रसारित संस्थानिक सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसलिये प्राथमिक स्तर पर ढांचे के अभिनवीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समितियों की अर्थ-क्षमता के बारे में मानक तयार कर लिये गये हैं और आर्थिक दृष्टि से सक्षम समितियों की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण किये गये हैं। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है जिसका कारण यह है कि स्थानीय नेताओं से समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और वे इसके प्रति उदासीन रहे। चौथी आयोजना के प्रारम्भ में 1392 अर्थ-सक्षम सहकारी समितियां गठित की गई

थीं। इसमें 1969-70 के दौरान 522 और 1970-71 के दौरान 405 की और वृद्धि हुई है। 1971-72 के दौरान ऐसी 1,000 समितियां गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या में 1969-70 के दौरान 2.83 लाख और 1970-71 के दौरान 3.06 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। आशा है कि 1971-72 के दौरान उनकी संख्या में 3.50 लाख की और वृद्धि होगी। इसी प्रकार प्राथमिक समितियों की अंश पूंजी और निक्षेप की धनराशि में 1969-70 के दौरान क्रमशः 1.69 करोड़ और 0.40 करोड़ रु० की तथा 1970-71 के दौरान क्रमशः 151.25 करोड़ रु० और 103.36 करोड़ रु० की वृद्धियां हुई हैं। 1971-72 के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके अन्तर्गत अंश पूंजी और निक्षेप के रूप में क्रमशः 1.11 करोड़ रु० और 0.50 करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशियों की व्यवस्था की जायगी। सहकारी समितियों द्वारा ऋण प्रदान करने से संबंधित कार्यकलाप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1969-70 के दौरान कुल 64.41 करोड़ रु० और 1970-71 के दौरान 55.97 करोड़ रु० के अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण दिये गये थे। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त वर्षों में क्रमशः 17.54 करोड़ रु० और 18.9 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण दिये गए। वर्ष 1971-72 के दौरान अल्प और मध्यम कालिक ऋण के रूप में 59 करोड़ रु० और दीर्घकालिक ऋण के रूप में 20 करोड़ रु० की धनराशि संवितरित करने का विचार है।

5. राज्य की विभिन्न तहसीलों के मुख्यालय पर राज्य भूमि विकास बैंक ने 1969-70 के दौरान अपनी 20 शाखायें और 1970-71 के दौरान 12 शाखायें खोलीं जबकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने 1969-70 के दौरान 25 और 1970-71 के दौरान 36 शाखायें खोली हैं। आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भूमि विकास बैंक की 10 शाखायें और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 30 शाखायें खोली जायेंगी। कमजोर जिला/केंद्रीय सहकारी बैंकों की कार्यदक्षता सुधारने के लिये एक समीक्षा समिति गठित की गई है जो इन कमजोर बैंकों की कार्यप्रणाली की विस्तृत रूप से जांच करेगी और उन्हें पुनः स्थापित करने के लिये विशिष्ट मार्ग-निर्देशनों का सुझाव देगी। इनमें से कुछ बैंकों में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है जिसके फलस्वरूप रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने उनके लिये उधार सीमायें स्वीकृत कर दी हैं।

6. कृषि उत्पादन कार्यक्रम के साथ-साथ वर्तमान सहकारी विपणन समितियों को सुदृढ़ करने के लिये भी कार्यवाही की गई है। राज्य में सहकारी विपणन ढांचा विभिन्न स्तरों पर गठित किया गया है। राज्य में इस समय 205 प्राथमिक समितियां और एक शीर्ष समिति है। वर्तमान विपणन समितियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1969-70 के दौरान दो समितियों के लिये अतिरिक्त सरकारी अंशदान के रूप में 45,000 रु० प्रति समिति के हिसाब से धनराशि की व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक विपणन समितियों और उनके शीर्ष संगठन ने 1969-70 के दौरान 21.43 करोड़ रु० और 1970-71 के दौरान 30.81 करोड़ रु० के मूल्य की कृषि उपज का लेन-देन किया। 1971-72 के दौरान उनके द्वारा 35.00 करोड़ रु० के मूल्य की कृषि उपज का लेन-देन किये जाने की आशा है।

7. सहकारी विधायन इकाइयों को विकसित करने के लिये एक सम्मिलित कार्य क्रम शुरू किया गया है। वर्ष 1967-68 तक 117 विधायन इकाइयां (प्रोसेसिंग यूनिटस) स्वीकृत की गई थीं। 58 इकाइयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। 13 समितियों द्वारा सरकारी हिस्से के अंशदान को प्रत्यर्पित किये जाने के कारण ऐसी समितियों की संख्या वर्ष 1970-71 के दौरान 91 थी जिनमें से वास्तव में 62 इकाइयां अधिष्ठापित की गई थीं। 1970-71 के अन्त तक ऐसी इकाइयों की कुल संख्या बढ़कर 93 तक पहुंच गई। इसके

अतिरिक्त वर्ष 1970–71 के दौरान 2 नये शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) स्थापित किये गये। वर्ष 1971–72 के दौरान 10 नये शीतागार स्थापित होंगे।

8. सहकारी कृषि के क्षेत्र में 1968–69 के अन्त तक 1403 संयुक्त और सामूहिक कृषि समितियां संगठित की गई थीं। वर्ष 1969–70 के दौरान पांच वर्तमान समितियों को पुनः सशक्त बनाया गया। वर्ष 1970–71 के दौरान किसी नये संगठन को स्थापित करने की परिकल्पना नहीं की गई थी। इस समय वर्तमान इकाइयों को ही संगठित करने और उनके कार्य संचालन में सुधार करने पर जोर दिया जा रहा है।

9. सदस्यों की शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 के दौरान 54,500 गैर सरकारी सदस्यों को और 1970–71 के दौरान 55,000 गैर सरकारी सदस्यों की सचल इकाइयों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त दो सहकारी प्रशिक्षण संस्थान में 1969–70 के दौरान 197 अधीनस्थ कर्मचारियों को और वर्ष 1970–71 के दौरान 175 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह आशा की जाती है कि 1971–72 के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 100 अधीनस्थ कर्मचारियों को और सचल इकाइयों के माध्यम से 57,000 गैर सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायगा।

10. वर्ष 1972–73 चौथी पंचवर्षीय आयोजना का निर्णायक वर्ष है। वर्ष 1972–73 के लिये सहकारी विभाग की वार्षिक आयोजना पर जो जनता की आकांक्षा को पूरी करने के लिये बनाई गई है, कुल 2.89 करोड़ रु० का परिव्यय होगा। इसके अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से सक्षम 500 नई समितियां संगठित करने, सदस्यों की संख्या में 3.50 लाख की वृद्धि करने तथा प्राथमिक उधार समिति के स्तर पर अतिरिक्त अंश पूंजी और अतिरिक्त निक्षेपों के रूप में क्रमशः 1.14 करोड़ रु० और 0.50 करोड़ रु०, इकट्ठा करने की परिकल्पना की गई है। आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और सक्षम नई समितियों के लिये 4.50 लाख रु० की प्रबन्धकीय राज सहायता को व्यवस्था की गई है। ऋण के परिमाण में भी वृद्धि की जायगी। अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋणों के रूप में 62 करोड़ रु० और दीर्घकालिक ऋण के रूप में 20 करोड़ रु० का ऋण देने का प्रस्ताव है। एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा पुर्नवित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं के लिये 9 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की एक सौ शाखायें भी खोली जानी हैं। किसानों को निकटतम स्थानों पर संस्थागत उधार सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यक्षमता में कोई शिथिलता आये बिना छोटे किसानों को सरलतापूर्वक और अधिकाधिक निधियां उपलब्ध होती रहें, दृढ़ प्रयास किये जायेंगे। प्रत्येक शाखा के लिये 8,000 रु० के हिसाब से प्रबंधकीय राज सहायता का प्रतिरूप अनुमोदित है। 1972–73 की आयोजना में लक्ष्य है कि प्रबंध सम्बन्धी राजसहायता की धनराशि 18,000 रु० होनी चाहिये की तीन वर्षों में इस तरह दी जानी चाहिये कि प्रतिवर्ष उसकी धनराशि उत्तरोत्तर घटती रहे। आशा है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के 5.40 करोड़ रु० के मूल्य के ऋण पत्र खरीदेगी। सहकारी उधार संस्थाओं की अंश पूंजी में 100 लाख रु० तक का अभिदान करने का भी लक्ष्य है इस सबका उद्देश्य ऋण संबंधी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है ताकि ऋण सम्बन्धी कार्यकलापों का प्रसार किया जा सके।

11. 1972–73 की वार्षिक आयोजना में 4 सहकारी विपणन समितियों और 2 विधायन इकाइयों को संगठित करने की परिकल्पना की गई है। गोदामों के निर्माण संबंधी कार्यक्रम का प्रसार किया जा रहा है। जिला स्तर के 24 और मंडी स्तर के 48 गोदामों का निर्माण करने के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन) द्वारा ऋण और राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। सहकारी गोदाम केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिये ग्रामीण गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है।

1972-73 में ऐसे 75 गोदाम बनवाने का लक्ष्य है। सहकारी टेक्सटाइल मिल और वेजिटेबिल आयल इंडस्ट्रीज काम्प्लेक्स अतिरिक्त अंशक खरीदने के लिये भी धन की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1972-73 की वार्षिक आयोजना में मध्यम आकार के पांच फुटकर उपभोक्ता भण्डार खोलने का भी लक्ष्य है। एक आधुनिक ढंग का चावल मिल खोलने का भी लक्ष्य है। वर्ष 1972-73 में रिक्शा चालकों को महाजनों के शोषण से उन्मुक्त करने के लिये श्रम सहकारिता एवं रिक्सा चालक की नई स्कीम चलाने का लक्ष्य है। पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ कर राज्य के शेष भागों में एक रिक्सा चालक सहकारी संघ संघठित होगा। सहकारी क्रय-विक्रय तथा विधायन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसी कई योजनायें सम्मिलित करने का विचार है जिन्हें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित किया गया है। ऐसी योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था निगम द्वारा आयोजना के बाहर से की जाती है। 23 विधायन इकाइयों के लिये 1972-73 की वार्षिक आयोजना में 14.21 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि-सेवा केन्द्र के स्थापित करने की एक नयी योजना भी सम्मिलित की गयी है।

12. सहकारी विकास की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनायें, जो सहकारी विभाग के पंच वर्षीय आयोजना में सम्मिलित कर ली गयी हैं, प्रावस्थाभाजित रीति से कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

सहकारी कृषि-ऋण

13. इस योजना के अन्तर्गत चौथी आयोजना के दौरान छोटी और कमजोर समितियों को समेकित/पुनर्गठित करके सभी प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों को शनैः शनैः अर्थ-क्षम अथवा सशक्त अर्थ-क्षम समितियों में बदलने का प्रस्ताव है। चौथी आयोजना अवधि में 2,500 अर्थ-क्षम समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है और आशा है कि आयोजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक 1927 समितियां गठित हो जायेंगी। 1972-73 के लिये 500 समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथी आयोजना अवधि में इन समितियों की सदस्यता में 17 लाख की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। आशा है कि चौथी आयोजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक सदस्य संख्या में 9.39 लाख की वृद्धि हो जायगी। अगले वर्ष के लिये प्रस्तावित लक्ष्य 3.50 लाख का है। चौथी आयोजना अवधि के दौरान अंश पूंजी और जमा धनराशियों में क्रमशः 5.50 करोड़ रु० और 2.50 करोड़ रु० की वृद्धि की जायगी। आयोजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में इन दो मदों के संबंध में क्रमशः 4.31 करोड़ रु० और 2.00 करोड़ रु० तक की उपलब्धियां प्रत्याशित हैं। 1972-73 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य क्रमशः 1.14 करोड़ रु० और 0.50 करोड़ रु० है। चूंकि इन में से प्रत्येक समिति का एक वैतनिक मंत्री होगा, अतएव तीन वर्षों के लिये प्रत्येक समिति को 1,800 रु० की दर से प्रबन्धकीय राज सहायता देने की व्यवस्था इस आधार पर की गई है कि प्रबन्धकीय राज सहायता की धनराशि में प्रतिवर्ष कमी की जाती रहेगी। इस पर चौथी आयोजना अवधि के दौरान 1.17 करोड़ रु० व्यय होगा।

14. सहकारी ढांचे में किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग छोटे और सीमान्त किसानों का है जो खेतिहर समुदाय के कमजोर तबके का प्रतिनिधित्व भी करता है। अतएव छोटे और सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा भूमिहीन मजदूरों को सहायता करने के उद्देश्य से अल्पकालिक और मध्यम कालिक ऋणों के वितरण स्तर बढ़ाकर वर्ष 1973-74 तक 85 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रयोजनों के निमित्त दीर्घकालिक ऋणों के रूप में 100 करोड़ रु० की धनराशि भी वितरित की जायगी। अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋणों के वितरण का स्तर 1971-72 के अन्त में 59.50 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है। 1972-73 के लिये प्रस्तावित स्तर 62 करोड़ रु० धनराशि है। 1972-73 के दौरान दीर्घकालिक आधार पर ऋण प्रदान करने का लक्ष्य 20 करोड़ रु० रखा गया है।

15. इस समय राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक (सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक) है। ग्रामीणों को अपनी बचतें बैंकों में जमा करने के लिये उधार संबंधी सुविधायें उनके अधिक समीप ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये बैंक अपनी शाखायें तहसील मुख्यालयों में खोल रहे हैं। 1971-72 के अन्त तक इस बैंक की इकानवे शाखायें खुल जाने की संभावना हैं, यद्यपि चतुर्थ आयोजना में 44 शाखायें खोलने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1972-73 में ऐसी दो सौ शाखायें खोलने का प्रस्ताव किया गया है। चौथी आयोजना अवधि में इन बैंकों के सदस्यों से अंश पूंजी के रूप में 3.50 करोड़ रु० और निक्षेप के रूप में 7.50 करोड़ रु० एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यू०पी० कोआपरेटिव बैंक, जो उधार देने वाला एक शीर्षक संगठन है और सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन के वित्त पोषण के लिये उत्तरदायी है, की अंशपूंजी तथा निक्षेप धनराशि में क्रमशः 1 करोड़ रु० और 6 करोड़ रु० की वृद्धि की जायगी।

16. जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रमुख कर्मचारियों का एक सर्व-समुच्चय (कामन पूल) सृजित करने के लिये चतुर्थ आयोजना में 6.25 लाख रु० की राज सहायता देने की व्यवस्था की गयी है, और ये बैंक समुच्चय में सम्मिलित किये गये प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को एक वर्ष का प्रशिक्षण देंगे। पर्वतीय जिलों की तहसीलों को छोड़कर राज्य की प्रत्येक तहसील में उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चौथी आयोजना अवधि में उक्त बैंक की सैंतीस नयी शाखायें खोलने का लक्ष्य है। राज्य सरकार इस बैंक के ऋण पत्र खरीदने के लिये 21 करोड़ रु० की धनराशि विनियोजित करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भूमि विकास बैंक के अंशकों में भी 1 करोड़ रु० का अंशदान करेगी।

17. राज्य कृषि उधार (सहायता तथा प्रत्याभूति) निधि 1957-58 के दौरान सृजित की गयी थी ताकि फसलों के पैदा न होने, दुर्भिक्ष, बाढ़ और सूखा आदि जैसे कारणों से जिन पर ऋणगृहीता का कोई नियन्त्रण न हो, जिन ऋणों का वसूल हो सकना सम्भव न हो, उन्हें बट्टे खाते डालने के लिये उसका उपयोग किया जा सके। इस निधि के अधीन 15.15 लाख रु० के वर्तमान शेष में चौथी आयोजना अवधि के दौरान 10 लाख रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।]

18. विशेष अशोध्य ऋण रक्षित निधि से संबंधित कार्यक्रम तीसरी आयोजना के दौरान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक समितियों तथा जिला/केन्द्रीय बैंकों को इस योग्य बनाना था कि वे सीमान्तभूमि वाले किसानों और उप सीमान्त भूमि वाले किसानों को उनके द्वारा पूर्वगामी वर्ष में अधिक दिये गये ऋण के क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के हिसाब से ऋण प्रदान कर सके। चौथी आयोजना के दौरान यह प्रस्ताव किया गया है कि यह अनुदान ग्रामीण प्राथमिक समितियों तथा जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पूर्वगामी वर्ष में उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को दिये गये अधिक ऋण पर क्रमशः 12 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जाय। इस निमित्त ग्रामीण प्राथमिक समितियों के लिये 75 लाख रु० तथा जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिये 25 लाख रु० की तदर्थ व्यवस्था की गयी है।

सहकारी कार्यक्रम—

19. इस योजना के अन्तर्गत सहकारी ऋण को क्रय-विक्रय से सम्बद्ध करने का कार्यक्रम दूसरी आयोजना अवधि में आरम्भ किया गया था और तब से यह कार्यक्रम बराबर चल रहा है। चौथी आयोजना के दौरान वर्तमान समितियों को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जायगा। चौथी आयोजना अवधि में सात नयी प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां उन नयी मंडियों में गठित करने का प्रस्ताव है जो कृषि उपज के बड़े परिमाण में अतिरेक होने के फलस्वरूप स्थापित होंगी। ऐसी तीन समितियां 1971-72 के अन्त तक गठित हो जाने की आशा है और तीन

समितियां 1972-73 में गठित की जायंगी। प्रत्येक नयी क्रय-विक्रय समिति के अंशक खरीदने के लिये राज्य द्वारा 25,000 रु० तक की धनराशि लगाई जायगी। चौथी आयोजना अवधि के दौरान सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान 8 क्रय विक्रय समितियों को, 45,000 रु० प्रति समिति की दर से उनके अंशक खरीद कर तथा चयन के आधार पर अन्य 4 क्रय विक्रय समितियों को 80,000 रु० प्रति समिति की दर से उनके अतिरिक्त अंशक खरीद कर सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। शीर्षक क्रय-विक्रय समिति को चौथी आयोजना अवधि में अतिरिक्त, अंश-पूंजी-अंशदान के रूप में 30 लाख रु० प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि वह उर्वरकों, नाशिकीटनाशक औषधियों, संकर बीजों आदि के लेन-देन सम्बन्धी राज्य लक्ष्य का 50 प्रतिशत प्राप्त करने की अपनी जिम्मेदारी निभा सके। प्रमुख कर्मचारियों का एक सामान्य संवर्ग (कैडर) सृजित करने के लिये भी उसे राज सहायता प्रदान की जायगी। पूर्ण रूप से खरीद ली गयी कृषि उपज के निस्तारण में अन्तर्निहित हानि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चुनी हुई विभिन्न क्रय-विक्रय समितियों के स्तर पर अलग-अलग एक विशेष मूल्य घट-बढ़ निधि सृजित की जा रही है। चतुर्थ आयोजना में इस निधि के लिये सरकारी अंशदान के रूप में 30 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

शक्कर कारखानों से भिन्न सहकारी इकाइयां —

20. 1968-69 के अन्त तक इस राज्य में विधायन इकाइयों की कुल संख्या 101 थी जिनमें से 58 इकाइयों ने कार्य करना शुरू भी कर दिया था। चौथी आयोजना अवधि में शेष इकाइयां भी चालू हो जायंगी और वर्तमान इकाइयों की कार्य-क्षमता में सुधार किया जायगा। चौथी आयोजना अवधि में आठ नयी इकाइयां भी गठित की जायंगी। चौथी आयोजना में सहकारी सूतीवस्त्र कारखाना, बुलन्दशहर तथा हाईड्रोजनेशन संयंत्र, बदायूं के अंशक खरीदने के लिये भी धन-व्यवस्था उपलब्ध है।

सहकारी कृषि संबंधी सम्पूर्ति —

21. सदस्य किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों की सम्पूर्ति का कार्य सहकारी बीज भंडारों द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के समस्त ग्रामीण अंचलों में फैले हुये हैं, किया जा रहा है। रबी तथा खरीफ की विभिन्न प्रकार की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज बुआई मौसम शुरू होने के बहुत पहले संग्रहीत कर लिये जाते हैं। गेहूं और धान की नव विकसित विदेशी किस्मों के बीजों तथा अन्य संकर बीजों को विश्वसनीय अधिकरण के माध्यम से खरीद कर संग्रह किया जाता है। अधिक उपज देने वाली फसलों के बीज खरीदने के लिये सहकारी संस्थाओं को अपने पास से धन विनियोजित करना होगा। ऐसे बीजों के व्यापार तथा वितरण के लिये सरकार इन संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करती है। सहकारी संस्थायें अपने सदस्यों को उनकी निश्चित आवश्यकताओं के लिये कृषि संबंधी औजार प्राप्त करने के लिये भी न हानि न लाभ के आधार पर अपने सीमित संसाधनों से सहायता देती हैं। पौधा संरक्षण संबंधी कार्यवाहियों की व्यवस्था करने के लिये भी किसान सदस्यों को उधार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

सहकारी संग्रहागार —

22. इस योजना के अन्तर्गत चौथी आयोजना के दौरान 200 ग्रामीण गोदामों, 10 संभागीय गोदामों, 38 जिला गोदामों और 164 व्यापार केन्द्र गोदामों का निर्माण करने का विचार है। 1972-73 के दौरान 75 ग्रामीण गोदामों, 24 जिला स्तर के गोदामों और 48 व्यापार केन्द्र गोदामों के निर्माण के लिये राज सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। चौथी आयोजना के दौरान संभागीय, जिला और व्यापार केन्द्र गोदामों की कुल संग्रहण क्षमता

क्रमशः 77,000 मीटरिक टन, 1,33,000 मीटरिक और 1,23,000 मीटरिक टन होगी। आयोजना में निर्माण व्यय के 37 1/2 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी है, जो इस कार्यक्रम के लिये राज सहायता के रूप में प्रदान किया जायगा। सहायता के ऋण संबंधी भाग के लिये धन की व्यवस्था कृषि पुनर्वित्त निगम (एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कारपोरेशन) के माध्यम से किया गया है। चतुर्थ आयोजना में चार नये शीतागार का निर्माण करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिनके लिये 7.50 लाख रु० प्रति शीतागार की दर से वित्तीय सहायता देने के लिये चौथी आयोजना में धन की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान नौ शीतागारों को अतिरिक्त ऋण दिये जायेंगे। 1972-73 की आयोजना में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सेंट्रल सेक्टर योजना के अन्तर्गत 15 नये शीतागारों का निर्माण करने का विचार है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का सहकारिता के आधार पर वितरण—

23. ग्रामीण क्षेत्रों में 1968-69 के अन्त तक 2.1 करोड़ रु० के मूल्य की उपभोक्ता वस्तुयें वितरित की गयी थीं। 1973-74 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का स्तर बढ़ा कर 2.5 करोड़ रु० कर देने का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्य में लगी हुई सहकारी समितियों को इस प्रयोजन के निमित्त अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग नियुक्त करने के लिये प्रबन्धकीय राज सहायता प्रदान की जायगी।

नागर उपभोक्ता सहकारी समितियां—

24. तीसरी आयोजना अवधि के दौरान उपभोक्ता सहकारी भंडारों को संगठित करने का कार्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। 1965 के दौरान शीर्ष उपभोक्ता सहकारी संघ (फेडरेशन) का गठन थोक विक्रेता उपभोक्ता भंडारों के लिये माल की सम्पूर्ति की व्यवस्था करने तथा विभिन्न प्रकार के माल की सप्लाई के लिये माल सप्लाई करने वालों के साथ अपेक्षाकृत अच्छी शर्तों पर सौदा करने के लिये किया गया था। राज्य में 1968-69 के अन्त तक 48 उपभोक्ता भंडार, 1097 प्राथमिक भंडार (जिनमें उनकी शाखायें भी सम्मिलित हैं) और 5 विभागीय भंडार कार्य कर रहे थे। चौथी आयोजना अवधि के दौरान वर्तमान इकाइयों को सुदृढ़ किये जाने की संभावना है तथा उनकी कार्य-प्रणाली में भी सुधार किया जायगा। इसके अतिरिक्त 20 प्राथमिक भंडार, 20 मध्यम आकार के फुटकर बिक्री के केंद्र, 2 विभागीय भंडार तथा विश्वविद्यालयों में 2 उपभोक्ता भंडार भी संगठित करने का प्रस्ताव किया गया है। 1972-73 की वार्षिक आयोजना में 5 मध्यम आकार के फुटकर उपभोक्ता भंडार गठित करने का लक्ष्य है।

सहकारी खेती—

25. किसानों को यह प्रदर्शित करने के लिये कि सहकारिता के आधार पर उनकी भूमि जन-शक्ति और अन्य संसाधनों के समुच्चयन द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। सहकारी खेती की योजना तीसरी आयोजना अवधि में केंद्रीय पुरोनिधानित योजना के रूप में आरम्भ की गयी थी। अब इस योजना को राज्य आयोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। 1968-69 के अन्त तक 1403 कृषि समितियां थीं जिनकी कुल सदस्य संख्या 37,336 थी। चौथी आयोजना के दौरान वर्तमान 100 समितियों को सशक्त बनाया जायगा और 40 नयी समितियों को संगठित किया जायगा। 1972-73 की वार्षिक आयोजना में 10 नयी कृषि समितियों को संगठित करने तथा वर्तमान 25 समितियों को सशक्त बनाने का विचार है। कृषि विकास तथा भूमि सुधार के लिये अतिरिक्त ऋण के अलावा राज्य द्वारा इन समितियों के अंशक खरीदने तथा कृषि उत्पादन प्रयोजनों और कृषि औद्योगिक (एग्रो-इंडस्ट्रियल) कार्यकलापों के लिये ऋण देने की व्यवस्था भी की जायगी।

अन्य प्रकार की सहकारी समितियां

सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा—

26. सहकारिता के विकास हेतु किये गये समग्र प्रयास में सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों और उसकी कार्य-प्रणाली की बुनियादी जानकारी होती है, विभिन्न स्तरों पर सहकारी नेतृत्व का निर्माण होता है तथा कर्मचारियों के प्राविधिक एवं प्रबन्धकीय क्षमता में सुधार होता है। गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये राज्य में इस समय 54 परिगामी इकाइयां कार्य कर रही हैं। इस संख्या को बढ़ा कर 56 कर देने का लक्ष्य है।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारिवर्ग—

27. इस योजना का उद्देश्य सहकारी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों, अर्थात् अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के कार्यक्रम, संस्थागत वित्त, विधायन तथा श्रमिक सहकारी समितियों के प्रशासन पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन के लिये सभी स्तरों पर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना है। इस योजना के अन्तर्गत चौथी आयोजना के दौरान कुल जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उनमें अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के कार्यक्रम के लिये विभिन्न श्रेणियों के 129 पद, विधायन कार्यक्रम के लिये 38 विभिन्न पद तथा श्रम कोष्ठ के लिये 5 विभिन्न पद शामिल हैं। अब तक लेखाकार के 51 पद तथा निरीक्षक वर्ग 1 के 51 पद, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के कार्यक्रम हेतु कार्यकारी अधिकारियों के 2 पद, विधायन कार्यक्रम के लिये स्वीकृत किये जा चुके हैं। 1972–73 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार और कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी। 1972–73 की वार्षिक आयोजना में इस योजना के निमित्त 14.60 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था है।

सहकारी समितियों के अंशकों की खरीद—

28. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पुरोनिधानित इस योजना के अन्तर्गत सरकार उधार के ढांचे को सुदृढ़ करने तथा ऋण संबंधी कार्यकलापों के प्रसार के लिये उधार देने वाली सहकारी समितियों की अंश पूंजी में अभिदान देती है। 1970–71 के दौरान इस योजना पर 102.08 लाख रु० की धनराशि व्यय हुयी थी। 1971–72 में इस योजना पर 175 लाख रु० व्यय होने की प्रत्याशा है और 1972–73 के लिये परिव्यय 100 लाख रु० है।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—

29. इस क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की केंद्र द्वारा पुरोनिधानित दो योजनायें हैं। उनमें से एक कृषि उधार स्थिरीकरण निधि योजना और दूसरी उर्वरक व्यवसाय करने के लिये पी०सी० एफ० को दी जाने वाली सीमांत धनराशि (मार्जिन मनी) योजना है। इन दोनों योजनाओं के लिये चौथी आयोजनावधि का कुल परिव्यय 356 लाख रु० है। इसमें से 183.52 लाख रु० की धनराशि का उपयोग 1971–72 के अन्त तक कर लिये जाने की आशा है। 1972–73 के लिये प्रस्तावित परिव्यय 82 लाख रु० है।

उद्योग विभाग के सहकारी शक्कर कारखानों की योजनायें—

30. इस योजना के अन्तर्गत चौथी आयोजना में तीन सहकारी शक्कर कारखाने स्थापित करने का विचार है। इन कारखानों को हरदुआगंज (अलीगढ़), कायमगंज (फर्रुखाबाद) और रसड़ा (बलिया) में स्थापित करने का विचार है। इन तीनों कारखानों

के लिये मंतव्यपत्र (लेटर्स आफ इन्टेंट) और कायमगंज कारखाने के लिये लाइसेंस भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और इन कारखानों का धन वसूली अभियान बहुत तेजी से चलाया जा रहा है । आशा की जाती है कि राज्य सरकार इन कारखानों की अंश पूंजी में पिछड़े हुए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में 45 लाख रु० प्रति कारखाना की दर से और पिछड़े हुए क्षेत्रों में 60 लाख रु० प्रति कारखाना की दर से धन विनियोजित करेगी । सहकारी शक्कर कारखाना औरई (वाराणसी) में भी राज्य सरकार द्वारा धनराशि विनियोजित किये जाने के लिये 25 लाख रु० की आवश्यक होगी । आशा है कि यह कारखाना बहुत शीघ्र ही चालू हो जायगा । कायमगंज और रसड़ा में शक्कर कारखाना स्थापित करने के लिये स्थलों का चयन कर लिया गया है । 1972-73 में इस योजना के लिये परिव्यय 40 लाख रु० है ।

सहकारी लेखा परीक्षा संगठन—

31. विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन को सुदृढ़ करने की वित्त विभाग की योजना मुख्य रूप से अधिष्ठान कार्य से संबंधित है और इसके अन्तर्गत किसी क्षेत्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की गई है । इस योजना पर चौथी आयोजना का परिव्यय 50 लाख रु० है जिसमें से वर्ष 1972-73 में 11 लाख रु० की धनराशि व्यय करने के लिये है ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये परिव्यय—

32. सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत पिछड़े हुये क्षेत्रों (उत्तराखंड को छोड़कर) के लिये चौथी योजना का कुल परिव्यय 339.58 लाख रु० है । यह सम्पूर्ण धनराशि सहकारी विभाग की योजनाओं के लिये है । इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 36.52 लाख रु०, पूर्वी जिलों के लिये 256.62 लाख रु० और बुन्देलखंड के लिये 46.44 लाख रु० सम्मिलित है । इसके विपरीत प्रथम तीन वर्षों के लिये कुल प्रत्याशित व्यय 97.33 लाख रु० है । इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 19.13 लाख रु०, पूर्वी जिलों के लिये 70.11 लाख रु० और बुन्देलखंड के लिये 8.09 लाख रु० सम्मिलित है । इन क्षेत्रों के लिये 1972-73 में कुल परिव्यय 131.58 लाख रु० है । इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 18.06 लाख रु०, पूर्वी जिलों के लिये 92.28 लाख रु० तथा बुन्देलखंड के लिये 21.24 लाख रु० सम्मिलित है ।

(2) सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के जरिये सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1952 को चालू किया गया था । अक्तूबर, 1963 तक राज्य में 875 खंड (ब्लाक) कायम किये और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में जिसमें कि उत्तराखंड भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के कायम करने की प्रक्रिया पूरी हुई । चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 1000.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिए की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है । इस क्षेत्र के अधीन प्रक्रम 2 खंडों का प्रक्रमोत्तर 2 के खंडों में परिवर्तन किये जाने के कारण योजना क्रम में धीरे-धीरे कमी हो जायगी ।

2—तदनुसार वर्ष 1969-70 के दौरान प्रक्रम 1 वाला कोई खंड नहीं था । उक्त वर्ष के लिए प्रक्रम 2 वाले खंडों के हेतु 280.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये व्यवस्था भी सम्मिलित है । किन्तु इसमें से 209.26 लाख रु० की धनराशि का ही उपयोग किया जा सका ।

3—वर्ष 1970-71 के लिए 220.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । किन्तु उक्त वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय केवल 177.83 लाख रु० हुआ । इस कमी का मुख्य कारण यह था कि भवनों के निर्माण के लिए की गई व्यवस्था का उपयोग भवन निर्माण सम्बन्धी

सामग्री की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने तथा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाने के कारण नहीं किया जा सका।

4—वर्ष 1971–72 के लिये 232.03 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिए 12.03 लाख रु० की धनराशि सम्मिलित है। यह आशा की जाती है कि सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग वर्ष के अन्त तक कर लिया जायगा।

5—वर्ष 1972–73 के लिए 175.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिए की गयी व्यवस्था सम्मिलित है। इसमें 83.63 लाख रु० की धनराशि पूंजी व्यय के लिये भी सम्मिलित है। कार्यक्रम के अनुसार परिव्यय का विभाजन नीचे दिया गया है —

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	कार्य-क्रम	परिव्यय 1972-73
1	खंड मुख्यालय (ब्लाक हेडक्वार्टर)	70.17
2	कृषि प्रसार	4.37
3	सिचाई/खेती योग्य बनाना	4.27
4	स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वच्छता	2.54
5	शिक्षा	4.88
6	सामाजिक शिक्षा	0.76
7	संचार	4.24
8	ग्रामीण शिक्षा तथा उद्योग	0.14
9	भवनों का निर्माण	83.63
	योग ..	175.00

6—चूंकि खंडों (ब्लाकों) की सामुदायिक विकास स्कीमों के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभाग सम्मिलित है, जिनमें विभिन्न विभागों के कार्यक्रम आते हैं, इसलिए इन मदों के आधीन भौतिक लक्ष्यों को क्षेत्रीय योजनाओं में अलग से दिखलाया गया है।

7—प्रशिक्षणार्थ आरक्षण—सामुदायिक विकास क्षेत्र में खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ आरक्षण (रिजर्व) के निमित्त चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 15.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें से वर्ष 1969–70 के लिए 3.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। किन्तु उक्त वर्ष के दौरान केवल 1.49 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया गया। वर्ष 1970–71 में 3.00 लाख रु० की योजनागत व्यवस्था में से 0.90 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया गया। वर्ष 1971–72 के लिए 3.00 लाख रु० परिव्यय स्वीकृत किया गया था और यह आशा है कि उक्त वर्ष की समाप्ति तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1972–73 के लिए 3.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(3) पंचायतीराज

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाने के विचार से चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रु० का परिव्यय सम्मिलित कर लिया गया है जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने में अपनी भूमिका प्रभावकारी ढंग से निभा सकें।

2—वर्ष 1969–70 के लिए आयोजनागत व्यवस्था 20 लाख रु० की गई थी जिसमें केवल 17.54 लाख रु० का ही उपयोग किया गया। वर्ष 1970–71 के आय-व्ययक में 33.39 लाख रु० का प्राविधान किया गया था जिसमें से केवल 30.33 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1971–72 के लिए मूलतः 22.38 लाख रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया था किन्तु उस वर्ष के आय-व्ययक में 37 लाख रु० का प्राविधान सम्मिलित किया गया था। क्योंकि पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन-क्रमों में उन्नयन के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये 27.51 लाख रुपये की आवश्यकता थी। यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष के दौरान 37 लाख रु० की सम्पूर्ण धनराशि उपयोग कर ली जायगी। वर्ष 1972–73 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली पंचायतराज योजना के लिए वास्तव में बहुत अधिक परिव्यय की आवश्यकता है, किन्तु राज्य के सीमित संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए केवल वर्तमान योजनाओं को ही चालू रखा जायेगा। तदनुसार वर्ष 1972–73 के लिए 40 लाख रु० निर्धारित किया गया है। इस में पंच पर्वतीय जिलों के लिये धन की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

3—विकास और उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये गांव सभाओं को ऋण योजना इस क्षेत्र की प्रमुख योजना है। चौथी योजना अवधि में 570 गांव सभाओं को ऋणों के रूप में 26.92 लाख रुपये की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य था और इन ऋणों का समुचित लेखा रखने वाले कर्मचारियों पर होने वाले राजस्व व्यय का अनुमान 1.64 लाख रु० लगाया गया था। इस प्रकार इस योजना के लिये चतुर्थ आयोजना अवधि का परिव्यय 28.56 लाख रु० रक्खा गया था। वर्ष 1969–70 के दौरान 220 गांव सभाओं को ऋणों के रूप में 14.30 लाख रु० को 220 गांव सभाओं को वितरित किया गया था। वर्ष 1970–71 में 9.21 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई जिसमें लगभग 182 गांव सभाओं को लाभ पहुंचा था। वर्ष 1971–72 के लिये 9.22 लाख रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया था किन्तु यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष के दौरान 134 गांव सभाओं को ऋण वितरित करने में केवल 6.85 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया जायगा।

वर्ष 1972–73 के दौरान केवल 66 गांव सभाओं को ऋण देने के लिये 3.44 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग आदि पर व्यय के लिये 0.69 लाख रु० की धनराशि सम्मिलित की गयी है।

4—पंचायत सेक्रेटरियों का प्रशिक्षण—वर्ष 1969–70 के दौरान लगभग 192 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षित किया गया जिस पर 0.66 लाख रु० व्यय हुआ। वर्ष 1970–71 के दौरान 0.74 लाख रु० की लागत पर 220 पंचायत सेक्रेटरी प्रशिक्षित किये गये। 200 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 1971–72 के आयव्ययक में 0.77 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। आशा है कि वर्ष के दौरान सम्पूर्ण आय-व्ययक का उपयोग कर लिया जायगा तथा 210 पंचायत सेक्रेटरी प्रशिक्षित किये जायेंगे। वर्ष 1972–73 के लिये भी इतने ही परिव्यय अर्थात् 0.77 लाख रु० स्वीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान 200 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

5—पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना—गांव पंचायतों के वित्तीय संसाधन अल्प होने के अलावा इन निकायों के सफल कार्य सम्पादन में दूसरी बाधा ग्राम्य स्तर पर इन निकायों के कर्मचारियों की कोटि (क्वालिटी) समझी गयी है। यद्यपि पंचायत सेक्रेटरी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं तथापि ग्राम्य विकास और ग्रामीण संस्थाओं की प्रोन्नति की दृष्टि से वह एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। इसलिये प्रति वर्ष पंचायत सेक्रेटरियों के 20 प्रतिशत पदों को प्रतिवर्ष क्रमोन्नति करते हुए उनके वेतन-क्रम का 50.75 रु० प्रतिमास से बढ़ा कर 75–115 रु० प्रतिमास करना तथा महंगाई भत्ते की मासिक दर को 12 रु० 50 पै० प्रतिमास से बढ़ा कर 37 रु० 50 पै० प्रतिमास करना आवश्यक समझा गया था। वर्ष 1969–70 के दौरान 2.58 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई थी। वर्ष 1970–71 में 20.23 लाख रु० का व्यय किया गया। 1971–72 की

वार्षिक योजना के लिये मूलत: 10.74 लाख रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया था किन्तु बढ़े हुए वेतन के संवितरण पर वास्तव में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर आय-व्ययक में 27.50 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष के अंत तक 28.36 लाख रु० की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। पंचायत सेक्रेटरियों को 1 अक्तूबर, 1971 से सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया गया है। वर्ष 1972–73 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 74.72 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। किन्तु निधियों की कमी को ध्यान में रखते हुए 1972–73 की वार्षिक योजना के लिये 28.88 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। शेष व्यय गांव सभायें अपने संसाधनों से वहन करेंगी जैसा कि वे अब तक करती रही हैं और अगर फिर भी और धनराशि की आवश्यकता होगी वह आयोजनेतर आय-व्ययक से पूरी कर ली जाएगी।

6—पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन—इस योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को उनकी कर उगाही और विकास कार्यों को प्रोत्साहन किया जायगा जो वर्ष 1971–72 के दौरान मिलने वाले प्रोत्साहन की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक होगा। पंचायती राज निकायों को कराधान के अधिक अधिकार दिये जायंगे ताकि वे अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ा सकें और वे इस योजना के अन्तर्गत समतुल्य अंशदान प्राप्त करने के लिये अर्ह बन सकें। तदनुसार वर्ष 1972–73 के दौरान इसके लिये 5.00 लाख रु० के परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

मद—3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3.1 सहकारिता

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	सहकारिता विभाग—			
310101	सहकारी ऋण तथा बैंकिंग ..	295.82	12.25	..
310102	सहकारी क्रय-विक्रय, विधेयक तथा संग्रहण ..	334.99	150.17	..
310103	सहकारी कृषि ..	19.63	17.53	..
310104	सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रसार ..	59.11	..	..
310105	सहकारी छापाखाना ..	1.12	1.00	..
310106	सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की विशेष योजना ..	47.33	39.00	..
310107	औषधि विकास योजना ..	12.00	5.00	..
310108	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वर्ग	30.00	..	..
310109	सहकारी समितियों में शेयर हिस्से लेना ..	200.00	200.00	..
	रिक्शा चालक तथा श्रमिक सहकारी समितियां ..	..	..	..
		1000.00	424.95	..
	उद्योग विभाग			
310201	सहकारी चीनी मिलों की स्थापना	50.00	50.00	..
	वित्त विभाग			
310301	विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि ..	50.00	..	
	योग, 3.1—सहकारिता ..	1,100.00	474.95	

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
69–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
15.13	9.73	20.15	18.25	37.29	..	..
8.45	23.51	52.35	49.55	99.11	50.72	..
0.77	0.41	1.41	1.32	4.72	4.32	..
4.23	4.34	5.22	5.00	7.31	..	..
..	..	..	..	..	..	..
3.32	2.83	17.51	17.46	14.76	10.87	..
..	..	2.06	..	..	..	..
0.01	0.57	11.70	10.50	10.80	..	..
..	102.08	175.00	175.00	100.00	100.00	..
..	..	..	..	3.01	0.94	..
31.91	143.47	285.40	277.08	277.00	166.85	..
10.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	..
3.71	5.27	8.00	9.79	11.00	..	..
45.62	178.74	333.40	326.87	328.00	206.85	..

मद—3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग 3.2 सामुदायिक विकास

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) सामुदायिक विकास—										
320101	सामुदायिक विकास योजना ..	1000.00	227.83	..	209.26	177.83	232.03	221.03	175.00	83.63	..
	(2) अन्य प्रशिक्षण योजनाएं—										
320201	प्रशिक्षण आरक्षण ..	15.00	..	..	1.49	0.90	3.00	3.00	3.00	..	..
	योग, 3.2—सामुदायिक विकास	1015.00	227.83	..	210.75	178.73	235.03	224.03	178.00	83.63	..

मद--3.1 सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग 3.3 पंचायत

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330101	गांव सभाओं को उत्पादक परिसंपत्ति के विकास एवं सृजन के लिये ऋण ..	28.56	26.92	..	14.30	9.21	6.85	6.85	3.44	3.30	..
330102	पंचायत मंत्रियों का प्रशिक्षण ..	5.36	..	..	0.66	0.74	0.77	0.77	0.77	..	..
330103	जिला स्तर पर पंचायतीराज प्रशासन को सुदृढ़ बनाना ..	8.48	..	..	..	0.15	0.66	0.66	0.69	..	..
330104	पंचायत संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना ..	57.59	..	..	2.58	20.23	27.50	28.36	28.88	..	..
330105	पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन देना ..	0.01	..	..	..	..	..	..	5.00	..	..
330106	पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना	0.001	..	..	..	..	..	..	0.001	0.001	..
330107	पंचायत मंत्रियों के लिये रिफेशर कोर्स	..	..	..	..	..	1.22	0.37	1.22	..	..
	योग, 3.3—पंचायत ..	100.00	26.92	..	17.54	30.33	37.00	37.01	40.00	3.30	..

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

(1) सिंचाई

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में वृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये 90.00 करोड़ रुपये की परिव्यय सम्मिलित किया गया था जिसमें से योजना के पहले तीन वर्षों में 70.01 लाख रुपये की धनराशि या परिव्यय के 78 प्रतिशत का उपयोग किये जाने की आशा है। यह अपेक्षाकृत अधिक व्यय अधिकांशतः रामगंगा, गंडक और सहायक प्रयोजना में तेजी होने के कारण है। इन प्रायोजनाओं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए व्यय को चौथी योजना के परिव्यय तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अतः वर्ष 1972-73 के दौरान वृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये 30.28 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिसके फलस्वरूप कुल उपयोग 100.29 करोड़ रुपये हो जायेगा। वर्गानुसार विवरण नीचे दिया गया है:--

तालिका 1

(लाख रुपयों में)

उप-शीर्षक	चौथी योजना परि-व्यय	1969-70 वास्त-विक व्यय	1970-71 संभा-वित वास्त-विक व्यय	1971-72 प्रत्या-शित व्यय	1972-73 परि-व्यय	1969-73 कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
क--वृहत् स्कीमें						
1--चालू स्कीमें						
(क) नैमित्तिक प्रायोजनायें--						
(1) रामगंगा ..	2277	901	1107	1200	1150	4358
(2) गंडक नहर	1262	636	(-)100	400	300	1236
योग ..	3539	1537	1007	1600	1450	5594

(लाख रुपये में)

उप-शीर्षक	चौथी योजना परि-व्यय	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 संभावित वास्तविक व्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 परिव्यय	1969–73 कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
(ख) अ-नैमित्तिक प्रायोजनायें ..	2950	305	387	1038	1170	2900
योग (क+ख) ..	6489	1842	1394	2638	2620	8494
2—नई स्कीमें ..	99	..	..	50	49	99
योग (1+2) ..	6588	1842	1394	2688	2669	8593
ख—मध्यम स्कीमें						
1—चालू स्कीमें ..	1435	356	328	317	308	1309
2—1972-73 के दौरान आरम्भ किये जाने के लिये प्रस्तावित ..	..	..	..	..	25	25
3—चौथी योजना की स्कीमें	829	..	..	..	..	..
योग, ख ..	2264	356	328	317	333	1334
ग—अनुसन्धान, शोध इत्यादि	148	26	33	17	26	102
योग (क–ख–ग) ..	9000	2224	1755	3022	3028	10029

नैमित्तिक प्रायोजनायें

2--रामगंगा नदी प्रायोजना--इस प्रायोजना की अनुमानित लागत में और वृद्धि हुई है जिसका कारण मजदूरी तथा सामग्री की कीमतों में हुई लगातार वृद्धि है। अब प्रायोजना की कुल लागत का अनुमान 127.90 करोड़ रुपये का है। सिंचाई क्षेत्र का अंश अस्थायी रूप से 96.79 करोड़ रुपये की धनराशि का रक्खा गया है जिसमें से 45.41 करोड़ रुपये की धनराशि चौथी योजना के पहले ही व्यय की जा चुकी है। इस प्रकार, चौथी योजना में इस प्रायोजना को पूरा करने के लिये 51.38 करोड़ रुपये की धनराशि अपेक्षित होगी। किन्तु, चौथी योजना में केवल 22.77 करोड़ रुपये की धनराशि की ही व्यवस्था की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों में प्रायोजना पर 32·08 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय किये जाने की आशा है। सिंचाई क्षेत्र के अधीन 1972-73 के लिये 11·50 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। विद्युत् योजना के लिये, 1972-73 में 3.00 करोड़ रुपये की एक और धनराशि की व्यवस्था की गई है।

3--मुख्य बांध के प्रथम चरण के रूप में एक भाग में डाइवर्जन टनेल तथा 'शूटस्पिलवे' का भाग पूरा हो चुका है। रामगंगा बांध के जल पोषण के वास्ते जिसके द्वारा पोषक नहर (फीडर चैनल) में पानी आता है, हरोली में मोऊ बांध बनकर तैयार हो चुका है। मुख्य बांध और सहायक शीर्ष बांध पर शेष कार्य प्रगति पर है और चौथी योजना के अन्त तक यह बहुत कुछ पूरा हो जायेगा वितरण प्रणाली के आधार पर किया जाने वाला कार्य पिछले वर्षों में निधियों की कमी के कारण पिछड़ गया है क्योंकि संपूर्ण उपलब्ध धनराशियों की यवस्था मुख्य बांध का कार्य शीघ्रता से पूरा करने हेतु की गयी थी। किन्तु यदि राम गंगा के जल सम्पूर्ति के उपयोग के लिये नहरों के बनाने और उनके पुनः निर्माण के कार्य में और देरी की जाती है तो उन्हें मुख्य बांध के कार्य के साथ-साथ पूरा करना संभव नहीं हो पायेगा। अतः 1972-73 के दौरान इस कार्य के लिये 4.55 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

गंडक नहर प्रायोजना--

4--गन्डक नहर प्रायोजना, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की एक संयुक्त प्रायोजना है। इसके निर्माण कार्यों का निष्पादन उत्तर प्रदेश में किया जायेगा और इसकी लागत का अनुमान 53.78 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस धनराशि में, सामान्य लाभ के कार्य के लिये 13.45 करोड़ रुपये का बिहार सरकार का अंश होगा और नेपाल के लाभ सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये 1.30 करोड़ रुपये का व्यय भारित सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। 39.03 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि, उत्तर प्रदेश द्वारा व्यय की जायेगी। चौथी योजना के पूर्व, इस प्रायोजना का व्यय 19.50 करोड़ रुपये का था। जिसमें 19.53 करोड़ रुपये की धनराशि चौथी योजना के लिये बच गयी थी। योजना के पहले तीन वर्षों में 9.32 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग होने की आशा है यद्यपि चौथी योजना में केवल 12.62 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। 1972-73 के दौरान इस प्रायोजना के लिये 3.00 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि प्रायोजना का कार्य 1974-75 तक पूरा कर लिया जायेगा।

अनैमित्तिक चालू वृहद् स्कीमें

5--कुछ छोटे कार्यों को, जिन्हें शारदा सागर चरण 2 तथा माताटीला प्रायोजनाओं के अन्तर्गत पूरा किया जाना था, अब पूरा कर लिया गया है।

6--वर्तमान शारदा सागर बांध को सुदृढ़ बनाने का कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 4.85 करोड़ रुपये आंकी गई है, 1970-71 में चालू कर दिया गया था। उक्त वर्ष में 0.27

करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया और वर्ष 1971–72 में 1.00 करोड़ रुपये की एक और धनराशि के व्यय होने की आशा है। 1972–73 के लिये 1.00 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके पूरा करने की आवश्यकता है ताकि शारदा सागर बांध की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा इस बांध को पूरी क्षमता तक भरा जा सके। अतः यह प्रयास किया जा रहा है कि समुचित परिव्ययों की व्यवस्था करके इस कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाये।

7—सहायक प्रायोजना का प्रथम चरण 64.84 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 0.40 करोड़ रुपये का 1968–69 के दौरान उपयोग किया गया। योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, 6.61 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी और इस वृहत् परियोजना से सम्बन्धित केवल प्रारम्भिक कार्यों को ही चालू किया गया। 1971–72 में 9.38 करोड़ रुपये की धनराशि के परिव्ययक की व्यवस्था की गयी है और इस परिव्यय के द्वारा गिरिजापुर/कर्तनियाघाट में घाघरा नदी पर बनने वाले मुख्य गिरिजा बांध के कार्य की गति में तेजी लाना तथा शारदा बांध और पोषक नहरों (लीडर चैनल) के कार्य को आरम्भ करना सम्भव हो सकेगा। वर्ष 1972-73 के दौरान 10.70 करोड़ रुपये का परिव्यय निम्नलिखित कार्यों के लिए है :—

				(करोड़ रुपये में)
1—घाघरा तथा शारदा बांध	..	..	..	6.00
2—घाघरा बांध से शारदा बांध को जोड़ने वाली नहरें		..	..	1.00
3—पोषक नहरें (फीडर चैनल्स)	..	..	..	2.00
4—वितरण प्रणाली ..	..	..	..	1.70
		योग	..	10.70

इस प्रकार योजना के पहले चार वर्षों में 26.69 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किये जाने की आशा है।

नई वृहत् सिचाई स्कीमें—

8—इस उप-शीर्षक के अधीन टेहरी बांध प्रायोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जिसकी लागत का अनुमान, सिंचाई क्षेत्र के अधीन 62.18 करोड़ रुपये की धनराशि का लगाया गया है। आशा है कि वर्ष 1971-72 में 0.50 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग हो जायगा। चूंकि इस प्रायोजना की अभी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा स्वीकृति होनी है, इसलिए वर्ष 1972-73 के दौरान केवल 0.49 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

1968—69 से चली आ रही मध्यम प्रयोजनायें

9—इस वर्ष के अन्तर्गत 10 प्रायोजनायें हैं, जिनमें से एक कम कर दी गई है। शेष 9 स्कीमों की कुल लागत का अनुमान 20.04 करोड़ रुपये है जिसमें से 1968-69 के अन्त तक 6.49 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। इस प्रकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 13.55 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता थी लेकिन चौथी योजना में केवल 9.97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों में 8.05 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय करने की आशा है। चौथे वर्ष में इन परियोजनाओं के लिए 2.25 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है इस प्रकार कुल योग 10.30 करोड़ रुपये हो जायगा।

परियोजना विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 2

(लाख रुपये में)

स्कीम	अनुमानित लागत	1968-69 तक व्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 परिव्यय	कुल प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1—नानक सागर (मरम्मत) ..	261.08	98.14	39.08	33.61	40.50	25.00	236.33
2—जामनी बांध ..	411.75	198.50	52.56	76.14	60.00	20.00	407.20
3—चन्द्रावल बांध ..	122.50	61.00	16.95	19.25	10.00	15.00	122.20
4—हरीपुरा जलाशय ..	481.75	81.50	61.46	63.34	66.50	74.00	352.80
5—कोसी सिंचाई परियोजना ..	288.00	9.00	2.86	28.02	66.80	74.00	186.68
6—डलमऊ पम्प नहर ..	164.00	76.34	54.20	17.84	10.00	..	158.38
7—भूपौली पम्प नहर ..	106.00	61.99	26.01	3.99	..	..	91.99
8—जमनिया पम्प नहर ..	118.00	60.71	33.30	11.10	5.00	..	110.11
9—शाहजहांपुर शाखा का पुनः निर्माण ..	36.00	..	..	..	5.00	5.00	10.00
10—पूर्वी यमुना नहर के शीर्ष पर निर्माण कार्य (छोड़ दी गई) ..	..	1.99	(−)1.02	..	..	..	0.97
11—अन्य परियोजनाओं का समायोजन ..	14.49	..	(−)3.51	5.67	..	..	2.16
योग ..	2003.57	649.17	281.89	258.96	263.80	213.00	1666.82

10—डलमऊ पम्प नहर भोपौली पम्प नहर और जमनिया पम्प नहर की स्कीमें तब से पूरी हो गयी हैं तथा अन्य स्कीमों को भी 1973-74 के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा ।

1969-72 के दौरान चालू की गई मध्यम स्कीमें

11—चौथी योजना में नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 12.67 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों में, 7.09 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत की 6 परियोजनायें निष्पादित करने के लिए ली गई हैं। और 2.33 करोड़ रुपये की धनराशि उन पर व्यय हो जाने की आशा है। इन परियोजनाओं के लिए 1972-73 के दौरान 0.81 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। परियोजनावार प्रगति और कार्यक्रम अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं:—

तालिका 3

(लाख रुपये में)

स्कीम	अनुमानित लागत	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 सम्भावित वास्तविक व्यय	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 प्रस्तावित व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1—केन नहर का पुनः निर्माण	48.00	0.99	1.06	10.00	10.00	22.05
2—टोंस पम्प नहर	175.00	33.47	31.10	18.00	10.00	92.57*
3—नरायनपुर पम्प नहर	100.00	39.74	31.42	5.00	..	76.16
4—दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	33.15	..	4.95	10.00	10.00	24.95
5—अड़वा बांध	300.00	..	..	10.00	37.00	47.00
6—कोसी घाट सिंचाई परियोजना	52.48	..	..	10.00	6.00	16.00
योग	708.63	74.20	68.53	63.00	73.00	278.73

*इसमें 1968-69 में व्यय की गई 27.52 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

अडवा बांध की परियोजना को छोड़ कर शेष सभी परियोजनायें चौथी योजना अवधि में पूरी हो जायेंगी।

12—1972-73 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है जिसके लिए 47.30 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा गया है :—

(1) भीमजोडा हेड वर्क्स का पुनरोद्धार,

(2) रामगंगा घाटी सिंचाई स्कीम,

(3) भलिगाना घाटी सिंचाई स्कीम,

(4) दोहरीघाट सहायक परियोजना,

(5) चिल्लीमल पम्प नहर।

(6) डलमऊ पम्पनहर-द्वितीय चरण

(7) देवकली पम्प नहर

(8) सरयू पम्प नहर

इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इनसे पर्वतीय तथा बलिया व बांदा जिलों को लाभ पहुंचेगा ये जिले सिंचाई सुविधाओं में राज्य स्तर के नीचे के जिले हैं।

सिंचाई क्षमता

13—चौथी योजना में वृहत् तथा मध्यम सिंचाई प्रायोजनाओं के माध्यम से 10.12 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से लगभग 6.44 लाख हेक्टेयर की क्षमता रामगंगा और गण्डक नहर प्रायोजनाओं द्वारा सृजित होनी थी। चूंकि इन प्रायोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो गया है, इसलिए इनसे प्राप्त होने वाले लाभ एक वर्ष के लिए स्थगित हो गये हैं। अब पूरा लाभ पांचवीं योजना के प्रारम्भिक भाग में उपलब्ध होगा।

14—3.68 लाख हेक्टेयर शेष की क्षमता स्कीमों के निम्नलिखित वर्गों से सृजित की जानी थी।

इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति तथा 1972-73 के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं :

तालिका 4

(000 हेक्टेयर में)

उप-शीर्षक	चौथी योजना		1969-71		1971-72		1972-73		1969-73	
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1—1968-69 तक पूरी की गई स्कीमें	5.94	91.81	5.94	45.94	..	20.50	..	16.72	5.94	83.16
2—चालू वृहत् सिंचाई स्कीमें	643.99	335.88	10.12	4.86	56.65	27.51	97.13	48.57	163.90	80.94
3—चालू मध्यम सिंचाई स्कीमें	166.79	100.32	78.91	28.38	..	6.07	16.18	14.30	95.09	48.75
4—नई मध्यम सिंचाई स्कीमें	195.78	97.90	9.71	..	43.67	12.14	14.16	16.19	67.54	28.33
योग ..	1012.50	625.91	104.68	79.18	100.32	66.22	127.47	95.78	332.47	241.18

15—लखनऊ पम्प नहर की 31,970 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के अन्ततः घट जाने के फलस्वरूप चौथी योजना की चालू मध्यम स्कीमों का लक्ष्य जो 1.67 लाख हेक्टेयर निर्धारित था, घट कर 1.35 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य नयी स्कीमें जिनसे 1.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होता, छोड़ देनी पड़ी।

16—वृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों द्वारा सृजित क्षमता के उपयोग का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

तालिका 5 (लाख हेक्टेयर)

अवधि	क्षमता	उपयोग	प्रतिशत
1	2	3	4
योजना से पूर्व	25.53	25.18	99.6
प्रथम योजना के अन्त तक	28.83	26.57	92
दूसरी योजना के अन्त तक	31.54	29.76	94
तीसरी योजना के अंत तक	35.11	33.41	95
1968-69 के अन्त तक	36.07	35.21	98
1969-70 के अन्त तक	36.83	35.61	97
1970-71 के अन्त तक	37.12	36.00	97
1971-72 के अन्त तक (अनुमानित) ..	38.12	36.66	96.6
1972-73 के अन्त तक (नियोजित) ..	39.39	37.62	95.5
चौथी योजना के अन्त तक (लक्ष्य) ..	46.19	41.47	90

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 92 से 98 के बीच है तथा नियन्त्रण में है। वास्तव में चौथी योजना के निर्धारित लक्ष्य की स्थिति को देखते हुए उपलब्धियों को सन्तोषजनक कहा जा सकता है। क्षमता का उपयोग साधारणतया मांग तथा सप्लाई की स्थिति पर निर्भर रहता है जो सदैव मौसम की अनिश्चितता पर आधारित है। इस समय जिस बात की कमी अनुभव की जा रही है वह खेत की नालियों का निर्माण है। किन्तु, क्षमता और उपयोग के बीच के अन्तर को न्यूनतम करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है।

सर्वेक्षण तथा शोध

17—उत्तर प्रदेश में 211.5 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जिसमें से 174.8 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में वास्तव में खेती की जाती है। बहु फसली खेती के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा रही है और सकल कृषित क्षेत्र बढ़कर 228.7 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यद्यपि वास्तविक कृषित क्षेत्र प्रायः स्थिर हो गया है किन्तु खेती किये जाने वाले सकल क्षेत्र में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और इसके बढ़कर 350 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने की सम्भावना है जिससे खेती की वृद्धि का औसत प्रतिशत 200 हो जायगा। सभी स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र (सकल क्षेत्र) इस समय लगभग 84 लाख हेक्टेयर है जो कि अन्ततः कृषित क्षेत्र का केवल 40 प्रतिशत है। चूंकि उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिकांश फसलों के लिए अपर्याप्त मात्रा में तथा अनिश्चित रूप से होती है, इसलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु राजकीय और निजी निर्माण कार्यों द्वारा सिंचाई क्षमता को शीघ्रता से बढ़ाने प्रयास करने पड़ेंगे। इस कार्य के हेतु सम्पूर्ण उपयोगी क्षेत्र तथा भूतलीय जल सन्साधनों को पूर्ण रूपेण संग्रह करने की आवश्यकता होगी। अतः यह आवश्यक है कि राज्य में जल सन्साधनों के उपयोग की एक महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की जाय। और साथ ही ब्योरेवार सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान करने के पश्चात् निजी सिंचाई तथा बहुधन्धी प्रायोजनाएं भी तैयार की जायं।

18—अनेक प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण सिंचाई तथा बहुधन्धी प्रायोजनाओं के सर्वेक्षण और अनुसन्धान के कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करना सम्भव न हो सका। 1972-73 के दौरान इस कार्य को शीघ्र करने के लिए 25.00 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है और यह आशा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष में ऋण सहायता देकर इस धनराशि में और वृद्धि कर दी जावेगी। सिंचाई क्षेत्र के अधीन महायोजना को तैयार करने का कार्य राज्य सरकार के सक्रिय रूप में विचाराधीन है।

(2) बाढ़ नियंत्रण

19—उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर बारम्बार बाढ़ का आना एक सामान्य बात हो गई है। इससे भारी क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं जिससे फसल, सम्पत्ति और जन-जीवन तथा पशुधन की बड़ी हानि होती है। इससे सामान्य कार्यकलाप अस्तव्यस्त हो जाते हैं तथा राज्य पर भारी वित्तीय और प्रशासनिक बोझ आ पड़ता है। प्रति वर्ष मरम्मत पुनर्निर्माण और सहायता संबंधी कार्यकलापों पर सारवान धनराशियां खर्च की जाती हैं। निम्नलिखित सारणी से बाढ़ की समस्या की महत्ता का पता चलता है—

तालिका 6

मद	इकाई	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72 (17-9-71 तक)
1 प्रभावित गांव	संख्या	7,847	22,321	23,354	36,270
2 प्रभावित क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	8.67	24.13	32.32	52.49
3 प्रभावित जनसंख्या	संख्या लाख में	19.50	74.87	99.00	206.85
4 फसल और सम्पत्ति जिसमें सार्वजनिक उपयोग की सामग्री भी सम्मिलित हैं, की हानि	करोड़ रुपये में	18.50	42.21	73.97	140.12

20—विगत वर्षों में बाढ़ की समस्या पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। 228 करोड़ रु० की लागत की एक वृहद् योजना (मास्टर प्लान) तैयार की गई थी। किन्तु संसाधनों के सीमित होने के कारण यह योजना वैज्ञानिक रीति से कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

21—वर्ष 1971-72 के दौरान भारी बाढ़ आने से यह समस्या फिर प्रमुख रूप से सामने आ गई है और इस समस्या को हल करने के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों पर उच्चतम सार पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जो अंतिम निर्णय लिया जायगा उसी के अनुसार कार्यवाही का क्रम निश्चित किया जायगा। फिलहाल उपलब्ध संसाधनों से ही यथासंभव अधिक से अधिक रक्षा-व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्ष 1972-73 की बाढ़ नियंत्रण आयोजना तैयार की गई है।

22—राज्य की चौथी आयोजना में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 2.92 करोड़ रु० व्यय किया गया था। आशा है कि वर्ष 1971-72 के दौरान उस वर्ष के लिये व्यवस्थित 2.06 करोड़ रु० के परिव्यय का पूर्णरूप से उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1972-73 के दौरान इन योजनाओं के लिये 3.00 करोड़ रु० की धनराशि की व्यवस्था है। इस प्रकार आयोजना के प्रथम चार में वर्षों में 7.98 करोड़ रु० के परिव्यय अथवा चौथी आयोजना के लिये निर्धारित लगभग सम्पूर्ण परिव्यय का उपयोग कर लिया जायगा निम्नलिखित सारणी वर्गवार ब्योरे दिये गये हैं:—

तालिका—7 (लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी आयोजना का परिव्यय	वास्तविक आंकड़े 1969-70	सम्भावित वास्तविक आंकड़े 1970-71	प्रत्याशित परिव्यय 1971-72	प्रस्तावित परिव्यय 1972-73	योग 1969-73
1—सीमांत बांध	107.24	69.26	93.49	112.90	149.80	424.45
2—नगरों की रक्षा	205.28	10.53	13.34	33.00	58.00	114.87
3—जलमार्गों का विस्तार.	71.27	2.26	0.66	..	..	2.92
4—सर्वेक्षण, अनुसंधान और बाढ़ के बारे में पूर्वानुमान	72.46	2.64	1.74	1.12	10.00	15.50
5—जलोत्सारण सुधार संबंधी निर्माण-कार्य	302.66	15.71	30·33	27.96	50.70	124.70
6—नदी संबंधी सुधार और भूक्षरण निरोध का निर्माण-कार्य	1.09	(−)0.20	3.49	2.60	21.50	27.39
7—पानी से घिरे हुए असहाय गांवों की सतह को ऊंचा करना	..	0.01	..	..	..	0.01
8—अत्यावश्यक निर्माण-कार्य	40.00	..	..	..	10.00	10.00
9—अधिष्ठान व्यय	..	..	.. 13.38	35.73	28.42	77.53
योग ..	800.00	113.59	178.78	206.00	300.00	798.37

सीमांत बंधों पर काफी अधिक व्यय हुआ है क्योंकि अस्थायी रक्षात्मक निर्माण-कार्यों का सम्पादन हर वर्ष करना आवश्यक हो गया है।

चालू योजनायें—

23—चौथी आयोजना में 28 अधिनीत योजनायेंसम्मिलित हैं । इन योजनाओं की लागत का अनुमान 8.08 करोड़ रु० लगाया गया है जिसमें से 4.32 करोड़ रु० की धनराशि 1968-69 तक खर्च की जा चुकी है । इन प्रायोजनाओं को पूरा करने के लिये 3.76 करोड़ रु० की निधियों की और आवश्यकता है । राज्य की चौथी आयोजना में इन योजनाओं के लिये केवल 2.81 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । जिसमें से 2.23 करोड़ रु० की धनराशि का उपयोग आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में कर लिये जाने की आशा की जाती है । चौथे वर्ष के लिये 0.57 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । व्यय और परिव्यय के ब्योरे निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं—

*आंकड़े उपशीर्षक के अनुसार परिव्यय में सम्मिलित किये गये हैं ।

तालिका 8 (लाख रुपयों में)

वर्ग	अनुमानित लागत	1968-69 तक व्यय	चौथी आयोजना का परिव्यय	वास्तविक आंकड़े, 1969-70	सम्भावित वास्तविक आंकड़े 1970-71	प्रत्याशित परिव्यय 1971-72	प्रस्तावित परिव्यय 1971-72
1	2	3	4	5	6	7	8
1—सीमांत बांध	211.05	36.91	27.25	62.95	44.24	6.35	7.80
2—नगरों की रक्षा	394.10	191.76	125.11	10.53	13.09	20.00	40.00
3—जल मार्गों का विस्तार ..	5.23	3.00	5.23	2.26	0.66	..	..
4—जलोत्सारण सुधार संबंधी निर्माण-कार्य	184.60	102.58	122.14	13.60	8.27	7.81	9.00
5—नदी संबंधी सुधार और भूक्षरण निरोधक निर्माण-कार्य ..	12.94	8.18	1.09	(—)0.20	(—)0.01	..	..
6—बाढ़ से घिरे हुए असहाय गांवों की सराह को ऊंचा करना	..	..	..	0.01	..	..	..
7—अधिष्ठान व्यय	..	89.45	*	11.90	16.55	5.47	*
योग ..	807.91	431.88	280.82	101.05	82.80	39.63	56.80

*आंकड़े वर्ग वार व्योरे में सम्मिलित किये गये ह ।

नई योजनायें—

24—चौथी आयोजना में नई योजनाओं के लिये 5.19 करोड़ रु० का परिव्यय सम्मिलित किया गया है। यह आशा की जाती है कि प्रथम तीन वर्षों के 2·75 करोड़ रु० का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1972-73 के लिये 2.43 करोड़ रु० की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है और इस प्रकार कुल प्रत्याशित व्यय कर धनराशि 5.18 करोड़ रु० तक पहुंच जाती है। व्यय और परिव्यय के वर्गवार व्योरे नीचे किये गये हैं—

(लाख रुपयों में)

वर्ग	अनुमानित व्यय	चौथी आयोजना का परिव्यय 1969-70	वास्तविक आंकड़े 1969-70	सम्भावित वास्तविक आंकड़े 1970-71	प्रत्याशित परिव्यय 1971-72	प्रस्तावित परिव्यय 1972-73
1	2	3	4	5	6	7
1—सीमांत बांध	718.50	79.99	6.31	49.25	106.65	142.00
2—नगरों की रक्षा	84.83	80.17	..	0.25	13.00	18.00
3—जल मार्गों का विस्तार	..	66.04	..	..	..	..
4—सर्वेक्षण, अनुसंधान और बाढ़ पूर्वानुमान ..	93.00	72.46	2.64	1.74	1.12	10.00
5—जलोत्सारण सुधार संबंधी निर्माण-कार्य ..	301.48	180.52	2.11	22.06	20.15	41.70
6—नदी संबंधी सुधार तथा भूक्षरण निरोधक निर्माण-कार्य	95.06	..	..	3.50	2.60	21.50
7—अत्यावश्यक तथा अनवेक्षित निर्माण-कार्य ..	..	40.00	..	..	..	10.00
8—अधिष्ठान व्यय .. .. *	*	..	1.48	19.18	..	*
योग ..	1,292.87	519.18	12.54	95.98	116.37	243.20

*आंकड़े वर्गवार ब्योरे में सम्मिलित किये गये हैं ।

25—वर्ष 1972-73 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं का पूरा करने का प्रस्ताव है—

(1) लखनऊ नगर की रक्षा;

(2) हरनाव नाली;

(3) चार पूर्वी जिलों में नालियों का निर्माण।

जहां तक नई योजनाओं का संबंध है मुख्यतया निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कार्य किया जायगा—

(1) छितौनी बंध तथा पृष्ठ देश की रक्षा के लिये विभिन्न योजनायें;

(2) मलोनी और होबर्ट बंध;

(3) वाराणसी के घाटों की रक्षा;

(4) बरही-मुस्तफाबाद बंध का निर्माण और मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के टांडा, रमरा, हैदरपुर, मन्दावर और फतेहपुर गांवों में यमुना नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये रक्षात्मक निर्माण-कार्यों का सम्पादन।

मद—4 सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1 सिंचाई

संकेत संख्या	परियोजना		चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
			कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2		3	4	5
	(क)—चालू योजनायें—				
	(1)—वृहत सिंचाई परियोजनायें				
410101	रामगंगा ..	..	2277.34	2277.34	610.00
410102	गण्डक नहर ..	..	1261.82	1261.82	..
410103	सहायक योजना–प्रथम चरण	..	2950.00	2950.00	250.00
410104	सारदा सागर–द्वितीय चरण	..	..	..	..
410105	माताटीला बांध ..	..	..	..	..
410106	सारदा सागर–प्रथम चरण	..	..	..	..
410107	सारदा सागर का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
	योग	..	6489.16	6489.16	860.00
	(2) मध्यम सिंचाई परियोजनायें—				
410201	नानक सागर बांध (मरम्मत)	..	100.00	100.00	..
410202	जामनी बांध ..	..	190.64	190.64	..
410203	चन्द्रावल बांध ..	..	29.44	29.44	..
410204	हरिपुरा जलाशय ..	..	181.83	181.83	6.00
410205	कोसी सिंचाई योजना	..	280.50	280.50	3.00
410206	डलमऊ पम्प नहर	..	64.00	64.00	..
410207	भोपौली पम्प नहर	..	31.00	31.00	..
410208	जमनिया पम्प नहर	..	43.00	43.00	..
410212	अन्य स्पिलओवर परियोजनाओं का अनुकूलन ..	..	10.13	10.13	..
410213	पूर्व यमुना हेड रेगुलेटर पर कार्य	..	30.00	30.00	..
410214	शाहजहांपुर शाखा का पुनर्निर्माण		36.00	36.00	..
	योग	..	996.54	996.54	9.00
	चालू योजनाओं का योग	..	7485.70	7485.70	869.00

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
900.94	1107.18	1200.00	1200.00	1150.00	1150.00	90.00
635.97	(-)100.27	400.00	400.00	300.00	300.00	..
297.74	362.82	938.20	938.20	1070.00	1070.00	30.00
1.24	..	..	..	..	..	..
5.85	(-) 3.08	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	27.05	50.00	100.00	100.00	100.00	..
1841.74	1393.70	2588.20	2638.20	2620.00	2620.00	120.00
39.08	33.61	50.50	40.50	25.00	25.00	..
52.56	76.14	60.00	60.00	20.00	20.00	..
16.95	19.25	10.00	10.00	15.00	15.00	..
61.46	63.34	66.50	66.50	74.00	74.00	..
2.86	28.02	66.80	66.80	74.00	74.00	..
54.20	17.84	..	10.00	..	..	..
26.01	3.99	..	..	..	..	..
33.30	11.70	..	5.00	..	..	..
(-)3.51	5.69	..	..	..	..	..
(-)1.02	..	..	..	..	..	..
..	..	10.00	5.00	5.00	5.00	..
281.89	259.58	263.80	263.80	213.00	213.00	..
2123.63	1653.28	2852.00	2902.00	2833.00	2833.00	120.00

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई–(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना		चौथी योजना परिव्यय	
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(ख) नई योजनायें			
	(3) वृहत् सिंचाई परियोजनायें ..			
	टेहरी बांध	99.00	99.00	..
	योग ..	99.00	99.00	..
	(4) मध्यम सिंचाई परियोजनायें—			
410401	किशनपुर पम्प नहर ..	91.00	91.00	..
410402	रेन पम्प नहर	152.00	152.00	..
410403	केन नहर का पुनर्निर्माण ..	48.00	48.00	..
410404	पूर्वी यमुना हेड रेगुलेटर पर कार्य ..		वर्ग (2) में	
410406	टोन्स पम्प नहर	175.00	175.00	..
410407	भीमगोडा हेडवर्क्स का पुनर्निर्माण ..	85.00	85.00	..
410408	हिंडन बांध का पुनर्निर्माण ..	110.00	110.00	..
410409	दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	80.00	80.00	..
410410	घाघरा पम्प नहर की क्षमताबढ़ाना..	80.00	80.00	..
410411	शाहजहांपुर शाखा का पुनर्निर्माण			वर्ग (2) में
410412	अडवा बांध	50.00	50.00	..
410413	सहूरापुर पम्प नहर ..	100.00	100.00	..
410414	भिटौरा पम्प नहर ..	170.00	170.00	..
410415	अगासी पम्प नहर ..	73.00	73.00	..
410416	ओरा पम्प नहर	53.00	53.00	..
410417	नरायनपुर पम्प नहर ..	..	..	..
	कोसी घाटी सिंचाई परियोजना ..	..	..	..
	रामगंगाघाटी सिंचाई परियोजना ..	..	..	..
	भिलंगाव घाटी सिंचाई परियोजना ..	..	..	..
	दोहरीघाट सहायक परियोजना ..	..	..	..
	चिल्लीमल पम्प नहर ..	..	..	..
	डलमऊ पम्प नहर–द्वितीय चरण ..	..	..	..
	देवकली पम्प नहर ..	..	.	..
	सरयू पम्प नहर ..	..	..	..
	योग ..	1267.00	1267.00	..
	नई परियोजनाओं का योग ..	1366.00	1366.00	..

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	50.00	50.00	48.70	48.70	..
..	..	50.00	50.00	48.70	48.70	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.99	1.06	5.00	10.00	10.00	10.00	..
हस्तान्तरित कर दिया गया है।						
33.47	31.10	50.00	18.00	10.00	10.00	..
..	..	5.00	..	2.00	2.00	..
..	..	..	..	..	..	..
..	4.95	10.00	10.00	10.00	10.00	..
हस्तान्तरित कर दिया गया है।						
..	..	10.00	10.00	37.00	37.00	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
39.74	31.41	5.00	5.00	..	..	..
..	..	..	10.00	6.00	6.00	..
..	..	..	..	12.30	12.30	..
..	..	..	..	6.00	6.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	..
..	..	..	..	7.00	7.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	..
74.20	68.52	85.00	53.10	100.30	100.30	..
74.20	68.52	135.00	103.10	157.00	149.00	..

मद--4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4.1. सिंचाई

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
410209	कर्मशालाओं का प्रसार ..	12.30	12.30	..
410210	शोध कार्यक्रम	16.00	16.00	2.00
410211	अनुसंधान	100.00	100.00	..
410405	इंजीनियरों के प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार	20.00	20.00	..
	योग ..	148.30	148.30	2.00
	योग 4.1 सिंचाई ..	9000.00	9000.00	871.00

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
9.42	2.29	5.00	..	..	..	..
6.99	15.23	5.00	2.00	1.00	1.00	..
10.00	15.65	25.00	15.00	25.00	25.00	..
..	..	..	..	..	..	..
26.41	33.17	35.00	17.00	26.00	26.00	..
2224.24	1754.97	3022.00	3022.00	3028.00	3028.00	120.00

मद—4. सिंचाई

वर्ग—4.2. बाढ़ नियंत्रण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
420101	सीमांत बांध	107.24	107.24	..
420102	नगरों की सुरक्षा ..	205.28	205.28	..
420103	जल मार्गों का प्रसार ..	71.27	71.27	..
420104	सर्वेक्षण, जांच पड़ताल एवं बाढ़ भविष्यवाणी	72.46	72.46	..
420105	जलोत्सारण सुधार ..	302.66	302.66	..
420106	नदी में सुधार तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये निर्माण-कार्य ..	1.09	1.09	..
420107	अनुपेक्षित आपातिक नयी योजनायें ..	40.00	40.00	..
420108	बाढ़ पीड़ित गांवों का उत्थान अधिष्ठान उपकरण और संयंत्र तथा उचन्त..	..	..	..
	योग, 4.2 बाढ़ नियंत्रण ..	800.00	800.00	..

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
69.26	93.49	80.14	112.90	149.80	149.80	..
10.53	13.34	40.65	33.00	58.00	58.00	..
2.26	0.66	1.00	..	..	..	..
2.64	1.74	10.20	1.12	10.00	10.00	..
15.71	30.33	64.01	27.96	50.70	50.70	..
(–)0.20	3.49	..	2.60	21.50	21.50	..
..	..	10.00	..	10.00	10.00	..
13.38	35.73	..	28.42	..	..	..
113.59	178.78	206.00	206.00	300.00	300.00	..

11)

विद्युत्

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत् क्षेत्र के अन्तर्गत 375 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 234.80 करोड़ रुपये की धनराशि योजना के पहले तीन वर्षों में उपयोग करने की आशा है। 1972-73 के दौरान विद्युत् कार्यक्रम के वास्ते 78.92 करोड़ रुपये की धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। उप-शीर्षकवार परिव्ययों तथा व्यय का ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

तालिका 1

(करोड़ रुपयों में)

उप शीर्षक	चौथी योजना परिव्यय	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 परिव्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
क—उत्पादन ..	177.73	38.13	44.51	39.50	39.50	36.50
ख—पारेषण तथा वितरण	125.27	19.63	23.24	25.00	25.06	29.44
ग—ग्रामीण विद्युतीकरण	68.00	15.74	13.04	13.00	13.00	11.98
घ—अनुसन्धान तथा विविध						
(1) सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान ..	2.00	0.21	0.20	0.50	0.50	0.50
(2) विविध (लघु पर्वतीय स्कीमें) ..	2.00	0.16	0.17	1.77	1.77	0.50
योग ..	375.00	73.87	81.16	79.77	81.77	78.92

2—सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय द्वारा विद्युत् उत्पादन हेतु एक दश वर्षीय योजना (1971–81) राज्य की दीर्घकालिक विद्युत् आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते तैयार की गई है। जिसमें 1980-81 के अंत तक 7,000 मेगावाट की क्षमता अधिष्ठापित करने की परिकल्पना की गयी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि उत्पादन की कुछ नई स्कीमों को चालू किया जाये तथा जो स्कीमें पहले से ही चालू हैं उनके कार्य में तेजी लायी जाये। नई उत्पादन स्कीमों के वास्ते यह अत्यावश्यक है कि संयंत्र निर्माताओं को तुरन्त आर्डर दे दिये जायें ताकि संयंत्रों और मशीनरी भेजने में प्राथमिकता मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया गया है कि उत्पादन स्कीमों के लिए 1971-72 के दौरान 52.75 करोड़ रुपये तथा 1972-73 के दौरान 63.81 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। संसाधनों की कमी के कारण केवल 39.50 करोड़ रुपये की 1971-72 में और 36.50 करोड़ रुपये की 1972-73 में व्यवस्था करना संभव हो सका है। अतः यह बात स्पष्ट है कि पर्याप्त संसाधनों के न होने से राज्य के उत्पादन कार्यक्रम को गहरा धक्का पहुंचेगा।

उत्पादन

नैमित्तिक प्रायोजनायें—

3—पांच उत्पादन स्कीमें जिनका परिव्यय 123.83 करोड़ रुपये है, नैमित्तिक घोषित कर दी गयी है। इन स्कीमों के वास्तविक व्यय तथा प्रस्तावित परिव्ययों को नीचे दिया गया है :—

तालिका 2

(करोड़ रुपयों में)

स्कीम	चौथी योजना का परिव्यय	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1—यमुना जल विद्युत्–द्वितीय चरण	40.00	9.28	10.82	11.00	10.00
2—ओबरा जल विद्युत्	6–72	2.54	1.20	0.80	1.00
3—रामगंगा जल विद्युत्	19.90	5.08	5.13	2.32	3.00
4—हरदुआ गंज–चतुर्थ चरण	11.21	5.71	4.74	1.20	0.55
5—ओबरा थर्मल प्रसार-प्रथम चरण	46.00	13.75	14.17	9.00	5.00
योग ..	123.83	36.34	36.06	24.32	19.55

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नैमित्तिक प्रायोजनाओं के परिव्यय का 94 प्रतिशत योजना के पहले चार वर्षों में उपयोग किया जायेगा। यमुना जल विद्युत् द्वितीय चरण और हरदुआगंज चतुर्थ चरण के सम्बन्ध में इन चार वर्षों में चौथी योजना के परिव्यय से ज्यादा धनराशि का उपयोग हो जायगा। यद्यपि, ओबरा जल विद्युत् के अन्तर्गत परिव्यय का उपयोग केवल 82 प्रतिशत है किन्तु भौतिक लक्ष्य पूरी तौर पर प्राप्त कर लिया गया है। रामगंगा जल विद्युत् स्कीम के अन्तर्गत परिव्यय के उपयोग की गति केवल 78 प्रतिशत होने के कारण धीमी है जिसका कारण यह है कि विद्युत् संयंत्र की सप्लाई में विलम्ब हुआ तथा नागरिक निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रही। ओबरा थर्मल प्रसार प्रथम चरण में अच्छी प्रगति हुई है और इस पर उपयोग परिव्यय का 91 प्रतिशत है।

अनैमित्तिक प्रायोजनायें—

4—अनैमित्तिक प्रायोजनाओं के अतिरिक्त 10 अधिनीत (स्पिलवे) स्कीम हैं जिनके लिये चौथी योजना में 23.18 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इन स्कीमों में से, धुकवां प्रायोजना पर निर्माण-कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रायोजना के ब्योरों पर विचार हो रहा है। सात स्कीमों पर केवल अवशिष्ट निर्माण-कार्य ही निष्पादित करना है। इन स्कीमों के व्यय की प्रगति इस प्रकार है—

तालिका 3

(लाख रुपये में)

स्कीम	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 प्रस्तावित व्यय
1	2	3	4	5	6
1—यमुना जल विद्युत्–प्रथम चरण।	6.00	(–)0.55	16.72	..	..
2—माताटीला जल विद्युत्	1.00	10.17	15.20	6.00	..
3—हरदुआगंज–द्वितीय चरण।	110.00	35.82	36.73	40.00	..
4—हरदुआगंज–तृतीय चरण	98.00	49.46	(–)0.18	24.00	10.00
5—ओबरा थर्मल	9.00	(–)42.26	16.38	(–)14.00	(–)10.00
6—रिहन्द में छठी मशीन	6.00	0.04	0.63	..	..
7—पनकी थर्मल	(–)62.00	25.32	(–)13.10	(–)8.00	(–)9.00
योग ..	68.00	78.00	38.94	48.00	(–)9.00

इन सभी स्कीमों का निर्माण-कार्य समाप्त कर लिया गया है।

5—शेष दो स्कीमों का परिव्यय और व्यय नीचे दिया गया है।

तालिका 4

(लाख रुपयों में)

स्कीम	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 प्रस्तावित व्यय
1	2	3	4	5	6
यमुना-जल विद्युत् चतुर्थ चरण, भाग-1 (एसान बांध प्रायोजना)	600.00	58.87	105.74	220.00	200.00
मनेरी भाली भाग-1	1550.00	41.70	121.84	325.00	500.00
योग ..	2150.00	100.57	227.58	545.00	700.00

उपर्युक्त से यह प्रकट होता है कि यमुना जल विद्युत् चतुर्थ चरण (भाग 1) और मनेरी भाली जल विद्युत् (भाग 1) के अन्तर्गत चार वर्षों में परिव्यय का उपयोग क्रमश: 97 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत होगा। इन दोनों स्कीमों की पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी हो जाने की आशा है।

6—चौथी योजना में नयी उत्पादन स्कीमों के लिये तदर्थ आधार पर 30.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अब तक तीन स्कीमों को निष्पादित करने के लिए चुन लिया गया है। इन स्कीमों के अधीन वित्तीय प्रगति तथा कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं:—

तालिका 5

(करोड़ रुपये में)

स्कीम		1971-72 परिव्यय	1971-72 प्रत्याशित परिव्यय	1972-73 प्रस्तावित व्यय
1. ओबरा थर्मल प्रसार द्वितीय चरण	..	197.20	375.00	204.00
2. पनकी थर्मल प्रसार ..	..	235.03	500.00	500.00
3. हरदुआगंज पंचम चरण	..	145.83	250.00	300.00
योग	..	578.06	1125.00	1004.00

7—इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार को आख्यायें निस्तारण हेतु प्रस्तुत कर दी गयी हैं—

1—रिषीकेश-हरद्वार स्कीम .. (3×33.3 मेगावाट)
2—लखबाड़ बांध प्रायोजना .. (3×50 मेगावाट)
3—बियासी प्रायोजना .. .. (2×37.5 मेगावाट)
4—हरदुआगंज प्रसार चरण—6 .. .. (2×60 मेगावाट)
5—टेहरी जल विद्युत् .. .. (4×150 मेगावाट)
6—ओबरा थर्मल प्रसार चरण—3 .. .. (2×200 मेगावाट)

यदि इनमें से कुछ प्रायोजनाओं का निस्तारण कर दिया जाता है तो 1972-73 के दौरान उनका निर्माण-कार्य आरंभ किया जा सकता है।

तालिका 6

(मेगावाट)

स्कीम	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73	
	मूल लक्ष्य	उपलब्धि	मूल लक्ष्य	उपलब्धि	मूल लक्ष्य	प्रत्याशित लक्ष्य	मूल लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1––यमुना जल विद्युत्–प्रथम चरण	28.25	28.25	..	..	..	..	..	..
2––ओबरा जल विद्युत् ..	99.00	..	..	66.00	..	33.00	..	..
3––ओबरा थरमल ..	100.00	50.00	..	..	..	50.00	..	.
4––हरदुआगंज–चतुर्थ चरण	..	..	110.00	..	..	55.00	..	55.00
5––ओबरा थरमल प्रसार–चरण प्रथम ..	..	..	..	..	100.00	..	200.00	200.00
6––यमुना जल विद्युत्–द्वितीय चरण	..	..	..	..	180.00	..	60.00	..
7––रामगंगा ..	..	..	..	..	..	..	120.00	..
8––यमुना जल विद्युत्–चतुर्थ चरण–(भाग–1) ..	..	..	..	..	..	..	30.00	..
कुल योग ..	227.25	78.25	110.00	66.00	280.00	138.00	410.00	255.00
पुराने तथा बेकार सेटों का हटाया जाना ..	30.17	20.27	30.13	..	..	..	..	..
वास्तविक वृद्धि ..	197.08	57.98	79.87	66.00	280.00	138.00	410.00	255.00

अधिष्ठापित क्षमता

7––विद्युत् प्रायोजनाओं की प्रगति को जो धक्का पहुंचा है उसका कारण केवल संसाधनों की कमी ही नहीं है बलिक निर्माताओं द्वारा विद्युत् संयंत्रों को देर से सप्लाई करना भी है। इसके फलस्वरूप वार्षिक लक्ष्यों के जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है भारी गिरावट आई है––

8---1970-71 की शेष उपलब्धियों (Back log) तथा संयंत्रों की सप्लाई स्थिति को ध्यान में रखकर वर्ष 1971-72 का लक्ष्य 293 मेगावाट नियत किया गया था जिसकी तुलना में इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिष्ठापित क्षमता में केवल 138 मेगावाट की वृद्धि किये जाने की आशा है, इसी प्रकार 1972-73 के लिए कार्य चालू होने के लक्ष्य को 410 मेगावाट से संशोधित करके 255 मेगावाट करने का प्रस्ताव है।

9---चौथी योजना के प्रारंभ में तथा चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष के अन्त में अधिष्ठापित क्षमता, सुनिश्चित क्षमता और अधिकतम मांग के संबंध में उपलब्धि का स्तर निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका 7 (मेगावाट)

मद	प्रत्येक वर्ष के अन्त में उपलब्धि का स्तर				
	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72 प्रत्याशित	1972-73 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
1---अधिष्ठापित क्षमता ..	1310.04	1368.02	1434.02	1572.02	1827.02
2---सुनिश्चित क्षमता ..	870	940	1000	1100	1273
3---अधिकतम मांग ..	978	1117	1315	1525	1785

10---उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जो विद्युत शक्ति उपलब्ध हुई, मांग के अनुरूप नहीं रही, क्योंकि 1968-69 में सुनिश्चित क्षमता तथा अधिकतम मांग में 108 मेगावट का जो अन्तर था वह 1970-71 में बढ़कर 315 मेगावाट हो गया और यह आशा की जाती अन्तर 1972-73 में और बढ़कर 510 मेगावट हो जायगा।

विद्युत् क्षमता तथा उपयोग में अन्तर

11---उत्तर प्रदेश विद्युत प्रणाली के अन्तर्गत 1968-69 से प्राप्त अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन के औसत के ब्योरे इस प्रकार है --

तालिका 8

अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन के औसत

क्रम-संख्या	मद	इकाई	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72 प्रत्याशित	1972–73 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष के अन्त में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता ..	मेगावाट	1310.04	1368.02	1434.02	1572.02	1827.02
	(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (रेणुसागर को सम्मिलित करके)	..	1260.79	1318.77	1384.77	1522.77	1777.77
	(क) जल विद्युत्	..	473.12	501.37	567.37	600.37	600.37
	(ख) थरमल	..	753.03	786.03	786.03	891.03	1146.03
	(ग) डीजल तथा गैस टरवाइन ..	..	34.64	31.37	31.37	31.37	31.37
	(2) वाराणसी, आगरा तथा बरेली में निजी लाइसेंसग्रहीता (थरमल)	..	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25
2	वर्ष के दौरान अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का औसत..	..	1202.74	1329.15	1403.77	1548.02	1712.99
	(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (रेणुसागर को सम्मिलित करके)	.	1153.49	1279.90	1354.52	1498.77	1663.74

(क) जल		473.12	475.00	537.12	597.62	600.37
(ख) थरमल		645.73	773.53	786.03	869.78	1032.00
(ग) डीजल तथा गैस टरबाइन ..		34.64	31.37	31.37	31.37	31.37
(2) वाराणसी, आगरा तथा बरेली में निजी लाइसेंस ग्रहीता (थरमल)		49.25	49.25	49.25	49.25	49.25
3 वर्ष के दौरान ऊर्जा उत्पादन	लाख किलोवाट घंटे	53109	58866	66358	67050	81000
(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (रेणुसागर को सम्मिलित करके)	,,	51,272	57090	64,608	65,300	79,250
(क) जल विद्युत	,,	16,002	16,117	19,564	19,800	21,800
(ख) थरमल	,,	35,212	40,955	45,022	45,500	57,450
(ग) डीजल तथा गैस टरबाइन ..	,,	58	18	22	..	..
(2) वाराणसी, आगरा, तथा बरेली में निजी लाइसेंस ग्रहीता (थरमल)	..	1,837	1,770	1,750	1,750	1,750
4 वर्ष के दौरान ऊर्जा उत्पादन--प्रति किलोवाट औसत अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता विद्युत् उत्पादन ..	किलोवाट घंटे	4,420	4,440	4,730	4,330	4,725
(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (रेणुसागर सम्मिलित करके)	..	4,450	4,470	4,770	4,360	4,765
(क) जल विद्युत	..	3,380	3,400	3,640	3,320	3,640
(ख) थरमल	..	5,450	5,300	5,750	5,240	5,750
(ग) डीजल तथा गैस टरबाइन ..	..	169	58	71	..	..
(2) वाराणसी, आगरा तथा बरेली में निजी लाइसेंसग्रहीता (थरमल)	..	3,730	3,600	3,550	3,550	3,550

12--वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान जल विद्युत् केन्द्रों पर प्रति-किलोवाट अधिष्ठापित क्षमता का जो ऊर्जा उत्पादन हुआ वह प्रायः समान था जिसमें 1970-71 के दौरान केवल 240 किलोवाट घंटे की वृद्धि हुई। इसका कारण यह है कि 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान रिहन्द के जलागम क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हुई और रिहन्द विद्युत् केन्द्रों पर 1970-71 के दौरान हुए 74.90 लाख यूनिट विद्युत् उत्पादन की तुलना में 1968-69 तथा 1969-70 में क्रमशः केवल 5,870 लाख तथा 6,250 लाख यूनिट विद्युत् उत्पादन हुआ।

13--रिहन्द कानपुर, माताटीला तथा गंगा नहर ग्रिड प्रणालियों को परस्पर मिला देने से (थरमल) विद्युत केन्द्रों को रात्रि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक विद्युत भार प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप थर्मल विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता में प्रति-किलोवाट ऊर्जा उत्पादन सन्तोषजनक स्तर पर बनाये रखा गया। परन्तु वर्ष 1968-69 के 5,450 यूनिट की प्रति किलोवाट अधिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता की तुलना में 1969-70 की प्रति किलोवाट अधिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता घटकर 5,300 यूनिट रह गयी। इसका कारण यह था कि ओबरा तथा पनकी थर्मल विद्युत् केन्द्रों की मशीनों के रखरखाव में अधिक समय लिया गया। निजी लाइसेंस ग्रहीताओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा का विचार करते हुए 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान थर्मल विद्युत् केन्द्रों का प्रति किलोवाट अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्रमशः 5,330, 5,190, तथा 5,600 यूनिट था।

14--डीजल केन्द्रों तथा गैस टरबाइन की प्रति किलोवाट अधिष्ठापित क्षमता का ऊर्जा उत्पादन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि इन स्रोतों द्वारा विद्युत् उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है और इसी कारण इन विद्युत् केन्द्रों को केवल आपात काल में ही प्रयोग में लाया जाता है और रोजाना अधिकतम विद्युत् उत्पादन के कार्य के लिये प्रयोग नहीं किया जाता।

15--1971-72 के दौरान प्रत्याशित ऊर्जा उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता प्रति किलोवाट जो थोड़ी कमी सी रही उसका कारण हरदुआगंज चतुर्थ चरण की प्रथम यूनिट तथा ओबरा जल विद्युत् केन्द्रों के तृतीय यूनिट काम न आना है।

16--राज्य में, यदि किसान रात्रि में अपने नलकूपों/पम्पिंग सेटों को चलाने की पद्धति अपना लें तथा कुछ उद्योग जो केवल एक पाली में चलाये जाते हैं रात्रि में भी चलने लगें तो प्रति किलोवाट अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का उपयोग और बढ़ जायगा। यद्यपि राज्य को जलवायु संबंधी अत्यन्त विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है फिर भी इस दिशा में लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पारेषण तथा वितरण

17--परेषण तथा वितरण संबंधी स्कीमों के लिये 125.27 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है और जो राज्य के विद्युत् क्षेत्रों की चौथी योजना के परिव्यय का 33 प्रतिशत है। आशा की जाती है कि योजना के पहले 4 वर्ष में 93.87 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा जो कि नियत धनराशि का लगभग 75 प्रतिशत है। वास्तविक व्यय तथा प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिये गये हैं :--

तालिका 9

(करोड़ रुपयों में)

स्कीम	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
पारेषण तथा वितरण की स्कीमें––							
(1) नैमित्तिक	1.10	1.79	1.10	1.43	2.00	0.96	1.37
(2) अन्य ..	17.65	17.84	21.05	21.81	23.00	24.04	28.07
योग ..	18.75	19.63	22.15	23.24	25.00	25.00	29.44

18––नैमित्तिक स्कीमों के अधीन 220 किलोवोल्ट हरदुआगंज-मुरादाबाद का कार्य जिसको 1970–71 के दौरान रोक दिया गया था फिर से चालू कर दिया गया है । इस प्रकार जिस सामग्री की व्यवस्था 1970–71 में काम बन्द करने से पूर्व कर ली गई थी उसका उपयोग 1972–72 के दौरान कर लिया जायगा और 60 लाख रुपये के नैमित्तिक व्यय की तुलना में 1971–72 में इस स्कीम पर केवल 6 लाख रुपये वास्तविक व्यय होगा । 400 किलो वोल्ट (थरमल)–सुलतानपुर लाइन के उपयोग के लिये लगभग 2500 टन ऊंचे किस्म की तनाव क्षमता वाले इस्पात खंडों (हाईटेंशन स्टील सेक्शन) की आवश्यकता है । चूंकि देशी उत्पादकों के पास ये उपलब्ध नहीं थे । अतः इनको बाहर से मंगाने के प्रबन्ध करने पड़े जिसकी वजह से इस कार्य में काफी विलम्ब हुआ तथा परिणामस्वरूप व्यय में गिरावट आयी । इसलिये राज्य सरकार ने नियोजन आयोग से 1971–72 के दौरान पृथक् रक्षित पारेषण तथा वितरण संबंधी स्कीमों के परिव्यय को संशोधित करने के लिये कहा है ।

19––वर्ष 1972–73 के 29.44 करोड़ रुपये के परिव्यय को, पारेषण तथा वितरण संबंधी विभिन्न उपशीर्षकों के संबंध में, निम्नलिखित प्रकार से उपयोग में लाने का प्रस्ताव है:––

तालिका 10

(लाख रुपयों में)

मद	परिव्यय
(1) मुख्य पारेषण लाइनें तथा संबद्ध उपकेंद्र (66 किलोवोल्ट तथा इससे अधिक)	1,000
(2) सहायक (सेकेंडरी) पारेषण तथा सम्बद्ध उपकेंद्र (37.5, 33 किलोवोल्ट)	1,044
(3) नगरों में लाइनों (मेंस) का प्रसार तथा सुधार. . ..	70
(4) नगरों में (सर्विस कनेक्शन)	160
(5) कानपुर विद्युत सप्लाई प्रशासन (केसा) के पारेषण तथा वितरण संबंधी निर्माण-कार्य	70
योग ..	2,944

20—चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित लम्बाई की मुख्य (66 किलोवोल्ट तथा अधिक) तथा सहायक (37.5/33 किलोवोल्ट) की पारेषण लाइनों को पहले पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था :—

	सर्किट किलोमीटर
(1) मुख्य पारेषण लाइनें (66 किलोवोल्ट तथा अधिक) तथा सम्बद्ध उप केन्द्र।	4,500
(2) सहायक पारेषण लाइनें (37.5/33 किलोवोल्ट्स) तथा सहायक उप केन्द्र।	13,000

सामग्री तथा सज्जा की बढ़ी हुई लागत, वित्तीय संसाधनों की कमी और विभिन्न प्रकार के इस्पात खंडों, जस्ते तथा अल्युमिनियम आदि के उपलब्ध करने में लगातार होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उपर्युक्त लक्ष्यों का प्राप्त करना कठिन है।

21—पारेषण सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की सामग्री की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान क्रमशः केवल 304 तथा 307 सर्किट किलोमीटर की मुख्य पारेषण लाइनों का कार्य पूरा किया जा सका। सहायक (सेकेन्डरी) पारेषण लाइनों की प्रगति भी सन्तोषजनक नहीं रही क्योंकि 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान केवल क्रमश. 1,554 तथा 1,275 सर्किट किलोमीटर लम्बी सहायक पारेषण लाइनों का कार्य पूरा किया जा सका। वास्तविक उपलब्धि तथा लक्ष्यों को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 11

मदें	इकाई	1969-70		1970-71		1971-72	1972-73	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य	
(1) मुख्य पारेषण लाइनें (66 किलोवोल्ट तथा अधिक)	सर्किट किलोमीटर	1,000	304	900	207	700	700	700
(2) सहायक (सेकेन्डरी) पारेषण (37.5/33 किलो वोल्ट)	सर्किट किलोमीटर	1,500	1,554	3,000	1,275	2,000	2,000	2,700

बहुत सी मुख्य तथा सहायक (सेकेन्डरी) लाइनों और सहायक उप केन्द्रों के निर्माण कार्य भी जारी रहेगा।

ग्रामीण विद्युत्करण

22—चौथी योजना में ग्रामीण विद्युत्करण कार्यक्रम के लिए 68.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान क्रमशः 15.74 करोड़ तथा 13.04 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ है। आशा है कि 1971-72 के दौरान 13.00 करोड़ रुपये का उपयोग होगा। 1972-73 के लिए 11.98 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार आशा है कि पहले चार वर्षों में 53.76 करोड़ रुपये का व्यय किया जायगा जो चौथी योजना के परिव्यय का 79 प्रतिशत है।

23—इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं से भी निधियां प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं। इन स्रोतों से चौथी योजना के पहले दो वर्षों में 4.31 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। आशा है कि 1971-72 के दौरान 13.50 करोड़ रुपये के ऋण जुटाये जायेंगे। 1972-73 के लिए 12.00 करोड़ रुपये के ऋण जुटाने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार योजना की अधिकतम धनराशि के अतिरिक्त, योजना के पहले चार वर्षों में 29.81 करोड़ रुपये के एकत्र किये जाने की आशा है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

तालिका 12

(करोड़ रुपयों में)

संस्था	1969-70 वास्तविक	1970-71 वास्तविक	1971-72 अनुमानित	1972-73 लक्ष्य	1969-73 कुल
1	2	3	4	5	6
1—कृषि पुनर्वित्त निगम	1.96	..	5.00	5.00	11.96
2—बैंक आफ बड़ौदा	0.5)	..	1.50	..	2.00
3—ग्रामीण विद्युतकरण निगम ..	..	1.32	5.00	7.00	13.32
4—युनाइटेड कामर्शियल बैंक ..	..	0.50	0.50	..	1.00
5—केयर (CARE)	..	0.03	..	..	0.03
6—इलाहाबाद बैंक	..	..	0.50	..	0.50
7—पंजाब नेशनल बैंक	..	..	1.00	..	1.00
योग ..	2.46	1.85	13.50	12.00	29.81
अदायगी ..	..	..	..	0.10	0.10
वास्तविक ..	2.46	1.85	13.50	11.90	29.71

24—40,000 किलोमीटर पारेषण लाइनों (11 कि० वा० तथा अधिक) का निर्माण करके चौथी योजना के दौरान 2,100 गांवों तथा 1,43,000 निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों को बिजली देने की परिकल्पना की गई थी। निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों का ऊर्जीकरण करने तथा नये गांवों को विद्युतीकरण के लक्ष्य में अब वृद्धि करके उसे क्रमशः 2,00,000 तथा 15,000 कर दिया गया है। इस प्रकार निर्माण की जाने वाली वितरण लाइनों में भी वृद्धि हो जायगी। वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान पूर्ण की गई वितरण लाइनों की लम्बाई क्रमशः लगभग 19,850

किलोमीटर तथा 14,040 किलोमीटर थी। 1971-72 के दौरान 17,000 किलोमीटर की वितरण लाइनों के निर्माण-कार्य को पूरा कर लेने की आशा की गई है और 1972-73 में 15,000 किलो मीटर की वितरण लाइनों को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। गांवों के विद्युतीकरण और निजी नलकूपों तथा पम्प सेटों के ऊर्जीकरण के कार्यक्रम की प्रगति नीचे दी गई है--

तालिका 13

मद	इकाई	उपलब्धि (वास्तविक) 1969-70	उपलब्धि (वास्तविक) 1970-71	1971-72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य
(1) नये गांवों का विद्युतीकरण	संख्या	4,410	3,383	2,000	3,000
(2) निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों का ऊर्जीकरण ..	संख्या	21,172	15,234	20,000	14,000
(क) सामान्य कार्यक्रम (ख) उपभोक्ता जमा/वाणिज्यिक स्कीमें ..	संख्या	5,292	9,410	30,000	36,000
योग, (2) ..		26,464	24,644	50,000	50,000

किन्तु 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान की उपलब्धियां सामग्री तथा स्थानिक वित्त के उपलब्ध होने और उपभोक्ता जमा (कन्ज्यूमर डिपाजिट) तथा वाणिज्यिक स्कीमों के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहेगी।

सर्वेक्षण और अनुसन्धान

25--भविष्य में आरम्भ की जाने वाली विद्युत् उत्पादन की नई स्कीमों के सर्वेक्षण और अनुसन्धान के लिए 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1969-70 तथा 1970 71 के दौरान क्रमशः 21.00 लाख रुपये तथा 17.90 लाख रुपये का वास्तविक व्यय हुआ और 1971-72 के दौरान प्रत्याशित व्यय 50 लाख रुपया है। 1972-73 के लिये भी 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। इस प्रकार योजना के पहले चार वर्षों में 140.70 लाख रुपये था जोकि योजना की व्यवस्था का 70 प्रतिशत है, उपयोग हो जायगा। वर्ष 1972-73 के दौरान निम्नलिखित जल विद्युत् स्कीमों को चालू रखा जायगा:--

(1) कोटली--भेल बांध,

(2) विष्णु प्रयाग,

(3) बोवाला--नन्दप्रयाग,

(4) नन्दप्रयाग--लंगासु,

(5) विष्णूगदा--पीपलकोटी

(6) तपोबन--विष्णूगढ़,

(7) मरकूरा--तपोबन,

(8) पाला,

(9) लोहारीनाग,

(10) हरसिल बांध ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम

26--पास-पड़ोस के राज्यों के बीच बिजली की और अधिक प्रभावकारी अन्तर-राज्यीय पारेषण लाइनों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश के भाग का निम्नलिखित पांच अन्तर-राज्यीय श्रृंखलाओं के लिये 174.75 लाख रुपये की धनराशि की प्रायोजना का अनुमान तैयार किया गया और भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया ।

1--220 किलोवोल्ट ए० सी० मुगलसराय देहरी (बिहार) ।

2--220 किलोवोल्ट एस० सी०, शामली पानीपत (हरियाणा) ।

3--132 किलोवोल्ट ए० सी०, इटावा-ग्वालियर (मध्य प्रदेश) ।

4--132 किलोवोल्ट ए० सी०, मथुरा-भरतपुर (राजस्थान) ।

5--132 किलोवाल्ट ए० सी०, ढालपुर-गिरि (हिमांचल प्रदेश) ।

उपर्युक्त श्रृंखलाओं के अतिरिक्त क्रमशः 76.45 लाख तथा 82.68 लाख रुपये की लागत की जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्रमशः 63.27 लाख और 17.39 लाख रुपये है, 220 किलोवाट एस० सी० मुरादनगर-बदरापुर (दिल्ली) तथा 132 किलोवोल्ट रिहन्द-औरावां-अमरकंटक (मध्य प्रदेश) (केवल द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंजिग) लाइनों के लिये भी योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ।

27--220 किलोवोल्ट एस० सी० मुगलसराय -देहरी तथा 132 एस० सी० धलीपुर-गिरि लाइनों पर कार्य चालू है और यह प्रत्याशा है कि यदि धन की व्यवस्था हो गई तो 132 किलोवोल्ट एस० सी० मथुरा-भरतपुर ,220 किलोवोल्ट एस० सी० मुरादनगर-बदरपुर और 132 किलोवोल्ट रिहन्द-अमरकंटक लाइनों के दूसरे सर्किट की स्ट्रिंगिंग का कार्य वर्ष 1971-72 के दौरान प्रारम्भ हो जायगा ।

28--वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमशः 9.48 लाख रुपये तथा 37.75 लाख रुपये का व्यय हुआ और 1971-72 के लिये 77.96 लाख रुपये की प्रत्याशित आवश्यकता की तुलना में बजट में 68 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । 1972-73 के लिये 49.48 लाख रुपये के परिव्यय रखा गया है ।

परियोजनावार परिव्यय का विवरण

मद--4 सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4.3 विद्युत्

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	1--जेनेरेशन			
	(1) चालू परियोजनायें--			
430101	यमुना हाइडिल परियोजना--प्रथम चरण	6.00	6.00	..
	द्वितीय चरण	4000.00	4000.00	85.00
430102	ओबरा हाइडिल ..	672.00	672.00	8.00
430103	राम गंगा हाइडिल ..	1990.00	1990.00	2.00
430104	माताटीला हाइडिल ..	1.00	1.00	..
430105	हरदुआगंज--द्वितीय चरण ..	110.00	110.00	..
430106	हरदुआगंज--तृतीय चरण ..	98.00	98.00	..
430107	ओबरा थरमल ..	9.00	9.00	..
430108	हरदुआगंज--चतुर्थ चरण ..	1121.00	1121.00	..
430109	ओबरा थरमल एक्सटेंशन-प्रथम चरण	4600.00	4600.00	60.00
430110	यमुना हाइडिल योजना--चतुर्थ चरण (प्रथम भाग) ..	600.00	600.00	40.00
430111	मनेरी भाली हाइडिल-प्रथम भाग ..	1550.00	1550.00	190.00
430112	धुकवान हाइडिल ..	100.00	100.00	..
430113	रिहन्द में छठवीं मशीन ..	6.00	6.00	..
430114	पनकी थर्मल	(-) 162.00	(-) 162.00	..
	योग ..	14701.00	14701.00	385.00
	(2) नई परियोजनाएं--			
430115	ओबरा थर्मल एक्सटेंशन-द्वितीय चरण			
430116	पनकी थर्मल एक्सटेन्शन ..	3072.00	3072.00	90.00
430117	हरदुआगंज-प्रथम चरण ..			
	हरदुआगंज-छठवां चरण ..	..	..	..
	योग ..	3072.00	3072.00	90.00
	योग, जेनरेशन ..	17773.00	17773.00	475.00

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
(–)0.55	(–)16.72	..	..	..	..	..
927.96	1082.34	1330.00	1100.00	1000.00	1000.00	1.00
254.19	120.43	100.00	80.00	100.00	100.00	..
507.84	512.93	700.00	232.00	300.00	300.00	..
10.17	15.20	..	6.00	..	..	..
35.82	36.73	40.00	40.00	..	..	..
49.46	(–).18	24.00	24.00	10.00	10.00	..
–)42.26	16.38	(–)22.00	(–)14.00	(–)10.00	(–)10.00	..
571.31	474.16	120.00	120.00	55.00	55.00	..
1373.14	1416.95	900.00	900.00	500.00	500.00	..
58.87	105.74	150.00	220.00	200.00	200.00	..
41.70	121.84	225.00	325.00	500.00	500.00	20.00
..	..	..	..	..	..	..
0.04	0.63	..	..	..	..	..
25.32	13.10	(–)78.00	(–) 8.00	(–) 9.00	(–) 9.00	..
3813.01	3873.33	3489.00	3025.00	2646.00	2646.00	21.00
..	197.20	175.00	375.00	204.00	204.00	10.00
..	235.03	186.00	500.00	500.00	500.00	..
..	145.83	100.00	250.00	300.00	300.00	..
..	578.06	461.00	1125.00	1004.00	1004.00	10.00
3813.01	4451.39	3950.00	4150.00	3650.00	3650.00	31.00

मद—4 सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.3 विद्युत्

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	2—ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन			
430201	चालू परियोजनायें ..	12527.00	12527.00	2000.0
430202	नई परियोजनायें			
	योग, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन ..	12527.00	12527.00	2000.0
430301	ग्रामीण विद्युतीकरण ..	6800.00	6800.00	20.0
	3—अनुसंधान तथा विविध—			
430401	छोटी पहाड़ी परियोजनायें ..	200.00	200.00	15.6
430402	सर्वेक्षण तथा अनुसंधान ..	200.00	200.00	21.0
	योग, अनुसन्धान तथा विविध ..	400.00	400.00	36 6
	योग 4.3—विद्युत्— ..	37500.00	37500.00	2495.0

*इसमें अन्य नई परियोजनाओं का परिव्यय भी सम्मिलित है।

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
1963.26	2323.69	2500.00	2500.00	2944.00	2944.00	400.00
1993.26	2323.69	2500.00	2500.00	2944.00	2944.00	400.00
1574.13	1303.81	1300.00	1300.00	1198.00	1198.00	4.00
15.60	17.45	177.00	177.00	50.00	50.00	..
21.00	19.70	50.00	50.00	50.00	50.00	..
36.60	37.15	227.00	227.00	100.00	100.00	..
7387.00	8116.04	7977.00	8177.00	7892.00	7892.00	435.00

(12)

उद्योग और खनिकर्म

(1) बड़े और मध्यम उद्योग

इस क्षेत्र के लिये चौथी आयोजना में 2372.50 लाख रु0 का परिव्यय रखा गया है। आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 11.03 करोड़ रु0 की धनराशि खर्च की गई। आशा है कि 1971-72 के दौरान 9.13 करोड़ रु0 की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। इस धनराशि में शकर निगम (शूगर कारपोरेशन) की आवश्यकतायें भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1972-73 की आयोजना में इस क्षेत्र के लिये 3.51 करोड़ रु0 की धनराशि पृथक रखी जा रही है जिसमें शक्कर निगम के लिये 10 लाख रु0 प्रस्तावित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण योजनायें आती है जिनमें से कुछ योजनाओं के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :--

2--डल्ला में नया सीमेंट कारखाना:--11.40 करोड़ रु0 की कुल लागत से डल्ला में सीमेंट कारखाना स्थापित करने की प्रायोजना तीसरी आयोजना में स्वीकृत की गई थी। यह प्रायोजना पूरी हो गई है। कारखाना चालू होने पर यह पता चला कि रा मिल्स संख्या 1 अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। जांच करने पर यह विदित हुआ कि उसमें कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने के लिये अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी। इसके अलावा नीव को भी सुदृढ़ करना था।

3--डल्ला स्थिति सीमेंट कारखाने का प्रसार--आशा की जाती है कि वर्तमान सीमेंट संयंत्र का प्रसार करने पर सीमेंट का उत्पादन 1,200 मीटरिक टन प्रतिदिन की वर्तमान दर से होने के बजाय 2,400 मीटरिक टन प्रतिदिन के हिसाब से होने लगेगा। इसके प्रसार पर मूलतः 6 करोड़ रु0 की धनराशि खर्च होने की प्रकल्पना की गई थी। किन्तु लागत बढ़ जाने के कारण अब यह आशा की जाती है कि इस प्रयोजन के लिये 7 करोड़ रु0 की धनराशि की आवश्यकता होगी। कारखाने के विस्तार का कार्य वर्ष 1972-73 के दौरान शुरू किया जायगा जिसके लिये 1 करोड़ रु0 का प्रस्ताव किया गया है।

4--फुंके हुये (डेड बर्न्ट) मैग्नेसाइट का निर्माण--उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को अल्मोड़ा जिले में प्रति वर्ष 36,000 मीटरिक टन फुंके हुये (डेड बर्न्ट) मैग्नेसाइट का निर्माण करने के लिये वर्ष 1963-64 के दौरान एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। इस प्रायोजना में निगम ने 51 प्रतिशत अंशक खरीद लिये हैं और 49 प्रतिशत अंशक मेसर्स टाटा इन्टरप्राइजेज के हैं। वर्ष 1970-71 के दौरान निगम और मेसर्स टाटा इन्टरप्राइजेज के मध्य आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित हो गया है तथा भूमि प्राप्त कर ली गई है। निर्माण स्थल विज्ञापित कर दिया गया है तथा प्रायोजना की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चौथी आयोजना के 102 लाख रु0 के परिव्यय में से 1970-71 में 26 लाख रु0 व्यय किया गया है और आशा है कि 1971-72 के दौरान 24 लाख रु0 का उपयोग कर लिया जायगा।

5--उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम में विनियोजन--उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम के प्रमुख कार्य औद्योगिक उपक्रमों के लिये निर्माण स्थलों का विकास करना और इस राज्य

में औद्योगिक प्रायोजनायें स्थापित करने वाली इच्छुक सार्वजनिक लिमिटेड व्यापारिक संस्थाओं की अंश पूंजी का अभिगोपन कर रहे हैं। निगम ने ऐसे औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की भी एक योजना तैयार की है जो या तो निगम के स्वामित्व में होंगे अथवा निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किये जायंगे। निगम की इस योजना को भारत सरकार ने प्रोत्साहित किया है और निगम मुद्रण मशीनें, रेजर ब्लेड, स्कूटर, नरम लोह-छड़ (माइल्ड स्टील बिलेट्स) और इलेक्ट्रोड्स का निर्माण करने के लिये औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाहता है। निगम प्रायोजनाओं की समुपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये लागत के 20 प्रतिशत तक अंशकों का अभिगोपन करता है। निगम इक्वीटी और प्रीफेरेन्स अंशों का अभिगोपन करके अब तक 35 इकाइयों की सहायता कर चुका है। वर्ष 1972–73 के दौरान इस योजना के लिये 75 लाख रु0 के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

6—औद्योगिक क्षेत्र योजना—औद्योगिक नगरों का सुनियोजित ढंग से विकास करने और उद्योगों की स्थापना के लिये उद्यमकर्त्ताओं को सस्ते दामों पर भूमि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से निर्माण स्थलों को विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को सौंपा गया है। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बरेली में भूमि के विकास और निर्माण स्थलों के वितरण में काफी सफलता मिली है। वर्ष 1972–73 के आयोजनागत परिव्यय में इस योजना के लिये 108.75 लाख रु0 की धनराशि अलग रख दी गई है।

7—उत्तर प्रदेश राज्य सूती वस्त्र (टेक्सटाइल) निगम—इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग संकट की स्थिति से गुजर रहा है और इसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। निगम उन सूती वस्त्र मिलों के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है जो उसे पाने के लिये उत्सुक रहती हैं। वर्ष 1972–73 के दौरान इस प्रयोजन के लिये 50 लाख रु0 की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(2)—खनिज विकास

8—इस क्षेत्र के लिये चौथी आयोजना में 95 लाख रु0 के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 33.57 लाख रु0 की धनराशि खर्च की गई थी। वर्ष 1971–72 के दौरान 31.33 लाख रु0 का उपयोग कर लिये जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1972–73 की आयोजना अवधि के लिये 35 लाख रु0 का परिव्यय निर्धारित है।

9—भूगर्भ एवं खनिकार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम पर कई ब्योरेवार और प्राथमिक अनुसंधान किये गये। इन कार्यक्रमों में मिर्जापुर जिले के रोहतास और केजरहाट में चूने के पत्थर भण्डार और झांसी के सोनरई क्षेत्र में तांबे की तलाश और जांच करने तथा इलाहाबाद में सिलिका सैंड, अल्मोड़ा में मैग्नेसाइट और पिथौरागढ़ तथा चमोली जिले में मैग्नेसाइट और सेलखड़ी (सोपस्टोन) सम्बन्धी अनुसन्धान महत्वपूर्ण हैं।

10—इस निदेशालय ने इस राज्य में कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी पता लगाया जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाये गये ह। वर्ष 1972–73 के लिये इन खनिजों के

सर्वेक्षण का कार्यक्रम तथा मिर्जापुर में डोलोमाइट और चूना, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट, इलाहाबाद और बांदा में सिलिकासैंड तथा मिर्जापुर और झांसी में जिप्सम को तलाश करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

(3) ग्राम और लघु उद्योग

इस क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये चौथी आयोजना में 20.10 करोड़ रु0 के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में 621.91 लाख रु0 की धनराशि खर्च हो जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1972–73 की आयोजना अवधि के लिये इस क्षेत्र के निमित्त 350 लाख रु0 की धनराशि प्रस्तावित है। निम्नलिखित सारणी में व्यय के वर्गवार आंकड़े तथा 1972–73 के लिये परिव्यय दिखाया गया है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी आयोजना का परिव्यय	वास्तविक आंकड़े 1969–70	वास्तविक आंकड़े 1970–71	प्रत्याशित व्यय 1971–72	1972–73 परिव्यय
1—हथकरघा	381.00	25.45	54.32	35.93	53.57
2—शक्ति चालित करघा	10.25	3.00	1.96	2.00	..
3—लघु उद्योग	1423.75	108.03	132.54	184.69	231.17
4—औद्योगिक आस्थान	50.00	8.01	8.00	6.37	28.45
5—हस्तशिल्प	70.00	5.18	6.15	6.63	15.10
6—रेशम उत्पादन	50.00	5.13	5.41	12.87	16.96
7—खादी और ग्रामोद्योग	25.00	1.73	4.28	3.83	4.75
योग ..	2010.00	156.53	212.66	252.32	350.00

2—आयोजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा 1972-73 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) हथ करघा—इस क्षेत्र में चौथी आयोजना अवधि के दौरान 2500 करघों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 944 करघे 1969-71 के दौरान और 2551 करघे 1970-71 के दौरान सहकारी क्षेत्र में लाये गये। आशा है चालू वर्ष में ऐसे करघों की संख्या में 4000 की और वृद्धि हो जायगी। वर्ष 1972-73 में सहकारिता के आधार पर 500 करघों को संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौथी आयोजना अवधि के दौरान हथकरघा से 7950 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 3459.28 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया गया। वर्ष 1971-72 के दौरान 1214 लाख मीटर कपड़ा तैयार होने की आशा है तथा 1972-73 के दौरान 1660 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हथ करघे के कपड़े की बिक्री पर छूट के रूप में कुल 85 लाख रु0 की धनराशि उपयोग किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 1969-70 के दौरान 10.81 लाख रु0 की धनराशि और 1970-71 में 10.33 लाख रु0 की धनराशि का उपयोग किया गया और 1971-72 में 14.25 लाख रु0 की धनराशि खर्च होने की आशा की जाती है। इस योजना के लिये वर्ष 1972-73 से 20.05 लाख रु0 की धनराशि अलग रख दी गई है। चौथी आयोजना के प्रारम्भ में यह परिकल्पना की गई थी कि बुनकर सहकारी समितियों के लिये अंश-पूंजी ऋण के रूप में 50 लाख रु0 की धनराशि की व्यवस्था की जायगी। इसमें से आयोजना के दो वर्षों में 15.99 लाख रु0 का उपयोग किया जा चुका है और 7.95 लाख रु0 का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग कर लिये जाने की आशा है तथा वर्ष 1972-73 की आयोजना के दौरान इस योजना के लिये 8.25 लाख रु0 के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(2) शक्ति चालित करघे—चौथी आयोजना के शुरू में राज्य में आवंटन के लि शक्ति चालित 10,300 करघे उपलब्ध थे जिनमें से 1000 करघे सहकारी संगठनों के लिये थे। शक्तिचालित सभी करघे आवंटित कर दिये गये हैं जिनमें से 638 करघे सहकारी क्षेत्र में दिये गये हैं। इन करघों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू0पी0 फाईनेंशियल कारपोरेशन) के माध्यम से दी जा रही है।

(3) लघु उद्योग—इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वित्त निगम के माध्यम से 1969-70 के दौरान 65 लाख रु0 के और वर्ष 1970-71 में 29 लाख रु0 के ऋण वितरित किये गये। वर्ष 1971-72 में ऋणों के रूप में वितरित करने के लिये व्यवस्थित 52.00 लाख रु0 की धनराशि की तुलना में वास्तव में 76.50 लाख रु0 वितरित किये जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1972-73 में इस प्रयोजनार्थ 50 लाख रु0 की धनराशि अलग रख दी गई है। लघु उद्योग इकाइयों को विद्युत-उपयोग सम्बन्धी राज सहायता के रूप में 1969-70 के दौरान 3.97 लाख रु0 और 1970-71 के दौरान 7.38 लाख रु0 संवितरित किया गया। वर्ष 1971-72 में उक्त इकाइयों को राज सहायता के रूप में 6.30 लाख रुपये तक की धनराशि संवितरित किये जाने की आशा है। वर्ष 1972-73 की आयोजना में इस योजना के लिये 10 लाख रु0 की धनराशि अलग रखने का प्रस्ताव है।

(4) औद्योगिक आस्थान—चौथी आयोजना में इस शीर्षक के अन्तर्गत 50 लाख रु0 के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से वर्ष 1969–70 और 1970–71 में क्रमशः 8.01 लाख रु0 और 8.00 लाख रु0 की धनराशियां खर्च की गई थीं। वर्ष 1971–72 के लिये 9.30 लाख रु0 के परिव्यय का लक्ष्य था जिसकी तुलना में 6.37 लाख रु0 व्यय होने की प्रत्याशा है। 1972–73 की आयोजना में इस क्षेत्र के लिये 28.45 लाख रुपये की धनराशि अलग रखने का प्रस्ताव है। कानपुर और रनिया में शुरु किये गये कार्य को वर्ष 1972–73 के दौरान चालू रखने का प्रस्ताव है। रनिया में अर्जित भूमि को विकसित करने तथा लखनऊ, नैनी, रायबरेली और मथुरा में भूमि अर्जित करने का भी प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रूड़की, प्रतापपुर (मेरठ), लखनऊ और वाराणसी में स्थित वर्तमान औद्योगिक आस्थानों के प्रसार का कार्य भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

(5) हस्तशिल्प—सम्पूर्ण चौथी आयोजना अवधि को दौरान 50 हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 1969–70 के दौरान 19 और 1970–71 में 57 हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित की गई। 1971–72 के दौरान 10 हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 13 समितियां संगठित की जा चुकी हैं और वर्ष 1972–73 में 10 सहकारी समितियां संगठित करने का विचार है। वर्ष 1969–70 में 65 और 1970–71 में 39 नई डिजाइनें निकाली गई। आशा है कि 1971–72 में 50 नई डिजाइनें निकाली जायंगी और 1972–73 के दौरान 50 नई डिजाइनें और निकालने का प्रस्ताव है।

(6) रेशम उत्पादन—चौथी आयोजना में कुल 36 हेक्टेयर क्षेत्र में 13 रेशम उत्पादन फार्म स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था जिनमें से दो फार्म 1969–70 में और दो फार्म 1970–71 में स्थापित किये गये थे। वर्ष 1971–72 में 16 नर्सरियां स्थापित किये जाने की आशा है और वर्ष 1972–73 के दौरान 8 नये फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(7) खादी और ग्रामोद्योग—इस क्षेत्र के लिये कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य राज्य खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग बोर्ड को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इस निमित्त 1969–70 में 1.73 लाख रुपये, 1970–71 में 4.28 लाख रुपये और 1971–72 में 3.83 लाख रुपये के अंशदान दिये हैं। वर्ष 1972–73 में इस योजना के लिये 4.75 लाख रु0 का परिव्यय अलग रख दिया गया है।

3—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—इस राज्य में पिछले 9 वर्षों से राज्य के पांच स्थानों अर्थात् देवबंद (सहारनपुर), ताड़ीखेत (अलमोड़ा), फूलपुर (इलाहाबाद), मऊरानीपुर (झांसी) और मिर्जापुर में ग्राम्य औद्योगीकरण प्रायोजनायें चलाई जा रही हैं। भारत सरकार से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार अब ये योजनायें उन नगरों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 15,000 से अधिक हैं, सम्पूर्ण जिले में चलाई जा रही हैं। चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यक्रमों के आधार पर लखनऊ के लिये स्वीकृत नई प्रायोजना का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

4—ऐसी ही चार अन्य प्रायोजनायें पांचवी पंचवर्षीय आयोजना में शुरू किये जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार इन प्रायोजनाओं को मथुरा, फतेहपुर, रायबरेली और बलिया जिलों में शुरू करने का विचार कर रही है।

5—इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत प्रसार सेवाओं और उत्पादन की उन्नत प्रविधियों में 340 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का और ऋणों के रूप में 5 लाख रु0 वितरित करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रायोजना क्षेत्रों में 500 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

मद—5 उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.1. वृहत् एवं मध्यम उद्योग

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510101	राजकीय सीमेंट फैक्टरी डल्ला ..	200.00	200.00	122.00	208.64	70.06	30.79	52.60	..	..	..
510102	राजकीय सीमेंट फैक्टरी डल्ला का विस्तार	600.00	600.00	100.00	..	..	..	..	100.00	100.0	60.00
510103	डेड बर्न्ट मैगनेसाइट	102.00	102.00	..	..	26.00	50.00	24.00	..	..	..
510104	राजकीय आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी	1.00	1.00	..	0.33	0.48	0.20	0.20	0.20	0.20	..
510105	राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र कारखाना का आधुनिकीकरण ..	4.50	4.50	..	..	..	..	0.01	0.01	0.01	..
510106	पावर टिलर स्कीम	1.00	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..
510107	उत्तर प्रदेश निगम ..	300.00	300.00	..	..	65.00	..	..	..	..	..
510108	उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक निगम द्वारा हिस्सों का अन्डर-राईटिंग ..	500.00	500.00	..	74.00	233.73	192.00	..	75.00	75.00	..

510109	औद्योगिक क्षेत्र योजना ..	300.00	300.00	..	85.00	1.00	1.00	193.00	108.75	108.75	..
510110	राजकीय क्षेत्र प्रायोजनाओं के लिये भूमि लेना ..	50.00	50.00	..	20.92	4.02	24.00	15.00	5.00	5.00	..
510111	कपड़ा तथा चीनी उद्योग को आधुनिक तथा मजबूत बनाना	301.00	301.00	..	80.00	221.59	193.00	626.50	60.00	60.00	..
510112	मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ..	1.00	1.00	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..
510113	रबर इमल्सीड फायर्स का बनाना	6.50	6.50	..	..	5.57	..	0.57	..	..	..
510114	भारी उद्योग के अनुभाग का पुनर्संगठन ..	5.50	..	..	1.00	0.88	1.09	1.09	1.12	..	..
	योग, 5.1 वृहत एवं मध्यम उद्योग	2372.50	2367.00	222.00	469.89	634.33	492.09	912.96	351.08	349.96	60.00

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.2—खनिज विकास—

(लाख रुपयें मे)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969—74)			वास्तविक व्यय		1971—72		1972—73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी-मुद्रा	1969—70	1970—71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520101	भूगर्भ तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश का विस्तार ..	95.00	..	3.83	11.56	23.10	22.00	31.33	35.00	..	..

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969—74)			वास्तविक व्यय		1971—72			1972—73 (परिव्यय)	
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70	1970—71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) हथकरघा										
530101	बुनकरों की सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिये ऋण ..	50.00	50.00	..	8.00	7.99	8.25	7.95	8.25	8.25	..
530102	160 बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता ..	11.16	..	..	0.31	0.20	1.02	1.02	1.02	..	..
530103	केंद्र तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	4.00	..	..	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	..	..
530104	गोष्ठी द्वारा बुनकरों को सहकारिता शिक्षा देने का प्रोग्राम ..	4.76	..	..	0.86	0.80	1.17	1.14	1.10	..	..
530105	कच्चे माल की व्यवस्था अर्थात् नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान सहकारी कताई मिलों का प्रसार	100.00	..	..	..	25.00	25.00	..	..	..	..

मद-5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530106	वेयर हाउसों की स्थापना ..	1.88	1.88	..	0.19	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	..
530107	उन्नत यंत्रों की व्यवस्था ..	20.00	5.00	..	2.00	4.55	4.54	4.51	5.50	1.23	..
530108	उन्नत यंत्रों के वर्कशाप की स्थापना	8.00	1.10	..	..	..	..	..	..	..	.
530109	चार डिजाइन केंद्रों की स्थापना (मऊ, आजमगढ़, मेरठ, बरेली व इटावा में)	8.00	0.40	..	0.82	1.14	1.47	1.45	1.85	..	..
530110	रंगाई घरों की स्थापना ..	2.70	0.60	..	0.30	0.50	0.75	0.60	0.66	0.15	..
530111	नमूनों (सैम्पल) का ..	0.50	..	..	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	..	..
530112	पारितोषिक वितरण ..	0.25	..	..	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	..	..
530113	गुण चिन्हांकन योजना ..	9.15	0.02	..	0.69	1.30	1.50	1.50	1.62	..	..
530114	बिक्री भंडारों का खोलना ..	6.23	..	..	0.48	0.34	1.56	1.36	1.36	..	..
530115	अखिल भारतीय हथकर्घा सप्ताह .. का मनाया जाना ..	0.60	..	..	0.02	..	0.12	0.12	0.12	..	..
530116	हथकर्घा वस्त्रों के विक्रय पर छूट ..	85.00	..	..	10.81	10.33	15.25	14.25	20.05	..	..

530117	कार्य पूंजी के लिये बैंक आफ इंडिया स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गारंटी ..	10.00	..	..	..	0.50	0.50	..	1.00	..	..
530118	ऋण के ब्याज के लिये राज सहायता	10.00	..	..	..	0.21	1.00	0.21	0.25	..	..
530119	केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लगाये गये कर्मचारियों पर राज सहायता	7.70	..	..	..	..	1.00	0.30	1.38	..	..
530120	बुनकरों के वर्तमान मकानों का विस्तार एवं सुधार ..	13.00	13.00	..	..	..	..	..	..	..	..
530121	प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु बुनकर सहकारी समितियों को सहायता	12.50	..	..	..	..	..	..	2.50	..	..
530122	विज्ञापन एवं प्रचार ..	7.00	0.02	..	..		..	..	1.00	..	..
530123	विपणन एवं संघटन हेतु कर्मचारिवर्ग	2.25	0.12	..	0.02	0.13	0.45	0.20	0.46	..	..
530124	सर्वे एवं मूल्यांकन प्रयोग ..	6.32	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530125	प्राथमिक हथकर्घा बुनकर उत्पादन और विक्रय सहकारी कार्यालय एवं गोदाम	..	..	..	..	..	3.15	..	3.00	2.00	..
	नई परियोजना										
530126	अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग ..	..	..	.	..	..	.	..	0.62	..	..
530127	बुनकरों की प्रदेश के अन्दर तथा बाहर स्थित बुनकर केंद्रों को योजना	..	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..
	योग ..	381.00	172.14	..	25.45	54.32	68.06	35.93	53.57	12.01	..

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग—(क्रमशः)

(लाख रुपयें में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2) विद्युत् चालित कर्घा										
530201	विद्युत् चालित कर्घा स्थापित करने के लिये हथकर्घा बुनकरों को ऋण	10.25	10.25	..	3.00	1.96	2.00	2.00	..	..	..
530202	उ० प्र० वि० निगम पर प्रशासकीय..										
	(3) लघु स्तरीय उद्योग										
530301	ऋण योजना	441.38	441.38	..	65.74	29.00	79.00	76.50	50.00	50.00	..
530302	उ० प्र० लघु उद्योग निगम को कार्य पूंजी हेतु ऋण ..	85.00	85.00	..	9.00	..	..	..	..	..	..
530303	किराया खरीद (हायर परचेज) योजना	250.00	250.00	..	15.00	64.00	31.00	80.00	69.70	69.70	..
530304	विद्युत् राज सहायता ..	125.00	..	..	3.97	7.38	6.30	6.30	10.00	..	..

530305	समितियों को सहायता ..	2.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530306	औद्योगिक सहकारिताओं (अवस्तीय) का प्रसार ..	24.00	6.00	..		3.14	4.95	3.77	5.00	1.55	..
530307	प्राविधिक सहायता का कार्यक्रम तथा प्राविधिक कर्मचारी वर्ग ..	40.00	..	..	3.60	3.59	5.00	4.88	8.00	..	..
530308	ग्रामीण कौशल के उत्थान एवं ग्रामीण उद्योगों की प्रोन्नति की योजना	40.00	..	..	..	..	3.00	..	..	..	..
530309	गुण चिन्हांकन योजना ..	20.39	1.10	..	0.99	1.04	2.00	1.76	2.38	0.62	..
530310	आधुनिकीकरण के लिये राज सहायता योजना ..	18.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530311	प्राविधिक सूचना की योजना ..	3.00	..	..	..	..	..	..	1.50	..	..
530312	उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला गाजियाबाद का पूरा किया जाना	22.00	1.50	..	0.57	0.63	0.50	0.48	0.51	..	..
530313	फोर्ज्ड हीट ट्रीटमेंट प्लान्ट मेरठ ..	60.00	52.00	8.00	3.14	6.83	12.00	3.72	6.00	..	..
530314	उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला आगरा	23.00	2.50	..	..	0.27	1.00	0.01	5.04	4.00	..
530315	कांच प्रोद्योगिक अनुभाग कानपुर का प्रसार	2.00	0.35	..	0.02	0.07	0.14	0.18	0.20	..	..
530316	चुनार (मिर्जापुर) के लिये प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र ..	6.25	2.00	..	0.02	0.40	0.40	0.03	0.25	0.25	..
530317	पाटरी विकास केंद्र खुर्जा का प्रसार ..	4.00	1.00	..	0.26	0.23	0.70	0.09	0.87	0.10	..
530318	नमूनों के लिये प्रदर्शनी केंद्र ..	4.48	..	..	0.42	0.61	0.60	0.56	0.74	..	..

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530319	गाजियाबाद में व्यापार केन्द्र ..	10.00	6.00	..	1.00	..	1.37	..	2.69	..	..
530320	प्रदर्शनियां	10.00	..	..	1.01	1.99	2.00	2.00	18.00	..	..
530321	उ० प्र० निर्यात निगम में हिस्सा पूंजी योग	12.00	12.00	..	..	11.50	..	..	7.50	7.50	..
530322	बहुमुखी यांत्रिक कर्मशाला (स्पिल ओवर)	11.77	..	..	0.11	0.12	1.50	0.13	..	..	..
530323	कानपुर में लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट	1.29	..	..	0.02	0.06	0.16	0.16	0.16	..	..
530324	वुड सीजनिंग प्लान्ट (स्पिलओवर)	0.03	0.03	..	..	0.02	..	..	..	..	..
530325	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा पर्वतीय जिले का प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण (स्पिल ओवर)	0.16	..	..	0.60	..	..	..	1.00	..	..
530326	लघुस्तर पर सीमेन्ट निर्माण की अग्रगामी योजना ..	10.00	..	..	2.49	1.41	2.00	3.32	2.00	..	..

530327	कृषि यंत्रों के लिये बहुधंधी कार्यशालाओं की स्थापना	..	200.00	200.00	..	..	..	10.00	..	..	..	..
530328	उद्योग निदेशालय के लिये अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग ..	..	..	..	..	..	0.25	0.30	0.25	0.26	..	..
530329	देहरादून में खेल के सामान के लिये भवनों का निर्माण	..	..	..	..	0.01	..	..	..	..	..	.,
530330	मुरादाबाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट		..	..	..	0.06	..	..	..	..	..	..
	नई परियोजना											
530331	क्रिस्टल ग्लास का निर्माण]	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..
530332	सैंड वाशिंग प्लान्ट	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..
530333	टूनल किल्न, खुर्जा	..	..	..	..	..	..	..	..	10.00	10.00	..
530 334	पिछड़े जिलों में नये उद्योगों को प्राविधिकपरामर्श हेतु राज सहायता	..	..	..	..	..	..	..	..	2.00	..	..
530335	उ० प्र० वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण या मार्जिन मनी पर ऋण सुविधा		..	..	..	..	..	..	..	10.00	10.00	..
530336	उ० प्र० लघु उद्योग निगम को पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों के स्थापना के लिये ऋण ..	..	..	..	..	..	..	..	..	10.00	10.00	..
530337	अध्ययन हेतु प्रावैधिक एवं अप्रावैधिक उद्योगियों का दौरा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	0.10	..	..
530338	विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा टेस्टिंग लेबोरेटरी ..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..

*प्रतीक प्राविधान

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12
530339	लघु कारीगरों को रिस्क कैपिटल हेतु गारंटी ..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..
530340	पिछड़े जिलों में जिला उद्योग अधिकारियों की नियुक्ति	..	..	..	..	..	..	..	1.50	..	..
530341	विपणन एवं औद्योगिक सर्वेक्षण	..	..	..	..	..	..	..	3.00	3.00	..
530342	क्षेत्रीय अधिकारियों को यातायात के लिये सुविधा	..	..	..	..	..	..	..	2.75	1.50	..
530343	अन्तिरिम सहायता ..	..	..	..	..	..	..	0.55	..	..	..
	योग ..	1423.75	1060.86	8.00	108.03	132.54	163.92	184.69	231.17	168.22	..

*प्रतीक प्राविधान

(4) औद्योगिक आस्थान

530401	अधिनीत चालू (स्पिल ओवर) योजना	..	20.50	15.00	..	1.66	3.00	2.30	1.37	2.04	1.80	..
530402	नये औद्योगिक आस्थान	..	10.50	10.50	..	3.41	..	2.00	..	23.91	23.91	..
530403	वर्तमान औद्योगिक आस्थानों का प्रसार	..	19.00	19.00	..	2.94	5.00	5.00	5.00	2.50	2.50	..
	योग	..	50.00	44.50	..	8.01	8.00	9.30	6.37	28.45	28.21	..

(5) हस्तशिल्प

530501	हस्त शिल्प की वस्तुओं के आन्तरिक क्रय विक्रय बढ़ाने की योजना	..	26.69	17.05	..	0.18	0.15	2.00	0.01	..	..	..
530502	सामान्य सुविधा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	..	4.06	0.83	..	0.63	0.34	1.00	0.37	1.16	0.20	..
530503	विभिन्न हस्त कलाओं में उत्पादन इकाई की स्थापना की योजना		16.49	13.52	..	0.71	1.35	2.50	0.92	3.70	2.20	..
530504	निर्यात हेतु विकास संबंधी क्षेत्रीय कर्मचारियों का पुनर्गठन		9.66	..	..	2.03	2.29	2.40	2.33	2.36	..	..
530505	हस्तशिल्प सहकारी समितियों के संघटन एवं हस्तशिल्प उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की योजना	..	11.85	5.87	..	1.39	1.74	2.75	2.75	3.64	2.30	..

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71.	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530506	अखिल भारतीय हस्तकला सप्ताह समारोह ..	1.25	..	.	0.24	0.28	0.25	0.25	0.25	..	..
	नई परियोजना										
530507	भदोई में गर्म गलीचे तथा सिल्क ब्रोकेड के डिजाइन केंद्र की स्थापना ..	..	..	..	..	..	..	..	0.93	..	..
530508	भदोई के रंगाई तथा गर्म गलीचे ब्रोकेड की रंगाई की स्थापना ..	..	..	..	..	..	..	..	3.06	1.00	..
	योग ..	70.00	37.27	..	5.18	6.15	10.90	6.63	15.10	5.70	..

(6) रेशम उद्योग										
530601 शहतूत वृक्षों का लगाना ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530602 रेशम कीट बीज संघटन ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530603 रेशम कीट पाली संघटन ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530604 प्रशिक्षण कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530605 संरक्षण तथा परिरक्षण केंद्र	47.00	13.85	..	4.77	5.24	16.66	12.04	16.96	5.25	..
530606 तागा बनाने के संघटन का प्रसार ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530607 विज्ञापन एवं प्रचार ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
530608 टसर रेशम कीट पालन ..	3.00	..	..	0.36	0.17	..	0.83	..	..	..
योग ..	50.00	13.85	..	5.13	5.41	16.66	12.87	16.96	5.25	..
(7) खादी और ग्राम उद्योग										
530701 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को नियंत्रण कर्मचारी वर्ग सहित राज्य का अंशदान ..	23.00	..	..	1.73	4.28	4.50	3.83	4.75	..	..
530702 हाथ से कागज बनाने की योजना	2.00									
योग ..	25.00	..	..	1.73	4.28	4.50	3.83	4.75	..	..
सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान व्यय	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
योग 5.3 ग्राम तथा लघुउद्योग	2010.00	1338.87	8.00	156.53	212.66	275.34	252.32	350.00	219.39	..

(13)

परिवहन और संचार

(1) सड़कें तथा पुल

राज्य के आर्थिक विकास में सड़कों के विकास को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सड़कों के विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। लगभग हर सड़क को एक या एक से अधिक नदियों को पार करना पड़ता है। अधिकांश वर्तमान सड़कें आजकल के भारी और द्रुतगामी यातायात के लिये अनुपयुक्त हैं। एक ही योजना अवधि के दौरान इन सब कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है। संसाधनों की कमी के कारण चौथी योजना में सड़क क्षेत्र के लिये 50 करोड़ रुपये का ही प्राविधान किया जा सका है। इसमें से 9.42 करोड़ रुपया ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये प्रदिष्ट किया गया है। चौथी योजना में इन सड़कों के निर्माण पर बहुत जोर दिया गया है। बम्बई योजना के अनुसार मार्च, 1981 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में 46,960 किलोमीटर सड़कें हो जानी चाहिये। चौथी योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश में 29,213 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। इस प्रकार जब चौथी योजना शुरू की गई थी उस समय 17,747 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना बाकी था।

2—वर्ष 1969–70 के दौरान सड़कों के विकास के लिय 6.25 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत 6.58 करोड़ रुपये व्यय किया गया। इस वर्ष 229 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 241 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुर्ननिर्माण और सुधार किया गया। 10 पुलों के निर्माण का काय पूरा करके उन्हें यातायात के लिये खोल दिया गया।

3—वर्ष 1970–71 के दौरान 7.14 करोड़ रुपये के निर्धारित परिव्यय की तुलना में 7.84 करोड़ रुपये खर्च किये गये। पहली बार लक्ष्य से अधिक नई सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। नई सड़कों के निर्माण और वर्तमान सड़कों के पुर्ननिर्माण का लक्ष्य क्रमशः 248 और 370 किलोमीटर रखा गया था। 352 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गयीं और 261 किलोमीटर वर्तमन सड़कों का पुर्ननिर्माण और सुधार किया गया। 19 पुल बनाये गये यद्यपि केवल 13 पुलों के निर्माण का ही लक्ष्य रखा गया था।

4—वर्ष 1971–72 के लिये 9.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। जिसके पूरी तरह उपयोग कर लिये जाने का अनुमान है। वर्ष के अन्त तक अनुमान है कि लगभग 335 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 335 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुर्ननिर्माण पूरा किया गया, जब कि इनका लक्ष्य क्रमश: 245 किलोमीटर तथा 335 किलोमीटर था। 15 पुलों के निर्माण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया। चौथी योजना के प्रारम्भ में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 29,213 किलोमीटर थी। 1971–72 के अन्त तक ऐसी सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 30,510 किलोमीटर हो गई।

5—वर्ष 1972–73 के लिये 13.43 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। अधिकांश व्यय चालू परियोजनओं पर और चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में स्वीकृत परियोज-

नाओं पर किया जायगा। वर्ष 1972-73 के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिये लगभग 55 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है। ऐसी सड़कों और पुलों के सम्बन्ध में जिनका निर्माण पांचवीं योजना के अन्तर्गत किया जायगा अग्रिम कार्यवाही की जायगी। ग्रामीण सड़कों के लिये 5.68 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है जो कि स्वीकृत परिव्यय का 42 प्रतिशत है। स्वीकृत मदों को त्वरित गति से करने, औद्योगिक महत्व की सड़कों का निर्माण कार्य तथा पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये प्राविधान किया गया है। आगामी दो वर्षों में चालू निर्माण कार्यों को यथासम्भव पूरा कर लेने का प्रयत्न किया जायगा ताकि पांचवीं योजना के लिये अधिनीत परियोजनायें यथासम्भव कम रह जायें।

6—वर्ष 1972–73 के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

1—वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार	..	297	किलोमीटर
2—नई सड़कों का निर्माण	.. ..	324	किलोमीटर
3—पुल	.. .. ..	21	संख्या

(2) सड़क परिवहन

सड़क परिवहन के विकास के लिये धन की व्यवस्था मार्च, 1969 तक आयोजनेतर पक्ष में की जाती थी। इसे चौथी योजना में सम्मिलित किया गया जिसमें इसके लिये 725.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी। चौथी योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश रोडवेज की 3,821 बसें थीं जो 19,396 किलोमीटर सड़कों पर चलाई जाती थीं। चौथी योजना में उन सड़कों पर जिन पर इस समय बसें चलाई जाती हैं, अतिरिक्त यातायात के लिये यात्री परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों के पिछड़े हुये क्षेत्रों में वतमान मार्गों से संलग्न मार्गों पर तथा नई सड़कें, जसे पार्श्विक सड़क और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की सड़कों पर बस सेवाओं के विस्तार करने की व्यवस्था की गयी है। माल परिवहन सेवाओं के विकास का कार्य गैर सरकारी क्षेत्र के जिम्मे छोड़ दिया गया है। चौथी योजना के दौरान 1,000 किलोमीटर सड़क पर रोडवेज बस सेवाओं के प्रसार के लिये तथा वर्तमान मार्गों पर अतिरिक्त यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 773 बसें खरीदी जायेंगी।

2—वर्ष 1969–70 के लिये 100.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, किन्तु उसमें से 87.50 लाख रुपये का ही व्यय हुआ था। 142 बसें खरीदने का लक्ष्य रखा गया था जो प्राप्त कर लिया गया था। 200 किलोमीटर सड़कों पर रोडवेज बस सेवाओं का विस्तार किया जाना था, किन्तु विधिक कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3—वर्ष 1970–71 के दौरान 85.70 लाख रुपये का ही व्यय किया गया जबकि 100.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी। 110 बसें खरीदने तथा 200 किलोमीटर सड़कों पर रोडवेज बस सेवाओं के विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बसों के खरीदने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और 407 किलोमीटर सड़कों पर रोडवेज बस सेवाओं का विस्तार किया गया है। इस प्रकार पिछले वर्ष बस सेवा परिचालन में जो कमी रह गयी थी, उसे भी पूरा कर लिया गया।

4—वर्ष 1971–72 के लिये 150.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था इसको पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया। मूलतः 120 बसें खरीदने का लक्ष्य निर्धारित

किया गया था। इस क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी कायक्रम कम करके रोजगार के अवसरों में अधिक व्यवस्था करने हेतु तथा जनसाधारण के लिये यात्री परिवहन सम्बन्धी अधिक सुविधायें प्रदान करने के निमित्त बसें खरीदने के लक्ष्य को 120 से बढ़ाकर 180 कर दिया गया किन्तु रोडवेज की बस सेवाओं का प्रसार 200 किलोमीटर सड़कों तक सीमित रखा गया। यह अनुमान है कि वर्ष के अन्त तक इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

5—1972–73 के लिये 200.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस परिव्यय में से 40.00 लाख रुपये भूमि खरीदने में तथा भवनों के निर्माण पर तथा 3.20 लाख रुपये उपकरण और संयंत्र क्रय करने पर खच किया जायगा। 156.80 लाख रुपये की शेष धनराशि का उपयोग 209 बसें खरीदने के लिये किया जायगा। रोडवेज की यात्री बस सेवाओं का विस्तार 200 किलोमीटर सड़कों पर किया जायगा। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अतिरिक्त बस सेवाओं के परिचालन के लिये प्रर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(3) पर्यटन

चौथी योजना में पर्यटक गमनागमन का विकास करने के लिये 50.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रदिष्ट किया गया है। इनमें से 30.00 लाख रुपये की धनराशि पर्यटक बंगलों के निर्माण और उसके विस्तार एवं तीर्थ यात्री शेड के निर्माण हेतु प्रदिष्ट की गयी है। 20.00 लाख रुपये की शेष धनराशि पर्यटक उत्सवों का आयोजन करने, प्रख्यापन कार्य, अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा दिल्ली और मसूरी में पर्यटक कार्यालय खोलने पर व्यय की जायगी।

2—वर्ष 1969–70 के लिय 10.78 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था और व्यय 9.38 लाख रुपये हुआ था। इसमें से 7.60 लाख रुपये की धनराशि मुनी-की-रेती और देवप्रयाग में तीर्थ यात्री शेडों के निर्माण तथा हरद्वार में पर्यटक बंगले के विस्तार पर व्यय की गई। भूमि अजन में कठिनाई होने के कारण महोबा में पर्यटक बंगला तथा रुद्रप्रयाग में तीर्थ यात्री शेड का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया। किन्तु दिल्ली में पर्यटक कार्यालय खोल दिया गया था। कार्बेट नेशनल पार्क के विकास का कार्य बहुत तेजी से चलाया गया था। शरद ऋतु में पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिय मसूरी और नैनीताल में पर्यटक उत्सवों के आयोजन पर 0.10 लाख रुपये का व्यय किया गया।

3—पर्यटन के विकास के लिये वर्ष 1970–71 में 16.12 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। उसके समक्ष 6.31 लाख रुपये का व्यय किया गया। इसमें से 4.34 लाख रुपये का उपयोग निर्माण कार्यों पर किया गया। पर्यटक उत्सवों पर 0.30 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई।

4—वर्ष 1971–72 के लिये 16.00 रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस में से 12.85 लाख रुपये निर्माण कार्यों के लिये तथा 3.15 लाख रुपये अधिष्ठान, अधिकारियों के प्रशिक्षण, पर्यटक उत्सवों के आयोजन तथा प्रख्यापन आदि के लिये था। वष 1971-72 का अनुमानित व्यय 14.03 लाख रुपये है। मसूरी, अल्मोड़ा और ऋषिकेश में पर्यटक बंगलों के लिये भूमि अर्जित नहीं की जा सकी। यद्यपि इनके स्थलों का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया था। मुनी-की-रेती का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया और देवप्रयाग में तीर्थ यात्री शेड का निर्माण काय जारी रहा। श्रीनगर, लखनऊ और इलाहाबाद स्थित पर्यटक बंगलों में विस्तार काय जारी रहा। सारनाथ के पर्यटक बंगले के सम्बन्ध में निर्माण कार्य भी जारी रहा। पर्यटक उत्सवों पर 0.30 लाख रुपये व्यय कियां गया। सूचना विभाग और भारतीय

पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पर्यटन सम्बन्धी प्रचार साहित्य प्रकाशित किया गया। वर्ष 1971–72 के अन्त तक चौथी योजना के कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया।

5—वर्ष 1972–73 के लिये 16.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 11.70 लाख रुपये निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा 4.30 लाख रुपये अन्य कार्यक्रमों के लिये है। अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित मदें सम्मिलित हैं :—

	लाख रुपये
1—प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.02
2—उत्सवों का आयोजन	0.60
3—पर्यटन साहित्य का मुद्रण और प्रचार तथा आयोजित दौरे इत्यादि	1.00
4—अधिष्ठान	2.68
योग ..	4.30

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.1. सड़क

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	पुनर्निर्माण तथा सुधार			
610101	चालू परियोजनायें	353.00	353.00	..
610102	नई परियोजनायें	800.00	800.00	..
	नई सड़कों का निर्माण			
610103	चालू परियोजनायें	609.00	609.00	..
610104	नई परियोजनायें	1095.00	1095.00	..
	पुल			
610105	चालू परियोजनायें	292.00	292.00	..
610106	नई परियोजनायें	291.00	291.00	4.00
	अन्य निर्माण कार्य			
610107	चालू परियोजनायें	222.00	222.00	..
610108	नई परियोजनायें	170.00	170.00	..
	अधिष्ठान			
610109 610110	चालू परियोजनायें .. .. नई परियोजनायें	400.00	400.00	..
610111	उत्तर प्रदेश की तराई पट्टी में सड़क सम्बन्धी संचार साधनों का विकास (चालू परियोजना) ..	622.00	622.00	..
610112	चार पूर्वी जिलों में त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (चालू परियोजना)	146.00	146.00	..
610113	अन्तर्देशीय जल परिवहन ..	..	..	..
	योग 6.1—सड़क ..	5000.00	5000.00	4.00

(लाख रुपयों में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 स्वीकृत परिव्यय		
वास्तविक व्यय		स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
227.98	135.33	148.58	83.42	95.40	95.40	..
0.50	65.15	14.05	134.61	213.90	213.90	..
185.75	160.38	304.65	141.33	152.00	152.00	..
6.34	99.99	75.07	147.46	387.25	387.25	..
59.94	104.21	141.25	125.07	125.00	125.00	..
2.71	25.47	30.00	50.20	124.40	124.40	1.00
6.10	8.63	12.17	17.78	18.25	18.25	..
4.06	20.23	27.79	100.96	44.75	44.75	..
55.96	59.74	78.67	96.07	135.50	135.50	..
67.25	71.32	75.10	46.00	45.00	45.00	..
41.29	33.15	42.67	6.20	1.40	1.40	..
..	..	0.001	0.85	0.15	0.15	..
657.88	783.60	950.00	949.95	1343.00	1343.00	1.00

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन—

वर्ग—6.2. सड़क परिवहन—

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
620101	राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन	725.00	725.00	5.00

(लाख रुपयों में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 स्वीकृत परिव्यय		
वास्तविक व्यय		स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
87.50	85.70	150.00	150.00	200.00	200.00	1.50

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन—

वर्ग—6.3. पर्यटन—

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
630101	पर्यटक गमनागमन परियोजना	50.00	..	..

(लाख रुपयों में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 स्वीकृत परिव्यय		
वास्तविक व्यय		स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पुंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
9.38	6.31	16.00	14.03	16.00	..	..

(14)

शिक्षा

(1) सामान्य शिक्षा

सामान्य शिक्षा के लिये चौथी योजना का कुल पुनरीक्षित परिव्यय 5,344.69 लाख रुपया है, जिसमें उत्तराखंड का 225 लाख रुपया सम्मिलित नहीं है। योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1969-70 और 1970-71 के दौरान 1200.09 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुयी। वर्ष 1971-72 के लिये परिव्यय 1166.82 लाख रुपये है, जिसके पूरा उपयोग किये जाने की आशा है। वष 1972-73 के लिये 1367 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। निधियों का वर्गानुसार वितरण निम्न तालिका में सूचित किया गया है—

(लाख रुपयों में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय	1971-72		1972-73
		परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	प्रस्तावित
1—प्राथमिक शिक्षा ..	3519.79	766.69	772.12	931.05
2—माध्यमिक शिक्षा ..	924.00	201.32	192.58	218.25
3—विश्वविद्यालय शिक्षा ..	530.51	127.62	127.06	128.44
4—अध्यापकों का प्रशिक्षण..	189.68	32.72	26.90	40.30
5—सामाजिक शिक्षा ..	43.27	8.56	8.55	8.39
6—अन्य ..	87.44	21.91	31.72	32.57
7—सांस्कृतिक कार्यक्रम] ..	50.00	8.00	8.00	8.00
योग ..	5344.69	1166.82	1166.93	1367.00

2—प्राथमिक शिक्षा—चौथी योजना के 3519.79 लाख रुपये के परिव्यय में से कुल 1597.42 लाख रुपये का उपयोग 1971-72 के अन्त तक हो जाने की आशा है। 1972-73 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 931.05 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। इस कार्यक्रम की प्राथमिकता को ध्यान में रख कर प्राथमिक शिक्षा के परिव्यय में तेजी से वृद्धि की जा रही है।

3—प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार हेतु 1971–72 के दौरान 292 बालिकाओं के और 153 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले जा रहे हैं तथा वर्तमान स्कूलों में 9120 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में 420 स्कूल मदर्स की नियुक्ति की जा रही है और 110 मिश्रित स्कूलों को सेनीटरी ब्लाकों के निर्माण के लिये अनुदान भी स्वीकृत किये जायेंगे। यह आशा की जाती है कि कक्षा 1 से 5 में भर्ती होने वाले बालकों की संख्या 1970–71 की 68.04 लाख से बढ़कर वर्ष 1971–72 में 70 लाख हो जायेगी और बालिकाओं की संख्या 40.24 लाख से बढ़ कर 43.44 लाख हो जायेगी तथा कुल बच्चों की संख्या 108.28 लाख से बढ़कर 113.44 लाख हो जायेगी। यह भी आशा की जाती है कि 6 से 11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों—बालक तथा बालिका दोनों का प्रतिशत 1970–71 के 88 प्रतिशत से बढ़कर 1971–72 में 90 प्रतिशत तथा बालिकाओं का प्रतिशत 67 से बढ़कर 71 हो जायगा।

4—1972–73 के कार्यक्रम में 85 बालिकाओं के स्कूल तथा 25 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने, 2000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, 280 स्कूल मदरों की मिश्रित स्कूलों में नियुक्ति और 145 सेनीटरी ब्लाकों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। अप-व्यय तथा निष्क्रियता को कम करने के लिये जो अग्रगामी प्रायोजना आरंभ की गई है उसे 1972–73 के दौरान चालू रक्खा जायगा। यह अनुमान है कि कक्षा 1 से 5 तक भर्ती किये जाने वाले बालकों की संख्या बढ़कर 70.41 लाख, बालिकाओं की 44.26 लाख और कुल बच्चों की 114.67 लाख हो जायगी। किन्तु, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भर्ती की संख्या में हुई यह वृद्धि प्रति सन्तुलित हो जावेगी और इसके फलस्वरूप भर्ती की संख्या प्रतिशत अपरिवर्तनीय रहेगा-अर्थात् बालकों के लिये 100 प्रतिशत, बालिकाओं के लिये 71.4 प्रतिशत और सभी बच्चों के लिये 90 प्रतिशत।

5—जूनियर बेसिक स्कूलों के बहुत से भवन बड़ी शोचनीय दशा में हैं। वर्ष 1971–72 के दौरान 62 भवनों के निर्माण तथा 80 भवनों का सुधार करने के लिये अनुदान स्वीकृत किये जा रहे हैं। 1972–73 के दौरान 63 भवनों का निर्माण तथा 51 भवनों का सुधार करने के लिये निधियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

6—प्राथमिक (प्राइमरी) स्तर से आगे भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि के हेतु व्यवस्था करने के उद्देश्य से बालकों के 130 सीनियर बेसिक स्कूल; बालिकाओं के 147 सीनियर बेसिक स्कूल और 50 अनुवर्ती कक्षाएं (Continuation Classes) वर्ष 1971–72 के दौरान खोली जा रही हैं। 362 अतिरिक्त अध्यापकों को भी नियुक्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 170 सीनियर बेसिक स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जायगा और 115 नये खोले जाने वाले स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया जायगा। विज्ञान की शिक्षा के लिये 180 स्कूलों को, कृषि शिक्षा के लिये 20 स्कूलों को और पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये 136 स्कूलों को भी अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। वर्ष 1972–73 के दौरान, 100 बालकों के स्कूल, 90 बालिकाओं के स्कूल, 40 अनुवर्ती कक्षायें खोलने तथा 530 अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव है कि 85 स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर दिया जाय; 71 नये खोले गये स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किये जायें; 100 स्कूलों को विज्ञान अनुदान दिये जायें; 10 स्कूलों को कृषि अनुदान दिये जायें और 87 स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों के पुस्तकालय के लिये अनुदान दिये जायें। यह आशा की जाती है कि कक्षा 6 से 8 तक में भर्ती होने वालों की संख्या, वर्ष 1970–71 के 18.68 लाख (14.97 लाख बालक और 3.71 लाख बालिकायें) से बढ़कर वर्ष 1971–72 में 19.38 लाख (15.43 लाख

बालक और 3.95 लाख बालिकायें) हो जायेंगी और यह संख्या वर्ष 1972–73 में बढ़कर 19.92 लाख (15.80 लाख बालक और 4.12 लाख बालिकायें) हो जायेंगी। आशा है कि 11 से 14 तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत 1970–71 के 27.9 से बढ़कर वर्ष 1971–72 में 28.4 तथा वष 1972–73 में 28.5 हो जायगा।

7—माध्यमिक शिक्षा—चौथी योजना की अवधि के दौरान इस क्षेत्र की स्कीमों के लिये 924 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, 323.05 लाख रुपये की धनराशि उपयोग किये जाने की आशा है। वर्ष 1972–73 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिये 218.25 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

8—वर्ष 1971–72 के दौरान एक नया राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोला गया है और 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूलों (2 बालकों के और 6 बालिकाओं के) का उन्नयन करके उन्हें हाई स्कूल बना दिया गया है और 6 राजकीय हाई स्कूलों को उन्नयन करके इन्टर कालेज बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त 98 गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित कर दिया जायगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे और 7 नये खोले गये स्कूलों को तदर्थ अनुदान दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 66 स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये; 175 स्कूलों को पुस्तकालयों के सुधार के लिये; 240 स्कूलों को अतिरिक्त भर्ती करने की मांग की पूर्ति के लिये, साज-सज्जा और भवन-निर्माण के लिये, 20 स्कूलों को बालिकाओं के लिये विशेष सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने के हेतु और 14 स्कूलों को खेल के मैदानों के लिये अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। 60 संस्थाओं को दक्षता अनुदान भी स्वीकृत किये जायेंगे।

1972–73 के दौरान 3 राजकीय हाई स्कूलों को उन्नयन करके (इन्टरमीडिएट) स्तर का बना देने का प्रस्ताव है। 50 स्कूल सहायक अनुदान सूची में सम्मिलित किये जायेंगे। पिछड़े हुए तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 55 स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। 60 स्कूलों को कुशलता सम्बन्धी अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे और 6 नये खोले गये उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 69 स्कूलों को अतिरिक्त भर्ती के लिये; 77 स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये; 3 स्कूलों को बसों के लिये, 119 स्कूलों को पुस्तकालयों में सुधार करने के लिये, 13 स्कूलों को खेल के मैदान के लिये, 5 बालिकाओं के राजकीय स्कूलों को बसों के लिये और 20 स्कूलों को बालिकाओं के लिये विशेष सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे।

9—वर्ष 1971–72 के दौरान विज्ञान की शिक्षा के प्रसार के हेतु 99 स्कूलों को विज्ञान सम्बन्धी साज-सज्जा के लिए और 52 स्कूलों को विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिये अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। 1972–73 के कार्यक्रम में संभागीय स्तर पर 5 विज्ञान प्रोन्नति अधिकारियों (साइंस प्रोमोशन अफसरों) की नियुक्ति की परिकल्पना की गयी है और यह भी विचार है कि 53 स्कूलों को साज-सज्जा के लिये तथा 9 स्कूलों को विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये अनुदान दिये जायेंगे।

10—विश्वविद्यालय शिक्षा—इस वर्ष की अधीनस्थ स्कीमों के लिये चौथी योजना के 530.51 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में, योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, 275.28 लाख रुपये की धनराशि व्यय होने की आशा की जाती है। वर्ष 1972–73 के लिये 128.44 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

11—चौथी योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन स्थानों को छोड़कर जहां परम आवश्यक हो, नई संस्थाओं को खोलने के बजाय, वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया जाय। वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को विकास अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। साथ ही यह भी आशा की गई है कि 1971–72 के दौरान 11 डिग्री कालेजों तथा 1972–73 के दौरान 5 कालेजों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जायेगा। पर्वतीय संभाग में उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से पौड़ी-गढ़वाल में 2 नये राजकीय डिग्री कालेज खोले गये हैं।

12—अध्यापक प्रशिक्षण—इस वर्ग के अधीन चौथी योजना के 189.68 लाख रुपये के कुल परिव्यय की तुलना में चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 59.37 लाख रुपये की धनराशि व्यय होने की आशा है। वर्ष 1972–73 की योजना के लिये इस स्कीम के अधीन 40.30 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

13—वर्ष 1969—71 के दौरान आरम्भ किये गये कार्यक्रमों को चालू रखने के अतिरिक्त वर्ष 1971–72 में 3 वर्तमान राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेजों की भरती-क्षमता में वृद्धि की गई। संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) द्वारा सहायता प्राप्त विज्ञान प्रायोजना में राज्य व्यय के हिस्से के हेतु ट्रेनिंग संस्थाओं के प्रशिक्षार्थियों और अध्यापकों को अन्य राज्यों में शैक्षिक भ्रमण कराने के लिये भी व्यवस्था की गयी है।

14—सामाजिक शिक्षा—इस वर्ग के लिये चौथी योजना का कुल परिव्यय 43.27 लाख रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें से 1971–72 के अन्त तक 17.02 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किये जाने की आशा है। 1972–73 की योजना में इन स्कीमों के परिव्यय के लिये 8.39 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इन स्कीमों में प्रौढ़ साक्षरता एवं कार्यात्मक शिक्षा को चालू रखने का कार्य भी सम्मिलित है जिसमें कृषकों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

15—शिक्षा संबंधी अन्य कार्यक्रम——इस वर्ग के अधीन चौथी योजना का कुल परिव्यय (जिसमें 30 लाख रुपये की धनराशि खेल-कूद की स्कीमों और 10 लाख रुपये की धनराशि पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सम्मिलित है) 87.44 लाख रुपये का है, जिसमें से 1971–72 के अन्त तक कुल प्रत्याशित व्यय 58.83 लाख रुपये होगा। 1972–73 की योजना में इस वर्ग के अधीन 32.57 लाख रुपये की धनराशि के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 5.00 लाख रुपये खेल-कूद की स्कीमों और 1.80 लाख रुपये पुस्तकों के हिन्दी में प्रकाशन के लिये सम्मिलित हैं।

16—वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान शारीरिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, स्काउटिंग और खेल कूद आदि की प्रोन्नति पर बल दिया जायगा। संस्कृत, उर्दू, प्राच्य तथा दक्षिण भारत की भाषाओं की प्रोन्नति के हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी। शिक्षा निदेशालय तथा जिला निरीक्षण कर्मचारिवर्ग को सुदृढ़ बनाने की के लिये भी व्यवस्था की गयी है। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में प्रतिवर्ष बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में होने वाली असाधारण वृद्धि को देखते हुए मेरठ में एक सब-बोर्ड (उप-परिषद्) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

17—खेल-कूद—जहां तक खेलकूद संबंधी कार्य-कलापों का संबंध है, 1972–73 के दौरान यह प्रस्ताव है कि राज्य में इसका अधिक प्रसार किया जाय । राज्य में खेलकूद संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिये राज्य के खेलकूद एसोसिएशनों, रीजनल डिस्ट्रिक्ट खेलकूद कौंसिल को अनुदानों का दिया जाना चालू रहेगा। यह भी प्रस्ताव है कि जिला कोचिंग सेंटर तथा सैन्ट्रल कोचिंग कैम्प स्थापित किये जायें जहां पर चुने हुए व्यक्तियों को खेलकूद के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

18—हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन—चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत 1.80 लाख रुपये की धनराशि के परिव्यय में से 13 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 2 पुस्तकें पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं । 1972–73 के कार्यक्रम में, 1.80 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में से 13 पुस्तकों को हिन्दी में प्रकाशित करने का कार्य भी सम्मिलित है ।

19—सांस्कृतिक कार्यक्रम—चौथी योजना के दौरान सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक शोध कार्यक्रमों के लिये कुल परिव्यय 50.00 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। 1971–72 के अन्त तक यह अनुमान है कि 34.86 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो जायेगी । 1972–73 की वार्षिक योजना में इन स्कीमों के लिये 8.00 लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी है ।

20—उपर्युक्त धनराशि में पुराने अभिलेखों के संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिये अपेक्षित परिरक्षी सामग्री की खरीद, वर्तमान कर्मचारिवर्ग तथा संभागीय अभिलेखागार का आगे विस्तार करने के लिये अपेक्षित नये कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्तों, अभिलेखागार संबंधी प्रदर्शनियों, प्रकाशन कार्यक्रमों तथा नये राजकीय अभिलेखागार भवन के लिये स्टील के फर्नीचर की खरीद के लिये की गयी व्यवस्था सम्मिलित है।

21—1972–73 के दौरान यह प्रस्ताव है कि राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के पुनस्संगठन के कार्य को जारी रक्खा जाय । प्रस्तावित परिव्यय का उपयोग कला तथा सभ्यता के इतिहास के अध्यापन के संकाय के विस्तार के लिये किया जायेगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये जिसमें कलात्मक डिजाइनों के आर्टिकल भी सम्मिलित हैं तथा वाणिज्यिक कला और मूर्तिकला के डिप्लोमा कोर्स के विकास के लिये भी व्यवस्था की गई है ।

22—1972–73 के दौरान यह भी प्रस्तावित है कि पुरातत्वीय स्मारकों के सर्वेक्षण कार्य का अनुरक्षण तथा पुनःस्थापन, पुरातत्वीय महत्व के स्थलों की खोज, महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई, प्रकाशन और शोध आदि का कार्य किया जाये।

23—1972–73 के दौरान यह भी प्रस्ताव किया गया है कि राज्य के विभिन्न केन्द्रों में चित्रकला की प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, फिल्म प्रदर्शनों और कला संबंधी व्याख्यानों का आयोजन किया जाये। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि योग्य छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी जायं ।

24—1972–73 में हिन्दुस्तानी संगीत के भातखंडे कालेज में, भरत नाट्यम, सितार, तबला, वायलिन तथा गायन की कक्षाओं को चलाने के लिये चार कमरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा। 1972–73 के योजना परिव्यय में वैज्ञानिक कर्मचारिवर्ग के कुछ

नये पदों के सृजन तथा 40 इंची दूरबीन की पूरी तरह से उपयोग किये जा सकने के उद्देश्य से राजकीय वेधशाला, नैनीताल, के स्टेलर डिवीजन के लिये अपेक्षित कुछ साज-सज्जा खरीदने के लिये भी व्यवस्था की गई है।

1972-73 के दौरान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के विकास, ड्रामा, संगीत और नृत्य की उन्नति के लिये व्यवस्था की गयी है, जिसमें ठुमरियों और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रकार के गायनों का संकलन और टेप रेकार्डिंग तथा उपाधि वितरण समारोह (Fellowship presentation ceremony) भी सम्मिलित है।

(2) प्राविधिक शिक्षा

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राविधिक शिक्षा के लिये 1048 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस बात की प्रत्याशा है कि योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 465.85 लाख रुपयों का उपयोग हो जायगा। वर्ष 1972-73 के लिये 160 लाख रुपये नियत किया गया है।

2—पहले तीन वर्षों के दौरान डिग्री स्तर पर न तो किसी संस्था का प्रसार हुआ और न ही कोई नई संस्था खोली गयी। चालू स्कीमों को पूरा करने, संकाय (फैकल्टी) विकास करने तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण करने पर जोर दिया गया। डिग्री पाठ्यक्रम, में छात्रों को भर्ती करने की क्षमता 980 ही रही जिसमें 50 स्थान कृषि इंजीनियरिंग के भी शामिल है। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1972-73 के दौरान पहले से स्वीकृत स्कीमों को पूरा किया जाय। 980 छात्रों की भर्ती के स्तर को कायम रखा जाय। परन्तु डिप्लोमा स्तर पर पिछले वर्षों (1969-72) के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये—

1969-70

(1) राजकीय पालिटेक्निक, लखनऊ में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(2) एम० जी० पालिटेक्निक, हाथरस में वातानुकूलित तथा प्रशीतन (एयर कन्डिशन एण्ड रेफरिजरेशन) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(3) इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद में इन्डस्ट्रियल इलक्ट्रोनिक्स का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम।

1970-71

(1) पी० एम० टी० पालिटेक्निक, मथुरा में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(2) इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद में डिजाइनिंग तथा ड्राफ्टिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम।

(3) राजकीय पालिटेक्निक, गोरखपुर में रासायनिक परिचालकों (कमिकल आपरेटर्स का चतुर्थवर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम (सैंडविच तरीके का)।

(4) इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद में इलक्ट्रोनिक्स का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(5) राजकीय पालिटेक्निक, कानपुर में यंत्र प्रौद्योगिक (Instrument Technology) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

1971–72

(1) राजकीय पालिटेक्निक, कानपुर, के० एल० पालिटेक्निक, रुड़की तथा लखनऊ पोलिटेक्निक, लखनऊ में इलक्ट्रोनिक्स का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(2) राजकीय पालिटेक्निकस लखनऊ, गोरखपुर, बरेली तथा झांसी में आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(3) इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद में वातानुकूलन (एयर-कंडिशनिंग) तथा प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) का एकवर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

3—उपर्युक्त के अतिरिक्त राजकीय पालिटेक्निक, बरेली, गोरखपुर और लखनऊ में लड़कों के लिये आशुलेखन (स्टेनोग्राफी) तथा सचिवालय प्रक्रिया का द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा राजकीय पालिटेक्निक, बरेली और बी० एम० पालीटेक्निक, मथुरा में एक वातानुकूलन तथा प्रशीतन (एयर कंडिशनिंग ऐंड रेफरिजरेशन) में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

4—वर्ष 1972–73 के दौरान डिप्लोमा स्तर पर योजना के पहले तीन वर्षों में प्रारम्भ किये गये पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित बहुविधि नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है:—

(1) राज्य गंगा सागर जटिया पालिटेक्निक, खुरजा, में मिट्टी के बर्तन, शीशा और प्लास्टिक सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(2) पी० एम० बी० पालिटेक्निक, मथुरा में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(3) इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद में टेलिविजन इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम ।

(4) राजकीय महिला पालिटेक्निक, लखनऊ में वस्त्रों पर डिजाइन बनाने तथा पोशाक (ड्रेस) बनाने का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम ।

(5) वाणिज्यिक प्रक्रिया का द्वितीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(6) नैनीताल पालिटेक्निक, नैनीताल में हाई अल्टिट्यूड इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(7) राजकीय पालिटेक्निक, मिर्जापुर में औद्योगिक इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(8) चंदौली पालिटेक्निक, चंदौली में कृषि इंजीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(9) राजकीय पालिटेक्निक, गोरखपुर में वातानुकूलन (एयर कन्डिशनिंग) तथा प्रशीतन (रेफरिजरेशन) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

(10) राजकीय पालिटेक्निक, झांसी में इलेक्ट्रोनिक्स का त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

5—प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार चुने गये विषयों के लिये अतिरिक्त सज्जा देने के हेतु आवश्यक व्यवस्था की गयी है ।

6—प्राविधिक अध्यापकों के शिक्षण कार्यक्रम के अधीन, अध्यापकों को शिक्षण के प्रति प्रोत्साहन देने हेतु व्यवस्था की गई है ।

7—भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राजकीय पालिटेक्निक, कानपुर में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर) स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिये १ लाख रुपये की धनराशि अलग रख दी गयी है ।

8—औद्योगिक सम्पर्क परिषद को चालू रखने के लिये जिसको इस वर्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है, योजना में व्यवस्था कर दी गयी है ।

9—वर्ष 1972–73 में डिप्लोमा स्तर पर 6180 छात्रों को भरती करने का लक्ष्य रखा गया है ।

शीर्षक 7—समाज सेवायें—

खण्ड 7.1—सामान्य शिक्षा—

संकेत संख्या	वर्ग / योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969-74		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	प्रारम्भिक शिक्षा—			
710101	राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का खोला जाना	3.57	1.00	..
710102	असहाय्यिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान ..	7.76	..	..
710103	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ..	222.96	..	..
710104	ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान (10 प्रतिशत महिला अध्यापिकायें) ..	1715.74	..	..
710105	नगर क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ..	182.10	..	..
710106	नगर क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान ..	85.25	..	..
710107	स्वावलम्बी विद्यालयों को एकमुश्त अनुदान ..	4.50	..	..
710108	ह्रास एवं अवरोध को कम करना ..	2.50	..	..
710109	ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भवनों का सुधार	20.00	..	..
710110	ग्रामीण क्षेत्रों के भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माणार्थ अनुदान	25.00	..	..
710111	प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति	10.80	..	..
710112	सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति ..	7.00		.
710113	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पद का सृजन ..	6.87	..	..
710114	ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूलों में अनुवर्ती कक्षाएं खोलने के लिये अनुदान ..	37.73	..	..

(लाख रु० में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73		परिव्यय
वास्तविक व्यय		परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.52	0.34	0.56	0.32	0.46	0.20	..
3.40	0.38	0.48	0.48	0.52	..	..
25.04	22.32	38.60	47.80	49.40	..	..
187.42	234.49	457.40	453.40	524.61	..	..
12.87	5.62	14.10	14.00	13.83	..	..
1.31	4.62	9.37	9.44	11.94	..	..
1.80	0.68	0.71	0.71	0.30	..	..
0.50	0.44	0.47	0.47	0.50	..	..
3.82	2.88	2.00	2.00	1.28	..	..
11.85	3.75	3.10	5.27	5.36	..	..
0.03	1.76	2.45	2.45	4.63	..	..
..	0.05	1.30	1.30	2.27	..	..
0.34	0.98	1.75	1.75	1.86	..	..
2.98	3.92	6.80	7.06	9.59	..	..

मद 7—समाज सेवायें—

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710115	ग्रामीण क्षेत्रो के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति के लिये अनुदान	8.00	..	..
710116	ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में बालिकाओं के लिये पृथक् शौचालय निर्माण करने के लिये अनुदान	1.50	..	..
710117	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों द्वारा बालकों के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों के खोलने हेतु अनुदान ।	316.73	..	..
710118	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद् द्वारा बालिकाओं के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खालने हेतु अनुदान ।	291.79		..
710119	नगर क्षेत्रों में नगरपालिकाओं द्वारा बालिकाओं के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान ।	104.20	..	.
710120	सहायता न पाने वाले बालक बालिकाओं के उच्च आधारिक विद्यालयों को अनुदान ।	127.90	..	..
710121	जिन क्षेत्रों में कोई विद्यालय नहीं हैं वहां नये खुले हुये उच्च आधारिक विद्यालयों को एडहाक अनुरक्षण अनुदान ।	10.00	..	..
710122	जिला परिषदों के सीनियर बेसिक स्कलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान	105.04	..	..

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजी गत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.13	0.26	1.38	1.38	2.15	..	..
..	0.30	0.33	0.33	0.44	..	..
47.20	45.42	43.66	39.66	60.07	..	..
26.50	42.12	43.48	39.48	61.19	..	..
10.61	7.31	15.27	17.47	18.53	..	..
7.67	16.00	24.33	37.33	48.05	..	..
1.00	1.00	2.00	2.30	1.42	..	..
2.79	8.57	17.11	17.11	35.53	..	..

मद 7—समाज सेवायें—

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710123	नगरपालिका के सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान ।	8.34	..	.
710124	सुदूरवर्ती अथवा जहां शिक्षण की सुविधायें नहीं हैं उन क्षेत्रों में राजकीय बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों का खोलना ।	48.81	39.30	.
710125	स्थानीय निकायों तथा निजी प्रबन्धकों द्वारासंचालित उच्च आधारिक विद्यालयों में सामान्य विज्ञान विषय के समावेश हेतु अनुदान ।	87.99	..	..
710126	उच्च आधारिक स्तर पर कृषि शिक्षा का सुधार ।	8.25	..	..
710127	सीनियर बेसिक स्तर पर निर्धन छात्राओं के लिये पाठ्य पुस्तकालय की स्थापना हेतु अनुदान ।	2.50	..	..
710128	प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन ।	2.00	..	..
	चालू निर्माण कार्य (स्पिलओवर) की योजनायें			
710129	ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में स्थित बालिकाओं के राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों के लिये छात्रावास का निर्माण ।	0.62	0.62	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.13	1.06	1.93	1.07	2.78	..	..
0.58	1.60	2.16	2.53	3.18	0.20	..
18.13	14.30	11.31	11.77	7.08	..	..
0.70	0.70	0.67	0.72	0.60	..	..
0.50	0.50	0.68	0.68	0.44	..	..
0.34	0.15	0.20	0.20	0.20	..	..
(–)0.01	..	0.22	0.30	0.30	0.30	..

मद 7—समाज सेवायें—

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710130	102 राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों के खोले जाने के संबंध में भवन निर्माण ।	31.34	31.34	..
	नई योजना			
710131	प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति हेतु जिला परिषदों/नगरपालिकाओं को अनुदान ।	30.00	..	..
710132	अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति ।	3.00	..	..
710133	प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की श्रमिक बस्तियों में स्थित चुने हुये नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लाभार्थ केयर के सहयोग से संचालित बालाहार योजना	..	..	..
	योग, (1) प्रारम्भिक शिक्षा ..	3519.79	72.26	..
	(२) माध्यमिक शिक्षा			
710201	कतिपय बालकों के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा बालकों के राजकीय हाई स्कूल कक्षा (6–10) को खोलना ।	28.49	20.00	..
710202	बालिकाओं के कुछ राजकीय जूनियर हाई स्कूलों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति ।	23.73	12.50	..
710203	बालक तथा बालिकाओं के कतिपय राजकीय हाई स्कूलों का इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण ।	46.98	25.00	..

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
5.54	3.42	8.69	6.52	5.46	5.46	..
8.85	9.47	16.00	16.27	18.18	..	..
..	0.49	2.93	2.30	4.00	..	..
..	7.86	30.25	28.25	34.89	..	..
382.54	442.76	766.69	772.12	931.05	6.16	..
1.11	2.27	5.51	6.31	6.14	1.00	..
1.22	1.32	5.51	5.79	5.39	1.10	..
1.09	1.33	6.10	5.76	7.59	1.00	..

मद 7—समाज सेवायें—

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969—74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710204	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों क कक्षा 6 से 12 में, कतिपय नय विषय प्रारम्भ करने तथा अतिरिक्त अनुभाग खोलने के सम्बन्ध में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था।	21.50	..	..
710205	असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान।	163.30	..	..
710206	प्रदेश के पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान।	7.50	..	..
710207	जिन शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है वहां नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु एक मुश्त अनुदान।	6.25	..	..
710208	राजकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक-पुस्तकालयों की व्यवस्था।	2.50	..	
710209	अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान।	15.00	..	..
710210	बालिका विद्यालयों को बस अनुदान	8.50	..	..
710211	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सुदृढ़ीकरण।	73.57	40.00	..
710212	बालक एवं बालिकाओं के कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।	126.27	116.40	..

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय		परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
1.70	2.00	4.20	4.05	5.26	..	..
12.42	21.37	32.30	42.30	76.97	..	..
1.00	1.00	1.10	1.10	1.10	..	..
0.71	0.71	2.48	2.48	2.43	..	..
0.26	0.59	0.45	0.45	0.60	..	..
2.65	2.24	6.99	5.81	2.21	..	..
..	..	4.08	4.08	2.04	..	..
3.09	6.51	22.63	19.28	8.42	6.85	..
3.37	4.27	24.21	24.60	28.81	26.34	..

मद 7—समाज सेवायें—

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710213	ए०एन० झा राजकीय इन्टर कालेज रुद्रपुर नैनीताल से संलग्न कृषि फार्म का विकास ..	3.10	..	..
710214	वर्तमान सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन की सुविधाओं में सुधार	32.00	..	..
710215	युनिसेफ की विज्ञान की योजनाओं हेतु शिक्षा निदेशालय में विज्ञान सेल की स्थापना ..	7.64	..	..
710216	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार ..	7.00	..	..
710217	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार ..	19.51	..	..
710218	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिम विद्यालयों को दक्षता अनुदान..	3.00	..	..
710219	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ास्थल की व्यवस्था	3.09	..	..
710220	राजकीय कन्या विद्यालयों हेतु बसों की व्यवस्था ..	16.89	..	..
710221	बालकों के विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिये विशेष सुविधायें	3.96	..	..
710222	बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलयों में छात्रावास का निर्माण	1.50	1.50	..
710223	बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नये भवनों का निर्माण तथा पुराने विद्यालयों के भवनों का परिवहन	50.00	50.00	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय		परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	..	..	..
11.74	5.49	12.36	9.14	2.80	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.50	0.50	3.25	3.25	1.75	..	..
0.79	1.34	6.28	4.29	3.27	..	..
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
1.08	0.36	0.94	0.94	0.91	..	..
1.09	1.35	3.69	3.69	3.74	..	..
0.51	0.49	0.97	0.93	0.82	..	..
..	0.25	0.15	0.88	0.19	0.19	..
..	0.59	4.13	4.13	3.79	3.79	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग/योजना	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710224	माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन— ..	1.50	..	..
710225	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुने हुए विद्यालयों में अध्ययन हेतु सहायता ..	2.54	..	..
710226	विद्यालयों के अध्यापकों को दक्षता-पुरस्कार ..	1.57	..	..
710227	निदेशालय का सुदृढ़ीकरण ..	12.21	..	..
710228	मुख्य कार्यालय के लिये भवनों का निर्माण ..	15.00	15.00	..
710229	मुख्यालय एवं जिला कार्यालय पर सांख्यिकी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण	2.50	..	..
710230	शिक्षा निदेशालय के मुख्य कार्यालय में सहायता प्राप्त विद्यालयों के लेखों की विशेष सम्परीक्षा के लिये लेखा सम्परीक्षण इकाइयों का सुदृढ़ीकरण ..	10.75	..	..
710231	लेखे के सम्परीक्षण हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान	15.00	..	..
710232	पाठ्य पुस्तक प्रकाशन संगठन का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण ..	9.50	5.00	..
710233	माध्यमिक परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ..	40.00	20.00	..
710234	निबन्धक, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण। ..	5.00	..	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक	व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.09	0.33	0.33	0.33	..	..
0.02	0.20	0.43	0.37	0.56	..	..
0.02	0.24	0.26	0.26	0.24	..	..
..	0.25	1.68	0.83	3.71	..	..
..	..	2.00	2.00	0.40	0.400	..
0.02	0.11	0.55	0.54	0.60	..	..
0.50	3.11	4.71	5.81	6.10	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	0.83	0.63	1.01	..	..
0.79	3.33	14.07	8.64	14.12	2.97	..
0.34	0.69	0.97	0.97	0.97	..	..

मद 7—सामान्य सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710235	बालकों तथा बालिकाओं के दो नये शिक्षा मंडलों, झांसी एवं फैजाबाद का सृजन ..	4.70	..	..
710236	जिला मंडलीय स्तर के शैक्षिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण ..	8.60	..	..
710237	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन ..	6.26	..	..
710238	उर्दू माध्यम विद्यालयों के उप निरीक्षकों की व्यवस्था। ..	0.79	..	..
710239	मंडलीय स्तर पर विज्ञान प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति ..	10.72	..	..
710240	निदेशालय, मंडलीय एवं जिला कार्यालयों के लिये गाड़ियों की व्यवस्था ..	8.99	..	..
710241	जिला विद्यालय निरीक्षकों के पदों का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा के कनिष्ठ वेतन से ज्येष्ठ वेतन-क्रम में उन्नयन। ..	1.45	..	..
710242	जिन जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है वहां सह विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं की व्यवस्था ..	8.00	..	.
710243	कक्षा 7–8 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था ..	10.00	..	.
710244	कक्षा 9—12 में अतिरिक्त छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था ..	10.00	..	.

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय		परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	1.07	0.88	1.01	..	..
0.58	1.23	2.63	2.72	2.82	..	..
0.11	0.42	1.12	1.03	1.46	..	..
0.08	0.18	0.16	0.16	0.17	..	..
..	..	..	..	1.29	..	..
0.79	0.13	3.01	3.01	3.51	..	..
..	..	..	0.18	0.04	..	..
0.09	0.21	2.33	1.31	1.84	..	..
..	..	0.63	0.63	1.56	..	..
..	..	0.58	0.58	1.44	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय 1969–74 योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर) की योजनायें—			
710245	इण्टरमीडिएट कक्षाओं वाले कतिपय ऐसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की कक्षायें आरम्भ करना जिसमें ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । ..	1.61	1.61	..
710246	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति ..	1.13	1.13	..
710247	बालकों के राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति ..	2.36	2.36	..
710248	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नये विषयों का प्रारम्भ करना या नये अनुभाग खोलना ..	1.09	1.09	..
710249	बालकों एवं बालिकाओं के वर्तमान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भवनों का निर्माण ..	27.05	27.05	..
710250	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्तमान भवनों का प्रसार तथा विद्युतीकरण ..	1.29	1.29	..
710251	वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित भवनों के बदले में भवनों का निर्माण ..	0.59	0.59	..

(लाख रुपयें में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय		परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
7	7	8	9	10	11	12
0.91	1.11	0.60	0.69	0.16	0.16	..
0.48	0.01	0.14	..	..	..	..
1.17	0.63	0.46	0.13	..	..	..
0.18	0.45	0.02	..	..	..	..
3.79	0.73	6.79	6.09	4.43	4.43	..
0.86	0.02	0.30	0.20	0.10	0.10	..
0.02	0.25	0.10	0.08	..	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनाएं	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710252	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की इण्टरमीडिएट स्तर पर क्रमोन्नति ..	9.46	9.46	..
710253	बहु प्रयोजनीय विद्यालयों के विकास की योजनाओं के अन्तर्गत लखनऊ तथा इलाहाबाद में विज्ञान प्रयोग-शालाओं का निर्माण ..	0.22	0.22	..
710254	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये छात्रावासों का निर्माण ..	4.66	4.66	..
710255	बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं नौ विद्यालयों के लिये भूमि की अध्याप्ति	6.18	6.18	..
	नई योजनायें—			
710256	पौड़ी गढ़वाल में उप शिक्षा निदेशक के एक नवीन मंडलीय कार्यालय की स्थापना	2.00	..	..
710257	अराजकीय विद्यालयों का प्रांतीयकरण	5.00	..	..
710258	राजकीय विद्यालयों तथा कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था	3.00	..	..
	योग (2) माध्यमिक शिक्षा ..	924.00	361.04	..

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक	व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
2.59	1.17	0.99	0.18	1.06	1.06	..
0.02	..	..	..	..	..	..
0.98	0.15	0.14	0.07	..	..	..
..	..	1.00	..	..	..	..
..	..	0.59	..	0.59	..	..
..	..	2.50	2.00	2.50	..	..
..	1.00	2.00	2.00	1.00	..	..
59.78	70.69	201.32	192.58	218.25	49.39	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.1 समान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(3) विश्वविद्यालय शिक्षा			
710301	नैनीताल विश्वविद्यालय की स्थापना	60.00	..	..
710302	विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	135.00	..	..
710303	नये उपाधि महाविद्यालयों तथा नयी संकायों को अनुरक्षण अनुदान	87.00	..	..
710304	अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को विकास अनुदान ..	134.00	..	..
710305	स्नातकीय तथा स्नातकोत्तरीय कक्षाओं में बालिकाओं को विशेष सुविधायें देने के लिये अनुदान ..	15.00	..	..
710306	नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोला जाना तथा वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का विकास	55.00	30.00	..
710307	उपाधि महाविद्यालयों को योग्यता अनुदान ..	3.75	..	..
710308	ग्रामीण संस्थान ..	5.00	..	..
710309	उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों को अर्हतायें बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन। ..	1.25	..	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक	व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.02	..	5.00	..	1.00	..	..
26.01	30.19	32.00	37.00	31.00	..	..
11.66	26.80	37.38	38.38	43.38	..	..
10.00	19.53	23.00	22.88	24.00	..	..
1.57	1.64	3.00	3.00	2.00	..	..
7.34	5.74	14.98	16.32	17.54	4.59	..
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	..	..
0.45	..	0.70	0.70	0.20	..	..
..	0.94	0.25	0.25	..	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710310	विज्ञान (अप्राविधिक) विषयों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये विदेश जाने वाले छात्रों को ऋण ..	2.50	2.50	..
710311	विदेश में अध्ययन हेतु यात्रा अनुदान ..	1.25	..	..
710312	विदेशों में सम्मेलनों विचार गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिये अनुदान	1.25	..	..
710313	उपाधि महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक की व्यवस्था के लिये अनुदान ..	10.00	..	..
710314	विश्वविद्यालयों तथा उपाधि महाविद्यालयों में सहकारिता के आधार पर पुस्तकें उधार देने वाले पुस्तकालयों की व्यवस्था ..	10.00	..	.
710315	विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना ..	..	..	..
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर) की योजना			
710316	नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोलना तथा वर्तमान विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण ..	8.51	8.51	..
	नई योजनायें			
710317	अराजकीय डिग्री कालेजों का प्रांतीयकरण ..	1.00	..	..
	योग (3) विश्वविद्यालय ..	530.51	41.01	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय		परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	0.10	0.10	0.10	0.10	..
0.17	0.25	0.25	0.25	0.25	..	..
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	..	.
0.36	0.75	2.03	2.00	2.50	..	..
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
..	..	..	..	..	..	..
(–)0.004	0.80	1.43	1.43	1.48	1.47	..
..	..	..	2.75	3.00	..	..
59.58	88.64	122.12	127.06	128.44	6.16	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग–7.1 सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनाओं	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
	(4) अध्यापक प्रशिक्षण			
	(क) प्रारम्भिक			
710401	प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तर का उन्नयन	12.29	..	..
710402	राजकीय दीक्षा विद्यालयों एवं सेवारत प्रशिक्षण केंद्रों में अतिरिक्त सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था ..	3.60	..	..
710403	राजकीय अवर आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षार्थियों की प्रवेश संख्या में वृद्धि ..	15.26	5.70	.
710404	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ तथा मोदीनगर (मेरठ) की वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि ..	6.95	..	..
710405	विज्ञान एवं गणित अध्यापकों के लिये बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय सी० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलना	15.39	..	..
710406	प्रारम्भिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण			
	चालू निर्माण कार्य (स्पिलओवर) की योजनायें ..	0.72	..	..
710407	राजकीय दीक्षा विद्यालयो तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार की योजना के संबंध में भवन निर्माण	68.98	68.98	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	0.17	0.84	0.60	1.46	..	..
1.80	6.58	..	..	..	..	..
..	..	1.22	0.52	2.90	..	..
0.06	1.21	1.49	1.14	1.50	..	..
..	..	1.21	..	..	.	.
0.72	1.65	1.48	1.48	4.10	..	..
5.04	3.29	9.02	7.72	7.50	7.50	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710408	वर्तमान प्राथमिक अध्यापकों के राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों का विस्तार	17.68	17.68	..
710409	वर्तमान राजकीय दीक्षा विद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा विस्तार..	1.21	1.21	..
	योग (क) प्राथमिक ..	142.08	93.57	..
	(ख) माध्यमिक			
710410	शैक्षिक अनुसंधान तथा अध्ययन के शोध पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था	2.50	..	..
710411	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद का सुदृढीकरण ..	3.52	2.50	..
710412	राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में एल० टी० (गृह विज्ञान) प्रशिक्षण का समावेश ..	1.40	..	..
710413	औपचारिक शिक्षा हेतु राजकीय सी०पी० आई० इलाहाबाद का सुदृढीकरण	4.42	1.50	..
710414	आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद का सुदृढीकरण ..	2.63	1.50	..
710415	विस्तार सेवा केंद्र ..	2.80	..	..
710416	कैरियर मास्टर के प्रशिक्षण के लिये मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ..	1.56	..	..

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
2.37	0.97	2.50	2.50	3.23	3.23	..
0.12	0.09	..	0.10	0.35	0.35	..
10.11	13.96	17.77	14.06	21.04	11.08	..
0.21	0.52	0.56	0.56	0.56	..	..
0.21	0.65	1.18	1.65	0.24	0.03	..
..	..	..	..	..	..	..
0.27	0.51	1.65	1.33	1.31	0.61	..
..	0.20	1.74	1.64	1.75	1.50	..
0.28	0.36	0.64	0.64	0.64	..	
..	..	0.56	0.31	1.21	..	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710417	अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों को दूसरे प्रदेशों में शैक्षिक यात्रा के लिये अनुदान	0.50	..	..
710418	राजकीय आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालय वाराणसी का सुदृढ़ीकरण	3.00	3.00	..
710419	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	3.00	2.00	..
710420	राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण ..	1.69	..	..
710421	यूनीसेफ की विज्ञान शिक्षा के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अन्य चार संस्थाओं का "की इंस्टीट्यूशनों" के रूप में संवर्धन तथा विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण ..	15.06	..	..
	चालू निर्माण-कार्य— (स्पिल-ओवर) की योजना			
710422	राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद का एल० टी० स्तर तक क्रमोन्नति ..	5.52	5.52	..
	नई योजना			
710423	राजकीय केंद्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद से संलग्न बेसिक डिमांस्ट्रेशन स्कूल का उच्चीकरण ..	..	..	..

(लाख रुपयों में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	0.13	0.13	0.19	..	..
..	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	..
0.19	0.40	1.55	1.38	1.24	0.82	..
0.10	0.63	0.52	0.47	0.54	..	..
2.37	1.37	3.52	3.46	3.98	..	..
..	..	1.00	..	..	..	..
..	..	0.90	0.27	1.60	0.50	..

मद–7–समाज सेवायें

वर्ग –7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710424	माध्यमिक स्तरीय विज्ञान शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण ..	..	..	..
	योग (ख) माध्यमिक ..	47.60	16.02	..
	योग (4) अध्यापक प्रशिक्षण	189.68	109.59	..
	(5) सामाजिक शिक्षा			
710501	उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा ..	30.77	..	..
710502	नगर क्षेत्रों के चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायक अनुदान	10.00	..	..
710503	केंद्रीय राज्य पुस्तकालय का सुदृढीकरण	2.50	1.50	..
	योग, (5) सामाजिक शिक्षा ..	43.27	1.50	..
	(6) अन्य शैक्षिक कार्यक्रम			
710601	राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजना का प्रसार	2.50	..	..
710602	शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति ..	10.00	..	..
710603	भारत स्काउट्स तथा गाइड्स को अनुदान	5.00	..	..
710604	प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को विकास अनुदान ..	5.00	..	..

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	..	5.00	..	..
3.63	4.77	14.95	12.84	19.26	4.46	..
13.74	18.73	32.72	26.90	40.30	15.54	..
3.83	3.00	6.25	6.25	6.25	..	..
0.64	1.00	2.11	2.11	2.00	..	..
..	..	0.20	0.19	0.14	..	..
4.47	4.00	8.56	8.55	8.39	..	..
0.01	0.13	1.50	0.29	0.29	..	..
2.29	1.66	2.32	2.32	2.32	..	..
1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	..	..
0.75	1.03	2.80	2.80	2.00	..	..

मद–7–समाज सेवायें

वर्ग–7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710605	प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान ..	5.00	..	..
710606	संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण ..	1.27	..	..
710607	हिन्दी शिक्षण संस्थान की स्थापना ..	10.80	5.00	..
710608	हिन्दुस्तानी एकेडमी को अनुदान ..	0.75	..	..
710609	लखनऊ में स्थित दक्षिणी भारतीय भाषाओं के विद्यालय का विकास	0.75	..	..
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर की योजना)			
710610	वर्तमान राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण ..	0.37	0.37	..
	नई योजनायें			
710611	दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान	3.00	..	..
710612	उत्तर प्रदेश में युवक कल्याण परिषद् की स्थापना	3.00	..	..
710613	प्रदेश में उर्दू विकास एवं प्रसार की योजना	..	..	..
710614	खेलकूद तथा शारीरिक संवर्धन क्रियाओं का विकास ..	30.00	..	..

(लाख रुपये में)

1969-70	1970-71	1971-72		1972-73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.98	1.93	1.99	2.15	..	..
..	..	..	..	0.40	..	..
0.26	0.58	2.82	1.62	2.35	0.50	..
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	..	..
0.07	0.03	0.13	0.13	0.13	..	..
..	0.20	0.18	0.17	0.20	0.20	..
0.68	0.11	0.50	0.50	0.25	..	..
..	1.00	1.20	2.40	1.40	..	..
..	0.30	2.10	5.10	5.10	..	..
1.96	2.45	3.12	4.92	5.00	..	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग–7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74) योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710615	नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी को अनुदान	..	..	..
710616	वनस्थली विद्यापीठ जयपुर को अनुदान	..	..	..
710617	इलाहाबाद गणित समिति को अनुदान	..	..	..
710618	राष्ट्रीय सेवाकोर तथा राष्ट्रीय खेल-कूद परिषद्	..	..	..
	उपकरण तथा संयत्र			
710619	हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन ..	10.00	..	..
	उप रण तथा संयत्र ..	..	..	..
	योग ..	87.44	5.37	..

(7) सांस्कृतिक कार्य

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
710701	उत्तर प्रदेश राज्य प्राभिलेख का विस्तार	2.00	..	0.37
710702	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का पुनस्संगठन ..	4.00	1.70	0.60
710703	पुरातत्व का पुनस्संगठन ..	3.40	1.20	..
710704	उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रसार एवं विकास के लिये सहायक अनुदान ..	3.50	..	..
710705	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ का विकास ..	3.40	1.22	..

(लाख रुपयें में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानत व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
..	..	..	0.03	0.03	..	..
..	..	..	0.20	0.20	..	..
..	..	..	0.10	0.10	..	..
..	5.50	5.50	6.00	7.50	..	..
2.65	2.06	1.96	1.80	1.80	..	..
..	1.75	..	..	..	..	..
10.50	16.61	27.41	31.72	32.57	0.70	..
0.33	0.17	0.42	0.62	0.70	..	0.10
0.41	0.54	1.00	0.50	0.75	0.27	..
0.21	0.26	0.80	0.94	0.80	..	..
0.60	0.65	0.80	1.00	0.85	..	..
0.08	0.44	0.75	0.27	0.75	0.55	..

मद—7—समाज सेवायें

वर्ग—7.1 सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	वर्ग योजनायें	चतुर्थ योजना परिव्यय (1969–74)		
		योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
710706	उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल का विकास ..	24.80	6.37	16.55
710707	उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के प्रसार एवं विकास के लिए सहायक अनुदान ..	3.30	..	..
710708	संग्रहालयों का पुनस्संगठन ..	5.00	..	..
710709	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की स्थापना ..	0.60	..	..
	योग (7) ..	50.00	10.49	16.92
	योग 7.1 सामान्य शिक्षा ..	5344.69	601.26	16.92

(लाख रुपये में)

1969–70	1970–71	1971–72		1972–73 परिव्यय		
वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजीगत	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
14.79	5.93	2.10	1.96	1.00	0.15	..
0.50	0.50	0.75	0.75	0.85	..	..
0.85	0.60	1.10	1.46	1.40	..	..
..	0.10	0.28	0.30 0.10*	0.90	..	
17.77	9.19	8.00	7.90	8.00	0.97	0.10
548.38	652.71	1166.82	1166.83	1367.00	78.92	0.10

*अंतरिम सहायता

मद—7—समाज सेवायें

वर्ग 7.2—प्राविधिक शिक्षा—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चालू योजनायें										
720101	रुड़की विश्वविद्यालय ..	26.00	..	5.00	11.26	10.09	7.00	7.00	7.00	..	..
720102	एम० एम० एम० इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर ..	44.00	..	9.00	10.31	5.03	7.50	4.03	2.00	..	..
720103	एच० बी० टी० आई० कानपुर	80.00	..	15.00	24.56	12.58	20.00	20.00	15.00	..	..
720104	राजकीय केंद्रीय वस्त्रोद्योग संस्थान कानपुर ..	5.00	1.00	2.00	1.02	0.60	4.20	2.57	2.25	0.05	1.00
720105	पन्त कालेज आफ इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी ..	100.00	..	11.00	35.89	21.91	20.00	20.00	17.70	..	..
720106	राजकीय बहुधन्धी संस्थानों का एकीकरण ..	112.34	28.00	6.00	12.61	7.76	21.47	18.93	18.81	0.30	..

720107 गैर-सरकारी बहुधंधी संस्थानों को सहायक अनुदान ..	73.00	..	10.00	9.59	4.73	11.90	11.90	12.60	..	..
720108 गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट आगरा	10.00	3.00	0.40	0.56	0.34	0.70	0.32	0.50	0.20	..
720109 रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग (पार्ट टाइम सहित) ..	11.00	3.00	0.60	0.71	0.14	1.70	1.70	1.96	..	1.16
720110 सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल एजेन्ट (आठ) ..	40.00	10.00	..	0.12	0.01	..	..	..	..	..
720111 सेकेन्ड्री टेक्निकल स्कूल स्वतंत्र (पांच) ..	3.00	3.00	..	0.06	0.02	..	..	..	..	..
720112 राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान लखनऊ ..	8.00	0.50	..	0.05	0.22	0.50	0.38	0.40	..	..
720113 केमिकल आपरेशन कोर्स (तीन केंद्र) ..	37.00	13.50	2.50	..	0.30	1.80	0.97	0.65	..	..
720114 तृतीय योजना में नई स्वीकृत संस्थायें जो अभी चालू नहीं हुई	60.00	20.00	8.00	..	..	..	..	..	..	..
नई योजनाएं										
720201 डिग्री कोर्सेज का पुनर्गठन और डिग्री स्तर पर सैंडविच कोर्सेज का गठन ..	35.00	..	3.60	..	..	..	..	..	..	..
720202 डिप्लोमा कोर्सेज का डाइवरसीफिकेशन कामर्स कोर्सेज का प्रारम्भ करना तथा सैंडविच कोर्सेज का संगठन ..	80.00	4.04	4.00	0.30	6.79	30.00	20.22	24.11	..	..

मद—7—समाज सेवायें

वर्ग—7.2—प्राविधिक शिक्षा—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720203	माध्यमिक शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन ..	47.24	15.00	8.00	..	..	..	..	..	..	..
720204	स्टाफ क्वार्टर्स ..	30.00	9.56	..	0.40	12.19	11.00	17.73	13.24	8.25	..
720205	अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रोग्राम को सम्मिलित करके हुए फकल्टी विकास ..	30.00	..	..	0.63	0.99	1.50	1.05	1.50	..	..
720206	पुरानी संस्थाओं की साज-सज्जा को बदलना ..	30.00	..	..	0.28	..	..	..	..	..	..
720207	इंस्टीट्युट आफ पेपर टेक्नालाजी सहारनपुर ..	20.00	..	3.00	..	..	..	..	..	..	..
720208	छात्र वृत्तियां ..	12.00	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..
720209	प्राविधिक ऋण (छात्रवृत्तियां)	100.00	100.00	..	20.00	14.50	20.00	15.00	18.00	18.00	..

720210	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन ..	8.00	0.14	..	0.06	..	2.40	0.94	2.48	0.06	..
720211	बहुधंधी संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिये सुविधायें ..	9.00	1.00	..	..	7.67	15.68	13.98	6.50	6.50	..
720212	टेक्स्ट बुक लोन स्कीम	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
720213	डेवलपमेंट आफ टीचिंग एड्स	4.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
720214	राजकीय पोलिटेक्निक, कानपुर, फैजाबाद तथा मिर्जापुर छात्रावासों का निर्माण ..	5.69	5.69	..	0.90	..	..	..	..	..	..
720215	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़ तथा श्रीनगर (गढ़वाल) में छात्रावासों का निर्माण ..	16.21	16.21	..	1.62	..	..	..	..	..	..
720216	एस० टी० सी०, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर, गोंडा, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ में छात्रावास का निर्माण	5.52	5.52	..	0.73	..	..	0.01	..	..	..
720217	मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ..	5.00	..	0.40	19.77	25.42	5.00	5.00	12.30	..	..
720218	प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र ..	..	..	..	..	..	..	..	3.00	..	..
	सार्वजनिक व्यय ..	..	..	..	..	..	1.41	1.41	..	..	..
	योग, 7.2—प्राविधिक शिक्षा ..	1048.00	239.46	88.50	151.43	131.29	182.35	163.14	160.00	33.36	2.16

(15)

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

(1) स्वास्थ्य

किसी राज्य के आर्थिक विकास के लिये यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वहां की जनता का स्वास्थ्य सुधारा जाय। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, यदि ठीक और युक्तिसंगत हों तो उनके फलस्वरूप शारीरिक क्षमता और बल में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा अवेक्षा कार्यक्रमों में समुचित और सुनियोजित विनियोजन से मृत्यु-दर घट जाती है तथा रोगों और महामारियों का प्रकोप कम हो जाता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर चौथी योजना अवधि में स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये 3550.00 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1972-73 के लिये 856.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। निम्नलिखित सारणी में चौथी योजना तथा वार्षिक योजनाओं के परिव्ययों और व्ययों का मदवार विभाजन दिखाया गया है।

(लाख रुपयों में)

कार्यक्रम	चतुर्थ योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 के लिये स्वीकृत परिव्यय
		1969-70	1970-71	परिव्यय व्यय	प्रत्याशित	
1-चिकित्सा शिक्षा	1,300.00	134.04	163.53	277.63	277.63	269.50
2-प्रशिक्षण कार्यक्रम	185.00	3.65	5.71	17.73	18.50	30.90
3-चिकित्सालय और औषधालय ..	1,202.17	96.01	112.37	158.57	167.00	310.60
4-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ..	335.70	4.28	18.34	66.22	62.61	95.60
5-संचारी रोगों पर नियंत्रण ..	129.12	35.45	29.99	20.07	19.48	26.83
6-भारतीय चिकित्सा-पद्धति ..	115.00	8.73	14.45	39.00	39.00	49.68
7-अन्य कार्यक्रम	283.01	43.58	42.10	43.16	42.11	44.23
8-प्रतिशत व्यय	..	..	..	19.22	19.22	28.66
9-महंगाई-भत्ते के लिये एकमुश्त धनराशि की व्यवस्था ..	..	..	..	2.40	2.40	..
योग	3,550.00	325.74	386.49	644.00	647.95	856.00

चिकित्सा-शिक्षा—

2—चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समुचित प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करने की सुविधाओं के बिना स्वास्थ्य और चिकित्सा अवेक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इन योजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय आयोजना में 13 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से 575.20 लाख रु० 1969—72 के दौरान व्यय किया गया। वर्ष 1972—73 के लिये 269.50 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। तथापि चिकित्सा अवेक्षा संबंधी कार्यक्रमों पर 1972—73 के दौरान विशेष जोर दिया जायगा। और इस दृष्टि से 1972—73 में चिकित्सा-शिक्षा के कार्यक्रम के परिव्यय में 1971—72 के लिये की गयी व्यवस्था की तुलना में कमी कर दी गयी है। वर्तमान सभी योजनाओं को जारी रखने का और कार्यक्रमों के प्रसार के लिये 4.92 लाख रु० तथा नई योजनाओं के लिये 14.52 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम—

3—चौथी योजना में इन कार्यक्रमों के लिये 185.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में इन योजनाओं पर 27.86 लाख रु० व्यय किया गया और इस प्रकार आगामी दो वर्षों के लिये 157.14 लाख रु० की धनराशि शेष रह जाती है। 1972—73 के लिये स्वीकृत परिव्यय 30.90 लाख रु० है। 1972—73 के लिये जो योजनायें प्रस्तावित हैं, उनमें से कुछ ये हैं:—क्वीन मेरी चिकित्सालय लखनऊ में 20 धात्रियों की प्रवेश क्षमता का एकधात्री विद्या प्रशिक्षण केंद्र का खोला जाना, फार्मसी—डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दो केंद्रों का आगरा और मेरठ में खोला जाना और पैरा—मेडिकल प्रशिक्षार्थियों के लिये छात्रावास की व्यवस्था करना।

चिकित्सालय और औषधालय—

4—चौथी योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिये 1202.17 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। इसमें से 375.38 लाख रु० की धनराशि योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान व्यय किया गया तथा आगामी दो वर्षों में व्यय के लिये 826.79 लाख रु० की धनराशि शेष रह जाती है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 1972—73 का दौरान काफी तेजी लानी है। वर्ष 1972—73 में इसके लिये 310.60 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1972—73 के दौरान 350 ग्रामीण औषधालय खोले जाने हैं। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 अतिरिक्त रोगी शैय्याओं (6 शैय्या प्रति औषधालय की दर से) की व्यवस्था की जायगी। 10 शैय्याओं वाली तीन लघु-चिकित्सालय इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। 5 तहसील नगरों में जिनमें से तीन नगर पूर्वी जिलों में और एक-एक नगर बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षत्रों में होंगे, विशिष्ट चिकित्सा शल्य-कर्म संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी। छः जिला मुख्यालयों में ब्लड बैंक खोले जायंगे। 10 अतिरिक्त चिकित्सालयों के प्रांतीयकरण की एक नई योजना भी 1972—73 की योजना में सम्मिलित कर ली गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—

5—इन योजनाओं के लिये चौथी योजना में 335.70 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें स 85.23 लाख रु० वर्ष 1971—72 के अन्त तक व्यय किया गया। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 1972—73 के दौरान 95.60 लाख रु० का परिव्यय कृत किया गया है।

6—राज्य में 675 सामुदायिक विकास खंड हैं और प्रत्येक विकास खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया है । इनमें से 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जो औषधालयों संघटकों (कम्पोनेंट्स) के बिना चलाये जा रहे हैं । निकट भविष्य में इस अभाव को दूर करने का विचार है । 1972–73 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिये भवन निर्माण हेतु 50.00 लाख रु० की तथा वर्तमान केंद्रों की मरम्मत तथा मूल सुख-सुविधाओं के लिये 6.00 लाख रु० की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक केंद्र को जो आवर्तक अनुदान दिया जाता है, उसमें 2,000 रु० प्रति केंद्र की दर से वृद्धि कर दी गई है ।

7—1971–72 के दौरान 79 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) से सहायता मिली है । 1970–71 के अन्त तक 227 केन्द्र उपर्युक्त संस्था से सहायता प्राप्त कर चुके थे । वर्ष 1972–73 के दौरान 100 केन्द्रों के एक और समूह को भी संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) से सहायता प्राप्त होगी ।

संचारी रोगों का नियंत्रण—

8—चौथी योजना में इसके लिये 129.12 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इसमें से 84.92 लाख रु० की धनराशि 1971–72 के अन्त तक व्यय किया गया । वर्ष 1972–73 के लिये 26.83 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

9—1972–73 के दौरान 7 क्षयरोग रुजालयों का उन्नयन किया जायगा । स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान देने की योजना पूर्व की भांति जारी रहेगी ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति—

10—इस योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक, आयुर्वदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं । चौथी योजना में 115.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इसमें से 62.18 लाख रु० की धनराशि 1971–72 के अन्त तक व्यय की गयी और योजना के शेष दो वर्षों के लिए 52.82 लाख रु० की धनराशि रह जायगी । वर्ष 1972–73 के लिये 49.68 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

11—होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति—स्टेट नेशनल होमियोपैथिक कालेज के भवन के निर्माण के लिये निधि की व्यवस्था की गई है । शेष योजना सहायक अनुदान योजना के रूप में है । होमियोपैथिक औषधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से स्टेट होमियोपैथिक औषधालयों की संख्या जो इस समय 39 हैं बढ़ाकर 59 कर दी जायगी ।

12—आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियां—1972–73 के दौरान 25 नये राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है । उक्त वर्ष में 25 शैय्याओं का एक चिकित्सालय भी खोला जा रहा है ।

अन्य योजनायें—

13—अन्य योजनाओं के लिये चौथी योजना में 283.01 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से 1969–72 के दौरान 127.79 लाख रु० व्यय होने की सम्भावना है । 1972–73 के लिये 44.23 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

14—बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रसार हेतु कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम (ई० एस० आई०) के अन्तर्गत एक योजना चल रही है। कानपुर में एक इंजीनियरिंग कोष्ठ सृजित किया जा रहा है जो ई० एस० आई० के भवनों का निर्माण और उनके अनुरक्षण की देख-रेख करेगा। ई० एस० आई० की शेष योजनाएं पूर्ववत् जारी रहेंगी। केन्द्रीय कार्यकारी दल की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1972-73 से ई० एस० आई० के परिव्यय की व्यवस्था "शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण" सेक्टर के अन्तर्गत किया गया है। फिर भी प्रशासकीय नियंत्रण चिकित्सा विभाग द्वारा ही पूर्ववत् किया जायगा। खाद्य अपमिश्रण तथा भेषज नियंत्रण योजना के अन्तर्गत 2 संभागीय प्रयोगशालायें स्थापित करने का विचार है।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

15—राज्य योजनागत योजनाओं के अतिरिक्त केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये प्रदिष्ट धनराशियों और उनके संबंध में होने वाले व्यय का ब्योरा कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

(लाख रुपयों में)

कार्यक्रम	चतुर्थ योजना की प्रदिष्ट धनराशि	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	अनुमानित व्यय 1971-72	प्रदिष्ट धनराशि 1972-73
1—चिकित्सा शिक्षा ..	99.08	0.05	3.40	7.47	13.55
2—प्रशिक्षण कार्यक्रम ..	4.03	..	..	0.96	0.86
3—चिकित्सालय और औषधालय	13.50	..	..	..	0.60
4—प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	900.00	..	0.03	36.93	40.87
5—संचारी रोगों का नियंत्रण	2085.09	159.48	186.67	276.42	298.66
6—परिवार नियोजन	5399.73	447.21	478.26	867.25	1,154.63
7—भारतीय चिकित्सा पद्धति	50.00	..	..	3.00	3.00
8—अन्य कार्यक्रम	9.58	..	1.05	1.13	1.40
योग ..	8561.01	606.74	669.41	1,193.16	1513.57

16—भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज मेडिकल कालेज के औषधि विभाग का उन्नयन किया जाय। भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भारत सरकार के प्रति रूप के आधार पर परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) परिवार नियोजन

राज्य के आर्थिक विकास में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रमुख स्थान है। इससे जन्म-दर कम करने में सहायता मिलती है। जन्म संख्या की वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय घटने की रोकथाम होती है, वयस ढांचे को अनुकूल बनाने के लिये मार्ग प्रशंसा होती है, ग्रामीण और नागर क्षेत्रों में जन-संख्या के संतुलित वितरण के लिये सुअवसर प्राप्त होते हैं तथा जनता के स्तर (क्वालिटी) को सुधारने में सुविधा होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 1978-79 तक जन्म-दर 43 से घटाकर 23 करना अथवा दूसरे शब्दों में जन-संख्या में वृद्धि की दर को लगभग 2 प्रतिशत बनाये रखना है। विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिये दो प्रतिशत से अधिक की कोई दर 'विस्फोटक' समझी जा सकती है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वर्ष 1972-73 के लिये 1,154.63 लाख रु० के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। ये सभी योजनायें भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जायंगी।

2—यह कार्यक्रम प्रसार शिक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है तथा यह लक्ष्य प्रधान और समय-बद्ध है। इस कार्यक्रम के प्रथम प्रक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य व्यापक प्रचार करके जनता में जागरूकता पैदा करना है। दूसरे प्रक्रम का संबंध परस्पर व्यक्तिगत सम्पर्क को और अधिक बढ़ाना है और साथ ही कार्यक्रम को परिवार कल्याण से भी सम्बद्ध करना है।

3—परिवार नियोजन कार्यक्रम को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्ष 1971-72 के अन्त तक अनुर्वरीकरण और अन्तः गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्तियों (लूप) को अपनाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित सारिणी में दी गई है:—

मद	उपलब्धि		अनुमानित उपलब्धि
	1969-70	1970-71	1971-72
अनुर्वरीकरण	78,110	3,15,300	1,54,461
अंतः गर्भाशय गर्भ-निरोधक युक्ति (लूप)	81,154	18,300	2,01,268

4—वर्ष 1972-73 के दौरान दो नये प्रसवोत्तर केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। वर्ष 1971-72 में जो केंद्र स्थापित किये गये वे वर्ष 1972-73 में कार्य करने लगेंगे। मेरठ और आगरा में स्थापित दो नये सघन अभियान केंद्रों तथा लखनऊ और इलाहाबाद के परिवार नियोजन कार्यालयों द्वारा भी वर्ष 1972-73 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

5---वर्ष 1971-72 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिये 70 गाड़ियों की व्यवस्था की गई। वर्ष 1971-72 के अन्त तक अनुर्वरीकरण संबंधी 60 शैय्याओं की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो जायेगा तथा 156 और शैय्याओं की वर्ष 1972-73 में व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 1972-73 के दौरान अनुर्वरीकरण की पांच इकाइयां स्थापित की जायंगी। वर्ष 1972-73 के दौरान डेढ़ लाख बच्चों और 20 हजार माताओं को डी० पी० टी० और टिटनेस से प्रतिरक्षित किये जायेंगे ।

6---वर्ष 1971-72 के दौराम समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिये अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी का एक एक पद स्वीकृत किया गया है तथा 1972-73 के अन्त तक 400 डाक्टर कार्यभार संभालेंगे ।

मद7—समाज सेवायें

वर्ग—7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय कुल	चौथी योजना परिव्यय पूंजी	चौथी योजना परिव्यय विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 स्वीकृति परिव्यय	1971–72 अनुमानित व्यय	1972–73 परिव्यय कुल	1972–73 परिव्यय पूंजी	1972–73 परिव्यय विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	शिक्षा कार्यक्रम										
740101	कानपुर मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिए प्राविधान ..	123.59	59.24	..	5.05	16.43	26.59	26.59	24.67	10.69	..
740102	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा की आवश्यकताओं के लिए प्राविधान	103.79	29.90	..	4.94	12.08	18.45	18.45	29.69	12.71	..
740103	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिये प्राविधान ..	104.77	47.74	..	4.81	9.18	23.44	23.44	28.36	14.52	..
740104	आगरा एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेजों के लिये अपूर्ण निर्माण-कार्यों के लिए प्राविधान	36.20	36.20	..	15.45	5.90	5.60	5.60	3.00	3.00	..
740105	लखनऊ मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिये प्राविधान ..	102.32	..	..	20.15	17.48	24.30	24.30	35.34	..	..

740106	लखनऊ मेडिकल कालेज के दन्त विभाग के स्नातक शिक्षा की सुविधा एवं प्रसार	0.35	..	..	..	..	0.10	0.10	0.19	..	..
740107	झांसी और गोरखपुर मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये प्राविधान	485.00	400.00	..	42.83	45.32	104.67	104.67	91.00	75.00	..
740108	मेरठ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना और 600 शय्याओं की व्यवस्था	315.98	253.01	..	39.11	52.06	65.48	65.48	47.15	27.14	..
740109	पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740110	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अस्पताल एवं शय्याओं के रख-रखाव के लिए अनुदान	22.00	..	..	0.66	1.80	4.80	4.80	5.80	..	..
740111	चिकित्सा अनुसंधान	5.00	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
740112	सरकारी डाक्टरों के लिये स्नातक शिक्षा की शिक्षा	1.00	..	..	0.04	..	0.20	0.20	0.20	..	..
740113	मेडिकल कालेजों में 200 अतिरिक्त छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था	..	..	..	..	2.28	3.00	3.00	3.10	..	..
	योग (1)	1300.00	826.19	..	134.04	163.53	277.63	277.63	269.50	143.66	..

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम

740201	डेन्टल मेडिकल कालेज लखनऊ में डेन्टल हाइजिनिष्ट कक्षा प्रशिक्षण	2.24	..	..	0.92	0.14	0.28	0.28	0.17	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740202	परिचारिकाओं का प्रशिक्षण ..	110.23	65.75	..	0.09	0.60	2.08	6.10	9.34	8.88	..
740203	दाइयों के तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने एवं भवन निर्माण के लिए व्यवस्था	11.85	5.22	..	0.13	0.24	2.54	1.03	1.41	0.38	
740204	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम ..	1.60	..	..	0.04	0.13	0.38	0.38	0.55	..	..
740205	एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्यक्रम का प्रसार	..	..	..	0.36	0.39	0.68	0.66	0.70	..	..
740206	मेरठ एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में कोर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम ..	13.10	11.00	..	..	..	1.60	1.60	4.25	1.00	..
740207	प्रयोगशाला एवं एक्सरे प्रविषज्ञ (टेक्निशियन्स) का प्रशिक्षण ..	4.10	..	..	1.15	0.42	0.71	0.71	0.81	..	..
740208	छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ..	4.80	..	..	0.65	1.13	0.87	0.87	3.10	..	..

740209	अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप योजना	15.68	..	..	..	3.72	3.72	4.65	1.00	..	..
740210	कानपुर एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में उप-चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	4.60	4.0	..	..	1.40	1.40	1.20	1.20	..	..
740211	जन स्वास्थ्य एवं आधारिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण ..	12.00	1.30	..	0.23	0.38	2.83	2.83	2.47	..	..
740212	क्षय रोग के संबंध में पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण ..	4.80	4.80	..	0.08	..	0.50	..	2.00	2.00	..
740213	विदेश में होने वाले कान्फ्रेन्स आदि में भाग लेने के संबंध में मेडिकल कालेज के अध्यापकों तथा चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों को आर्थिक सहायता ..	..	..	..	..	0.08	..	..	..	..	..
740214	के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में थियेटर आपरेटर का प्रशिक्षण ..	..	..	..	..	..	0.15	0.15	0.15	..	..
	योग (2) ..	185.00	92.07	..	3.65	5.71	17.73	18.50	30.90	14.46	..

(3) चिकित्सालय और औषधालय

740301	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में शय्याओं की वृद्धि .	241.00	130.00	..	..	5.09	11.48	11.48	25.81	..	..
740302	वर्तमान चिकित्सालयों के लिये अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था ..	383.14	12.21	..	70.03	67.31	61.24	62.19	98.40	..	..
740303	तीस जिला चिकित्सालयों में रक्त शोष की स्थापना ..	7.20	..	..	0.20	0.80	1.48	1.48	2.11	..	.

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740304	विकिरण के कुप्रभावों से रक्षा की व्यवस्था ..	3.00	..	..	0.22	0.13	0.60	0.61	0.05	..	..
740305	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में आपत्तिकालीन सेवाओं की व्यवस्था	10.00	..	..	0.36	1.44	3.02	3.02	3.13	..	..
740306	रोगी वाहनों की योजना ..	25.76	12.40	..	1.93	1.17	2.48	2.30	2.30	0.25	..
740307	ग्रामीण क्षेत्र में दस चिकित्सालयों की स्थापना एवं निर्माण	18.24	13.43	..	0.11	0.49	2.01	3.83	8.40	2.40	..
740308	जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुये अस्पतालों का सुधार ..	..	..	..	..	8.66	19.40	18.06	32.50	24.50	..
740309	परिचारिकाओं के आवास गृहों की संख्या	48.35	48.35	..	..	..	1.00	..	1.50	1.50	..

740310 यूनिसेफ के द्वारा जिला अस्पतालों में शिशु विभाग को गाड़ी देने की व्यवस्था	0.61	..	..	..	0.15	0.30	0.30	0.31	..	..
740311 जिला अस्पतालों को पोली क्लीनिक्स में बदलना—										
(क) 27 स्थानों में परिचारिका योजना लागू करना ..	40.15	..	..	0.18	0.95	3.35	3.38	6.45	..	..
(ख) रेडियोलोजी पैथालाजी की सुविधा ..	11.12	..	..	0.39	0.46	2.44	2.44	3.50	..	..
(ग) दन्त अनुभाग की स्थापना	26.55	8.00	..	1.08	2.08	4.33	4.31	6.21	1.75	..
(घ) दस स्थानों पर शिशु चिकित्सा की सुविधा ..	6.40	2.52	..	0.21	0.81	1.67	1.67	2.08	0.70	..
(ङ) पांच स्थानों पर चिकित्सा शल्य सुविधा की व्यवस्था	3.35	2.75	..	0.33	0.91	1.38	1.36	1.57	0.75	..
740312 लखनऊ में मस्तिष्क रोगियों के लिये कक्ष की स्थापना एवं आगरा मस्तिष्क अस्पताल की क्रमोन्नति	31.53	11.50	..	2.00	3.90	4.80	4.82	5.50	3.50	..
740313 पंद्रह अस्पतालों की जिसमें कुष्ट एवं छुतवा अस्पतालों का प्रांतीयकरण ..	15.00	..	..	..	..	2.82	2.82	4.76	..	..
740314 तहसील अस्पतालों में पांच स्थानों पर एक्सरे एवं नौ स्थानों पर चिकित्सा एवं शल्य की व्यवस्था	196.25	173.00	..	.	..	..	..	3.00	2.50	..

मद 7-- समाज सेवायें

वर्ग 7.4--स्वास्थ्य और परिवार नियोजन--(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740315	कानपुर के अस्पताल में एडवान्स था कार्डोलाजिकल सुविधा की व्यवस	26.00	4.00	9.00	4.85	2.90	5.27	5.27	9.00	..	..
740316	कानपुर में एडवांस ऐंटी कैंसर की सुविधा की व्यवस्था ..	30.00	4.00	15.00	4.00	3.07	9.62	9.62	1.67	0.25	..
740317	अपूर्ण योजनाओं के लिये व्यवस्था	76.52	76.52	..	9.85	12.04	19.88	20.88	54.55	54.55	..
740318	राजकीय महिला चिकित्सालयों में सब चार्ज व वार्ड आया के आवास गृहों का निर्माण ..	..	..	..	..	0.01	0.10	..	2.67	2.10	..
740319	सिविल अस्पताल, रानी खेत जिला अल्मोड़ा का विकास ..	..	..	..	0.27	..	..	..	..	..	..
740320	चल चिकित्सालयों की स्थापना ..	..	..	..	..	..	..	7.27	4.48	..	..

740321	कानपुर में फारमेसी अस्पताल की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	2.20	..	..
740322	ग्रामीण क्षेत्रों में 300 एलोपैथिक औषधालयों की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	27.85	..	..
740323	शहरी क्षेत्रों में मेडिकल केयर यूनिट की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	0.69	..	..
	योग (3)	1202.17	498.88	24.00	96.01	112.37	158.57	167.00	310.60	94.70	..

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारिक स्वास्थ्य सेवाएं—

740401	आधारिक स्वास्थ्य सेवायें	73.80	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740402	यूनिसेफ की मदद से खंडों में चिकित्सा सुविधा का प्रसार	128.64	..	..	3.97	18.27	35.00	35.00	45.10	..	..
740403	प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के संबंध में औषधालयों का निर्माण	128.00	107.00	..	..	0.05	30.10	27.61	50.00	50.00	..
740404	अपूर्ण योजनाओं के लिये व्यवस्था	5.26	5.26	..	0.31	..	..	..	..	..	..
	चल चिकित्सालयों की स्थापना	..	..	..	..	0.02	1.12	..	0.50	0.50	..
	योग (4)	335.70	112.26	..	4.28	18.34	66.22	62.61	95.60	50.50	..

(5) संचारी रोगों का नियन्त्रण

740501	क्षय रोग अस्पतालों के लिये भवन निर्माण	54.72	33.50	..	1.13	0.58	2.41	2.36	7.43	5.60	..

मद 7—समाज सेवाएं

वर्ग 7·4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना 1969–74 परिव्यय			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740502	कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम ..	4.35	3.49	..	..	..	..	0.50	0.56	..	..
740503	हिन्दू कुष्ठ निवारक संघ, लखनऊ को सहायक अनुदान ..	5.00	..	..	0.88	0.87	1.00	1.25	1.25	..	..
740504	राजकीय रक्षालय संस्थान, पटवा डांगर, जिला नैनीताल का विस्तार	24.05	1.00	..	0.23	0.47	8.37	8.37	5.94	0.20	..
740505	तीर्थ रास्तों में सुधार ..	5.00	..	..	..	..	1.00	1.00	1.00	..	..
740506	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का विस्तार	8.50	..	..	..	..	1.70	0.85	1.35	..	..
740507	वर्तमान छुतवा अस्पतालों का विस्तार	8.50	3.50	..	..	..	0.80	0.89	4.45	2.00	..
740508	पंद्रह जन स्वास्थ्य वाहनों का बदलना	10.50	..	..	..	..	2.45	2.45	2.45	..	..
740509	अपूर्ण योजनाओं के लिये प्राविधान	8.50	8.50	..	5.18	0.22	0.99	0.56	0.40	0.40	..
740510	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ..	..	..	..	27.85	27.85	..	..	..	..	..
740511	चेचक उन्मूलन कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

740512	राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740513	जौनसार बाबर क्षेत्र में रजत रोग (V. D.) कार्यक्रम	..	..	..	0.18	..	1.25	1.25	2.00	..	..
740514	औद्योगिक अवशिष्ट निस्तारण .. और जल प्रेषण यूनिट ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग, (5)	129.12	51.99	..	35.45	29.99	20.07	19.48	26.83	8.20	..

(6) परिवार नियोजन — केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति

740701	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं उनसे संबंधित अस्पतालों को अनुदान ..	6.50	..	..	0.14	0.11	1.38	1.38	1.38	..	..
740702	अतिरिक्त दवाओं के लिये प्राविधान	0.50	..	..	0.02	0.01	0.05	0.05	0.04	..	..
740703	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का विस्तार ..	8.02	4.65	..	0.12	0.13	0.51	0.51	1.02	0.50	.
740704	होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना	4.58	..	.	0.05	0.35	1.45	1.45	3.02	..	..
740705	होम्योपैथिक डाक्टरों एवं संस्थाओं को अनुदान	3.05	..	.	0.08	0.15	0.61	0.61	0.61	..	..
740706	होम्योपैथिक औषधालय का निर्माण एवं कार्यक्रम	1.85	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..
740707	वर्तमान आयुर्वेदिक यूनानी औषधालयों का विस्तार	26.50	..	..	0.76	3.66	9.78	9.78	13.66	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740708	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक विद्यालयों का सुधार एवं प्रसार और एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना	32.50	..	..	2.23	5.69	7.98	7.98	12.05	..	..
740709	वाराणसी के शुद्ध आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार	15.00	..	..	3.00	1.48	7.17	1.17	7.00	..	..
740710	लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार ..	0.50	..	..	0.55	0.32	0.93	0.93	0.83	..	..
740711	राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पताल, लखनऊ की निर्माणशाला का विस्तार	0.87	1.00	..	0.87	0.11	5.28	5.28	3.81	3.38	..

740712	आयुर्वेदिक कार्यकलापों का प्रकाशन और पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा करना व अनुवाद आदि	1.00	..	..	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	..
740713	शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक यूनानी अस्पतालों की स्थापना ..	4.50	..	..	0.25	3.81	1.73	1.73	2.31	..	..
740714	आयुर्वेदिक परिचारिकों एवं कम्पाउन्डरों का प्रशिक्षण और चिकित्सा अधिकारियों के ज्ञान को ताजा करने के पाठ्यक्रम की आरम्भ करना ..	1.00	..	..	0.23	0.49	1.04	1.04	1.17	..	..
740715	भारतीय चिकित्सा परिषद् के रख-रखाव के लिये अनुदान ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740716	आयुर्वेदिक दवाओं एवं जड़ी-बूटी आदि के उत्पादन की व्यवस्था ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740717	आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों के छात्रों का छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था	1.50	..	..	0.10	0.20	0.20	0.32	0.44	..	..
740718	आयुर्वेदिक यूनानी संस्थाओं को एवं वैद्यों व हकीमों को अनुदान	2.00	..	..	0.13	0.14	0.21	0.21	0.28	..	..
740719	आयुर्वेदिक निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	1.00	..	..	..	0.60	0.48	0.48	1.86	..	..
740720	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था ..	0.50	0.50	..	..	..	..	..	..	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.4 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय 1969–70	1970–71	1971-72 स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	1972–73 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740721	होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद् का रख-रखाव ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग, (7)	115.00	7.15	..	8.73	14.45	39.00	39.00	49.68	4.08	..
	(8) अन्य योजनाएं										
740801	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	15.20	..	..	0.06	0.09	0.63	0.46	"शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण" सेक्टर में स्थानान्तरित		
740802	गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को अनुदान ..	30.25	..	..	5.02	5.53	5.98	5.73	6.00	..	..
740803	स्वामी विवेकानन्द पोलीक्लिनिक को अनुदान	20.00	..	..	24.43	25.18	4.00	4.00	4.00	..	..

740804 सीतापुर अलीगढ़ तथा कानपुर के नेत्र चिकित्सालयों को अनुदान ..	25.00	..	..	5.94	3.31	5.00	5.00	5.94	..	..
740805 स्वास्थ्य निदेशालय के स्टाफ का सुदृढ़ीकरण करना	22.50	..	..	1.77	2.24	3.20	3.37	3.54	..	..
740806 केंद्रीय औषधि भंडार एवं एक्सरे के प्लाट की मरम्मत के लिये भवन निर्माण ..	30.00	30.00	..	..	0.50	8.00	8.00	10.00	10.00	..
740807 सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक केंद्रीय कर्मशाला तथा फालतू पुर्जे के लिये एक भंडार की स्थापना ..	11.00	..	..	2.01	..	..	..	..	..	..
740808 ओवरसियर तथा अन्य कर्मचारियों के लिये व्यवस्था ..	3.50	..	..	..	..	0.58	0.58	0.80	..	..
740809 निदेशालय में पुस्तकालय के लिये व्यवस्था ..	2.00	..	..	..	0.10	..	..	..	..	..
740810 गाड़ियों के रख-रखाव के लिये कारखाने की स्थापना	16.51	2.00	..	..	..	1.99	1.89	0.59	..	..
740811 जन्म-मरण आंकड़ों का पंजीयन और सुधार ..	30.72	..	..	4.22	3.87	4.90	4.90	5.00	..	..
740812 औषधि नियंत्रण संस्था का विस्तार ..	10.00	..	..	..	0.32	1.96	1.96	1.44	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (समाप्त)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740813	जन-स्वास्थ्य के विश्लेषण प्रयोगशाला का विस्तार ..	11.48	6.00	0.40	0.08	0.56	1.13	1.13	2.05	..	..
740814	तेरह स्थानों पर शव-गृह का निर्माण ..	2.99	2.49	..	0.05	0.07	0.31	0.83	0.70	0.70	..
740815	राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार—										
	(क) मुख्यालय ..	6.33	..	..	..	..	1.82	1.82	1.01	..	..
	(ख) खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण	8.00	..	..	..	0.06	2.08	2.08	2.28	..	..
	(ग) विद्यालय स्वास्थ्य सेवायें	16.12	..	..	..	..	1.42	..	1.42	..	..
	(घ) उप निर्देशन (स्टेट वैक्सीन पटवाडांगर) के पद में परिवर्तित करने के लिये व्यवस्था	1.25	..	..	..	..	..	..	..	..	..
740816	परिचारिका प्रशिक्षण कक्ष की स्थापना ..	1.16	..	..	..	..	0.16	..	..	..	..

740817 दस स्थानों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये कार्यालय भवन निर्माण ..	14.00	14.00	..	..	..	..	..	..	..	..
740818 अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था	5.00	5.00	..	..	0.27	..	0.36	0.50	0.50	..
योग, (8) ..	283.01	59.49	0.40	43.58	42.10	43.16	42.11	44.23	11.20	..
सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान उपकरण तथा संयंत्र ..	..	..	..	..	..	19.22	19.22	28.66	28.66	..
अन्तरिम सहायता ..	..	..	..	..	..	2.40	2.40	..	..	..
योग, 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन ..	3550.00	1918.03	24.40	325.74	386.49	644.00	647.95	856.00	254.86	..

जल सम्पूर्ति

पेय जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के दो भाग हैं:–(1) नागर जल सम्पूर्ति तथा मल व्यवस्था, (2) ग्रामीण जल सम्पूर्ति और स्वच्छता। इन आयोजनाओं के लिये चौथी योजना की अधिकतम धन-राशि 20.25 करोड़ रु० नियत की गई है। (उत्तराखण्ड प्रभाग को छोड़कर) जिसमें से 12.40 करोड़ रु० नागर जल सम्पूर्ति और मल व्यवस्था आयोजनाओं के लिये तथा 7.85 करोड़ रु० ग्रामीण जल सम्पूर्ति परियोजनाओं के लिये नियत कर दिये गये हैं। चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कार्य-क्रमानुसार परिव्यय तथा व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :— (लाख रु० में)

परियोजना का नाम	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 परिव्यय	1971–72 अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5
1—नागर जल सम्पूर्ति ..	149.60	281.28	214.60	214.60
2—वातावरण संबंधी स्वच्छता	0.53	0.40	0.40	0.40
3—ग्रामीण जल सम्पूर्ति ..	348.00	160.32	250.00	250.00
4—पर्वतीय क्षेत्रों में जल सपूर्ति परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था	100.00	..	..	..
योग ..	598.13	442.00	465.00	465.00

नागर जल सम्पूर्ति

2—राज्य में 248 नागर स्थानीय निकायें हैं, जिनमें से 149 नागर स्थानीय निकायों को मार्च, 1971 तक सरंक्षित जल सम्पूर्ति की सुविधा प्रदान की गई थी। चौथी योजना के अन्त तक इस परियोजना के अधीन 15 और नागर स्थानीय निकायों के आ जाने की आशा है।

3—चौथी योजना की अवधि के दौरान नागर जल सम्पूर्ति परियोजनाओं के लिये 460 लाख रु० धनराशि की व्यवस्था की गई है जिसमें से वर्ष 1971–72 के अन्त तक 336.00 लाख रु० व्यय किया गया है। 1972–73 के लिये 75.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। नागर जल सम्पूर्ति परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था भी वित्तीय सस्थाओं से ऋण लेकर की जाती है। वर्ष 1971–72 में जीवन बीमा निगम से 228.00 लाख रुपये ऋण लिया गया था। वर्ष 1972–73 के दौरान भी उसी संस्था से 85.00 लाख रु० का ऋण लिया जायगा।

4—वर्ष 1971–72 के दौरान राज्य के 24 पिछड़े जिलों में 87.22 लाख रुपये व्यय किया गया। वर्ष 1972–73 में पिछड़े जिलों के लिये 37.11 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

5—जहां तक नागर जल सम्पूर्ति के भौतिक लक्ष्यों का सम्बन्ध है, योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 16 निर्माण कार्यों का पुनरसंगठन किया गया और पांच नये निर्माण कार्य पूरे किये गये। वर्ष 1971–72 के दौरान 8 नये निर्माण कार्यों तथा 15 पुनर्संगठन निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा।

नागर मल व्यवस्था

6—चौथी योजना में नागर-मल-व्यवस्था सम्बन्धी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 780.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1971–72 के अन्त तक इन आयोजनाओं पर 310.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय किया गया। वर्ष 1972–73 के लिये 41.60 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1971–72 के दौरान इस आयोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिये जीवन बीमा निगम से 100.00 लाख रुपये का ऋण लिया गया था।

7—चौथी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान नागर मल-व्यवस्था परियोजना के अन्तर्गत 30 नागर कस्बे (27 पूर्णतः तथा 3 अंशतः) रखे गये थे। आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक कुल 40 नागर कस्बों में नागर मल-व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्यों का प्रसार हो जायगा।

फ्लश लैट्रिन

8—वर्ष 1970–71 के अन्त तक, नागर सर्विस लैट्रिनों को फ्लश लैट्रिनों में परिवर्तित करने का कार्य नागर मल-व्यवस्था परियोजना का एक भाग था, परन्तु वर्ष 1971–72 से इसको अलग परियोजना के रूप में रखा गया है। वर्ष 1969–70 के दौरान इस परियोजना के लिए 6.00 लाख रुपये दिए गए थे। वर्ष 1972–73 में इस परियोजना के लिए 8.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने सस्ते किस्म के फ्लश लैट्रिनों के डिजाइन बनाये हैं जिनकी लागत उन कस्बों में जहां की भूमि के नीचे मल निकास पाइप बिछाये गए हैं, केवल 200 रुपये आयगी और जहां मल व्यवस्था प्रणाली नहीं है, केवल 80 रुपये आयगी।

वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता

9—चौथी पंचवर्षीय योजना में वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता के लिए 2.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। जून, 1972 के अन्त तक इस सम्बन्ध में 1.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय होने की सम्भावना है और केवल 0.89 लाख रुपये की धनराशि शेष रह जायगी। जून, 1971 से इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया है।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति

10—उत्तर प्रदेश राज्य में 1971 की जनगणना के अनुसार 1,12,624 गांव हैं, जिनमें से 29,000 गांवों तथा 215 ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामने पेय जल सम्पूर्ति की गम्भीर समस्याएं हैं। यह समस्या वितीय क्षेत्रों तथा सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में, जहां कि गर्मी के मौसम में स्थिति बड़ी विषम हो जाती है, और भी उग्ररूप धारण कर लेती है। इन 29,000 गांवों में से 14,230 गांव 5 पर्वतीय जिलों तथा 9 सूखे से प्रभावित होने वाले जिलों में स्थित हैं। शेष 14,770 गांव बाकी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं।

11—चौथी योजना में ग्रामीण जल सम्पूर्ति परियोजनाओं के लिये 785.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1969–72 के अन्त तक अर्थात चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में 858.32 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 1972–73 के लिये 275.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया हैं। वर्ष 1971–72 के दौरान 195.35 लाख रुपये की धनराशि राज्य के पिछले संभागों पर व्यय किया गया। वर्ष 1972–73 के लिये 227.96 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

12—वर्ष 1971–72 के अन्त तक 1,832 गांवों तथा 56 ग्रामीण स्थानीय निकायों में पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था कर दी गई। इस लक्ष्य के अतिरिक्त 5,661 गांवों में अन्य विभागों द्वारा पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। वर्ष 1971–

72 के दौरान 472 गांवों और 11 ग्रामीण स्थानीय निकायों का पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति व्यवस्था का लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 1972–73 के दौरान 429 गांवों तथा 9 ग्रामीण स्थानीय निकायों में इस परियोजना को कार्यान्वित किया जायगा। पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत आने वाले गांवों में से अधिकांश गांव ऐसे पर्वतीय तथा चट्टानी क्षेत्रों में स्थित हैं जहां जल में अत्यधिक लवण तथा क्लोराइड होता है या ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याए ह।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित परियोजना

13––केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित सर्वेक्षण तथा अनुसधान सम्बन्धी तीन प्रभागों ने भाभर क्षेत्रों के पांच जिलों के लिये एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस समय ये प्रभाग राज्य के पर्वतीय तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति की समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1971–72 के अन्त तक इस परियोजना पर 23.15 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 1972–73 के लिये 11.42 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.5—जल संपूर्ति

(लाख रु० में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74 कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय 1969-70	1970-71	1971-72 स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	1972-73 परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	शहरी										
750101	(क) जल-पूर्ति ..	458.00	458.00	20.00	59.60	144.68	131.60	131.60			
	(ख) जल निस्तारण ..	780.00	585.00	..	90.00	136.60	68.00	68.00	124.60	129.70	1.00
	(ग) फ्लश लेट्रीन ..	..	..	..	..	..	15.00	15.00	..	..	..
	(घ) वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता तथा जल सम्पूर्ति योजना ..	2.00	..	—	0.53	0.40	0.40	0.40	0.40	..	..
	योग ..	1240.00	1043.00	20.00	150.13	281.68	215.00	215.00	125.00	129.70	1.00
	ग्रामीण										
750102	(क) जल पूर्ति ..	554.50	27.50	..	348.00	155.32	245.00	245.00	275.00	12.00	..
	(ख) जल निस्तारण	5.50	4.12	..							
	(ग) कूप निर्माण ..	125.00	..	..	..	5.00	5.00	5.00	..	..	..
	योग ..	685.00	31.62	..	348.00	160.32	250.00	250.00	..	12.00	..
750103	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जल व्यवस्था ..	100.00	..	..	100.00	..	..	..	..	..	..
	योग, 7.5—जल सम्पूर्ति ..	2025.00	1074.62	20.00	598.13	442.00	465.00	465.00	400.00	141.70	1.00

(17)

आवास और नगर विकास

आवास और नगर विकास क्षेत्र के लिये चौथी आयोजना में 12.25 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है । आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 450.22 लाख रु० व्यय किया गया और आशा की जाती है कि वर्ष 1971–72 के दौरान 280 लाख रु० की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1972–73 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 323 लाख रु० की धनराशि अलग रख दी गई है ।

इस योजना के ब्योरे नीचे दिये गये हैं:—

(1) औद्योगिक कर्मचारियों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की एकीकृत साहाय्यित आवास योजना—

चौथी आयोजना में 5,440 घरों के निर्माण के लिये निर्धारित 340 लाख रु० के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1969–70 के दौरान 40.56 लाख रु० की धनराशि और वर्ष 1970–71 में 34.94 लाख रु० की धनराशि खर्च की गई। वर्ष 1969–70 में 486 और वर्ष 1970–71 में 1,120 मकान बनाये गये । आशा है कि वर्ष 1971–72 के दौरान 40.30 लाख रु० की धनराशि खर्च हो जायगी और 1,120 मकान निर्मित कर लिये जायेंगे। वर्ष 1972–73 की आयोजना में 1,440 मकानों का निर्माण करने के लिये 101 लाख रु० की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है ।

(2) अल्प आय वर्ग आवास योजना—चौथी आयोजना में इस योजना के लिये 200 लाख रु० की व्यवस्था की गई है और आयोजना अवधि के अन्त तक 1,600 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान क्रमशः 11 लाख रु० और 60 लाख रु० खर्च किये गये थे। वर्ष 1969–70 में 15 मकान और 1970–71 के दौरान 480 मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। वर्ष 1971-72 के दौरान 69.70 लाख रु० की धनराशि खर्च हो जाने और 400 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा कर लिये जाने की परिकल्पना की गई है । वर्ष 1972–73 की आयोजना में 408 मकानों का निर्माण-कार्य सम्पादित करने के लिये 51 लाख रु० की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

(3) मलिन बस्ती सफाई योजना—इस योजना के लिये चौथी आयोजना में 45 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और आयोजना अवधि के अन्त तक 725 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा कर लिये जाने की आशा की जाती है । आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 5.39 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया गया और 236 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया । आशा है कि वर्ष 1971–72 के दौरान 160 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा करने में 11.75 लाख रु० की धनराशि खर्च होगी वर्ष 1972–73 के लिये 12 लाख रु० की धनराशि अलग रखने का प्रस्ताव है और 192 मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(4) मध्यम आय वर्ग आवास योजना—चौथी आयोजना अवधि में 800 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा करने के लिये इस योजना के निमित्त 200 लाख रु० की धनराशि अलग रख दी गई है। आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 80 लाख रु० की धनराशि खर्च की गई और इससे 208 मकानों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। आशा है कि वर्ष 1971–72 के दौरान 40 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया जायगा और इससे 160 मकान बनवाये जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 के दौरान 51.25 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और इस योजना के अन्तर्गत 205 मकान बनवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(5) नागर विकास—इस योजना के लिये चौथी आयोजना में 50 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। यह योजना 1971–72 में शुरू की गई थी और उस वर्ष के दौरान 16 लाख रु० का उपयोग कर लिये जाने की आशा की जाती है। इस योजना के लिये वर्ष 1972–73 के दौरान 25 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.6—आवास तथा नगर विकास

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760101	औद्योगिक श्रमिकों तथा जन-समुदाय की आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के लिये राज-सहायता प्राप्त समेकित गृह-निर्माण परियोजना ..	340.00	283.00	..	43.86	34.94	70.00	40.43	101.00	82.00	..
760102	अल्प-आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना ..	200.00	200.00	..	10.97	60.00	50.00	69.70	51.00	51.00	..
760103	मलिन बस्ती सफाई योजना	45.00	41.50	..	2.00	3.39	11.76	11.75	12.00	8.00	..
760104	संभागीय नियोजन योजना ..	65.00	..	..	9.17	9.17	13.25	12.25	13.75	..	..
760105	मध्य आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना ..	200.00	200.00	..	40.00	40.00	40.00	40.00	51.25	51.25	..

760106 भूमि अध्याप्ति और विकास योजना	..	300.00	300.00	..	110.00	100.00	79.00	90.00	69.00	69.00	..
760107 शहरी विकास परियोजना	..	50.00	50.00	..	..	..	16.00	16.00	25.00	25.00	..
760108 अपेकूस सहकारी आवास समितियों के लिये अंश पूंजी	..	25.00	25.00	..	..	..	..	..	..	..	..
760109 ग्रामीण गृह निर्माण योजना	..	..	..	..	..	..	10.00	..	..	..	..
नगर सामुदायिक विकास की परियोजना	..	..	..	..	0.53	..	..	..	..	..	..
योग, 7.6 आवास तथा नागर विकास	..	1225.00	1099.50	..	216.53	247.50	290.00	280.00	323.00	286.25	..

(18)

पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

राज्य सरकार के पास पिछड़े हुए वर्गों की दशा सुधारने के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम है। पिछड़े हुए वर्गों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं। इस शीर्षक के अधीन सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई कल्याणकारी स्कीमें तीन वर्गों के अन्तर्गत आती हैं :—

(1) शिक्षा;

(2) आर्थिक उत्थान;

(3) स्वास्थ्य गृह निर्माण तथा अन्य स्कीमें।

2—राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये 720.00 लाख रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये भी व्यवस्था सम्मिलित है। 1969–70 के लिये 62.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसकी तुलना में 63.61 लाख रु० की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 1970–71 के दौरान योजना के 72.00 लाख रु० के परिव्यय की तुलना में 68.13 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई। 1971–72 की वार्षिक योजना में सम्मिलित प्रायः सभी स्कीमें चालू स्कीमें हैं। यह आशा की जाती है कि 100.74 लाख रु० की परिव्यय की तुलना में वर्ष के दौरान 120.43 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया जायगा। वर्ष 1972–73 के लिये 205.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये भी व्यवस्था सम्मिलित है। नीचे वर्ष-वार विभाजन दिया गया है जिसमें परिव्यय तथा व्यय दिखलाया गया है :—

स्कीम	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 अनुमोदित परिव्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	1972–73 स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1—अनुसूचित जन-जातियां—					
(क) शिक्षा	1.84	4.54	9.49	9.22	16.00
(ख) आर्थिक उत्थान ..	5.31	4.13	6.02	6.10	8.05
(ग) स्वास्थ्य गृह, निर्माण तथा अन्य स्कीमें	2.62	4.41	6.88	6.40	7.45
योग ..	9.77	13.08	22.39	21.72	31.50

स्कीम	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 अनुमोदित परिव्यय	1971-72 प्रत्याशित व्यय	1972-73 स्वीकृत परिव्यय
1	2	3	4	5	6
2—अनुसूचित जातियां—					
(क) शिक्षा	31.46	36.63	44.84	44.84	76.65
(ख) आर्थिक उत्थान ..	5.92	10.12	14.52	14.72	38.00
(ग) स्वास्थ्य, गृह निर्माण तथा अन्य स्कीमें	12.59	5.14	13.69	33.80	42.45
योग ..	49.97	51.89	73.05	93.36	157.10
3—अन्य पिछड़ी हुई जातियां—					
(क) शिक्षा	3.84	3.16	5.30	5.27	16.40
(ख) आर्थिक उत्थान ..	..	..	..	..	..
(ग) स्वास्थ्य, गृह निर्माण तथा अन्य स्कीमें	..	..	..	..	..
योग ..	3.84	3.16	5.30	5.27	16.40
महंगाई भत्ते के लिये एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था	0.03	..	..	0.08	..
संपूर्ण योग ..	63.61	68.13	100.74	120.43	205.00

3—शिक्षा—इस क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी स्कीमों को पूर्वता दी गई है। वर्ष 1972-73 के लिये 109.05 लाख रु० की धनराशि का प्रस्ताव विभिन्न स्कीमों के हेतु किया गया है जैसे कि (1) अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों के तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के प्री-मेट्रिक (पूर्व दशम) कक्षाओं के छात्रों को छात्र-वेतन और अनावर्तक देना, (2) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं को शिक्षा शुल्क को आय की हानि की प्रतिपूर्ति करना, (3) चिकित्सा अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) तथा प्रोद्योग सम्बन्धी अध्ययन करने वाले अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों को अनावर्तक सहायता (4) हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के अनुरक्षण के लिये स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान (5) कक्षा 6 और आगे की कक्षाओं के अत्यधिक मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष छात्र-वेतन, और (6) अनुसूचित जातियों के लिये आश्रम पद्धति के विद्यालय की स्थापना। इस परिव्यय में पांच पहाड़ी जिलों के लिये भी व्यवस्था सम्मिलित है। अत्यधिक मेधावी छात्रों को छात्र-वेतन की स्कीम को छोड़कर इन समस्त स्कीमों की प्रगति संतोषजनक रही है। अब तक पूरे कर लिये गये तथा वर्ष 1972-73 के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों के ब्योरे पृष्ठ 338 पर दिये गये हैं।

मद	इकाई	1970-71 के दौरान प्राप्त लक्ष्य	1971-72 के लिये प्रत्याशित लक्ष्य	1972-73 के लिये लक्ष्य
1--अनुसूचित जन जातियां--				
(1) प्रीमेट्रिक (पूर्व दशम) कक्षाओं में छात्र वेतन	छात्रों की संख्या	2,391	1,810	3,000
(2) शिक्षा शुल्कों की प्रतिपूर्ति	,,	730	1,250	940
(3) चिकित्सा, अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी अध्ययन के छात्रों को अनावर्तक सहायता	,,	3	6	10
(4) आश्रम पद्धति के विद्यालय--				
(क) विद्यालयों (स्कूलों) की संख्या		6	6	6
(ख) छात्रावास	..	..	..	1
2--अनुसूचित जातियां--				
(1) प्रीमेट्रिक (पूर्व दशम) कक्षा में छात्र-वृत्तियां	छात्रों की संख्या	29,000	29,640	60,000
(2) शिक्षा शुल्कों की प्रतिपूर्ति	,,	10,000	10,566	27,800
(3) चिकित्सा अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी के छात्रों को अनावर्तक सहायता	,,	50	100	200
(4) विद्यालयों, छात्रावासों और पुस्तकालयों के प्रसार तथा सुधार के लिये स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान	संस्थाओं की संख्या	355	450	450
(5) मेधावी छात्रों को विशेष छात्र वेतन ..	छात्रों की संख्या	2	2	6
3--अन्य पिछड़े हुये वर्ग--				
(1) प्रीमेट्रिक (पूर्व दशम) कक्षाओं में छात्र वेतन	छात्रों की संख्या	2,700	3,270	8,268
(2) शिल्प कला प्रशिक्षण के लिये छात्रवेतन ..	,,	,,	340	1,333

4—आर्थिक उत्थान—इस वर्ष के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई स्कीमों का सम्बन्ध कृषि सम्बन्धी विकास, कुटीर उद्योग, जनजाति के लोगों के पुनर्वासन के लिये राज सहायता, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों को शिल्प कला प्रशिक्षण के हेतु छात्र वेतन तथा वर्तमान 3 प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों और गोविन्द वल्लभ पन्त गवर्नमेंट पालीटेक्नीक के प्रसार और सुधार के लिये देने से है। अनुसूचित जन जातियों के पुनर्वासन की स्कीम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष 1972-73 के लिये 46.05 लाख रुपये की धन-राशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें 5 पर्वतीय जिलों के लिये भी व्यवस्था की गयी है। जिन भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि हुई है उनका विवरण नीचे दिया हुआ है :—

मदें	इकाइयां	1970-71 में प्राप्त लक्ष्य	1971-72 के लिए प्रत्याशित लक्ष्य	1972-73 के लिए लक्ष्य
1—अनुसूचित जनजातियां—				
(1) कृषि विकास के लिए राज सहायता ..	परिवार की संख्या	288	460	500
(2) कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राज सहायता ..	व्यक्तियों की संख्या	320	320	500
(3) जनजातीय पुनर्वासन	परिवारों की सं०	22	41	60
(4) शिल्प कला प्रशिक्षण के लिए छात्रवेतन ..	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	..	42	13
2—अनुसूचित जातियां—				
(1) कृषि विकास के लिये राज सहायता ..	परिवारों की संख्या	492	840	2,000
(2) कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राज सहायता ..	व्यक्तियों की संख्या	821	1,056	3,200
(3) शिल्प कला प्रशिक्षण के लिए छात्र वेतन ..	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	1,000	1,346	2,333

5—स्वास्थ्य, गृह निर्माण और अन्य स्कीमें—

इस शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिये पेय जल की सुविधायें प्रदान करने हेतु पेय जल प्रायोजनाओं का सम्पादन गृह निर्माण, जनजातीय कल्याण कार्य-क्रमों के लिये प्रख्यापन तथा प्रचार, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सेवा योजना के संबंध में साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने पर यात्रा भत्ता तथा जन जातीय लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य करने के लिये स्वैच्छिक अधिकरणों को अनुदान स्वीकृत करना है। वर्ष 1972-73 के लिये 49.90 रु0 की धनराशि निर्धारित है। इसमें 5 पर्वतीय जिलों के लिये भी व्यवस्था की गयी है। अब तक प्राप्त भौतिक लक्ष्यों का व्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है—

मद	इकाई	1970-71 में प्राप्त लक्ष्य	1971-72 के लिए प्रत्याशित लक्ष्य	1972-73 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य
1—अनुसूचित जनजाति—				
(1) पेयजल प्रायोजना	कुओं की संख्या	96	130	150
(2) गृह निर्माण	मकानों की संख्या	156	160	150
(3) स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान	अभिकरणों की संख्या	8	60	60
2—अनुसूचित जातियां—				
(1) पेयजल प्रायोजना	कुओं की संख्या	198	400	1000
(2) गृह निर्माण	मकानों की संख्या	100	1460	1000
(3) यात्रा भत्ता	व्यक्तियों की संख्या	14	250	320

6—केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

इस क्षेत्र के अन्तर्गत केंद्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों का परिव्यय 1025.65 लाख रुपये का था। इसे बाद में भारत सरकार ने घटाकर 375.75 लाख रुपये कर दिया। इसमें से 42.95 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 1969-70 में विभिन्न स्कीमों के लिये स्वीकृत की गई थी, लेकिन व्यय 45.12 लाख रुपये हुआ। वर्ष 1970-71 के लिये 62.29 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसके मुकाबले 78.05 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1971-72 की वार्षिक योजना के लिये 128.20 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित

हुआ था जिसकी तुलना में 129.55 लाख रुपये के व्यय होने की प्रत्याशा है। वर्ष 1972-73 में 137.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस परिव्यय का विभाजन नीचे दिया जाता है :—

(लाख रुपयों में)

शीर्षक		असूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग	योग
1—शिक्षा	..	4.00	104.25	7.75	116.00
2—आर्थिक उत्थान		8.00	..	5.75	13.75
3—स्वास्थ्य, गृह निर्माण एवं अन्य स्कीमें	..	1.00	4.00	2.25	7.25
योग	..	13.00	108.25	15.75	137.00

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग 7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) अनुसूचित जन-जातियां शिक्षा--										
770101	दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वेतन ..	15.00	..	..	0.77	1.55	1.82	1.82	3.00	..	..
770102	अनुसूचित जन जाति के छात्रों को कक्षा 7 से 10 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से गैर सरकारी संस्थाओं को होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति ..	5.76	..	..	0.47	0.62	1.00	1.00	0.75	..	..
770103	चिकित्सा, अभियंत्रण और औद्योगिक संस्थाओं में उच्च वैज्ञानिक शोध के लिये अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये सहायता ..	0.50	..	..	0.06	0.04	0.03	0.03	0.05	..	..

770104	(क) अनुसूचित जन जातियों के बालकों एवं बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना ..	35.84	8.00	..	0.54	2.33	6.64	6.37	9.20	0.80	..
	(ख) छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण ..	..	..	..	..	..	..	..	3.00	2.00	..
	योग ..	57.10	8.00	..	1.84	4.54	9.49	9.22	16.00	2.80	..
	आर्थिक उत्थान—										
770105	शिल्पकला प्रशिक्षण हेतु छात्र-वेतन ..	0.50	..	..	0.01	..	0.12	0.12	0.05	..	..
770106	कृषि उत्थान एवं बागवानी हेतु अनुदान	6.00	..	..	1.17	1.44	2.30	2.30	2.50	..	..
770107	कुटीर उद्योग के विकास हेतु अनुदान ..	6.00	..	..	1.15	1.58	1.60	1.60	2.50	..	..
770108	भूमि, उद्योग एवं कारखानों में पुनर्वासन	15.00	..	..	2.98	1.11	2.00	2.08	3.00	..	..
	योग ..	27.50	..	..	5.31	4.13	6.02	6.10	8.05	..	..
	स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें—										
770109	अनुसूचित जन जातियों के लिये पेयजल प्रायोजना इत्यादि के लिये अनुदान	10.00	..	..	1.54	1.92	2.57	2.57	3.00	..	..
770110	गृह निर्माण हेतु अनुदान ..	5.00	..	..	1.00	2.34	2.16	3.16	3.00	..	..
770111	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु प्राविधिक संगठन तथा वाहन का प्राविधान ..	6.00	..	..	..	..	1.00	..	0.80	..	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770112	अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान ..	0.50	..	..	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	..	..
770113	(क) अनुसूचित जन जातियों के लिये प्रख्यापन इकाई की स्थापना ..	1.00	..	..	..	..	1.00	0.40	0.30	..	..
	(ख) नौकरियों के लिये साक्षात्कार में जाने के लिये यात्रा भत्ता ..	..	..	..	..	..	..	0.04	0.05	..	..
770114	अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को पुलिस कान्सटेबुल के पदों पर भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण ..	..	..	..	..	..	..	0.08	0.15	..	..
	योग ..	22.50	..	..	2.62	4.41	6.88	6.40	7.45	..	..
	योग, (1) ..	107.10	8.00	..	9.77	13.08	22.39	21.72	31.50	2.80	..

(1) अनुसूचित जातियां—

शिक्षा—

770201	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक कक्षाओं में छात्र-वेतन तथा अनावर्तक सहायता देना ..	165.00	..	..	23.78	26.00	30.00	30.00	45.50	..	.
770202	अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति ..	90.00	..	..	6.94	9.85	12.00	12.00	25.00	..	..
770203	हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहाय्यिक वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और विद्यालयों का सुधार और विस्तार ..	8.00	..	..	0.48	0.50	2.50	2.50	5.00	2.50	
770204	चिकित्सा अभियंत्रण और प्राविधिक शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये अनावर्तक सहायता	5.00	..	..	0.26	0.25	0.31	0.31	1.00	..	..
770205	अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को शैक्षिक एवं आवास हेतु विशेष छात्र-वृत्ति ..	16.80	..	..	..	0.03	0.03	0.03	0.15	..	..
	योग ..	284.80	..	..	31.46	36.63	44.84	44.84	76.65	2.50	..

आर्थिक उत्थान—

770206	अनुसूचित जातियों को शिल्प कौशल में प्रशिक्षण देने के लिये छात्र वेतन	25.00	..	..	2.42	3.03	4.04	4.04	7.00	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग 7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969—74			वास्तविक व्यय		1971—72		1972—73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70	1970—71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770207	जी० बी० पन्त पालीटेक्निक, को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान ..	15.65	10.40	..	0.48	0.45	1.00	1.20	5.00	0.20	..
770208	अनुसूचित जातियों को कृषि उन्नति हेतु अनुदान ..	51.00	..	..	0.99	2.46	4.20	4.20	10.00	..	..
770209	गांव एवं शहरी क्षेत्र में हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान ..	58.45	..	..	1.93	4.16	5.28	5.28	16.00	..	..
770210	हरिजनों के लिये औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना ..	1.50	1.50	..	0.10	0.02	..	..	..	..	..
	योग ..	151.60	11.90	..	5.92	10.12	14.52	14.72	38.00	0.20	..

स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें—

770211	पेय जल संपूर्ति की सुविधाओं के लिये राज सहायता ..	75.00	..	..	11.56	3.99	8.00	8.00	20.00	.	..
770212	अनुसूचित जातियों को गृह-निर्माण के लिये अनुदान एवं ऋण ..	50.00	..	..	0.97	1.01	4.29	14.60	10.00	..	..
770213	सांख्यिकीय इकाई की स्थापना ..	1.00	..	..	..	..	0.20	..	0.20	..	..
770214	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नौकरी के संबंध में साक्षात्कार के के लिये बुलाये जाने पर किराये का भुगतान ..	0.50	..	..	..	..	0.20	0.20	0.25	..	..
770215	पुलिस कान्सटेबुल के पदों पर भरती के लिये अनुसूचित जातियों को पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना ..	..	..	..	0.06	0.14	1.00	1.00	2.00	..	..
770216	गृह-निर्माण हेतु ऋण ..	..	..	..	..	..	..	10.00	10.00	10.00	..
	योग ..	126.50	..	..	12.59	5.14	13.69	33.80	42.45	10.00	..
	योग, (2) ..	562.90	11.90	..	49.97	51.89	73.05	93.36	157.10	12.70	..

(3) अन्य पिछड़ी हुई जातियां—

शिक्षा—

770301	पूर्व दशम् कक्षाओं के अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वेतन एवं अनावर्तक सहायता ..	40.00	..	..	3.84	3.16	4.27	4.27	12.40	..	..

मद—7· समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770302	शिल्प कला प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र-वेतन	10.00	..	..	..	..	1.03	1.00	4.00	..	..
	योग, (3) ..	50.00	..	..	3.84	3.16	5.30	5.27	16.40	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिये एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था ..	..	..	..	0.03	..	..	0.08	..	..	..
	योग, 7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण ..	720.00	19.90	..	63.61	68.13	100.74	120.43	205.00	15.50	..

(19)

समाज कल्याण

किसी समाजवादी राज्य की सरकार का लक्ष्य समाज के पद दलित तथा अशक्त वर्गों की दशा में सुधार करने का होता है इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर प्रारम्भ की गई समाज कल्याण की स्कीमें समाज के अशक्त तथा कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करती हैं, जिनमें महिलायें, बच्चे तथा शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये समाज कल्याण कार्यक्रमों के हेतु 100.00 लाख रु0 की धनराशि नियत कर दी गई है। वर्ष 1969–70 के लिये, इस क्षेत्र के अधीन योजना परिव्यय 11.15 लाख रु0 था जिसमें से 7.71 लाख रु0 का व्यय हुआ। वर्ष के दौरान कार्यरत महिलाओं के लिये एक छात्रावास, एक बाल गृह तथा बालवाड़ी केन्द्र, भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये अग्रगामी प्रायोजना, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत एक संरक्षण गृह, तीन अतिरिक्त बचाव संगठन, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिये एक विद्यालय तथा अंधों के लिये एक आश्रय कर्मशाला की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम के उपबन्धों का दो और जिलों अर्थात् बलिया और मिर्जापुर में प्रसार किया गया जबकि एक संरक्षण गृह तथा एक बधिर एवं मूक विद्यालय में भी भरती की क्षमता में वृद्धि की गई। सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक संस्थाओं/व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचा।

3—वर्ष 1970–71 के दौरान 12.00 लाख रु0 की धनराशि नियत की गई थी इसके समक्ष केवल 10.08 लाख रु0 का व्यय हुआ। वर्ष 1969–70 में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम वर्ष 1970–71 में भी चलते रहे। इसके अतिरिक्त निराश्रित महिलाओं के लिये एक प्रशिक्षण एवं आश्रय कर्मशाला, एक अतिरिक्त बधिर तथा मूक विद्यालय, विकलांग व्यक्तियों के लिये एक गृह एवं आश्रय कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र और अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अधीन तीन अतिरिक्त बचाव संगठनों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम का प्रसार चार और जिलों अर्थात बांदा, गोंडा, अलीगढ़ और मैनपुरी में किया गया।

4—वित्तीय वर्ष 1971–72 के बजट में, समाज कल्याण स्कीम के लिये, 22.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। वर्ष 1969–70 और 1970–71 में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के अतिरिक्त कतिपय नयी कल्याणकारी कार्यवाहियां भी शुरू की गईं। वर्ष के दौरान 20.79 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। कुछ नयी संस्थायें, जो शीघ्र कार्य करेंगी इस प्रकार हैं:—बालिका निकेतन, सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त दो अतिरिक्त विद्यालय, एक ब्रेल पुस्तकालय, एक पोषण अवेक्षा गृह, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों (जिनमें बधिर, मूक तथा अन्धे बालक सम्मिलित नहीं हैं) के लिये एक विद्यालय तथा एक अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला। यह भी निश्चय किया गया है कि (1) सिलाई मशीनों तथा अन्य सज्जाओं के क्रय के लिये पांच

पर्वतीय जिलों की हीन और निराश्रित महिलाओं को और (2) शिशु कल्याण के क्षेत्र में उपयोगी कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जाने की स्कीमें प्रारम्भ की जायं । भवन संबंधी कार्यक्रम में सरकारी अंध विद्यालय, लखनऊ तथा वाराणसी में सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त एक-एक विद्यालय के भवनों का निर्माण सम्मिलित है, जिसके लिये बजट में 1.63 लाख रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है ।

5—वर्ष 1972–73 के लिये 22.00 लाख रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है । राज्य के अल्प वित्तीय संसाधन होने के कारण, वर्ष के दौरान कोई नयी योजनायें प्रारम्भ करने का कार्यक्रम नहीं है । वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान प्रारम्भ की गई स्कीमें तथा वे स्कीमें भी जिनकी व्यवस्था 1971–72 के लिये की गई है, वर्ष 1972–73 के दौरान चलती रहेंगी । वर्ष 1972–73 के कार्यक्रम में, स्वीकृति प्राप्त विद्यालय, वाराणसी तथा सरकारी अंध विद्यालय, लखनऊ के लिये भवन निर्माण संबंधी कार्य भी सम्मिलित हैं ।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.8. समाज कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) महिलाओं का कल्याण—										
780101	कार्यरत महिलाओं के दो छात्रावासों की व्यवस्था ..	2.25	..	..	0.23	0.17	0.40	0.55	0.40	..	..
780102	निराश्रित महिलाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र तथा शेल्टर्ड वर्कशाप की स्थापना ..	3.75	..	..	..	1.26	1.25	1.25	1.25	..	..
	योग, (1) ..	6.00	..	..	0.23	1.43	1.65	1.80	1.65	..	..
	(2) बाल कल्याण—										
780201	बालिका निकेतन की स्थापना ..	2.37	..	..	..	..	0.50	0.40	0.70	..	..
780202	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्धार गृह में शिशुशाला तथा बालबाड़ी की स्थापना ..	0.29	..	..	0.04	0.04	0.07	0.05	0.07	..	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7.8. समाज कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780203	बाल सदन के लिये भवन निर्माण	3.00	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..
780204	फोस्टर केयर गृह की स्थापना	1.40	..	..	..	..	0.30	0.26	0.50	..	..
	योग, (2) ..	7.06	3.00	..	0.04	0.04	0.87	0.71	1.27	..	..
	(3) भिक्षा वृत्ति उन्मूलन—										
780301	भिक्षा वृत्ति उन्मूलन हेतु एक पाइलेट प्रोजेक्ट की स्थापना ..	9.15	..	..	0.85	1.32	1.80	2.05	1.80	..	..
	कुल (3) ..	9.15	..	..	0.85	1.32	1.80	2.05	1.80	..	..
	(4) सामाजिक सुधार—										
780401	दस अतिरिक्त जिलों में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, 1951 का कार्यान्वयन, सुधार, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ..	4.24	..	..	0.07	0.24	0.85	0.67	0.85	..	..

780402	संवीक्षण गृहों की स्थापना ..	11.60	..	..	0.27	0.47	1.67	1.10	1.00	..	..
780403	एक अतिरिक्त राजकीय अनुमोदित विद्यालय की स्थापना ..	2.74	..	..	..	..	1.20	0.90	2.00	..	..
780404	राजकीय अनुमोदित विद्यालय के भवन का निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	..	0.63	0.63	1.00	1.00	..
780405	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के कार्यान्वयन के लिये, पांच अतिरिक्त तारण संगठनों की स्थापना ..	2.41	..	..	0.05	0.22	0.50	0.50	0.50	..	..
780406	द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में स्थापित संरक्षण गृह की क्षमता में विस्तार	0.84	..	..	0.08	0.03	0.17	0.12	0.15	..	..
780407	महिलाओं के लिये एक अतिरिक्त उत्तर रक्षागृह की स्थापना ..	3.00	..	..	0.42	0.27	0.60	0.48	0.60	..	..
780408	विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये आश्रितों को पुनर्वासन हेतु सहायता ..	1.50	..	..	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	..	..
780409	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित जिला शरण और प्रवेश केंद्रों का विस्तार एवं सुधार ..	1.46	..	..	0.15	0.21	0.24	0.24	0.25	..	..
780410	उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित 16 संवीक्षण-गृहों का विस्तार एवं सुधार ..	6.00	..	..	0.50	0.21	0.77	0.50	0.77	..	..
780411	उत्तर रक्षा-गृह का भवन निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग (4) ..	39.79	6.00	..	1.84	2.05	6.93	5.44	7.42	1.00	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7·8 समाज कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(5) बाधितों की पुनर्वासन—										
780501	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को शिक्षा और व्यावसायिक तथा वृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र-वृत्तियां ..	2.50	..	..	0.71	9.62	0.43	1.00	0.40	..	..
780502	कृत्रिम अंग, श्रवण सहायता तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण खरीदने हेतु शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अनुदान ..	2.50	..	..	0.23	0.30	0.33	0.33	0.35	..	..
780503	मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिये एक विद्यालय की स्थापना	3.00	..	..	0.77	0.55	0.60	0.80	0.60	..	..

780504	अंधों के लिये दो आश्रित कर्मशालाओं की स्थापना ..	4.50	..	..	0.24	0.26	0.50	0.40	0.50	..	..
780505	अंधों के लिये दो ब्रेल पुस्तकालयों की स्थापना ..	0.50	..	..	0.10	0.08	0.14	0.13	0.15	..	..
780506	राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा तथा बरेली का उन्नयन तथा प्रसार, प्रत्येक में 50 से 100 विद्यार्थियों की वृद्धि ..	2.00	..	..	0.05	0.32	0.50	0.40	0.50	..	..
780507	एक अतिरिक्त अन्ध विद्यालय की स्थापना ..	3.00	..	..	0.53	0.36	0.60	0.70	0.60	..	..
780508	एक अतिरिक्त मूक बधिर विद्यालय की स्थापना ..	2.50	..	..	..	0.31	0.55	0.47	0.60	..	..
780509	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु एक गृह तथा आश्रित कार्यालय की स्थापना ..	3.00	..	..	..	0.44	0.60	0.60	0.60	..	..
780510	राजकीय अन्ध विद्यालय के लिए भवन का निर्माण	3.00	.00	..	..	..	1.00	1.00	1.00	1.00	..
780511	शारीरिक रूप से अक्षम बालकों (मूक, बधिर तथा अन्धों को छोड़कर) के लिए विद्यालय की स्थापना ..	..	..	..	..	..	0.57	0.57	0.70	..	..
	योग, (5) ..	26.50	3.00	..	2.63	3.24	5.82	6.40	6.00	1.00	..

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7.8 समाज कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–70) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक व्यय 1969–70	1970–71	1971–72 स्वीकृति परिव्यय	अनुमानित व्यय	1972–73 (परिव्यय) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(6) स्वेच्छिक संस्थाओं को सहायता—										
780601	स्वेच्छिक संगठनों को विधवा आश्रमों एवं अनाथालयों के संचालनार्थ अनुदान ..	3.40	..	..	0.53	0.14	0.66	0.66	0.66	..	..
780602	मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कल्याण की संस्थाओं को चलाने वाली स्वैच्छिक सगठनों एवं संस्थाओं को अनुदान ..	1.85	..	..	0.41	0.43	0.73	0.73	0.40	..	..
780603	बन्दियों तथा प्रोबेशनर्स के पुनर्वासन के लिये अनुदान ..	0.25	..	..	0.01	..	0.04	0.04	0.05	..	..

780604 बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान ..	1.00	..	..	1.00	..	0.50	0.50	0.50	..	..
780605 शिशुशाला तथा बालबाड़ियों के संचालनार्थ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	..	..	..	..	1.00	1.00	1.00	0.60	..	..
780606 असहाय महिलाओं तथा युद्ध में मारे गये जवानों की विधवाओं को सिलाई मशीन तथा अन्य साज समान के क्रय हेतु अनुदान	..	..	..	..	..	1.00	1.00	1.00	..	..
योग (6) ..	6.50	..	..	1.95	1.57	3.93	3.93	3.21	..	..
(7) प्रशिक्षण, शोध तथा प्रशासन—										
780701 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा मुख्यालय पर आवश्यक कर्मचारी वर्ग के लिये प्राविधान ..	3.00	..	..	0.17	0.18	0.75	0.40	0.40	..	..
780702 अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के लिये प्राविधान ..	2.00	..	..	..	0.25	0.25	0.06	0.25	..	..
योग, (7) ..	5.00	..	..	0.17	0.43	1.00	0.46	0.65	..	..
योग, 7.8 समाज कल्याण ..	100.00	12.00	..	7.71	10.08	22.00	20.79	22.00	2.00	..

शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण

राज्य का तेजी से आर्थिक विकास करने में एक बड़ी रुकावट यह है कि यहां के श्रमिकों में प्राविधिक कौशल का व्यापक रूप से अभाव पाया जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास वस्तुतः उसकी प्राविधिक प्रगति पर आधारित होता है और प्राविधिक प्रगति अपेक्षित योग्यता, प्रशिक्षण और कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। राज्य में बड़े प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध न होने पर भी यदि कुशल श्रमिक वर्ग उपलब्ध हो तो उच्च स्तर पर आर्थिक विकास किया जा सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में धन विनियोजन के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 363.53 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र की परियोजनाओं पर वर्ष 1969–72 के दौरान 136.59 लाख रु० की धनराशि व्यय की जायगी। शेष दो वर्षों में व्यय करने के लिये 226.94 लाख रु० की धनराशि बच जायगी। वर्ष 1972–73 का स्वीकृत परिव्यय 53.93 लाख रु० है। चतुर्थ योजना और उसकी वार्षिक योजनाओं का कार्यक्रम के अनुसार विभाजन नीचे दिया गया है:–

(लाख रुपयों में)

कार्यक्रम	चौथी पंचवर्षीय योजना 1969–74	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 परिव्यय	1971–72 प्रत्याशित व्यय	परिव्यय 1972–73
1—शिल्पकार प्रशिक्षण	291.50	54.83	35.57	63.96	37.55	39.69
2—सेवायोजन सेवायें	21.00	0.22	0.99	4.50	1.73	4.32
3—श्रम कल्याण	51.03	0.54	1.79	11.67	3.37	9.92
योग ..	363.53	55.59	38.35	80.13	42.65	53.93

शिल्पकार प्रशिक्षण—

2—प्राद्योगिकी के आधुनिक तरीके पर उत्पादन करने से राज्य का आर्थिक विकास तेजी से होता है। किन्तु प्राद्योगिकी के आधुनिक तरीके अपनाने के लिये नये शिल्पों और व्यवसायों में प्रशिक्षण और मार्ग-दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किये गये प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य यह है कि लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे न केवल आधुनिक प्राद्योगिक की चुनौती का सामना कर सकें बल्कि अर्थ व्यवस्था के द्वितीय और तृतीय चरणों में रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने के लिये मार्ग भी प्रशस्त कर सकें। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के

लिये 291.50 लाख रु० के परिव्यय का प्राविधान है, जिसमें से वर्ष 1969–72 के दौरान 127.95 लाख रु० व्यय किया गया। वर्ष 1972–73 का स्वीकृत परिव्यय 37.03 लाख है। 4.40 लाख रु० तक की नई योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। विभिन्न शिल्पों एवं व्यवसायों में 10,914 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य है।

केन्द्रीय कार्यकारी दल की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1972-73 से "कर्मचारी राज्य बीमा योजना" के परिव्यय की व्यवस्था "स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन" सेक्टर से हटाकर "शिल्पकार प्रशिक्षण" के अन्तर्गत किया गया है। फिर भी प्रशासकीय नियंत्रण चिकित्सा विभाग द्वारा ही पूर्ववत किया जायगा। इस योजना के लिये वर्ष 1972-73 में 2.66 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

सेवायोजन सेवाओं का प्रसार—

3—राज्य के शिक्षित और अशिक्षित श्रमिकों में बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है। बेरोजगारी की मात्रा और सीमा राज्य के एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग में और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर अनेक प्रकार से भिन्न-भिन्न होती है। कृषि और अन्य असंगठित क्षेत्रों में, अपूर्ण बेकारी और कालिक बेकारी ने विकट समस्यायें पैदा कर दी हैं। इसके अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में पूंजी केन्द्रित प्राविधियां अपनाये जाने के कारण न केवल काम में लगे श्रमिक ही बेकार हो जाते हैं बल्कि नये उम्मीदवारों के लिये भी रोजगार पाने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। सेवायोजन-सेवा योजनाओं का प्रसार बेकार श्रमिकों के लिये व्यवसाय संबंधी उचित मार्ग-दर्शन की व्यवस्था करने तथा मालिकों और रोजगार चाहने वालों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। सेवायोजन सेवाओं के प्रसार के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 21 लाख रु0 के परिव्यय का प्राविधान है। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1969–72 के दौरान इन योजनाओं पर 2.94 लाख रु0 व्यय किये जायेंगे, और योजना के शेष दो वर्षों में व्यय के लिये 18.06 लाख रु0 की धनराशि बच जायगी। वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकृति परिव्यय 4.32 लाख रुपये है। वर्ष 1972–73 में 1.33 लाख रु0 की धनराशि नई परियोजनाओं के लिये तथा चालू आयोजनागत योजनाओं के प्रसार के लिये 0.86 लाख रु0 की धनराशि रखी गयी है।

श्रम कल्याण—

4—राज्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने श्रमिकों के हितों की रक्षा करे, उनके लिये स्वस्थ वातावरण तैयार करे और उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करे। इनमें न्यूनतम वेतन की गारन्टी, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, वृद्धावस्था के लिये सुरक्षा, श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियनों) के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी, चिकित्सा और प्रसूति सम्बन्धी सुविधायें, मनोरन्जन की सुविधायें, काम के विनियमित घन्टे और वैतनिक जबरी छुट्टी इत्यादि की गारन्टी सम्मिलित है। चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये 51.03 लाख रु0 का परिव्यय रक्खा गया है। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1969–72 तक 5.70 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। वर्ष 1972–73 का स्वीकृत परिव्यय 9.92 लाख रुपया है जिसमें से 5.37 लाख रु0 नई योजनाओं के लिये है।

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग—7.9—शिल्पकार प्रशिक्षण एव श्रम कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74			वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1) श्रम कल्याण और कल्याण प्रशासन										
790101	क्षय रोग क्लीनिक्स पुनर्गठन और अतिरिक्त क्षय रोग अस्पतालों के लिये व्यवस्था ..	6.01	2.04	..	..	..	0.10	..	2.45	1.43	..
790102	श्रम कल्याण प्रशासन के श्रेत्रीय एवं मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण ..	2.09	..	..	..	..	0.18	0.07	0.14	..	..
790103	श्रम कल्याण केंद्र में परिवार नियोजन कक्ष की स्थापना ..	0.52	0.32	..	..	..	3.97	..	..	..	..
	योग ..	8.62	2.36	0.01	..	..	4.25	0.07	2.59	1.43	..

श्रम कानून को लागू करना

790104 समझौता कार्य प्रणाली का विकेंद्रीकरण एवं प्रसार ..	7.80	..	..	0.22	0.16	1.20	0.37	0.71	..	..
790105 कारखाना निरीक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ..	8.99	..	..	0.03	0.16	2.37	0.96	0.98	..	..
790106 न्यूनतम वेतन ऐक्ट एवं बोनस ऐक्ट को सुचारु रूप से लागू करने के कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	0.04	1.08	1.28	1.18	3.51	..	..
योग ..	34.86	..	..	0.29	1.40	5.55	2.51	5.20	..	..
अन्य योजनाएं--										
790107 सेवा अनुभाग का प्रसार एवं पुनर्गठन ..	5.03	..	..	0.06	0.06	0.52	0.30	0.41	..	..
790108 मुख्यालय एवं क्षेत्र के सांख्यिकी अनुभागों का सुदृढ़ीकरण ..	5.02	..	..	0.09	0.26	0.42	0.42	0.57	..	..
790109 विभागीय पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें एवं समाचार-पत्रों को खरीदने के लिये व्यवस्था ..	0.50	..	..	0.10	0.07	0.10	0.07	0.10	..	..
790110 व्यावसायिक संघों की राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर बैठक व सम्मेलन	..	..	..	..	..	0.10	..	..	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग–7.9—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790111	व्यावसायिक संघ के कर्मचारियों का शैक्षिक भ्रमण ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
790112	श्रम आयुक्त कार्यालय के लेखा विभाग का सुदृढ़ीकरण ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
790113	10 अतिरिक्त श्रम कल्याण केन्द्रों का खोला जाना ..	..	..	..	..	..	0.63	..	1.05	..	..
	योग ..	7.55	..	..	0.25	0.39	1.87	0.79	2.13	..	..
	योग 1—श्रम कल्याण ..	51.03	2.36	..	0.54	1.79	11.67	3.37	9.92	1.43	..

	(2) जन शक्ति एवं सेवायोजन										
790201	सेवायोजन सेवा का विस्तार ..	8.20	..	..	0.16	0.78	1.34	0.62	1.41	..	.
790202	सेवायोजन बाजार सूचना का संग्रह किया जाना ..	0.75	..	..	..	..	0.15	..	..	..	..
790203	व्यावसायिक प्रदर्शन योजना ..	4.10	..	..	0.05	0.08	0.67	0.38	0.41	..	..
790204	निदेशालय के सेवायोजन भाग का सुदृढ़ीकरण ..	1.60	..	..	0.01	0.10	0.29	0.14	0.74	..	..
790205	सेवायोजन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण ..	6.35	..	..	..	0.03	2.05	0.59	1.76	..	..
	योग (2) ..	21.00	..	..	0.22	0.99	4.50	1.73	4.32	..	..
	(3) शिल्पकार प्रशिक्षण										
790301	शिल्पकार प्रशिक्षण ..	255.50	175.00	..	54.57	29.57	33.97	16.25	9.06	5.81	..
790302	शिल्पकार प्रशिक्षण का केंद्रीयकरण	39.00	..	..	0.25	1.25	18.17	16.07	22.05	..	..
790303	अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण ..	26.00	..	..	0.01	1.73	8.52	5.23	5.92	..	..
790304	औद्योगिक कार्यकर्ता के लिये अल्पकालीन कक्षाओं की व्यवस्था ..	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	.
790305	काशीपुर तथा चन्दौसी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का खोला जाना	..	..	..	..	3.02	3.30	..	..	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग–7.9––शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण—(समाप्त)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790 306	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेक्टर से स्थानान्तरित					..	..	2.66	..	..
	योग (3) ..	291.50	175.00	..	54.83	35.57	63.96	37.55	39.69	5.81	..
	योग 7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण ..	363.53	177.36	..	55.59	38.35	80.13	42.65	53.93	5.81	..

तकनीकी तथा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार

नियोजन विभाग ने विभिन्न विभागों के सहयोग से एक प्रायोजना तकनीकी तथा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये 56.88 करोड़ रु० की बनाई है जिसके कार्यान्वयन से लगभग 70 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। रोजगार पाने वाले व्यक्तियों में 779 अभियांत्रिक स्नातक, 3063 अभियांत्रिक उपाधिकारी, 3621 कृषि स्नातक, 229 पशु चिकित्सा स्नातक, 55,600 प्राइमरी स्कूल अध्यापक, 447 विद्यालय अवर उप-निरीक्षक, 2002 लिपिक तथा 1005 अन्य तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त 3350 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिलेगा। यह प्रायोजना भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। वैसे राज्य सरकार ने इस प्रायोजना में सम्मिलित विभिन्न विभागों की योजनाओं के महत्व को देखते हुए स्वीकृति पूर्व कार्यवाही (एन्टीसिपेट्री-एक्शन) के रूप में वर्ष 1972–73 के आय-व्ययक में कुल 499.51 लाख रु० का प्राविधान कराया है। इसमें जिन विभागों की योजनायें सम्मिलित हैं उनके लिये आय-व्ययक में किये गये प्राविधान निम्न प्रकार हैं :—

विभाग का नाम	आय-व्ययक में प्राविधान (लाख रु० में)
1—कृषि अभियंत्रण विभाग	77.75
2—सिंचाई विभाग	47.90
3—विद्युत् विभाग	28.04
4—सार्वजनिक निर्माण विभाग	72.25
5—स्वायत्त शासन विभाग	34.65
6—पशुपालन विभाग	7.46
7—शिक्षा विभाग	231.46
योग ..	499.51

2—राज्य सरकार के आय-व्ययक में लगभग 5 करोड़ रु० की उपरोक्त विभागों की योजनायें इस आशय पर शामिल की गयी थीं कि उनके लिये इतनी ही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो सकेगी। योजना आयोग के पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1972 द्वारा यह सूचना मिली है कि वर्ष 1972–73 के लिये केन्द्रीय सरकार 432 लाख रुपये की सहायता देगी। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार की मिलाकर कुल परिव्यय अब 864 लाख रुपये होगा। योजना आयोग ने नये सिरे से प्रस्ताव मांगे हैं। विभिन्न विभागों से परामर्श कर पुनरीक्षित योजना शीघ्र योजना आयोग की स्वीकृत के लिये भेजी जावेगी।

मद 7—समाज सेवायें

7.11 तकनीकी व्यक्तियो को रोजगार

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711101	तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजना—	50.00	..	..	..	10.00	13.00	13.00	13.00	12.75	..
	<u>नई स्कीम—</u>										
	तकनीकी तथा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की विशिष्ट प्रायोजना ..	..	..	..	..	..	..	..	470.00	..	..
	योग ..	50.00	..	..	..	10.00	13.00	13.00	483.00	12.75	..

(22)

सूचना एवं प्रसार

इस क्षेत्र के अधीन चालू परियोजनायें योजनागत कार्यक्रमों के समर्थन में आवश्यक प्रचार करने के लिए तैयार की गयी है ताकि उनके कार्यान्वयन के लिये जनता का सहयोग सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सूचना विभाग प्रचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है। चूंकि अधिकांश जिलों में जिला स्तर पर प्रचार व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, इसलिए इन परियोजनाओं को सीधे राज्य मुख्यालय से कार्यान्वित किया जाता है। इन परियोजनाओं में प्रकाशन मिला (चलचित्र) निर्माण, किसान मेले और प्रदर्शनियां, विज्ञापन अभियान तथा सामुदायिक श्रवण परियोजनाओं सम्मिलित हैं।

2—चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 12.52 लाख रुपये वर्ष 1971–72 के अन्त तक व्यय किया जा चुका है। वर्ष 1972–73 के लिए 4.00 लाख रुपये के परिव्यय को स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1971–72 के दौरान राज्य के पांच पर्वतीय जिलों पर 0.16 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई जब कि इन्हीं सम्भागों के हेतु वर्ष 1972–73 के लिये 0.23 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1972–73 के दौरान सभी वर्तमान परियोजनाओं को चालू रखा गया है। वर्ष 1972–73 के दौरान कोई भी नई परियोजना प्रारम्भ नहीं की जायगी।

मद 8—विविध

वर्ग—8.2—सूचना तथा प्रसार

संकेत संख्या	परियोजना		चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
			कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2		3	4	5
820101	प्रकाशन ..	..	5.00	..	..
820102	फिल्म एवं फोटोग्राफी	..	5.60	..	..
820103	किसान मेले तथा प्रदर्शनियां	..	5.10	..	..
820104	भाषायी समाचार पत्रों एवं विशेषज्ञों के लिए विज्ञापन	..	1.80	..	..
820105	सामुदायिक श्रवण योजना	..	2.50	..	..
820106	टेलीविजन द्वारा प्रसार	..	..	..	..
नियोजन विभाग					
820201	जिला योजनाओं का प्रकाशन	..	..	..	..
	योग 8.2. सूचना तथा प्रसार	..	20.00	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
1.70	1.40	1.65	1.65	1.34	..	..
1.09	0.97	1.00	1.00	1.00	..	..
0.20	0.28	0.32	0.32	0.40	..	..
..	0.32	0.16	0.16	0.23	..	..
..	0.03	0.03	0.03	0.03	..	..
0.05	..	..	..	..	..	..
4.36	4.00	4.16	4.16	4.00	..	..

(23)

अन्य कार्यक्रम

(1) सांख्यिकी

राज्य के नियोजित विकास के लिए विभिन्न सामाजिक –आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में विश्वसनीय और नवीनतम आंकड़ों का उपलब्ध होना तथा उनका समय से विधायन (Processing) व्याख्या और सही विश्लेषण करना अवश्यक है। राज्य के विभिन्न सम्भागों में भावी नियोजन तथा उनमें परस्पर संतुलित विकास की व्यवस्था करने हेतु आंकड़ों की बहुधा आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान सांख्यिकी की योजनागत परियोजनाओं के लिए 20.30 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया था। तदनुसार, खेती के तरीकों, व्यापार, परिवहन, निर्माण, सेवा योजन, उपभोक्ता व्यय, जिला स्तर पर आय का अनुमान शासकीय सांख्यिकी में सुधार तथा उसका प्रसार, निवास और भवन सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह तथा उत्तराखण्ड प्रभाग से आंकड़े एकत्र करने से सम्बन्धित परियोजनाओं को राज्य की चौथी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

2—3.27 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में वर्ष 1971–72 में 3.27 लाख रुपये व्यय किया गया। योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात् 1969–72 के दौरान इन परियोजनाओं पर 6.27 लाख रुपया का व्यय किया गया। वर्ष 1972–73 के लिये 3.24 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

3—इस परियोजना के अतिरिक्त जो कि पहले से चालू है, वर्ष 1972–73 में यांत्रिक सारिणीकरण अनुभाग (मेकेनिकल टेबुलेशन सेक्शन) का विस्तार भी किया जायेगा।

4—राज्य की योजनागत परियोजनाओं के अतिरिक्त चौथी योजना के प्रारम्भ से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित परियोजना भी चल रही है जो लघु उद्योगों के संकलन की आधार योजना कहलाती है। इस सम्बन्ध में योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 1.32 लाख रुपये का व्यय हुआ था। वर्ष 1971–72 के लिये प्रत्याशित व्यय 1.50 लाख रुपया है। वर्ष 1972–73 के लिये 1.12 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(2) मूल्यांकन

विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये वर्ष 1965–66 के दौरान उत्तर प्रदेश में एक मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया था। चौथी योजना के लिये 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

2—वर्ष 1969–70 के लिये 0.77 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और 0.34 लाख रुपये व्यय हुआ था। वर्ष के दौरान आठ अध्ययन कार्य पूरे किये गये।

3—वर्ष 1970–71 के लिये 0.70 लाख रुपये का परिव्यय प्रदिष्ट किया गया था। इसके समक्ष 0.41 लाख रुपये व्यय किया गया। पन्द्रह अध्ययन कार्य पूरे किये गये।

4—वर्ष 1971–72 के लिये 0.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इसके समक्ष 0.44 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। मूल्यांकन के लिये चुनी गई 22 परियोजनाओं में से वर्ष के दौरान 18 अध्ययन कार्य पूरे किये गये। वर्ष 1971–72 के अन्त तक चौथी योजना के लिये निर्दिष्ट परिव्यय का 41 प्रतिशत उपयोग हो गया।

5—वर्ष 1972–73 के लिये 0.75 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। राज्य मूल्यांकन परामर्शदात्री परिषद ने यह निर्णय लिया है कि महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन भी शुरू किया जाना चाहिये। इसके लिये योजना में 0.25 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

6—वर्ष 1971–72 की शेष 4 परियोजनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन कार्य 1972–73 में पूरा किया जायगा। इसके अलावा राज्य मूल्यांकन परामर्शदात्री परिषद द्वारा मूल्यांकन अध्ययन के लिये नई परियोजनाओं का चुनाव कर लिय जान पर तत्सम्बन्धी कार्य भी शुरू किया जायेगा।

(3) शोध सम्बन्धी कार्य कलाप—विकास अन्वेषणालय

1—शोध संबंधी कार्यकलाप कार्यक्रम 1954 में आरम्भ किया गया था और तब से कृषि भूमि संरक्षण, ग्रामीण, युवक प्रशिक्षण, ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने, ग्रामीण उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया गया कार्यकारी अभिकरणों के लाभार्थ समस्याओं का पता लगाया गया तथा उनके हल निकाले गये। चौथी योजना के लिये 20.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। पहले वर्ष (1969–70) के दौरान 4.50 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था परन्तु केवल 0.95 लाख रु0 की धनराशि का उपयोग किया जा सका। वर्ष 1970–71 के दौरान 4.50 लाख का परिव्यय सम्मिलित किया गया था लेकिन वर्ष में केवल 0.91 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा सका। वर्ष 1971–72 के लिये 3.00 लाख रुपये की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये "एकीकृत आधारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" को जारी रखने के वास्ते रखी गई 0.46 लाख रु0 की धनराशि सम्मिलित है। आशा है कि वर्ष के दौरान 1.43 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो जायेगी। वर्ष 1971–72 में पर्वतीय क्षेत्रों में छिड़काव और नलिकाओं द्वारा सिंचाई साधनों को अपनाने हेतु प्रयोग किये गये। भूमिहीन मजदूरों को दुग्ध व्यवसाय के और मिट्टी की वस्तुयें आदि बनाने के जीवनक्षम इकाइयों को अपने हाथ में लेने के हेतु सुअवसर प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करने का जोर दिया गया। मुख्य मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार रहे छोटे पैमाने पर सीमेंट उत्पादन की प्रायोजना, मिट्टी के बर्तनों को प्रायोजना, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य· महिला कार्यक्रम, ग्रामीण शौचालयों का प्रसार, नलों द्वारा जल की सम्पूर्ति और छोटे पैमाने पर चीनी बनाना। इस वर्ष के दौरान लघु औद्योगिक इकाईयों के लिये लघु रूप के नमूने तैयार करने के हेतु एक नमूना तथा निर्माण सेल, एक प्रबन्धक अनुभाग और एक लघु सिंचाई अनुभाग की स्थापना की गई है।

2—वर्ष 1972–73 के लिये 7.45 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमे 0.53 लाख रु० की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये "एकीकृत आधारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" की स्कीम के हेतु सम्मिलित है। चालू प्रायोजनाओं को वर्ष 1972–73 के दौरान भी चालू रखी जायगी। कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना तथा उनका विस्तार करने, बगास से कार्ड बोर्ड बनाने, बुन्देलखंड संभाग में छोटी दुग्धशाला की इकाइयों की स्थापना करने तथा फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में बांस की वस्तुओं के निर्माण की नई प्रायोजनायें भी इस वर्ष के दौरान चालू करने का लक्ष्य है।

(4) ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम

ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना के प्रारम्भ में हो रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था है । चौथी योजना में इस कार्यक्रम के लिये 247.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

2--पहले दो वर्षों अर्थात् 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमशः 89.50 लाख रु० और 100.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसकी तुलना में (50.78+53.82) = 104.60 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया जा सका । 1971-72 में 89.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें से केवल 60.00 लाख रु० व्यय हो जाने की आशा है । 1972-73 के लिये 38.00 लाख रु० के परिव्यय का निर्धारण किया गया है।

3--उन निर्माण कार्यों के ब्योरे जो 1970-71 तक पूरे हो चुके हैं, जिनकी 1971-72 के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है तथा जिनको 1972-73 में पूरा करने का प्रस्ताव है, नीचे दिये गये हैं:--

मद	इकाई	1969-70 उपलब्धि	1970-71 उपलब्धि	1971-72 लक्ष्य	1971-72 अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य 1972-73
1	2	3	4	5	6	7
1--छोटी ग्रामीण सड़कें ..	कि०मी०	73	74	400	400	216
2--गांव बंधिया ..	"	..	..	..	..	37
3--सिंचाई तथा मत्स्य पालन के लिये तालाब ..	सं०	..	..	..	..	150

(5) उत्तर प्रदेश में नियोजन संगठन का पुनर्गठन और नियोजन संस्थान की स्थापना

राज्य में आयोजना के कार्य में दक्षता लाने के उद्देश्य से वर्तमान नियोजन संगठन को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है । 1971-72 से एक नियोजन संस्थान स्थापित किया जायगा । इस संस्थान में निम्नलिखित 6-प्रभाग होंगे:--

1--अर्थ और संख्या प्रभाग,

2--प्रभावी नियोजन प्रभाग,

3--संभागीय नियोजन प्रभाग ,

4--नियोजन, क्रिया एवं अनुशीलन संस्थान

5--जन शक्ति नियोजन प्रभाग,

6--मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रभाग,

2--वर्ष 1971-72 के आयव्ययक में 2.38 लाख रु० की व्यवस्था की गई है । अभी तक कोई व्यय नहीं किया जा सका है क्योंकि इस प्रस्ताव पर स्वीकृत अभी जारी की जानी है ।

इसलिये वर्ष 1971–72 के दौरान 1.25 लाख रु० से अधिक धनराशि उपयोग करना सम्भव न होगा। 1972–73 के दौरान कार्य की प्रगति और तत्संबंधी व्यय में वृद्धि होगी और फलस्वरूप इस वर्ष के लिये 8.62 लाख रु० की धनराशि व्यय की जायगी। इसमें 3.50 लाख रु0 की धनराशि नियोजन संस्थान के लिये एक इमारत का निर्माण करने के निमित्त भूमि की खरीद के लिये है क्योंकि इस समय इस संस्थान की विभिन्न इकाइयां किराये की जीर्णशीर्ण इमारतों में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

(6) दाशमिक तौल तथा माप

इस परियोजना के लिये चौथी योजना में 8.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1969–72 के अन्त तक 2.95 लाख रुपये का व्यय किया गया। शेष दो वर्षों के लिये 5.05 लाख रुपये की धनराशि बच जायगी। तहसील मुख्यालयों में प्रयोगशालायें खोलने के हेतु 1972–73 के लिये 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत है। वर्ष 1972–73 के स्वीकृत परिव्यय में कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली तौल तथा माप सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये 0.03 लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है।

मद—8. विविध

वर्ग 8.1 सांख्यिकी

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74		
		योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
810101	खेती उत्पादन, व्यापार, यातायात, कैपिटल फारमेशन, सेवा योजन, उपभोक्ता व्यय का क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण	7.00	..	..
810102	जिला स्तर पर आय का अनुमान करना ..	2.50	..	..
810103	जिला सांख्यिकी अभिकरण का सुदृढ़ीकरण ..	1.50	..	..
810104	सांख्यिकी आंकड़ों का सुधार ..	1.32	..	..
810105	निदेशालय के लिए एक जीप की व्यवस्था	0.67	..	..
810106	आवास कक्ष की स्थापना ..	1.31	..	..
810107	जिला सांख्यिकी पुस्तक को तैयार करना	1.00	..	..
810108	उत्तराखन्ड मंडल क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करना	3.00	..	..
810109	स्थानीय निकाय की सांख्यिकी मैनुअल को तैयार करना ..	2.00	..	..
810110	यांत्रिक सारणीकरण कक्ष का सुदृढ़ीकरण	..	..	..
	योग 8.1—सांख्यिकी ..	20.30	..	..

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.06	0.96	1.26	1.26	1.35	..	..
0.04	0.32	0.66	0.66	0.66	..	..
0.09	0.34	0.41	0.41	0.44	..	..
0.09	0.28	0.27	0.27	0.30	..	..
0.31	0.04	0.08	0.08	0.08	..	..
0.11	0.34	0.24	0.24	0.25	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.02	0.15	0.15	0.16	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	0.20	0.20	..	..	..
0.70	2.30	3.27	3.27	3.24	..	..

मद—8. विविध

वर्ग—8.5. मूल्यांकन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
850101	मूल्यांकन संगठन	3.00	–	–

(लाख रुपयों में)

वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73 परिव्यय		
1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12
0.34	0.41	0.50	0.44	0.75	..	..

मद–8–विविध

वर्ग–8.6 अन्य—

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73 परिव्यय		
		कुल	पूंजी/विदेशी मुद्रा		1969-70	1970-71	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विकास अन्वेषणालय											
860101	शोध कार्यक्रम ..	20.00	..	..	0.85	0.72	3.00	1.97	6.92	..	..
860102	ग्रामीण क्षेत्र के लिये एकीकृत मूल्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम ..	..	..	..	0.10	0.19	..	0.46	0.53	..	..
	योग ..	20.00	..	..	0.95	0.91	3.00	2.43	7.45	..	..
	नियोजन विभाग										
860103	उत्तर प्रदेश में प्लानिंग मशीनरी का पुनर्गठन तथा नियोजन संस्थान की स्थापना ..	..	..	..	..	..	2.38	0.50	8.62	3.50	..

	सामुदायिक विकास विभाग										
860201	ग्रामीण जन शक्ति योजना ..	247.00	..	..	50.78	53.82	89.00	60.00	38.00	..	..
860301	बांट तथा मांप प्रणाली ——										
	(1) खाद्य तथा रसद विभाग ..	8.00	..	..	1.00	..	2.00	1.95	2.97	..	..
	(2) कृषि विभाग ..	..	..	..	..	..	0.15	0.15	0.03	..	..
	शिक्षा विभाग										
860401	शिशु एवं युवक कल्याण ..	50.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
860501	अन्य ..	18.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग 8.6—अन्य ..	343.00	..	..	52.73	54.73	96.53	65.03	57.07	3.50	..

पिछड़े क्षेत्रों तथा समुदायों के कार्यक्रम

1—पिछड़े क्षेत्र

उत्तर प्रदेश को पांच आर्थिक सम्भागों में ऐसे मिले हुए जिलों का वर्गीकरण करके विभाजित किया गया है जिनकी फसल उत्पादन रीति (क्रापिंग पैटर्न), जनसंख्या का घनत्व और कृषि जलवायु सम्बन्धी बातें समान हैं। ये सम्भाग निम्नलिखित हैं:—

(1) पूर्वी सम्भाग;
(2) बुन्देलखण्ड सम्भाग;
(3) पर्वतीय सम्भाग;
(4) केन्द्रीय सम्भाग;
(5) पश्चिमी सम्भाग।

2—इन पांचों सम्भागों में से पूर्वी, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय सम्भाग कम उत्पादिता, जनसंख्या का घनत्व, भू-स्थिति (terrain), अपर्याप्त अवस्थापना (infrastructure) तथा बाढ़ और सूखे के बार-बार प्रकोप होने आदि जैसे तथ्यों के कारण अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हुए माने गए हैं। पूर्वी सम्भाग में 15 पूर्वी जिले, बुन्देलखण्ड में झांसी मण्डल के 4 जिले और पर्वतीय सम्भाग में 8 जिले (उत्तराखण्ड के 3 जिले तथा 5 अन्य पर्वतीय जिले) सम्मिलित हैं। इन 27 जिलों की जिन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है, कुल जन-संख्या 4.13 करोड़ है। यह जन-संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण राज्य की जन-संख्या का 46.7 प्रतिशत है।

3—पूर्वी सम्भाग की जन-संख्या* और क्षेत्रफल क्रमशः 3.32 करोड़ और 0.86 लाख वर्ग कि० मी० है जो कि राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल का क्रमशः 37.5 प्रतिशत और 29.1 प्रतिशत है। इस सम्भाग की विशेषता यह है कि यहां जन-संख्या अधिक घनी है और बार-बार बाढ़ के आने तथा समय-समय पर अभाव की दशायें उत्पन्न होने से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहने वाले यहां के लोगों की हालत बड़ी अनिश्चित हो जाती है। कृषि जोतें छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हैं और बिखरी हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार की यहां कमी है। अपूर्ण रोजगार (अण्डर इम्प्लायमेंट) व्याप्त है और रहन-सहन का स्तर काफी निम्न है। इस सम्भाग की जनसंख्या का घनत्व 387* प्रति वर्ग कि० मी० है जब कि इसकी तुलना में सम्पूर्ण राज्य की जनसंख्या का घनत्व 300 है। 1971 की जनगणना के अनुसार 79.3 प्रतिशत कर्मकर (वर्कर) कृषि में लगे हुए हैं जबकि इसकी तुलना में राज्य का औसत 75.3 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि कृषि पर अधिक लोग निर्भर हैं। जोतों का औसत आकार बहुत छोटा है। लगभग आधे (49.1 प्रतिशत) परिवारों के पास 2.5 एकड़ (1.01 हेक्टेयर) से कम की जोत हैं। 7.5 एकड़ (3.04 हेक्टेयर) अथवा उससे अधिक की जोतें कुल परिवारों के केवल 12.9 प्रतिशत के ही पास हैं। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धिता भी अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 1967-68 में सम्पूर्ण राज्य में प्रति कृषि कर्मकर कृषि योग्य भूमि 0.83 हेक्टेयर थी जबकि पूर्वी सम्भाग में केवल 0.59 हेक्टेयर थी।

---

*1971 की जनगणना के अनुसार।

4—सम्भाग को लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप फसलों, सम्पत्ति और सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं की भारी हानि उठानी पड़ती है। इस क्षेत्र में सूखा भी पड़ता रहता है। वर्ष के दौरान वर्षा भी सभी स्थानों में समान रूप से नहीं होती। मानसून का ठीक समय पर न आने, थोड़ी अवधि तक घोर वर्षा होने, उसके बाद अधिक समय तक सूखा पड़ने आदि के फलस्वरूप पानी जमा होना (waterlogging) बाढ़ आने और सूखा पड़ने, ये सभी स्थितियां एक ही ऋतु में उत्पन्न हो जाती हैं।

5—इस सम्भाग में बहुत सी नदियां, जल धारायें, नाले और जल निकास नालियां फैली हुई हैं जिनके कारण संचार व्यवस्था बहुत कठिन हो जाती है।

6—इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। रजिस्टर्ड कारखानों में 1967 में काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या प्रति लाख जन संख्या पर 196 थी, जब कि इसकी तुलना में राज्य का औसत 377 था।

7—यह सम्भाग शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य के औसत से बहुत पीछे है। 1971 की जनगणना के अनुसार इस सम्भाग का साक्षरता सम्बन्धी प्रतिशत 19.4 है जबकि राज्य का तदनुरूप प्रतिशत 21.6 है।

8—यद्यपि इस सम्भाग के अधिकांश जिलों में पेय-जल के पर्याप्त साधन हैं तथापि मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद जिलों के कुछ भागों में पेयजल की कमी है। वर्ष 1970 में अर्थ और संख्या निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मिर्जापुर के आबादी वाले गांवों में 20 प्रतिशत से कुछ ही कम गांव में या तो पेयजल की सुविधायें हैं ही नहीं अथवा अपर्याप्त हैं। इलाहाबाद की चकिया और करछना तहसीलों में ऐसे गांवों का प्रतिशत, जिनमें पेयजल की व्यवस्था अपर्याप्त अथवा कठिन थी, क्रमशः 22 और 9 था।

9—पर्वतीय सम्भाग उन तीन सम्भागों में से है, जिसे राज्य में पिछड़ा हुआ माना जाता है। सीमान्त क्षेत्र होने के कारण इसका विशेष महत्व है। इस सम्भाग की जनसंख्या और क्षेत्रफल क्रमशः 38.08 लाख और 51,100 वर्ग कि० मी० है जो कि राज्य की जन-संख्या और क्षेत्रफल का क्रमशः 4.3 और 17.4 प्रतिशत है। इस सम्भाग की भौगोलिक विशेषतायें हैं और परिणामस्वरूप इसकी खास समस्यायें हैं। यहां की जन-संख्या बिखरी हुई है। जन-संख्या का घनत्व प्रतिवर्ग कि० मी० 74 है, जो कि राज्य के अन्य सम्भागों की तुलना में सबसे कम है। इस सम्भाग में भी जनता की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। 1971 की जनगणना के अनुसार 75.8 प्रतिशत मजदूर कृषि में लगे हुए हैं। यहां खेती करना कठिन है और खेती घाटियों और पहाड़ियों की ढालों पर ही सम्भव है। ज्यादातर यहां छोटी ही जोतें हैं क्योंकि खेती के लिए उपलब्ध भूमि सीमित है। वर्ष 1967-68 में प्रति कृषि कर्मकर कृषि योग्य भूमि इस सम्भाग में केवल 0.68 हेक्टेयर थी, जब कि सम्पूर्ण राज्य में यह 0.83 हेक्टेयर थी।

10—पर्वतीय सम्भाग वन संसाधनों में समृद्ध है। यहां खनिज पदार्थ सम्बन्धी संसाधन भी बहुत पाये जाते हैं। फिर भी सम्भाग का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि रजिस्टर्ड कारखानों में 1968 के दौरान दैनिक रोजगार का औसत राज्य का केवल 2.3 प्रतिशत था और प्रति लाख जन-संख्या में कर्मकरों की संख्या 176 थी, जब कि राज्य औसत 377 था।

11—पहाड़ी भू-प्रदेश होने के साथ-साथ संचार साधन भी बहुत कम होने से इस सम्भाग के विकास में बाधा पड़ रही है। यहां देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार और काठगोदाम केवल 4 रेलशीष (rail heads) हैं जो उक्त सम्भाग के अधिकांश क्षेत्रों से काफी दूर पर स्थित

हैं। परिवहन अनिवार्यतः सड़क से ही होता है। परिवहन सम्बन्धी व्यय बहुत अधिक है। इसके कारण सम्भाग की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

12—बुन्देलखण्ड सम्भाग की जन-संख्या और क्षेत्रफल क्रमशः 42.91 लाख और 29,459 वर्ग कि० मी० है, जो राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल का क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। इस सम्भाग की आबादी बिखरी हुई है। इसका घनत्व प्रतिवर्ग कि० मी० 146 है, जब कि इसकी तुलना में राज्य का औसत 300 है। कृषि यहां की जनता की जीविका का प्रमुख साधन है और 1971 की जनगणना के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत मजदूर कृषि में लगे हुए हैं। प्रति कृषि कर्मकर कृषि योग्य भूमि अपेक्षाकृत अधिक है जो कि सम्पूर्ण राज्य के 0.83 हेक्टेयर की तुलना में 1.85 हेक्टर है। इस सम्भाग में जोतों का आकार राज्य की औसत की अपेक्षा अधिक बड़ा है लेकिन पैदावार कम है।

13—इस सम्भाग की कतिपय विशेष समस्यायें हैं जैसे भूमि की कम उर्वरता, सड़कों की अत्यधिक कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए साधनों का ठीक न होना, बड़े-बड़े क्षेत्रों में पेयजल की अत्यधिक कमी, कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत बहुत बड़े क्षेत्र का होना, सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की कमी तथा नगण्य औद्योगिक विकास। 1968-69 में वास्त-विक सिंचित क्षेत्र, बोये गये वास्तविक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में 20.2 था जब कि इसकी तुलना में सम्पूर्ण राज्य का प्रतिशत 37.7 था। सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की कमी से सघन खेती में बाधा पहुंची है जिसके फलस्वरूप 1967-68 में केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र दोहरी फसल के अन्तर्गत लाया जा सका, जब कि राज्य का यह प्रतिशत 30 था। इस समय सम्भाग में बड़े-बड़े भूखण्ड कृषि योग्य होते हुए भी बेकार पड़े हैं। 1968-69 में कृषि योग्य बेकार भूमि बोये गये वास्तविक क्षेत्र का 21.6 प्रतिशत थी।

14—इस सम्भाग का औद्योगिक विकास भी बहुत कम हुआ है। 1968 में इस सम्भाग के रजिस्टर्ड कारखानों में औसत दैनिक रोजगार राज्य के कुल प्रतिशत का केवल 1.8 प्रतिशत था। रजिस्टर्ड कारखानों में लगे कर्मकरों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 141 थी, जब कि इसकी तुलना में राज्य का औसत 377 था। इस सम्भाग में लघु उद्योगों का विकास भी अपर्याप्त है। राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा 1970 में नगरीय क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली लगभग 17,000 लघु औद्योगिक यूनिटों में से केवल 2 प्रतिशत इस सम्भाग में स्थापित की गई हैं।

15—अवस्थापना (infrastructure) का अभाव इस सम्भाग के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक विकास के लिए बिजली, सड़कें और सिंचाई अवस्थापना के आवश्यक अंग हैं। इस सम्भाग में ग्रामीण विद्युत् सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव का अन्दाजा यहां के थोड़े से विद्युतीकृत गांवों को देखकर लगाया जा सकता है जोकि गांवों की कुल संख्या का केवल 9.5 प्रतिशत हैं, जब कि राज्य का प्रतिशत 18.4 है। यहां संचार साधन बहुत कम हैं जिसके कारण बाजारों और रेल शीर्षों से आन्तरिक क्षेत्र सम्बद्ध नहीं हो पाते हैं। 31 मार्च, 1969 तक पक्की सड़कों की लम्बाई 2,194 कि० मी० थी, जो इस सम्भाग के लिए "बम्बई योजना" के अन्तर्गत निर्धारित कुल सड़क लम्बाई का केवल 54.6 प्रतिशत थी जबकि उसी अवधि में राज्य की उपलब्धि (उत्तराखण्ड को छोड़कर) 62.2 प्रतिशत थी।

16—इस सम्भाग में पेयजल सुविधाओं का बराबर अभाव रहा है। 1970 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस सम्भाग के लगभग 12 प्रतिशत बसे हुये गांवों में या तो पेयजल सम्बन्धी सुविधायें थीं ही नहीं अथवा बहुत अपर्याप्त थीं।

17—राज्य सरकार पिछड़े हुए सम्भागों की अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। तीसरी योजना के दौरान इन क्षेत्रों के विकास-कार्यों पर पहले की योजनाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया गया। इन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं पर तीसरी योजना तथा तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान किया गया व्यय 391.40 करोड़ रु० था। इन क्षेत्रों के लिये परिव्यय अनुपाततः अधिक निर्धारित किये गये थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि 52.5 प्रतिशत व्यय ऐसे क्षेत्र में किया गया था जिसकी जनसंख्या 46.7 प्रतिशत थी। राज्य के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के सामरिक महत्व तथा वहां की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड का एक पृथक् प्रभाग 1960 में कायम किया गया और विकास सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये जिनका कार्यान्वयन अब भी किया जा रहा है। पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी है जिसका कार्य पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें बनाना तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करना है। इन तीन पिछड़े सम्भागों के लिये एक-एक विकास निगम की स्थापना की गई है जो कि संस्थागत वित्त को जुटायेंगे और इन क्षेत्रों के लाभ के लिये व्यावसायिक रूप से सक्षम प्रायोजनाओं को शुरू करेंगे। आशा है ये निगम इन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सहायक सिद्ध होंगे।

18—पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964-65 में गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर के चार जिलों में एक त्वरित विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। बाद में 1966-67 में बलिया और बस्ती के जिले भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिये गये। भारत सरकार ने केवल एक वर्ष अर्थात् 1964-65 में 4 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता दी थी। इसके बाद इन कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं की गयी। फिर भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के भीतर जो भी संभव था किया और इन जिलों में विशेष रूप से प्राथमिकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये धनराशियों की व्यवस्था थी।

19—राज्य की चौथी योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पिछड़े हुये तथा अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों के बीच सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक अवस्थापना की असमानता को कम करना है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये चौथी योजना के दौरान इन क्षेत्रों के लिये अनुपाततः अधिक परिव्ययों का प्राविधान किया गया है। पर्वतीय, पूर्वी, तथा बुन्देलखण्ड सम्भागों के लिये 1972-73 की योजना में क्रमशः 19.13 करोड़ रु० 71.67 करोड़ रु० तथा 11.68 करोड़ रु० के परिव्ययों का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों के लिये 102.48 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई। विकास शीर्षकों द्वारा परिव्ययों का विभाजन नीचे दिया जाता है:—

(लाख रुपयों में)

	विकास शीर्षक	सम्भाग		
		पर्वतीय	पूर्वी	बुन्देलखण्ड
1	कृषि कार्यक्रम	367.33	1478.01	253.53
2	सम्वर्गी कार्यक्रम	172.00	133.07	35.35
3	सहकारिता तथा सामुदायिक विकास ..	40.55	212.74	31.57
4	सिंचाई तथा विद्युत् ..	485.32	4095.70	426.10
5	उद्योग एवं खनिकर्म	35.31	66.17	14.74

विकास शीर्षक			सम्भाग		
			पर्वतीय	पूर्वी	बुन्देलखंड
6	परिवहन तथा संचार साधन	..	450.95	248.32	142.00
7	समाज सेवायें ..	..	360.79	896.58	263.59
8	विविध ..	..	1.09	36.56	1.13
	योग	..	1,913.34	7167.15	1168.01

20--पिछड़े क्षेत्रों के लिये जो परिव्यय उपर्युक्त तालिका में दिये गये हैं उनमें उन परियोजनाओं के परिव्यय सम्मिलित नहीं हैं जो बहुसम्भागीय हैं और फलस्वरूप इन परियोजनाओं का सम्भागीय विभाजन सम्भव नहीं है। शोध, प्रशिक्षण, मुख्यालय के कर्मचारिवर्ग और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं आदि से सम्बन्धित परियोजनायें इस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। इन परियोजनाओं से भी पिछड़े क्षेत्रों को लाभ होगा।

21--1972-73 के दौरान किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है। क्षेत्रवार परिव्यय तथा चुने गये भौतिक लक्ष्यों के ब्योरे परिशिष्ट 1 और 2 में दिये गये हैं।

(1) पूर्वी सम्भाग

22--पूर्वी सम्भाग की अर्थ-व्यवस्था मुख्यरूप से कृषीय होने के कारण कृषि के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। वर्ष 1972-73 में इस सम्भाग को लाभ पहुचाने वाले कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए 463.26 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 12.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपजवाली किस्मों के अन्तर्गत और 9.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायगा। 2.85 लाख टन के रासायनिक उर्वरक वितरित किये जायंगे। 30.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण सम्बन्धी उपाय किये जायंगे। इस सम्भाग में बार-बार भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि रबी और जायद की फसलों की ऋतुओं में फसल उत्पादन के तरीकों का विकास किया जाय जिससे खरीफ फसलों के दौरान हुई बाढ़ की हानि की अंशतः पूर्ति की जा सके। तदनुसार कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिनमें बराबर बाढ़ आ जाती है, उपयुक्त फसल उत्पादन के तरीकों का विकास करने के लिये कुछ अग्रगामी प्रायोजनायें प्रारम्भ की जायगी। मिर्जापुर जिले के अगम्य क्षेत्रों में उर्वरक गोदाम बनाये जायंगे। 1971-72 के दौरान तीन गश्ती (मोबाइल) भूमि परीक्षण गाड़ियों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है तथा 1972-73 में एक गाड़ी की और व्यवस्था की जायगी। वाराणसी, बस्ती, और गोरखपुर के जिलों में चावल के सघन क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम तथा गोंडा और फैजाबाद में गेहूं का "पैकेज" कार्यक्रम किये जा रहे हैं और ये 1972-73 में चलते रहेंगे। जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और आजमगढ़ के जिलों में कृषि सम्बन्धी उपकरणों की चार कर्मशालायें स्थापित की गयी हैं। इन चारों कृषि सम्बन्धी कर्मशालाओं में कस्टम सर्विस सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं, जहां ट्रैक्टर, पम्प सेट, थ्रेशर और अन्य कृषि सम्बन्धी मशीनें किसानों को किराये पर उपलब्ध की जायंगी। इसके अतिरिक्त गश्ती (मोबाइल) गाड़ियों द्वारा मरम्मत करने की सुविधाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इन्हें 1972-73 के दौरान और सुदृढ़ किया जायगा। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और फैजाबाद के जिलों में औद्यो-

मिक विकास का सघन कार्यक्रम चालू है जो 1972–73 में चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर मंडल के समस्त जिलों में अनन्नास, केले और पपीते की खेती की प्रोन्नति की जायगी। इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर और फैजाबाद के जिलों में 1969–70 से सब्जी की खेती करने की एक विशेष परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका 1972–73 में और प्रसार किया जायगा।

23—प्रतापगढ़ जिले में 1970-71 से ऐसे लघु कृषकों के लिये जिनके पास 1 से 3 हेक्टर के बीच की जोतें हैं, "लघु कृषक विकास अभिकरण" नामक एक विशेष परियोजना प्रारम्भ की गई है। चौथी योजना में इस प्रायोजना के लिये 1.50 करोड़ रु0 का परिव्यय है। उक्त प्रायोजना के अधीन मुख्यत: सहकारी समितियों के माध्यम से इस परियोजना के लाभ ग्रहीतायों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लघु कृषकों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाय। लघु कृषक विकास अभिकरण के कार्यकलापों के अन्तर्गत छोटे सिंचाई कार्यक्रम, फसल पर ऋण देना, 'कस्टम सर्विस' (सेवा केन्द्र) संग्रह भांडों (storage bins) का निर्माण तथा दुग्ध और कुक्कुट पालन जैसे सहायक व्यवसायों का विकास आता है। लघु कृषक विकास अभिकरण का लक्ष्य अपने कार्य क्षेत्र में सहकारी समितियों को सहायता देकर और उन की स्थापना करके कृषि सम्बन्धी उपज के क्रय-विक्रय की उन्नति करना भी है। 1972–73 के कार्यक्रम में 200 पक्के कुओं, 850 निजी नलकूपों, 40 कि0 मी0 सिंचाई की नालियों का निर्माण तथा 100 पम्प सेटों का अधिष्ठापन सम्मिलित है। छोटे सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिये छोटे किसानों को 25 प्रतिशत राजसहायता दी जायगी। सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रमश: 1.00 करोड़ रु0 और 0.33 करोड़ रु0 के ऋणों का वितरण किया जायगा। कृषि सम्बन्धी प्रायोजनों के लिये 15 लाख रु0 की तकावी वितरित की जायगी। लघु कृषकों की पूरक आय का एक प्रमुख साधन पशु पालन तथा कुक्कुट पालन है। सहायक व्यवसायों के विकास के लिये 15.50 लाख रुपये के मध्यम कालिक ऋण उपलब्ध किये जायंगे। 1000 दुधारू पशुओं तथा 6,500 मुर्गियों आदि की खरीद के लिये भी धनराशि उपलब्ध की जायगी। 1500 संग्रह भांडों (storage bins) के निर्माण के लिये मध्यम कालिक ऋणों के रूप में सहायता की व्यवस्था की जायगी।

24—एक हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों की तथा कृषि मजदूरों की दशा में आर्थिक सुधार किये जाने के उद्देश्य से बलिया जिले में 1970–71 से "उपान्त कृषक तथा कृषि मजदूर विकास अभिकरण" (MFAL) नामक एक और परियोजना प्रारम्भ की गई है। मुख्य कार्यक्रम जिन्हें कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार हैं लघु सिंचाई, फसल पर ऋण देना 'कस्टम सर्विस' (सेवा केन्द्र) तथा दुग्ध और कुक्कुट पालन जैसे सहायक व्यवसायों का विकास। कृषि मजदूरों को रोजगार देने के लिये एक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया जायगा।

25—भूमि कटाव की हानि को नियंत्रित करने के लिये इस संभाग में 5 प्रभागीय यूनिटें और 38 उप प्रभागीय यूनिटें स्थापित की गयी हैं। 1972–73 के दौरान 0.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि-संरक्षण उपाय शुरू किये जायंगे जिसमें 126.28 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

26—इस संभाग की कृषि सम्बन्धी जोतें छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई हैं। चकबन्दी कार्य पहले ही से चालू है जिनके लिये 1972–73 में 316.83 लाख रु0 के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। चकबन्दी के अधीन 3.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जायगा।

27—कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिये बड़े पैमाने पर सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये जोर दिया गया है।

राजकीय सिंचाई कार्यों के लिये वार्षिक योजना 1972–73 में 16.18 करोड़ रु0 के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिससे 1.78 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था के उद्देश्य से निजी लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों पर जोर दिया जायगा जिसके लिये 2.49 करोड़ रु0 के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। लक्ष्य इस प्रकार हैं–10,500 पक्के कुओं का निर्माण, 26,000 कुओं की बोरिंग करना, 8000 पम्प सेटों का अधिष्ठापन और 16,000 निजी नल कूपों का लगाया जाना। निजी लघु सिंचाई कार्यों द्वारा 1.71 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायगा। इस प्रकार 3.49 लाख हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता समस्त सिंचाई कार्यों द्वारा सृजित की जायगी।

28––इस सम्भाग में सहकारिता आन्दोलन की गति को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से सक्षम (viable) 162 समितियां संगठित की जायेंगी जिनके सदस्यों की संख्या 1.815 लाख होगी। 16.30 करोड़ रु0, 1.99 करोड़ रु0 और 10.68 करोड़ रु0 के क्रमश: अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जायेंगे। दो प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां और 45 ग्रामीण गोदामों की स्थापना की जायगी।

29––इस सम्भाग में हर वर्ष व्यापक रूप से बाढ़ें आती हैं जिससे फसलों, सम्पत्ति और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं की काफी हानि होती है। बाढ़ों की रोक और नियन्त्रण के लिए 1972-73 के दौरान 1.41 करोड़ रु0 का परिव्यय आवंटित किया गया है।

30––विद्युत् सुविधाओं की अधिक व्यवस्था करने के लिए 1972-73 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों में 29.72 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव है कि 220 किलोवाट की एस0 सी0 मुगलसराय––डेहरी (बिहार) लाइन का निर्माण किया जाय और 132 किलोवाट की रिहन्द मोरवान––अमरकंटक (मध्य प्रदेश) लाइन के द्वितीय सर्किट में तार लगाया जाय जिससे कि पड़ोसी राज्यों से विद्युत् का आयात किया जा सके। सम्बद्ध उप विद्युत् केन्द्रों के साथ-साथ 400 किलोवोल्ट ओबरा (थर्मल) सुलतानपुर लाइन पर, जो कि देश में पहली 400 किलोवोल्ट लाइन होगी, कार्य चलता रहेगा। 220 किलोवोल्ट सुलतानपुर –गोरखपुर लाइन और अन्य दस 132 किलोवोल्ट की पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनों तथा सम्बद्ध उप-केन्द्रों पर कार्य चलता रहेगा। 1,200 गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा और 17,850 निजी नलकूपों तथा पम्प सेटों का विद्युतीकरण किया जायगा।

31––इस सम्भाग के ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए 1972-73 के लिए 66.17 लाख रु० प्रस्तावित है। परिव्यय का वर्गवार विभाजन नीचे दिया गया है।:–

वर्ग	(लाख रु० में)
1––हथकर्घा	16.62
2––लघु उद्योग	40.55
3––ओद्योगिक आस्थान	1.36
4––हस्तशिल्प	5.44
5––रेशम उत्पादन	2.20
योग ..	66.17

32—हथकर्घा वर्ग के अधीन 150 कर्घे सहकारी क्षेत्र में लाये जायेंगे जिनसे 665 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होगा। लघु उद्योगों के विकास के लिये क्रमश: 17 लाख रु0 और 1.75 लाख रु0 के ऋण तथा विद्युत् सम्बन्धी राज सहायता की धनराशि वितरित की जायगी और किराया खरीद (hire purchase) आधार पर मशीनें प्राप्त करने के लिये 13 लाख रु0 उपलब्ध किये जायेंगे। इन प्रोन्नति संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप 950 नयी लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किये जाने की आशा है। चार हस्तकला सहकारी समितियों की स्थापना की जायगी और 'कापर लैक्वरिंग सेंटर' वाराणसी में 3.50 लाख रु० के मूल्य का हस्तशिल्प का सामान तैयार किया जायगा। वाराणसी में एक कारपेट डिजाइन और डाइंग सेंटर (दरी डिजाइन और रंगाई केन्द्र) स्थापित किया जायगा। रेशम उत्पादन स्कीम के अधीन, 40,000 पौधे वितरित करने और 2 टन कीट कोष (कोकून) उत्पादित करने की योजना है।

33—औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये इस संभाग के 11* जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर धन उपलब्ध किया जायगा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन (औद्योगिक वित्त निगम) और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (भारत का औद्योगिक विकास बैंक) ने इन जिलों के विकास के लिये सहायता देने का निश्चय किया है। इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिये ऋण उस दर की अपेक्षा 1 प्रतिशत कम ब्याज की दर पर दिया जायगा जो ये संस्थायें अन्य क्षेत्रों से वसूल करती हैं। ऋण की वसूली तीन वर्षों के बजाय 5 वर्षों के बाद शुरू होगी और अदायगी की अवधि 10–12 वर्षों के बजाय 15–20 वर्ष की होगी। इन जिलों में इन संस्थाओं द्वारा प्रतिभूति सम्बन्धी सीमा (security margin) भी कम कर दी गई है। प्रायोजना की कुल लागत के विपरीत उद्यमियों द्वारा विनियोजित धनराशि के अनुपात को भी कम कर दिया गया है। ये सुविधायें ऐसी प्रायोजनाओं के लिये उपलब्ध होंगी जिनकी कुल लागत 1 करोड़ रु0 से कम है। ब्याज की दर 7 1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और यदि समय पर अदायगी होती रही तो ब्याज की दर 1/2 प्रतिशत तक कम हो जायगी। इसके अतिरिक्त बलिया जिले को अनुदान और राज सहायता दिये जाने के लिये चुना गया है। भारत सरकार इस जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने में सहायता देगी। यह सहायता निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में जहां ऐसी पूंजी लागत अलग-अलग मामलों में 50 लाख रु० से अधिक नहीं होती है, प्रायोजनाओं की कुल अचल पूंजी विनियोग का दसवां भाग होगी।

34—अपेक्षाकृत अच्छी संचार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 102 कि० मी० नई सड़कों का निर्माण किया जायगा और 65 कि० मी० वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार किया जायगा। सात पुलों का भी निर्माण किया जायगा। ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित कार्यक्रम के अधीन 1971–72 तथा चौथी योजना के शेष दो वर्षों में 953 कि० मी० पक्की सड़कों का निर्माण किया जायगा जिसमें 5.02 करोड़ रु० व्यय होगा।

35—शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 40 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने 770 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने तथा 15 स्कूल के भवनों का सुधार करने और 225 नये भवनों का निर्माण करने के हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव है। बालिकाओं की शिक्षा के हेतु और अधिक सुविधायें देने के लिये 15 क्रमागत कक्षायें खोली जायंगी। 97 स्कूल दाइयों (school mothers) की नियुक्ति की जायगी और 50 सैनीटरी ब्लाकों के निर्माण के लिये अनुदान दिये जायंगे। यह आशा की जाती है कि कक्षा 1 से 5 में

---

* आजमगढ़, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती तथा देवरिया।

भर्ती 1971–72 के 45.14 लाख से बढ़ा कर 1972–73 में 45.60 लाख हो जायगी। प्राइमरी कक्षाओं में अधिक संख्या में छात्रों की भर्ती होने के कारण 70 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे और 200 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे। सामान्य विज्ञान के पढ़ाने तथा पाठ्य-पुस्तक सम्बन्धी पुस्तकालयों के लिये अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। यह अनुमान किया जाता है कि कक्षा 6 से 8 में भर्ती 1971–72 के 7.10 लाख से बढ़ कर 1972–73 में 7.40 लाख हो जायगी। माध्यमिक स्तर पर कक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से चुने हुए स्कूलों का नाम सहायक अनुदान सूची में रखा जायगा और भवन, सज्जा, पुस्तकालय, विज्ञान संबंधी उपकरण और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये उपयुक्त स्कूलों को अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे।

36—चिकित्सा क्षेत्र के अधीन, 1972–73 के कार्यक्रमों की मुख्य बातों में, 113 औषधालयों की स्थापना, 960 अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद का प्रसार तथा मेडिकल कालेज, गोरखपुर को चालू करना सम्मिलित है।

37—इस संभाग के 15 जिलों में से 5 जिले अर्थात् इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी सामान्य रूप से सूखे से प्रभावित रहते हैं। 5,636 गांवों में जिनके अन्तर्गत इन 5 जिलों की 31.46 लाख जन संख्या आती है, पेय जल की बराबर बड़ी कमी रहती है। शेष 10 जिलों में 44.74 लाख की कुल जनसंख्या के 5,602 गांवों में पेयजल की कमी है। सूखा-ग्रस्त जिलों के 568 गांवों में अब तक पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था हो गई है जिनकी जन-संख्या 2.44 लाख है। आशा है कि चौथी योजना के शेष वर्षों में 346 और गांवों में (जिनकी जन-संख्या 2.00 लाख है) यह सुविधा प्राप्त हो जायगी। संसाधनों की कमी के कारण 1972–73 के दौरान ग्रामीण पेय जल संबंधी कार्यक्रम के लिये केवल 102.105 लाख रु0 के परिव्यय की व्यवस्था करना संभव हो सका है जिसके अधीन 0.96 लाख की जन-संख्या के 204 गांवों को लाभ पहुंचेगा।

38—गांवों के मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने तथा पूंजी परिसम्पत्ति सृजित करने के उद्देश्य से कुछ ग्रामीण जन-शक्ति (Rural Manpower) कार्यक्रम 1961–62 से चलाये जा रहे हैं। 1972–73 में इस कार्यक्रम के लिये 36.50 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 208.5 कि0 मी0 छोटी ग्रामीण सड़कों, 148 मत्स्यपालन तालाबों और 32 ग्रामीण बंधियों का निर्माण करना है।

(2) बुन्देलखंड

39—बुन्देलखंड की कृषि संबंधी समस्याओं की कुछ प्रमुख विशेषतायें हैं। उक्त सम्भाग में भूमि का काफी कटाव होता है और यहां सिंचाई सुविधाओं की कमी है। सिंचाई की सुविधाओं के न होने के कारण बहुत से क्षेत्र में खेती नहीं हो पाती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही 1972–73 के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं। इस सम्भाग में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये 83.33 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये लगभग 99,000 हेक्टयर क्षेत्र को अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों तथा 1.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायगा। लगभग 11,000 टन उर्वरकों का वितरण किया जायगा तथा 7.10 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में पौध संरक्षण उपाय आरम्भ किये जायेंगे। राज्य में शुरू किये गये सामान्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त उस संभाग में कुछ विशेष परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जो 1972–73 में चालू रहेंगी। झांसी और बांदा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। एक मिट्टी परीक्षण चल गाड़ी की व्यवस्था करके इस कार्य में और अधिक प्रगति की गई है। नींबू की जाति के फलों के विकास के एक पैकेज कार्यक्रम को

सम्भाग में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसको 1972–73 में तीव्रगति से किया जायगा। झांसी जिले में चालू की गयी (1) औद्यानिक विकास (2) सब्जियों की खेती की दो विशिष्ट परियोजनाएं अगले वर्ष भी चालू रहेंगी।

40—वर्ष 1970–71 से झांसी जिले में शुष्क खेती करने की एक विशेष परियोजना चालू की गयी है। इस परियोजना के अधीन यह प्रस्ताव है कि शुष्क खेती के विभिन्न तरीकों को अपनाया और उनका प्रसार किया जाय जैसे भूमि को आकार देना तथा भूमि विकास, जल संचय करना, कृषि तथा भूमि व्यवस्था करना, कम समय में उगने वाली सूखा-निरोधक किस्में उगाना, चारे वाली फसलों का प्रचार करना, पौध संरक्षण के उपायों का अधिकाधिक उपयोग करना आदि। इस कार्यक्रम के लिये 1972–73 के दौरान 19.71 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है तथा 710 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में बागवनी खेती के विभिन्न तरीके अपनायें जायेंगे। इस कार्य में भूमि तथा जल संरक्षण उपाय और भूमि विकास का काम सम्मिलित होगा।

41—इस संभाग को भूमि का काफी कटाव हो जाने से हानि होती है। भूमि कटाव की रोकथाम के लिये 20 उप-प्रभागीय तथा 2 प्रभागीय इकाइयां पहले से ही इन जिलों में कार्य कर रही हैं। कन्दराओं को खेती योग्य बनाने की एक स्कीम भी झांसी तथा हमीरपुर जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उपान्तीय भूमि (पेरीफेरल लैण्ड्स) का खेती के लिये स्थिरीकरण किया जा रहा है और गहरी कन्दराओं में बन विभाग द्वारा वन लगाए जा रहे हैं। बांदा जिले के चिरकाल से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की उप-प्रभागीय इकाइयां सघन जल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर रही हैं जिसमें जल संचय की समुचित प्रणालियों के लिये की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है। लगभग 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र को भूमि संरक्षण उपायों के अधीन लाने के लिये 1972–73 के दौरान 63.12 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

42—सिंचाई की और अधिक मात्रा में सुविधायें प्रदान करने हेतु राज्य लघु सिंचाई कार्यों के लिये 40.00 लाख रुपये तथा निजी लघु सिंचाई कार्यों के लिये 53.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। ये कार्य लगभग 40 हजार हेक्टयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करेंगे। निजी लघु सिंचाई कार्यों के अधीन लक्ष्य इस प्रकार हैं— 3,600 पक्के कुओं का निर्माण, 985 कुओं की बोरिंग करना, 2,125 पम्प सेटों, 2240 रहट तथा 150 निजी नलकूपों का लगाना, बन्धियों का निर्माण इस सम्भाग के सिंचाई कार्यक्रमों की एक मुख्य विशेषता है। 21,833 हेक्टेयर क्षेत्र के लाभ के लिये बन्धियों का निर्माण होगा।

43—ऋण तथा अन्य सेवा-सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 22 जीवनक्षम सहकारी समितियां जिनकी सदस्य संख्या 0.13 लाख होगी, संगठित की जायंगी। अल्प-कालिक मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋणों के रूप में क्रमश: 3.60 करोड़ रुपये, 0.18 करोड़ रुपये तथा 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जायगी। बारह ग्रामीण गोदाम तथा एक प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समिति की भी स्थापना की जायगी।

44—इस सम्भाग के लाभ हेतु विद्युत् विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिये 1972–73 के दौरान 3.78 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। निम्नलिखित ट्रांसमिशन लाइनों तथा सम्बद्ध सब-स्टेशनों पर वर्ष 1972-73 के दौरान कार्य चालू रहेगा—

(1) 132 कि० वो० सिराथू-कर्वी एस० सी० लाइन
(2) 132 कि० वो० कर्वी-बांदा एस० सी० लाइन

37.533 कि० वो० की सेकेण्ड्री ट्रांसमिशन लाइनों तथा संबद्ध सब-स्टेशनों के लगभग 200 कि० मी० में भी निर्माण-कार्य चालू रहेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन 120 गांवों तथा 600 निजी नलकूपों/पम्पसेटों को ऊर्जित किया जायगा।

45—इस सम्भाग को लाभ पहुंचाने के लिये ग्रामीण तथा लघु उद्योग संबंधी कार्यक्रमों के लिये 1972-73 के दौरान 13.14 लाख रुपये का परिव्यय होगा। इसमें हथकरघों के लिये 2.07 लाख रुपये, लघु स्तरीय उद्योगों के लिये 10.15 लाख रुपये तथा हस्तशिल्प के लिये 0.92 लाख रुपये सम्मिलित हैं। 40 करघों को सहकारी क्षेत्र के अधीन लाया जायगा जिनके द्वारा 90 लाख मीटर हथकरघा वस्त्र का उत्पादन होगा। लघु-स्तरीय उद्योगों के विकास के लिये 3.00 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 0.75 लाख रुपये राज सहायता के रूप में वितरित किये जायंगे। 6.00 लाख रुपये किराया खरीद के आधार पर मशीनें क्रय करने के लिये अग्रिम के रूप में दिये जायंगे। पत्थर कटाई केन्द्र (स्टोन कारविंग सेन्टर) गोराहारी में 25,000 रुपये के मूल्य के सामान का उत्पादन किया जायगा। एक सहकारी हस्तशिल्प समिति स्थापित की जायगी।

46—औद्योगिक विकास की प्रोन्नति हेतु भारत सरकार ने इस सम्भाग के चारों जिलों को चुना है और उद्यमकर्त्ताओं के लिए रियायती दर पर वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे। झांसी जिले को अनुदान तथा राज सहायता देने के लिये चुना गया है और इस संबंध में भारत सरकार इस जिले में स्थापित की जाने वाली प्रायोजनाओं के नियत पूंजी विनियोजन पर 10 प्रतिशत की राज सहायता देगी।

47—अपेक्षाकृत अच्छी संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 35 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जायगा। 35 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार किया जायगा। दो पुलों का निर्माण भी किया जायगा। ग्रामीण रोजगार के त्वरित कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम) के अधीन वर्ष 1971–74 के दौरान 219 किलोमीटर पक्की सड़कों के निर्माण के लिए 1.29 करोड़ रुपये व्यय किये जायंगे।

48—प्राथमिक (प्राइमरी) शिक्षा के विस्तार के लिये यह प्रस्ताव है कि 10 जूनियर बेसिक स्कूल खोले जायं, 115 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायं तथा 4 भवनों के सुधार और 4 नये भवनों के निर्माण के लिये अनुदान दिये जाय। लड़कियों की शिक्षा के लिये और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु 3 अनुवर्ती (कन्टीनुएशन) कक्षायें खोली जायंगी तथा 25 स्कूल-दाइयां नियुक्त की जायंगी। 16 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे और 28 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायंगे। चुने हुए सीनियर बेसिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाया जायगा। भवन, सज्जा, पुस्तकालय, विज्ञान-सज्जा तथा विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये अनावर्तक अनुदान दिये जायंगे। विभिन्न सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप कक्षाओं में भर्ती की संख्या निम्नलिखित प्रकार से बढ़ जायगी :—

भर्ती (लाखों में)

कक्षा				1971–72	1972–73
1–5	..	..	..	5.17	5.23
6–8	..	..	..	1.01	1.05
9–12	..	..	..	0.59	0.61

49—चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से 6 नये औषधालय स्थापित किये जायंगे और 180 शय्याओं की व्यवस्था की जायगी। झांसी मेडिकल कालेज में और निर्माण-कार्य के लिये 30.00 लाख रुपये की धनराशि का प्रस्ताव है। एक रजित रोग क्लीनिक की भी स्थापना की जायगी।

50—स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 1964–65 में बुन्देलखण्ड में 2,710 गांव, जिनकी कुल जनसंख्या 18.94 लाख थी, पेय-जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे। मार्च 1971 के अन्त तक इनमें से 313 गांवों के लिये, जिनकी जनसंख्या 2.23 लाख है, सुरक्षित पेय-जल की व्यवस्था कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के अन्त तक 300 और गांवों के लिए (जिनकी जनसंख्या 1.96 लाख है) पेय-जल की सुविधायें प्राप्त हो जांयगी। 1972–73 में 60 गांवों के लिए जिनकी जनसंख्या 0.45 लाख है पेय-जल की व्यवस्था करने हेतु 74.69 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(3) पर्वतीय सम्भाग (उत्तराखण्ड को छोड़ कर)

51—फलोद्यान विकास कार्य-क्रमों के लिये 1972–73 के दौरान इस सम्भाग के लाभार्थ 34.43 लाख रुपये की धनराशि के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। फलोद्यानों के अन्तर्गत 3,200 हेक्टेयर तथा सब्जियों के अन्तर्गत 500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने की परिकल्पना की गई है। 1972–73 के अन्य कार्य-क्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित अन्य मदें सम्मिलित हैं:—9.60 लाख फलों के पौधों का वितरण, 7,200 हेक्टेयर में पौध संरक्षण सम्बन्धी उपायों का अपनाना, 2,300 हेक्टेयर क्षेत्र के पुराने फलोद्यानों का नवीकरण तथा 5 फलोद्यान एवं पौधशालाओं की स्थापना। फल अंचलों तथा उद्यान उपनिवेशों की स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत 20 फल अंचलों को चुना गया है जिनमें से 14 अंचलों में वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। 1972–73 के दौरान 1,185 हेक्टेयर क्षेत्र इस कार्य के अन्तर्गत लाया जायेगा।

52—फलोद्यान कार्य-क्रमों के लिए स्थलों का चुनाव फल के पौधों की सप्लाई, अभिन्यास (lay out) पेड़ों की कांट-छांट, कलम चढ़ाना, पौध सुरक्षा सम्बन्धी उपाय इत्यादि के सम्बन्ध में प्राविधिक सहायता देने के हेतु प्रत्येक विकास खंड में फलोद्यान तथा पौध-सुरक्षा चल दलों की सेवायें उपलब्ध हैं। 1972–73 के दौरान 6 अतिरिक्त चल-दलों की स्थापना की जायेगी। होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुये, फल के पौधों और सब्जी के बीजों की ढुलाई के खर्च के वास्ते वर्ष 1972–73 के दौरान भी राज सहायता दी जायेगी और इस कार्य के लिये 0.79 लाख रुपये धनराशि की व्यवस्था की गई है। टेहरी-गढ़वाल के चम्बा-मसूरी और भारसार (जिला पौड़ी-गढ़वाल) क्षेत्र में स्थापित फलोद्यानों के समुचित अनुरक्षण तथा पौध सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को प्रारम्भ से अपनाने हेतु भांडागारों की स्थापना की जायेगी। इन भांडागारों में कीटनाशक दावाओं उर्वरक इत्यादि का संग्रह किया जावेगा जिससे कि पौध सुरक्षा सम्बन्धी त्वरित सेवाएं तथा फलोद्यान की सामग्रियां स्थानीय उत्पादकों को सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सकें। इसके साथ-साथ उपयुक्त केन्द्रों का विकास फल संग्रह तथा श्रेणीकरण केन्द्रों (ग्रेडिंग यूनिट्स) के रूप में किया जायेगा जिनमें नजदीक के क्षेत्रों के औद्यानिक उत्पादन को संग्रहित किया जायेगा और उचित ढंग से क्रय-विक्रय सुनिश्चित किया जायेगा। गढ़वाल प्रभाग के फल अंचल के क्षेत्रों में शीघ्र सेवा हेतु एक पौध सुरक्षा इकाई की स्थापना की जायेगी।

53—कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये 67 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत तथा 57 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायेगा। लगभग 18,000 टन रसायनिक उर्वरक का वितरण किया जायेगा। रेलवे स्टेशन से वितरण केन्द्र तक उर्वरक पर होने वाले ढुलाई के खर्च के वास्ते राज सहायता दी जायेगी। उर्वरकों को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्गम क्षेत्रों में गोदामों का जो निर्माण-कार्य चालू वर्ष में आरम्भ किया है उसे वर्ष 1972–73 के दौरान तेजी के साथ चालू रक्खा जायेगा। 2.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पौध सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को

आरम्भ किया जायेगा ।[पौढ़ी-गढ़वाल में एक नई भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी ।]

54—उत्तराखंड में पहले से ही चालू सोयाबीन की खेती की स्कीम को इन जिलों में भी विकसित किया जायेगा । कुकुरमुत्ता की खेती और शहद के विकास कार्य-क्रमों में तेजी लायी जायेगी । चालू वर्ष (1971–72) से नैनीताल जिले में ओइस्का (ओ० आई० एस० सी० ए०) जापान की सहायता से एक स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है । यह स्कीम 1972–73 में भी चालू रक्खी जायेगी ।

55—सब्जी की खेती के सामान्य कार्य-क्रम के अतिरिक्त एक विशिष्ट स्कीम 1969–70 से देहरादून जिले में चालू की गयी है जिसे 1972–73 में और अधिक तेजी से चलाया जायेगा ।

56—जर्मन गणतन्त्र संघ की सहायता से अल्मोड़ा में 1969 से एक बहुमुखी प्रायोजना चालू की गयी है । इस प्रायोजना के मुख्य उद्देश्यों में में एक उद्देश्य अधिक फसल देने वाली तथा अन्य सुधरी हुई किस्मों के कार्य-क्रमों को चुने हुए क्षेत्रों में आरम्भ करना है । यह प्रस्ताव है कि अधिक फसल देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाय । लगभग 1,000 टन उर्वरकों का वितरण किया जायेगा और 40,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

57—पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में भूमि संरक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है । तदनुसार इस क्षेत्र में 12 उप-प्रभागीय इकाईयां (सब डिवीजनल यूनिट्स) कार्य कर रही हैं । भूमि संरक्षण सम्बन्धी उपायों के अन्तर्गत 1972–73 के दौरान 0.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जायेगा ।

58—पर्वतीय क्षेत्रों में वन विकास के सम्भाव्य संसाधन काफी हैं । यह प्रस्ताव है कि 3,320 हेक्टेयर क्षेत्र में आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाये जायं । 4,180 हेक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जायेगा । अवकृष्ट (degraded) वनों की पुनः स्थापना स्कीम के अन्तर्गत 2,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सम्वर्धन कार्य चालू किया जायेगा । वन क्षेत्रों में संचार सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिये 73 कि० मी० लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा और 72 कि० मी० लम्बी वर्तमान सड़कों का नवीकरण किया जायेगा । 92 कि० मी० के क्षेत्र में टेलीफोन की लाइनों का विस्तार किया जायगा ।

59—सहकारिता आन्दोलन में तेजी लाने के लिये 10,600 सदस्यों की 27 सक्षम सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा । 2.20 करोड़ रुपये, 0.39 करोड़ रुपये और 0.30 करोड़ रुपये की धनराशियां क्रमशः अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋणों के रूप में दी जायेगी । 15 ग्रामीण गोदाम तथा एक प्राथमिक क्रय-विक्रय समिति की भी स्थापना की जायेगी ।

60—वर्ष 1972–73 के दौरान विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्य-क्रमों के लिये इस क्षेत्र के लाभार्थ 3.75 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । 325 कि० मी० लम्बी 37.5/33 किलो वोल्ट लाइनों पर कार्य जारी रहेगा और लगभग 11 कि० वा० की 400 कि० मी० लम्बी लाइनों पर कार्य पूरा हो जावेगा । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य-क्रम के अधीन 280 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा तथा 320 नलकूपों/पम्प सेटों को ऊर्जित (energise) किया जायेगा ।

61—ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये 1972–73 के दौरान 26.01 लाख रुपये की धनराशि के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

62—पचास करघों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जायेगा तथा 11 लाख मीटर हथकरघा वस्त्र का उत्पादन किया जायेगा। लघु स्तरीय उद्योगों के विकास के लिये मशीनों को किराया-खरीद (हायर पर्चेज) के आधार पर प्राप्त करने के हेतु 5.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। 4.00 लाख रुपये तथा 0.50 लाख रुपये के क्रमशः ऋण तथा विद्युत् अनुदान वितरित किये जावेंगे। विभिन्न प्रोन्नति उपायों के फलस्वरूप 100 लघु स्तरीय इकाईयां स्थापित हो जायेंगी। दो हस्तशिल्प समितियों की स्थापना की जायगी जिनमें 2.24 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा। रेशम उद्योग सम्बन्धी कार्य-क्रम के अधीन 10.94 हेक्टेयर क्षेत्र के अन्तर्गत 8 फार्म स्थापित किये जायेंगे। 5 टन कोकून का उत्पादन किया जायेगा तथा 75,000 रोगमुक्त अंडों और 1.15 लाख नर्सरी पौधों का वितरण किया जायेगा।

63—इस सम्भाग के औद्योगिक विकास के लिये भारत सरकार ने अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल जिलों का चयन किया है जहां वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रियायती दरों पर वित्त की व्यवस्था की जायेगी।

64—संचार सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से 45 कि० मी० लम्बी नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा तथा 40 कि० मी० लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य चालू किया जायेगा। चार पुलों का निर्माण भी आरम्भ किया जायेगा।

65—शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से 30 जूनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे तथा 138 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। 5 नये भवनों के निर्माण तथा 5 भवनों के सुधार के लिये अनुदान दिये जायेंगे। 5 अनुवर्ती कक्षायें (continuation classes) खोली जायेंगी तथा 25 स्कूल मदर-बालिकाओं के स्कूलों में नियुक्त की जायेंगी। आशा है कि कक्षा 1–5 में भर्ती होने वालों की संख्या 1971–72 के 4.02 लाख से बढ़ कर 1972–73 में 4.10 लाख हो जायेगी। 13 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे तथा 28 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। कक्षा 6–8 में भर्ती होने वालों की संख्या 1971–72 के 1.02 लाख से बढ़ कर 1972–73 में 1.07 लाख हो जाने का अनुमान है।

66—अपेक्षाकृत अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 6 औषधालयों की स्थापना की जायेगी तथा चिकित्सालयों एवं औषधालयों में 74 और शय्याओं की व्यवस्था की जायेगी। अल्मोड़ा में एक 50 शय्याओं वाला टी० बी० चिकित्सालय का निर्माण किया जायेगा। भुवाली जिला नैनीताल में, छाती की शल्य-चिकित्सा (Thoracic Surgery) इकाई के लिये एक भवन के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

67—यह *अनुमान लगाया गया है कि इस संभाग के 3599 गांवों में पीने का पानी या तो बिलकुल उपलब्ध नहीं है या जहां उपलब्ध भी है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने की योग नहीं है। मार्च 1971 के अन्त तक, केवल 581 गांवों में ही पीने के लिये साफ पानी की व्यवस्था की जा सकी। आशा है कि चौथी योजना के शेष वर्षों में 689 और गांवों में इस सुविधा की व्यवस्था हो जावेगी। पीने के पानी के लिये 1972–73 में 64.00 लाख रुपये की धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इससे 0.43 लाख आबादी के 165 गांव लाभान्वित होंगे।

68—इन तीन संभागों के अतिरिक्त जो कि पिछड़े माने गये हैं, बहुत से अन्य जिलों में भी अवस्थापना (infrastructure) अपर्याप्त है। सड़कें, सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में जो कि आर्थिक विकास के लिये एक परमावश्यक मुख्य

*स्वायत्तशासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा 1964–65 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर।

अवस्थापना है, इस राज्य के बहुत से जिले राज्य के औसत स्तर से नीचे हैं। इन जिलों में अवस्थापना की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए, सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 1972-73 की वार्षिक योजना में 12 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त परिव्यय नियत किया गया है। आशा है कि इस नयी कार्यवाही से अवस्थापना की सुविधाओं के सम्बन्ध में जिलों की जो पारस्परिक असमानताएं हैं वे बहुत कुछ दूर हो जायेंगी।

(4) उत्तराखण्ड

69—राज्य की चौथी योजना में उत्तराखण्ड के विकास कार्यक्रमों के लिये नैमित्तिक क्षेत्र में 20.00 करोड़ रुपये की धनराशि रक्खी गयी है। प्रथम दो वर्षों (1969-71) के भीतर 8.25 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हुई। वर्ष 1971-72 की वार्षिक योजना में 4.00 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है और यह आशा है कि इस संपूर्ण धनराशि का उपयोग हो जायगा। 1972-73 की वार्षिक योजना तैयार कर ली गयी है, जिसमें 4.02 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। परिशिष्ट 1 में परिव्यय का क्षेत्रवार विभाजन दिया गया है। वर्ष 1972-73 में आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं।

70—कृषि—1972-73 की वार्षिक योजना में इस क्षेत्र के लिये 5.00 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, 17 हजार हेक्टेयर में अधिक उत्पादन वाली किस्मों को उगाया जायेगा। दो हजार मी०टन रासायनिक खाद का वितरण किया जायेगा। 400 हेक्टर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जायगी। आलू विकास सघन करने की योजना के अधीन उन्नत आलू के बीज 60 हेक्टर क्षेत्र में उगाये जावेंगे जिसके परिणाम स्वरूप 900 कुन्तल आलू की उपज होगी।

71—बागबानी—बागबानी तथा फलोपयोग कार्यक्रमों के हेतु 13.10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। 240 हेक्टर क्षेत्र फल पट्टियां तथा बागों के उपनिवेशों के अन्तर्गत लाया जायगा। फलों के 3.50 लाख पौधे भी वितरित किये जावेंगे। 320 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने फलोद्यानों का नवीनीकरण किया जावेगा। 320 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण सम्बन्धी कार्यवाहियां आरम्भ की जायेंगी। पिछले वर्षों की भांति, बागवानी के विकास के लिये ऋण दिये जावेंगे। 4.5 मी० टन सब्जी के बीजों का भी वितरण किया जायगा।

72—लघु सिंचाई—पम्पिंग सेट्स की अधिष्ठापना के लिये 2.00 लाख रुपये के ऋण किसानों को दिये जायंगे। इस क्षेत्र में सिंचाई के बड़े निर्माण कार्यों की कोई गुंजाइश न होने के कारण सिंचाई का कार्य सामान्यतया छोटी गूलों तथा तालाबों के जरिये किया जाता है। वर्ष 1972-73 के दौरान 260 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित करने की व्यवस्था की गयी है।

73—भूमि संरक्षण—भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के लिये 8.50 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। 900 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य किया जायगा।

74—पशुपालन—अगले वर्ष के कार्यक्रम में 3 नये सांड़ परिवर्धन केन्द्रों की स्थापना; 34 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत किस्म के चारे के बीज का उत्पादन तथा वर्तमान "कुक्कुट प्रसार केन्द्रों" में मुर्गियों के 500 चूजों के पोषण का कार्य सम्मिलित है। 1.50 लाख रुपये की धनराशि कुक्कुटों, उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं तथा भेड़ों की खरीद के लिये ऋण के रूप में वितरित की जायगी। 210 स्थानीय लोगों को कुक्कुटों की नस्ल बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जायगी।

75—वन—इस संभाग के वन संसाधनों का उपयोग करने के लिये लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों की लाभदायक प्रजातियों का रोपण किया जायगा। इनसे 22,000 कुन्तल रेजिन का उत्पादन होगा। लगभग 25.00 लाख रुपये

की धनराशि बनों की सड़कों तथा भवनों इत्यादि के निर्माण में व्यय की जायगी । 90 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों तथा इतनी ही लम्बे अश्व मार्गों का निर्माण किया जायगा और 219 कि० मी० लम्बी पुरानी सड़कों का नवीनीकरण किया जायगा । 19 कि० मी० क्षेत्र में टेलीफोन की लाइनें बिछाई जायगी ।

76—सहकारिता—इस संभाग में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने के लिये कृषक परिवारों के 2,400 व्यक्तियों को प्राथमिक सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जावेगा । क्रमशः 51.00 लाख रुपये तथा 28.50 लाख रुपये अल्पकालिक तथा मध्यकालिक ऋण दिये जायेंगे और 28 हेक्टेयर भूमि में जड़ी-बूटी की सघन खेती का कार्य भी चालू किया जायगा ।

77—विद्युत—इस क्षेत्र के लिये वर्ष 1972–73 की वार्षिक योजना में 32.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । 15 और आस्थानों का विद्युतीकरण किया जायगा ।

78—लघु तथा कुटीर उद्योग—लघु तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिये उद्यमकर्त्ताओं को 3.00 लाख रुपये की धनराशि के ऋण तथा अनुदान दिये जावेंगे । ऊनी हथकरघा स्कीम के अधीन 0.20 लाख रुपये के ऊनी माल के उत्पादन की आशा है । 4,500 घन फुट सूती धागे की रील (धागे की पिंडिया) और 7,500 स्लेट की पेंसिलें उत्तरकाशी जिले की समन्वित यूनिट में तैयार की जायगी । रेशम उत्पादन के विकास के लिये, 28 हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूत के वृक्ष लगाने का कार्य चालू किया जायगा । पौधशालाओं में रोपण के लिये 12,000 शहतूत के पौधे ग्रामीणों को वितरित किये जायंगे । 2.4 मी० टन कोयों का उत्पादन किया जायगा और 28 व्यक्तियों को रेशम उत्पादन करने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जायगा । टसर विकास कार्य-क्रम के अधीन 6,000 कोयों का उत्पादन किया जायगा और 20 स्थानीय व्यक्तियों को टसर के कीड़ों को पालने का प्रशिक्षण दिया जायगा ।

79—सड़कें—इस क्षेत्र के लिये 1972–73 की वार्षिक योजना में 130.00 लाख रुपयों की धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित है । 40 कि०मी० पक्की सड़कें तथा 20 कि० मी० कच्ची सड़कें बनाने की व्यवस्था की गई है । कच्ची सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गई है ।

80—पर्यटन—पर्यटन के विकास के लिये, 1972–73 में 10.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । 8 पर्यटक विश्रामालयों तथा 3 केबिनों का निर्माण किया जायगा ।

81—सामान्य शिक्षा—वर्ष 1972–73 के दौरान, शिक्षा सम्बन्धी अधिक अच्छी सुविधायें उपलब्ध करने के लिये 15 प्राइमरी स्कूल 15 जूनियर हाई स्कूल, 2 हाई स्कूल 1 इन्टरमीडिएट कालेज तथा 6 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायगी ।

82—चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य—वर्ष 1972–73 के कार्यक्रम में चार-चार शय्याओं वाले 7 नये एलोपैथिक, तथा 6 आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायेंगे । पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में शय्याओं की संख्या बढ़ा दी जायगी ।

83—पेयजल सम्पूर्ति—वर्ष 1972–73 में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा निष्पादित जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत 122 ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की जायगी जिससे लगभग 30 हजार जनसंख्या लाभान्वित होगी ।

2—पिछड़े समुदायों के लिए कार्य-क्रम

योजना अवधि में राज्य की अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न दिशाओं में प्रगति हुई है परन्तु समाज के कमजोर वर्ग इसका वांछित लाभ नहीं उठा सके । इन वर्गों के समुचित उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है ताकि ये वर्ग प्रदेश की प्रगति के साथ-साथ आगे

बढ़ सकें । इस श्रेणी में पिछड़ी जातियां, छोटे किसान, भूमिहीन व्यक्ति, ग्रामीण कारीगर अन्य तथा निर्बल वर्ग आते हैं । राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही व प्रस्तावित स्कीमों के विस्तृत विवरण अन्यत्र संबंधित अध्यायों में दिये गये हैं । अगले पैराग्राफों में इन कार्य-क्रमों की मुख्य-मुख्य बातें दी जा रही हैं ।

2--पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, विमुक्त जन-जातियां तथा अन्य पिछड़ी जातियां आती हैं । इन जातियों के लाभ के लिये चलाई जाने वाली कल्याणकारी स्कीमों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है:--(1) शिक्षा, (2) आर्थिक विकास और (3) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य स्कीमें ।

3--राज्य की चौथी योजना में इन स्कीमों के लिये 720.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । योजना के पहले दो वर्षों में 131.74 लाख रुपये व्यय हुए तथा वर्ष 1971-72 के बजट में 120.44 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1972-73 के लिये 205.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें 109.05 लाख रुपये शिक्षा, 46.05 लाख रुपये आर्थिक विकास तथा 49.90 लाख रुपये स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य स्कीमों के लिये रखे गये हैं ।

4--उत्तराखंड के तीन जिलों--चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काशी के लिये चौथी योजना में 25.00 लाख रुपये की धनराशि का अलग से प्राविधान किया गया है । अनुमान है कि योजना के पहले तीन वर्षों में 12.96 लाख रुपये का व्यय होगा । वर्ष 1972-73 के लिये 5.30 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है ।

5--शैक्षिक स्कीमों में छात्र-वेतन देना, अनावर्तक सहायता प्रदान करना, पिछड़े वर्गों के छात्रों की निःशुल्क शिक्षा के कारण मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं की होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करना, हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के अनुरक्षण के लिये स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान देना तथा प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष छात्र-वेतन देने की स्कीमें . अनुसूचित जन-जातियों तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों को केंद्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के अधीन दशमोत्तर कक्षाओं में (Post matric) छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं । वर्ष 1972-73 में दसवीं कक्षा से नीचे के 52 हजार छात्रों को छात्र-वेतन तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 20.4 हजार छात्रों को छात्रवृत्तियां, 27.2 हजार छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति तथा दस्तकारी के प्रशिक्षण के लिये 1.3 हजार छात्रों को छात्र-वेतन देना प्रस्तावित है । यह भी प्रस्ताव है कि जूनियर हाई स्कूल, खटीमा का हाई स्कूल स्तर पर उन्नयन कर दिया जाय ।

6--आर्थिक विकास स्कीमों के अन्तर्गत कृषि एवं कुटीर उद्योगों तथा अनुसूचित जन-जातियों के पुनर्वास के लिये सहायता दी जाती है । अनुसूचित जन-जातियों के पुनर्वास पर 5,000 रुपये प्रति परिवार व्यय होता है । प्रस्तावित है कि तीन प्राविधिक केंद्रों तथा गोविन्द बल्लभ पंत पालिटेक्निक, लखनऊ का उन्नयन किया जाय । पिछड़े वर्गों के लाभार्थ केंद्र द्वारा पुरोनिधानित मौजूदा स्कीमें वर्ष 1972-73 में भी चलती रहेंगी । इन स्कीमों में विशेष क्षेत्रीय प्रायोजनाओं की स्कीमें तथा नागर क्षेत्रों में भंगियों के लिये गृह-निर्माण, विमुक्त जन-जातियों की दस्तकारी में प्रशिक्षण पाने के लिये अनुदान/सहायता, कृषि विकास कार्य-क्रम तथा उद्योग, विमुक्त व्यक्तियों के लिये गृह निर्माण तथा पुनर्वास तथा हरिजनों के मकानों के लिये भूमि आवण्टन आदि की स्कीमें सम्मिलित हैं । पीने के पानी की प्रायोजनाओं के लिये राज्य सहायता भी दी जाती है ।

7--चौथी योजना में समाज कल्याण कार्य-क्रमों के लिये 100.00 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है । पहले दो वर्षों में 17.79 लाख रुपये व्यय हुये । वर्ष 1971-72 के बजट में इसके लिये 22.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । वर्ष

1972–73 के लिये भी 22.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। चौथी योजना के उत्तराखंड के वास्ते 4.58 लाख रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि योजना मे पहले तीन वर्षों में 0.52 लाख रुपये का व्यय हो जायगा। वर्ष 1972–73 के लिये 0.40 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।

8—श्रमजीवी महिलाओं के लिये आवासिक सुविधा वाले होस्टल, निराश्रित महिलाओं के लिये प्रशिक्षण एवं छायादार कर्मशालाओं (शेल्टर्ड वर्कशाप), शिशु-गृहों तथा बाल-बाड़ी केंद्रों, बाल निकेतन और फास्टर केयर-गृहों की चल रही स्कीमें वर्ष 1972–73 में भी चलती रहेगी। किशोर अपराधियों तथा युवक अपराधियों के सुधार के लिये उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 (यू० पी० चिल्ड्रेन ऐक्ट, 1951) लागू किया गया था। वर्ष 1971–72 के अन्त तक यह अधिनियम राज्य के 10 जिलों में लागू हो जायगा। इन जिलों में सुधार अधिकारियों की नियुक्ति तथा सम्वीक्षण (आब्जर्वेशन) गृह की स्थापना की जायगी। "सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, 1956" का कार्यान्वयन और अच्छी तरह करने के लिये राज्य में बचाव संगठन (रेस्क्यू आर्गेनाइजेशन) स्थापित किये गये हैं। मानसिक दृष्टि से अविकसित बच्चों के लिये विद्यालय, अन्धों के लिये विद्यालय, ब्रेल पुस्तकालय, अन्धे व्यक्तियों के लिये कर्मशालाओं तथा मूक एवं बधिरों के लिये विद्यालयों की स्थापना की गई है। विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कृत्रिम अंगों की खरीद के लिये आर्थिक सहायता भी दी जाती है। समाज कल्याण कार्य-क्रम में लगी हुई स्वैच्छिक संस्थाओं को भी राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है।

9—राज्य के कृषि क्षेत्रों में छोटे किसानों तथा भूमिहीन व्यक्तियों का आधिक्य है। राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के वर्ष 1967–68 के अनुमानों से यह प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश में तीन चौथाई से कुछ ही कम (73 प्रतिशत) कृषकों के पास 5 एकड़ से कम की जोतें हैं। आधे ग्रामीण परिवारों (48.29 प्रतिशत) के पास 2.5 एकड़ से कम की जोतें हैं। राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की समस्या भी गम्भीर है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में छोटी जोतों तथा भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने से समस्या की गम्भीरता और भी बढ़ जाती है।

10—राज्य में विभिन्न अधिनियमों जैसे जमींदारी विनाश अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिक तम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (यू० पी० इम्पोजिशन आफ सीलिंग आफ-लैण्ड होल्डिंग एक्ट, 1960) और भूदान के अधीन प्राप्त भूमि के आवंटन में भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। 30 जून, 1971 को वितरण के लिये उपलब्ध गांव सभा की 7.36 लाख हेक्टेयर भूमि में से 3.61 लाख हेक्टेयर भूमि छोटे किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को वितरित की गयी। 30 जून, 1971 तक उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 (यू०पी० इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट, 1960) के अधीन प्राप्त 0.86 हेक्टेयर (2.12 लाख एकड़) भूमि में से 0.65 (1.61 लाख एकड़) लाख हेक्टेयर भूमि का बन्दोबस्त इस अवधि के दौरान किया जा चुका है। 1971 तक भूदान में मिली 0.89 लाख हेक्टेयर (2.19 लाख एकड़) भूमि छोटे कृषकों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है। भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन तथा समुचित सिफारिशें देने के लिये भूमिहीन श्रमिकों के बारे में एक कार्यकारी दल (working group) का गठन किया जा चुका है। उक्त दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

11—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में वर्ष 1970 में हुए एक संशोधन के अधीन 2.52 हेक्टेयर (6.25 एकड़) से कम की जोत वाले भू-स्वामियों को मालगुजारी देने से माफ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में संशोधन किया गया है जिससे कि उन व्यक्तियों को

जिन्हें दूसरे गांवों में भूमि आवंटित की गयी हो उक्त भूमि पर स्थायी अधिकारी प्राप्त हो सके। जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक जिला भूमि सुधार समिति गठित की गई है जो गांव सभा में सन्निहित भूमि तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन घोषित फालतू भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करती है।

12—राज्य में एक हेक्टेयर से तीन हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों के लाभ के लिये चार लघु कृषक विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक प्रायोजना के लिये जो जिला फतेहपुर, बदायूं, रायबरेली और प्रतापगढ़ में चल रही है, 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध की जायगी। इन चार जिलों में अभी तक छोटे किसानों की कुल संख्या 2.22 लाख आंकी गई है। इन एजेंसियों का मुख्य कार्य मूल रूप से भूमि विकास बैंक, अन्य बैंकों तथा वर्तमान सहकारी अवस्थापना (Cooperative Infrastructure) के माध्यम से ऋण और राज-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना है। लघु सिंचाई कार्य-क्रमों, फसलों, कस्टम सर्विस, गोदामों और सहायक व्यवसायों जैसे दुग्ध तथा कुक्कुट पालन व्यवसाय के लिये सहायता दी जाती है। इन कार्य-क्रमों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत तक राज सहायता दी जाती है। कृषि उद्योग निगम ने भी इन प्रायोजनाओं के क्षेत्रों में कस्टम सर्विस केंद्र स्थापित किये हैं।

13—सीमांत (मार्जिनल) किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये भी मथुरा और बलिया जिलों में दो प्रायोजनायें चालू की गई हैं। इन दो जिलों में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 29,209 है। इनके अन्तर्गत लिये जाने वाले मुख्य कार्य-क्रम हैं—लघु सिंचाई, फसल संबंधी ऋण (क्राप लोन) कस्टम सर्विस तथा सहायक व्यवसाय जैसे दुग्ध और कुक्कुट पालन व्यवसाय। इसके अलावा अन्य ग्रामीण कार्य-क्रम (रूरल कार्य-क्रम) भी लिये जायेंगे जिससे कृषक मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन हो सके। दीर्घकालिक ऋण भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिये जाते हैं तथा मध्यकालिक और अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाते हैं। लघु सिंचाई कार्य-क्रमों, कस्टम सर्विस, दुधारू पशुओं तथा कुक्कुटों की खरीद के लिये लागत मूल्य के 33 1/3 प्रतिशत तक राज सहायता जाती है।

14—ग्राम तथा लघु उद्योगों के द्वारा मुख्यतः निर्धन वर्गों को लाभ पहुंचता है। इस क्षेत्र के अधीन प्रोन्नत संबंधी कार्यक्रम इस उद्देश्य से चलाये जाते हैं ताकि ये उद्योग बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकें। हथकरघा उद्योग के विकास के संबंध में प्रोन्नति संबंधी कार्य-क्रम चलाये गये हैं। यह आशा की जाती है कि योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 7,495 करघों (लूम्स) सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जायेंगे। रजिस्टर्ड लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। राज्य के 54 जिलों में से 36 जिलों को पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है। इन जिलों में लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये केंद्र तथा राज्य की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता दी जा रही है।

15—हस्त शिल्प के विकास के लिये 70.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। पहले दो वर्ष में 11.33 लाख रुपये व्यय किये गये तथा वर्ष 1971–72 के लिये 10.90 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1972–73 के लिये 13.11 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। तीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। अन्य कार्य-क्रमों के अन्तर्गत नये डिजाइन निकालना, सहकारी समितियां स्थापित करना, निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने का कार्य क्रम सम्मिलित है। यह प्रस्तावित है कि राज्य में एक डिजाइन केंद्र तथा एक रंगाई केंद्र स्थापित किया जायगा। खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार राज्य खादी तथा ग्राम परिषद् को सहायता प्रदान करती है।

16––ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किये हुये हैं। ग्रामीण बेरोजगारी के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी दोनों ही की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की अधिक सुविधायें दिये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर केंद्र द्वारा पुरोनिधानित एक त्वरित कार्य-क्रम (Crash programme) 2 अक्तूबर, 1971 से आरम्भ किया गया है। इस योजना के अधीन श्रम प्रधान निर्माण कार्य लिये जायेंगे जिससे प्रत्येक जिले में 1,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रत्येक जिले को प्रति वर्ष 12.50 लाख रुपये की धनराशि इस कार्य के लिये 3 वर्ष रोजगार की अवधि तक दी जावेगी। इस कार्य पर 6.75 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

17––ग्रामीण निर्माण कार्य-क्रम (रूरल वर्क्स प्रोग्राम) भी मुख्यतः श्रम प्रधान कार्यक्रम हैं और राज्य के 6 सूखा ग्रस्त जिलों मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर और जालौन में चलाये गये हैं। इनसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा प्राप्त होती हैं।

18––राज्य में शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार की स्थिति आमतौर पर खराब रही है। इस स्थिति का एक मुख्य कारण यह है कि जिस गति से शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है उसके अनुरूप नये रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों के विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में किये गये अध्ययनों में भी कुछ कमियां हैं क्योंकि बहुत से लोग सेवायोजन कार्यालयों में अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं। दूसरी ओर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रोजगार पर लगे हैं लेकिन फिर भी अपना पंजीकरण करा देते हैं ताकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक अच्छा रोजगार मिल सके। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या के आधार पर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या वर्ष 1961 में 1.02 लाख से बढ़कर 1969 में 1.58 लाख हो गई। एक और अनुमान (राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण) के अनुसार वर्ष 1969 में यह संख्या 2.21 लाख थी।

19––वर्ष 1966 से स्थिति और बिगड़ गई है और बहुत से अभियंताओं तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सका।

20––तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में अपने धंधों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग तथा कृषि में डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त व्यक्तियों तथा आई० टी० आई० से प्रशिक्षित व्यक्तियों को कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना हेतु ऋण देने के लिये एक योजना आरम्भ की है। इन केंद्रों में ट्रैक्टरों, पंपिंग सेटों और अन्य कृषि उपकरणों की कस्टम सर्विस तथा इन यंत्रों की मरम्मत की सुविधायें रहेंगी। ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि यंत्र किराया-खरीद प्रणाली द्वारा भी ऋण-ग्रहिताओं को उपलब्ध कराये जाते हैं। ये केंद्र कृषि संबंधी निवेशों (inputs) के लिये एजेंटों तथा स्टाकिस्टों का भी काम कर सकते हैं। इस स्कीम को राज्य कृषि उद्योग निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

———

परिशिष्ट 1

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के 1971-72 में प्रत्याशित व्यय तथा 1972-73 के परिव्यय

(लाख रु०)

शीर्षक / मद	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देल खण्ड जिले		3 उत्तराखण्ड जिले	
	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 कृषि उत्पादन ..								
(क) कृषि विभाग ..	53.25	83.93	133.30	117.44	74.89	59.33	5.00	5.00
(ख) मलोपयोग ..	..	..	6.00	10.73	..	..	..	..
(ग) फलोत्पादन ..	30.70	34.43	0.39	0.76	..	0.25	12.70	13.10
(घ) गन्ना ..	3.28	4.50	17.28	17.50	..	..	..	..
(ङ) चकबन्दी ..	2.00	7.25	336.63	316.83	10.85	23.75	..	..
योग 1.1 कृषि उत्पादन ..	89.23	130.11	493.60	463.26	85.74	83.33	17.70	18.10
1.2 लघु सिंचाई								
(क) निजी ..	50.00	46.88	249.00	249.00	91.25	53.00	..	0.80
(ख) राजकीय ..	49.20	64.50	575.00	635.00	24.00	40.00	23.52	15.20
योग 1.2 लघु सिंचाई ..	99.20	111.38	824.00	884.00	115.25	93.00	23.52	16.00

1.3 भूमि संरक्षण								
(क) कृषि विभाग ..	38.15	52.53	148.00	126.28	66.25	63.12	8.00	8.50
(ख) वन विभाग	..	..	0.13	0.13	12.38	12.37	..	..
योग 1.3 भूमि संरक्षण ..	38.15	52.53	148.13	126.41	78.63	75.49	8.00	8.50
1.5 कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान ..	40.87	30.71	1.95	4.34	0.55	1.71	..	..
योग 1 कृषि कार्यक्रम ..	267.45	324.73	1467.68	1478.01	280.17	253.53	49.22	42.60
2.1 पशुपालन ..	13.05	13.71	35.76	36.15	7.70	6.65	9.87	8.80
2.2 दुग्धशाला तथा दुग्ध-वितरण	3.04	5.34	25.83	29.71	..	..	..	..
2.3 वन ..	70.00	93.87	57.53	57.79	19.45	19.87	45.63	45.50
2.4 मत्स्य ..	0.52	2.15	5.88	6.82	3.55	6.99	..	..
2.5 भांडागार ..	1.12	2.63	4.46	2.60	9.28	1.84	..	..
योग 2 समवर्गी कार्यक्रम	87.73	117.70	129.46	133.07	39.98	35.35	55.50	54.30
योग 1 व 2 कृषि तथा समवर्गी कार्यक्रम ..	355.18	442.43	1597.14	1611.08	320.15	288.88	104.72	96.90

परिशिष्ट—1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

शीर्षक/मद	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखण्ड जिले		3 उत्तराखण्ड जिले	
	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1 सहकारिता :								
(क) सहकारिता विभाग	14.07	18.06	58.86	92.28	6.71	21.24	5.50	3.80
(ख) उद्योग विभाग	..	..	20.00	25.00	..	..	..	..
(ग) वित्त विभाग ..	2.83	4.89	..	1.76	..	0.49	..	..
योग 3.1 सहकारिता ..	16.90	22.95	78.86	119.04	6.71	21.73	5.50	3.80
3.2 सामुदायिक विकास	13.83	11.69	95.20	77.00	11.75	7.82	..	..
3.3 पंचायत ..	1.82	2.11	15.09	16.70	1.83	2.02	..	..
योग 3 सहकारिता तथा सामुदायिक विकास ..	32.55	36.75	189.15	212.74	20.29	31.57	5.50	3.80

4.1 सिंचाई ..	22.30	55.30	1022.00	983.00	75.00	47.00	..	..
4.2 बाढ़ नियन्त्रण ..	7.53	22.70	66.74	141.00	1.00	1.50	..	..
4.3 विद्युत् ..	312.00	375.32	3080.00	2971.70	264.00	377.60	33.55	32.00
योग 4 सिंचाई तथा विद्युत् ..	341.83	453.32	4168.74	4095.70	340.00	426.10	33.55	32.00
5.2 खनिज विकास ..	..	..	..	..	..	..	0.40	0.20
5.3 ग्राम्य और लघु उद्योग	10.65	26.01	63.43	66.17	12.17	14.74	10.20	9.10
योग–5 उद्योग तथा खनिकर्म ..	10.65	26.01	63.43	66.17	12.17	14.74	10.60	9.30
6.1 सड़कें ..	157.37	307.20	171.51	245.50	81.04	141.00	132.06	130.00
6.3 पर्यटन ..	1.60	3.75	2.58	2.82	..	1.00	10.00	10.00
योग–6 परिवहन तथा संचार	158.97	310.95	174.09	248.32	81.04	142.00	142.06	140.00
7.1 सामान्य शिक्षा								
(क) शिक्षा विभाग	78.07	99.79	280.08	361.39	53.45	66.83	43.12	45.50
(ख) खेलकूद ..	0.12	0.12	..	..	..	..	..	..
(ग) सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान।	2.05	1.00	..	..	..	..	..	..
योग 7.1 सामान्य शिक्षा ..	80.24	100.91	280.08	361.39	53.45	66.83	43.12	45.50

परिशिष्ट—1 (समाप्त) (लाख रुपयों में)

शीर्षक/मद	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देल खण्ड जिले		3 उत्तराखंड जिले	
	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय	1971-72 का प्रत्याशित व्यय	1972-73 का परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2 प्राविधिक शिक्षा ..	26.85	24.54	29.44	35.37	2.40	5.13	..	..
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	19.60	20.42	128.52	228.19	82.50	80.54	13.85	15.00
7.5 जल सम्पूर्ति ..	90.00	64.00	131.01	134.10	57.28	87.15	51.42	53.00
7.6 आवास ..	2.00	5.00	35.00	50.00	..	10.00	..	..
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण।	12.15	19.43	29.99	72.22	4.70	9.55	5.00	5.30
7.8 समाज कल्याण ..	1.80	1.99	6.78	7.53	1.26	1.13	0.25	0.40
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण	2.63	5.30	1.98	7.78	0.47	3.26	..	..
योग—7 समाज सेवायें ..	235.27	241.59	642.80	896.58	202.06	263.59	113.64	119.20

8.1 सांख्यिकी	..	0.02	0.06	0.07	0.06	0.01	0.05	..	..
8.2 सूचना एवं प्रसार	..	0.16	0.23	..	..	..	..	0.69	0.80
8.6 ग्रामीण जनशक्ति	..	..	..	84.54	36.50	2.45	1.08	..	..
योग—8 विविध	..	0.18	0.29	84.61	36.56	2.46	1.13	0.69	0.80
कुल योग (1—8)	..	1134.63	1511.34	16919.96	7167.15	978.17	1168.01	410.76	402.00

परिशिष्ट—2

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में 1971–72 में प्रत्याशित उपलब्धियां तथा 1972–73 के लक्ष्य

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखण्ड जिले	
		1971-72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य	1971-72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य	1971-72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1—कृषि उत्पादन							
(1) खाद्यान्न उत्पादन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	लाख मी० टन	0.78	1.15	7,53	11.03	1.98	2.91
(2) उन्नत बीज के अन्तर्गत क्षेत्र :							
(क) अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र ..	हजार हेक्टेयर	59.04	67.28	1120.08	1281.72	88.52	98.95
(ख) अन्य उन्नतशील किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	”	55.28	57.35	889.84	926.49	119.30	125.50

(3) रासायनिक उर्वरकों का वितरण:							
(क) नत्रजन	हजार मी०टन	11.44	11.99	161.49	169.37	6.62	6.94
(ख) फास्फेट	"	3.75	4.02	62.62	67.09	3.06	3.28
(ग) पोटाश ..	"	2.80	2.80	48.76	48.76	1.14	1.14
(4) पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	लाख हेक्टर	2.20	2.49	27.79	30.40	6.47	7.10
2—फलोत्पादन :							
(1) फल वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त) ..	हजार हेक्टर	3.20	3.20	..	..	..	..
(2) कीटाणुओं की रोकथाम ..	"	7.20	7.20	..	..	..	..
3—भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	हजार हेक्टर	5.70	6.65	92.07	93.42	37.10	37.60
4—जोतों की चकबन्दी (अतिरिक्त क्षेत्र) ..	लाख हेक्टर	0.16	..	4.97	3.91	0.16	0.36
5—निजी लघु सिंचाई :							
(1) सिंचन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	हजार हेक्टर	7.25	7.47	163.29	171.39	34.14	36.11
(2) पक्के कुयें	संख्या	30	30	10500	10500	3000	3600
(3) डीप बोरिंग ..	"	25	10	26000	26000	890	985
(4) पम्पिंग सेट	"	550	530	8000	8000	2050	2125
(5) रहट	"	10	10	2500	2500	2000	2240
(6) निजी नलकूप ..	"	450	460	15000	16000	50	150
(7) बन्धियों का निर्माण (लाभान्वित क्षेत्र)	हेक्टर ..	..	..	1214	1214	21833	21833
(8) गूलों का निर्माण ..	कि०मी०	400	425	..	..	..	..

परिशिष्ट–2 (क्रमशः)

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले 1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	5 पर्वतीय जिले 1972–73 लक्ष्य	15 पूर्वी जिले 1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	15 पूर्वी जिले 1972–73 लक्ष्य	4 बुन्देलखंड जिले 1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	4 बुन्देलखंड जिले 1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
6—राजकीय सिंचाई—							
(1) लघु सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त) ..	हजार हेक्टर	2.15	2.88	68.59	66.48	0.94	3.52
(2) वृहद एवं मध्यम सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	„	..	..	100.33	111.28	..	10.12
(3) राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण (अतिरिक्त) ..	संख्या	10	15	370	375	5	15
7—पशुपालन:—							
(1) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (अतिरिक्त)	संख्या	2	5	7	..	2	..
(2) कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र (अतिरिक्त) ..	„	31	32	120	7	21	1

(3) पशु चिकित्सालय एवं औषधालय (अतिरिक्त) ..	"	4	5	1	..	4	..
(4) पशु सेवा केन्द्र (स्टाकमैन सेंटर्स) (अतिरिक्त) ..	"	18	32	15	..	5	..
(5) भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र (अतिरिक्त) ..	"	1	..	25	17	..	1
8—वन—							
(1) आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों की प्रजातियों का रोपण ..	हजार हेक्टर	3.00	3.32	2.80	2.80	..	..
(2) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का रोपण	हजार हेक्टर	4.23	4.10	6.25	6.25	0.25	0.25
(3) नई सड़कों का निर्माण ..	कि० मी०	36	73	132	82	..	38
(4) पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार	"	66	72	135	62	65	50
9—सहकारिता :							
(1) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (क) संख्या ..	संख्या	44	27	572	162	36	22
(ख) सदस्य ..	लाख	0.106	0.106	1.815	1.815	0.130	0.130
(2) कृषि ऋण वितरण	करोड़ रु0						
(क) अल्पकालीन ..	"	2.0	2.20	15.45	16.30	3.20	3.60
(ख) मध्यकालीन ..	"	0.38	0.39	1.91	1.99	0.18	0.18
(ग) दीर्घकालीन ..	"	0.15	0.15	10.68	10.68	1.30	1.30
(3) ग्रामीण गोदाम (अतिरिक्त)	संख्या	5	15	17	45	8	12
(4) प्राथमिक क्रय विक्रय समितियां	संख्या	..	1	1	2	..	1

परिशिष्ट--2 (क्रमशः)

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखंड जिले	
		1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
10—विद्युत्—							
(1) ग्राम एवं कस्बों का विद्युतीकरण (अतिरिक्त) ..	संख्या	90	280	800	1200	80	120
(2) निजी नलकूपों/पम्पसेटों का विद्युतीकरण (अतिरिक्त) ..	संख्या	430	430	17850	17850	600	600
11—ग्राम्य एवं लघु उद्योग—							
(1) ऋण तथा अनुदान वितरण ..	लाख रु०	3.00	5.00	22.50	17.00	5.00	12.5
(2) लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना (अतिरिक्त) ..	संख्या	60	98	910	950	175	200
(3) हथकरघा वस्त्र का उत्पादन	लाख मीटर	8.00	10.00	527.00	665.00	69.80	90.00

12—सड़कें—							
(1) नई सड़कों का निर्माण (अतिरिक्त)	कि० मी०	50	45	80	102	11	35
(2) पुरानी सड़कों का पुर्ननिर्माण एवं सुधार (अतिरिक्त) ..	”	40	40	111	65	25	35
(3) पुलों का निर्माण (अतिरिक्त)	संख्या	3	4	4	7	1	2
13—सामान्य शिक्षा:—							
(1) भर्ती (क) कक्षा (1–5)							
1—कुल ..	लाख	4.02	4.10	45.14	45.60	5.17	5.23
2—लड़कियां ..	”	1.54	1.62	17.54	17.88	1.95	1.99
(ख) कक्षा (6–8)							
1—कुल ..	”	1.02	1.07	7.10	7.40	1.01	1.05
2—लड़कियां ..	”	0.26	0.26	1.12	1.21	0.23	0.24
(ग) कक्षा (9–12)							
1—कुल	लाख	0.63	0.67	4.40	4.66	0.59	0.61
2—लड़कियां	”	0.16	0.18	0.52	0.59	0.09	0.10
(2) प्राइमरी स्कूल (अतिरिक्त) ..	संख्या	25	30	131	40	9	10
(3) जूनियर हाई स्कूल (अतिरिक्त)	”	24	13	81	70	21	16
(4) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल (अतिरिक्त) ..	”	10	10	30	30	8	8
(5) डिग्री कालेज (अतिरिक्त) ..	”	2	..	..	2	..	1

परिशिष्ट—2 (समाप्त)

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देल खण्ड	
		1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	1971–72 प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
14—प्राविधिक शिक्षा—							
(1) कार्यरत डिप्लोमा संस्थायें ..	संख्या	2	2	12	12	1	1
(2) भर्ती	,,	162	280	1693	2020	201	300
15—स्वास्थ्य—							
(1) औषधालय (अतिरिक्त) ..	,,	6	6	25	113	3	6
(2) चिकित्सालय/औषधालय में शैय्यायें (अतिरिक्त)	,,	82	74	221	960	318	180
(3) टी० बी० क्लीनिक (उन्नय)	,,	1	..	2	..	1	..
(4) बाल क्लीनिक (अति०) ..	,,	1	..	..	..	..	..
(5) दन्त क्लीनिक ..	,,	..	..	1	..	1	.

(6) मेडिकल कालेज में भर्ती ..	"	..	..	100	100	50	50
(7) अनुर्वरीकरण (स्टेरीलाइजेशन)	"	5337	अप्राप्त	57997	अप्राप्त	7505	अप्राप्त
(8) लूप (आई० यू० सी० डी०) निवेशन	"	6951	अप्राप्त	75574	अप्राप्त	9788	अप्राप्त
17—जल सम्पूर्ति—							
(1) नगरीय							
(क) नगर (अतिरिक्त) ..	संख्या	..	..	..	2	..	..
(ख) लाभान्वित जन संख्या (अतिरिक्त) ..	लाख	..	..	..	0.14		..
(2) ग्रामीण—							
(क) ग्राम ..	संख्या	237	165	130	204	108	60
(ख) लाभान्वित जनसंख्या ..	लाख	0.43	0.43	0.40	0.96	0.51	0.45

परिशिष्ट 3

चौथी योजना में उत्तराखण्ड के परिव्यय तथा व्यय

विकास मद—8 विविध

सेक्टर—8.4 सीमान्त जिलें

(लाख रु० में)

विकास मद/सेक्टर	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय		1969–70 व्यय	1970–71 व्यय	1971–72		1972–73 परिव्यय	
	कुल	पूंजी			परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1—कृषि उत्पादन—								
(क) कृषि विभाग ..	44.00	..	2.80	3.99	5.00	5.00	5.00	0.18
(ख) फलोत्पादन ..	60.00	36.22	14.78	17.39	12.70	12.70	13.10	8.02
योग 1.1 कृषि उत्पादन ..	104.00	36.22	17.58	21.38	17.70	17.70	18.10	8.20
1.2—लघु सिंचाई—								
(क) निजी ..	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80
(ख) राजकीय ..	70.00	70.00	9.98	12.35	21.60	23.52	15.20	15.20
1.3—भूमि संरक्षण ..	20.00	..	2.79	6.77	7.60	8.00	8.50	..
योग 1. कृषि कार्यक्रम ..	194.00	106.22	30.35	40.50	46.90	49.22	42.60	24.20

2.1—पशुपालन ..	50.00	23.94	14.98	11.13	9.86	9.87	8.80	5.23
2.3—वन ..	200.00	80.81	33.57	52.74	45.63	45.63	45.50	23.07
योग–2–समवर्गी कार्यक्रम	250.00	104.75	48.55	63.87	55.49	55.50	54.30	28.30
योग 1 व 2 कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम	444.00	210.97	78.90	104.37	102.39	104.72	96.90	52.50
3.1—सहकारिता ..	25.00	11.83	2.57	2.94	7.03	5.50	3.80	1.60
3.2—सामुदायिक विकास..	7.75	..	7.04	0.39	..	..	..	..
योग–3 सहकारिता तथा सामुदायिक विकास ..	32.75	11.83	9.61	3.33	7.03	5.50	3.80	1.60
4.3—विद्युत् ..	175.00	175.00	48.28	42.91	33.55	33.55	32.00	32.00
5.2—खनिज विकास ..	2.50	..	0.77	0.77	0.40	0.40	0.20	..
5.3—ग्राम एवं लघु उद्योग	54.00	8.66	6.79	7.66	11.02	10.20	9.10	2.40
योग 5–उद्योग तथा खनिज	56.50	8.66	7.56	8.43	11.42	10.60	9.30	2.40
6.1—सड़कें ..	740.00	679.43	115.75	152.42	115.00	132.06	130.00	130.00
6.3—पर्यटन ..	63.07	63.07	13.37	11.51	16.22	10.00	10.00	10.00
योग–6–यातायात तथा संचार साधन ..	803.07	742.50	129.12	163.93	131.22	142.06	140.00	140.00

परिशिष्ट 3—(समाप्त) (लाख रुपयों में)

विकास मद/सेक्टर	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय		1969–70 व्यय	1970–71 व्यय	1971–72		1972–73 परिव्यय	
	कुल	पूंजी			परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1—सामान्य शिक्षा ..	225.00	134.86	29.05	83.28	43.13	43.12	45.50	26.21
7.4—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन ..	100.00	50.96	14.92	15.81	13.90	13.85	15.00	3.86
7.5—जल सम्पूर्ति ..	130.00	95.39	29.90	45.87	51.42	51.42	53.00	53.00
7.7—पिछड़ी जातियों का कल्याण ..	25.00	..	3.11	4.85	5.00	5.00	5.30	..
7.8—समाज कल्याण ..	4.58	..	0.09	0.18	0.25	0.25	0.40	..
योग–7–समाज सेवायें ..	484.58	281.21	77.07	149.99	113.70	113.64	119.20	83.07
8.2—सूचना तथा प्रसार ..	4.10	..	0.86	0.48	0.69	0.69	0.80	..
कुल योग (1–8) ..	2000.00	1430.17	351.40	473.44	400.00	410.76	402.00	311.57

परिशिष्ट 4

तीन उत्तराखण्ड जिलों में 1971–72 में प्रत्याशित उपलब्धियां तथा 1972–73 के भौतिक लक्ष्य

मद	इकाई	1971–72 में प्रत्याशित उपलब्धि	1972–73 का लक्ष्य
1	2	3	4
1—कृषि उत्पादन—			
(1) खाद्यान्न उत्पादन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त) ..	हजार मी० टन	8.8	20.8
(2) अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हेक्टर	13.60	17.04
(3) रसायनिक उर्वरकों का वितरण	मी० टन	884	2,080
2—फलोत्पादन—			
(1) फल वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	हेक्टर	320	240
(2) पौध सुरक्षा के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	,,	320	320
3—भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	हेक्टर	624	900
4—राजकीय सिंचाई—			
लघु सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	हेक्टर	335	260
5—वन—			
(1) आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों की प्रजातियों का रोपण ..	हेक्टर	400	400
(2) नई सड़कों का निर्माण ..	कि० मी०	47.5	90.0
(3) पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार	,,	297.5	219.0
(4) लीसा विदोहन	कुन्तल	22000	22000
6—सहकारिता—			
(1) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सदस्यता	लाख	0.024	0.024
(2) कृषि ऋण वितरण—			
(क) अल्पकालीन ..	करोड़ रु०	0.460	0.510
(ख) मध्यकालीन	,,	0.237	0.285
(3) ग्रामीण गोदाम (अतिरिक्त) ..	संख्या	6	6

परिशिष्ट 4—(समाप्त)

मद	इकाई	1971-72 में प्रत्याशित उपलब्धि	1972-73 का लक्ष्य
1	2	3	4
7—विद्युत्—			
ग्राम एवं कस्बों का विद्युतीकरण (अतिरिक्त)	"	62	15
8—ग्राम्य एवं लघु उद्योग—			
(1) ऋण तथा अनुदान वितरण ..	लाख रु०	2.60	3.00
(2) लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना	संख्या	51	55
9—सड़कें—			
(1) नई सड़कों का निर्माण (अतिरिक्त)	कि० मी०	23	40
(2) पुरानी सड़कों का पुन निर्माण एवं सुधार (अतिरिक्त)	"	22	20
(3) पुलों का निर्माण (अतिरिक्त) ..	संख्या	6	11
10—सामान्य शिक्षा—			
(1) भर्ती			
(क) कक्षा (1-5) ..	लाख	0.915	1.030
(ख) कक्षा (6-8) ..	"	0.183	0.197
(ग) कक्षा (9-12) ..	"	0.095	0.106
(2) प्राइमरी स्कूल (अतिरिक्त) ..	संख्या	15	15
(3) जूनियर हाई स्कूल (अतिरिक्त)	"	17	15
(4) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल (अतिरिक्त)	"	6	3
11—स्वास्थ्य—			
(1) चिकित्सालय/औषधालय (अतिरिक्त)	"	14	13
(2) चिकित्सालय/औषधालय में शैय्यायें (अतिरिक्त)	"	56	52
12—ग्रामीण जल सम्पूर्ति—			
(क) लाभान्वित ग्राम ..	संख्या	204	122
(ख) लाभान्वित जनसंख्या ..	लाख	0.297	0.299

(25)

प्रशासनिक नीति तथा संस्थात्मक रूपरेखा

नियोजन सम्बन्धी प्रक्रियाओं का दीर्घकालीन अनुभव के पृष्ठ भूमि में विकास संबंधी प्रशासन में काफी हद तक दक्षता प्राप्त कर ली गई है। लोगों म योजना के प्रति सामान्यतया जागृति की भावना है और भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की अभिवृद्धि के क्षेत्रों मे दूरगामी नियोजन की आवश्यकता के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जागरुकता है। यह भी अनुभव हुआ है कि यद्यपि प्रशासनिक (प्रक्रिया) में और संस्थात्मक यन्त्र-विन्यास (mechanism) विकास के लिये अवस्थापना (infrastructure) का सृजन करते हैं। फिर भी विचारों के आदान प्रदान तथा अनुभव के पारस्परिक विनिमय की सदैव बड़ी आवश्यकता रही है। नियोजन के तीन महत्वपूर्ण कार्यों, अर्थात योजना के बनाये जाने उसके कार्यान्वियन तथा मूल्यांकन के कार्य ने प्रशासनिक कार्यकलाप के क्षेत्र में एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसा नियोजन जिसका आधार समाजवादी हो निश्चय ही आगे चल कर समाज का परिवर्तन करने में समर्थ होगा। यह उक्ति उपयुक्त है कि नियोजन समाज के आधारभूत एक बड़े प्रयोजन को बढ़ावा देने के प्रबुद्ध प्रयास में विज्ञान का अधिकाधिक उपयोग है।

2—आर्थिक तथा विकासात्मक नियोजन की नीतियों को नयी दिशा प्रदान करन तथा उन्हें एक समन्वित काय योजना से सम्बद्ध करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में एक राज्य नियोजन परिषद की स्थापना की गई है। यह परिषद् राज्य में नयोजन सम्बन्धी नीतियों का उपयुक्त मार्ग-दर्शन करने के लिये सर्वोच्च संस्था होगी। नियोजन की प्रविधियों को और प्रभावकारी तथा उपयोगी बनाये जान क लिये एक राज्य नियोजन संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। इसमें निम्नलिखित प्रभाग होंगे :

1—अर्थ और संख्या प्रभाग।

2—शोध तथा कार्य प्रभाग।

3—मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग।

4—परिप्रेक्ष्य (Perspective) नियोजन प्रभाग।

5—जन शक्ति नियोजन प्रभाग।

6—सम्भागीय तथा जिला नियोजन प्रभाग।

3—वर्तमान अर्थ तथा संख्या एवं मूल्यांकन निदेशालय और विकास अन्वेषणालय प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इन्सटिट्यूट राज्य नियोजन संस्थान के अंग होंगे। आशा है कि यह संस्थान शीघ्र ही कार्य करने लगेगा तथा 72–73 और उसके आगे से योजना के बनाये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शन कर सकेगा।

4—संभागीय तथा स्थानीय नियोजन पर राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक जोर दिया गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जायगा कि प्रस्तावित नियोजन संस्थान में एक अलग प्रभाग सभागीय तथा जिला नियोजन क कार्य की देख भाल करेगा। सम्भागीय योजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रभागीय नियोजन समितियों और जिला योजना कार्यान्वियन समितियों को और अधिक प्रतिनिधिक स्वरूप प्रदान करक उन्हें सशक्त बनान की कार्यवाही की जा रही है। इससे नीचे से नियोजन की प्रक्रिया सुदृढ़ होगी।

जिला स्तर पर तैयार की गई योजनायें, जो कि अन्ततः राज्य योजनाओं में सम्मिलित की जायेगी, स्थानीय आवश्यकताओं तथा संभावनाओं की परिचायक होंगी। योजना आयोग के परामर्श से समस्त जिलों के लिये जिला योजनायें तैयार करने के हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है और इस सम्बन्ध में ब्योरेवार निदेशक-सिद्धान्त परिचालित कर दिये गये हैं। योजना आयोग की सहायता से जिला योजनायें तैयार करने के लिये चार जिले चुने गये हैं। जिला योजनाओं के तैयार करने में स्थानीय संसाधनों के विकास तथा स्थानीय क्षमता के उपयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि जिला योजनाओं की तैयारी का कार्य इस वर्ष की समाप्ति तक पूरा हो जायगा। यह सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि राज्य योजना में विभिन्न क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना का कार्य तथा आवश्यकतायें परिलक्षित होनी चाहिये।

5---राज्य योजना का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ववत् रहेगा कि सम्भागीय असंतुलन दूर हो तथा पिछड़े गांव का विकास हो। पिछड़े जिलों के लिये राज्य सरकार का प्रस्ताव 72-73 की योजना में, अवस्थापना (infrastructure) को सुदृढ़ करने और उसके प्रसार के हेतु अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करने का ह। केन्द्रीय तथा पश्चिमी संभागों में पिछड़े हुये जिलों के विकास पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा। राज्य के तीन पिछड़े हुये संभागों में विकास निगमों (कारपोरेशनों) की स्थापना हुई है और 72-73 में उनके कार्यकलाप बढ़ा लिये जायंगे। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन और ऐसी अन्य संस्थायें पिछड़े संभागों में अपनी शाखायें खोलती जा रही हैं।

6---पर्वतीय विकास परिषद् पहले ही से राज्य के आठ पहाड़ी जिलों के लिये कार्य कर रही हैं। पर्वतीय जिलों के विकास की और शीघ्रता से व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन जिलों का विकास संबंधी कार्य मुख्य सचिव शाखा को हस्तांतरित करने का निश्चय किया गया है।

योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 36 जिलों को औद्योगिक दृष्टि स पिछड़े हुये जिलों के रूप में चुन लिया गया है और अब उन्हें अपना औद्योगिक विकास करने के लिये बहुत सी रियायतें प्राप्त हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत झांसी और बलिया को सीधे अनुदान अथवा राज्य सहायता के लिये चुना गया है। चार जिलों में छोटी-छोटी किसान विकास एजेन्सियां स्थापित की गयी हैं। तथा दो जिलों में उपान्त (Marginal) किसानों के लिये इसी प्रकार की एजेन्सियां स्थापित की गयी हैं। ग्रामीण रोजगार के लिये एक त्वरित कार्यक्रम (क्रैश प्रोग्राम) पहले ही से प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रान्तीय रक्षक दल को प्रदेश विकास दल के रूप में पुनर्गठित किया गया है और इसका मुख्य कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिये स्थानीय संसाधन जुटाने का होगा।

7-विकास कार्य के लिये संस्थात्मक वित्त का अधिक से अधिक उपयोग करना एक नीति विषयक एक प्रमुख निर्णय है और 72-73 में भी इसका बराबर अनुसरण किया जायगा।

इस बात की परिकल्पना की गयी है कि कृषि, दुग्ध व्यवसाय, सिंचाई तथा विद्युत, सड़कें, पेय जल की सम्पूर्ति, उद्योग, आवास आदि जैसे विकास के सभी बड़े क्षेत्रों केलिये संस्थात्मक ऋण उपलब्ध हो जायगा। एक पुल निगम (ब्रिजेज कारपोरेशन) तथा पंचायत निगम की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य विद्युत् परिषद् तथा निवास परिषद् और ऐसे ही अन्य संगठनों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे अपनी विकास योजनाओं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिये अधिक से अधिक संस्थात्मक ऋण उपलब्ध करें। इन कार्य कलापों में समन्वय लाने के लिये वित्त विभाग में संस्थात्मक वित्त का एक नया अनुभाग खोला गया है। एक संस्थात्मक वित्त परामर्शदात्री समिति का भी गठन कर दिया गया है।

8—राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

चीनी मिलों की कार्यक्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये चीनी निगम की स्थापना, कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने तथा कृषि शोध कार्य में लगने के लिये कृषि महाविद्यालय कानपुर को पूर्ण रूप से एक कृषि विज्ञान संस्था बनाने तथा भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिए एक संगठन स्थापित करना। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, उद्योग निदेशालय तथा ऐसे विभिन्न निगमों के माध्यम से जो औद्योगिक विकास सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं, उद्यमकर्ताओं के लिये परामर्श दात्री सेवायें विकसित करने का प्रयास किया गया है।

9—वैज्ञानिक विवरण-सूची (inventory) के नियंत्रण और मशीनों तथा सज्जा की सप्लाई के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता जितनी अधिक अब है उतनी पहले नहीं थी। स्टील, कोयला, ईंटों आदि के अभाव तथा संयत्र मशीनरी की संशोधित सप्लाई-अनुसूचियों का भवन सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक कार्यक्रमों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन कठिनाइयों का निवारण अभी तक संभव नहीं हो सका है। इस दिशा में प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण तथा प्रतिनिधान (delegation) की और अधिक आवश्यकता है। सभी विकास विभागों को, अपनी योजना की स्कीमों की प्रगति के संबंध में एक मासिक समीक्षा तैयार करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। त्रैमासिक समीक्षायें नियोजन विभाग द्वारा की जाती हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में समय-समय पर मंत्रि परिषद् द्वारा ब्योरेवार समीक्षा की जायेगी। इसके फलस्वरूप उच्चतम स्तर पर विकास की स्कीमों का, उनके कार्यान्वयन के संबंध में आयी हुई अड़चनों को दूर करने के लिए संवीक्षण हो सकेगा। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि प्रायोजना के मूल्यांकन तथा लागत लाभ के विश्लेषण के संबंध में वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल अपर्याप्त है। कुछ विभागों के बजटों में कार्य-सम्पादन आय-व्ययाकरण (performance budgeting) प्रणाली को प्रयोग के रूप में चालू किया गया है।

10—राज्य मूल्यांकन परामर्शदात्री परिषद् का पुनः गठन किया गया है और मूल्यांकन रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों के कार्यान्विवन को देखने के लिये एक स्थायी समिति की स्थापना की गई है।

11—योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन से यह विदित हुआ है कि शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, पिछड़े वर्गों के लिये कार्यक्रम आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक परिव्यय की आवश्यकता है। दूसरी ओर यह भी अनुभव हुआ है कि हमारे पास सिंचाई तथा विद्युत क्षेत्रों की आवश्यक और महत्वपूर्ण स्कीमों की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं हैं जो कि उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

12—विकास की वांछित प्रगति कर सकने तथा योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रशासनिक यंत्रों को तीव्र किया जा रहा है और विभिन्न संस्थाओं के कार्य कलापों में तीव्रता लायी गयी है। संसाधन सीमित होने और साथ ही वर्ष 1971 के दौरान असामयिक वर्षा तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदायें आने से राज्य सरकार का कार्य और कठिन हो गया है और यह स्थिति एक चुनौती की तरह हमारे सामने है।

विवरण-पत्र—1

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	विकास मद	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय		1971–72			1972–73 (परिव्यय)		
			1969–70	1970–71	स्वीकृति परिव्यय			कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
					योजना आयोग द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	अनुमानित व्यय			
1	2	3	4	5	6-क	6-ख	7	8	9	10
1.1	कृषि कार्यक्रम	5,217	840	865	953	1,132	1,158	927	165	1
1.2	लघु सिंचाई	9,600	2,075	2,188	2,130	2,130	2,189	2,048	1,927	..
1.3	भूमि संरक्षण	2,140	356	387	428	432	438	422	..	..
1.5	कृषि शोध एवं शिक्षा	418	62	71	146	108	119	123	51	..
1.6	छोटे कृषक एवं भूमिहीन कृषक	100	..	..	..	..	..	..	..	..
योग—1—कृषि कार्यक्रम		17,475	3,333	3,511	3,657	3,802	3,904	3,520	2,143	1

2.1 पशुपालन	550	53	104	123	123	123	125	8	1
2.2 दुग्धशाला तथा दूध का वितरण	400	48	47	66	65	72	165	75	2
2.3 वन	1,300	207	194	256	256	256	270	..	..
2.4 मत्स्य	90	10	14	21	21	17	21	13	..
2.5 भाण्डागार	105	6	23	52	26	28	29	8	..
योग–2–समवर्गी कार्य-क्रम	2,445	324	382	518	491	496	610	104	3
योग–1–2 कृषि तथा समवर्गी कार्यक्रम	19,920	3,657	3,893	4,175	4,293	4,400	4,130	2,247	4
3.1 सहकारिता	1,100	46	179	334	334	327	328	207	..
3.2 सामुदायिक विकास	1,015	211	179	237	235	224	178	84	..

विवरण-पत्र–1–(क्रमशः)

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	विकास मद	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 स्वीकृत परिव्यय योजना आयोग द्वारा	1971–72 स्वीकृत परिव्यय राज्य सरकार द्वारा	1971–72 अनुमानित व्यय	1972–73 (परिव्यय) कुल	1972–73 (परिव्यय) पूंजी	1972–73 (परिव्यय) विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6-क	6-ख	7	8	9	10
3.3	पंचायत	100	17	30	37	37	37	40	3	..
	योग–3–सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	2,215	274	388	608	606	588	546	294	..
4.1	सिंचाई	9,000	2,224	1,755	2,688	3,022	3,022	3,028	3,028	120
4.2	बाढ़ नियंत्रण	800	114	179	206	206	206	300	300	..
4.3	विद्युत्	37,500	7,387	8,116	7,977	7,977	8,177	7,892	7,892	435
	योग–4–सिंचाई तथा विद्युत्	47,300	9,725	10,050	10,871	11,205	11,405	11,220	11,220	555

5.1 वृहत एवं मध्यम उद्योग	2,372	470	634	345	492	913	351	350	60
5.2 खनिज विकास	95	12	23	22	22	31	35	..	..
5.3 ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2,010	156	213	275	275	252	350	219	..
योग–5–उद्योग तथा खनिकर्म	4,477	638	870	642	789	1,196	736	569	60
6.1 सड़कें	5,000	658	784	900	950	950	1,343	1,343	1
6.2 सड़क परिवहन	725	88	86	150	150	150	200	200	2
6.3 पर्यटन	50	9	6	16	16	14	16	..	..
योग–6– परिवहन तथा संचार साधन	5,775	755	876	1,066	1,116	1,114	1,559	1,543	3
7.1 सामान्य शिक्षा	5,345	548	653	1,167	1,167	1,167	1,367	79	..
7.2 प्राविधिक शिक्षा	1,048	151	131	182	182	163	160	33	2
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	3,550	326	386	644	644	648	856	255	..

विवरण-पत्र—1 (समाप्त)

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	विकास मद	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 स्वीकृत परिव्यय योजना आयोग द्वारा	1971–72 स्वीकृत परिव्यय राज्य सरकार द्वारा	1971–72 अनुमानित व्यय	1972–73 (परिव्यय) कुल	1972–73 (परिव्यय) पूंजी	1972–73 (परिव्यय) विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6-क	6-ख	7	8	9	10
7.5	जल संपूर्ति	2,025	598	442	465	465	465	400	142	1
7.6	आवास तथा नगर विकास	1,225	216	248	290	290	280	323	286	..
7.7	पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	720	64	68	201	101	120	205	15	..
7.8	समाज कल्याण	100	8	10	22	22	21	22	2	..
7.9	शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	364	56	38	80	80	43	54	6	..
7.11	तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार	50	..	10	..	13	13	483	13	..
	योग—7—समाज सेवायें	14,427	1,967	1,986	3,051	2,964	2,920	3,870	831	3

8.1 सांख्यिकी	20	1	2	3	3	3	3	..	..
8.2 सूचना तथा प्रसार	20	4	4	4	4	4	4	..	..
8.4 पर्वतीय तथा सीमांत क्षेत्र	2,000	351	474	400	400	411	402	312	..
8.5 मूल्यांकन संगठन	3	..	..	1	1	1	1	..	..
8.6 अन्य	343	52	55	94	97	65	57	3	..
योग–8–विविध	2,386	408	535	502	505	484	467	315	..
कुल योग (मद–1–8)	96,500	17,424	18,598	20,915	21,478	22,107	22,528	17,019	625

विवरण-पत्र 2

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 परिव्यय	1971–72 अनुमानित व्यय	1972–73 कुल परिव्यय	1972–73 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1 कृषि उत्पादन							
	(1) कृषि शिक्षा							
	सामुदायिक विकास विभाग—							
1101	कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा (आडोविजुएल सेक्शन) ..	29.20	5.54	12.45	13.91	13.88	14.66	2.40
	(2) निर्यात के लिये वाणिज्यिक फसलों का विकास							
1121	मूंगफली का अधिकतम उत्पादन ..	44.92	9.33	10.36	11.61	13.88	16.64	..
1122	कपास का अधिकतम उत्पादन ..	6.86	1.08	1.29	1.89	2.26	2.41	..
1123	जूट फसलों पर यूरिया तथा कीटनाशक दवाओं का हवाई छिड़काव ..	2.15	0.29	0.41	1.22	2.48	8.64	..

1124	जूट का विशिष्ट पैकेज कार्यक्रम ..	4.41	0.34	0.49	1.15	1.02	3.13	..
1125	जूट और मेस्ता के किस्मों का सुधार	2.82	1.00	0.43	1.00	0.95	1.20	..
1126	समुन्नत जूट बीजों का कम मूल्य .. पर वितरण ..	1.69	0.15	0.35	0.35	0.36	0.40	..
1127	लाख के पैकेज कार्यक्रम का विस्तार	0.49	0.07	0.06	0.11	0.14	0.14	..
1128	बी० एफ० सी० तम्बाकू का विकास	..	..	..	1.69	1.18	0.59	..
1129	राई और सरसों का विकास	..	..	1.87	2.30	4.00	4.00	..
1130	सोयाबीन प्रदर्शन ..	..	..	..	0.53	0.53	1.06	..
1131	सूर्यमुखी का विकास ..	..	..	..	..	0.27	0.96	..
1132	सोयाबीन का विकास ..	..	..	..	..	0.96	9.12	..
1133	आदिवासियों को लाख का मुफ्त वितरण ..	..	..	..	..	0.04	0.93	..
	(3) कृषि सांख्यिकी							
1150	फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र व उत्पादन का अनुमान लगाने की वर्तमान प्रणाली में सुधार	14.35	2.43	2.68	3.66	3.62	3.67	..
1151	खंडस्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाने का न्यादर्श सर्वेक्षण ..	0.37	..	..	..	..	..	..
1152	फसलों के कटाई के पूर्व उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये अग्रगामी अध्ययन ..	1.57	..	0.16	..	0.29	0.31	..

विवरण-पत्र–2 (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 परिव्यय	1971–72 अनुमानित व्यय	1972–73 कुल परिव्यय	1972–73 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1153	प्रमुख फसलों पर राष्ट्रीय प्रदर्शन ..	6.17	..	0.98	..	6.99	4.05	..
1154	रेंड़ी का प्रदर्शन ..	..	0.08	0.07	0.25	0.11	0.13	..
1155	अधिक उत्पादन वाली फसलों का न्यादर्श सर्वेक्षण ..	..	..	2.18	..	2.69	2.78	..
	(5) इन्डेमिक क्षेत्रों में पौध सुरक्षा							
1170	इन्डेमिक क्षेत्रों में फसल कीटाणुओं तथा रोगों को दूर करने में छोटे कृषकों को समर्थ बनाना ..	..	..	..	22.40	..	17.50	..

(6) अन्य							
1191 मल्टीपुल क्रापिंग की अग्रगामी परियोजना ..	..	..	..	2.72	2.77	3.50	..
1192 फार्म रेडियो सर्विस ..	..	..	..	..	0.67	0.22	..
योग, 1.1 कृषि उत्पादन	115.00	20.31	33.78	64.79	59.09	96.04	2.40
1.3 भूमि संरक्षण							
(1) वन विभाग							
1301 रामगंगा के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी प्रायोजना	100.78	17.00	16.44	24.01	24.00	24.00	..
1306 नदी घाटी प्रायोजना, माताटीला बांध ..	27.00	..	0.50	2.00	4.00	8.00	..
	127.78	17.00	16.94	26.01	28.00	32.00	..
(2) कृषि विभाग							
1302 उत्तर प्रदेश में खालों के पुनर्वापण की अग्रगामी प्रायोजना	100.00	1.80	7.50	15.15	15.00	18.34	..
1303 झांसी जिले में ड्राई लैन्ड फार्मिंग पर अग्रगामी प्रायोजना	..	..	1.94		19.58	19.71	..
1304 आगरा जिले में ड्राई लैन्ड फार्मिंग पर अग्रगामी प्रायोजाना				55.98	18.17	19.98	..

विवरण-पत्र–2 (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	1971–72 परिव्यय	1971–72 अनुमानित व्यय	1972–73 कुल परिव्यय	1972–73 पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1305	गाजीपुर जिले में ड्राई लैन्ड फार्मिंग पर अग्रगामी प्रायोजना ..	..	..	..	..	18.17	19.98	..
	योग ..	100.00	1.80	9.44	71.13	70.92	78.01	..
	योग, 1.3 भूमि सर्वेक्षण	227.78	18.80	26.38	97.14	98.92	110.01	..

2.1. पशु पालन

संकेत संख्या	मद/योजना	3	4	5	6	7	8	9
2101	उ० प्र० में पशु महामारी (रिन्डर-पेस्ट) की रोकथाम के लिये अन्तप्रदेशीय सीमा पर प्रति-रक्षा मण्डल की स्थापना ..	29.92	4.49	5.70	6.53	3.48	6.15	..

2102	ग्रामीण पशुओं की स्वव्यवस्थित उन्नति के लिये सांडों का संतति परीक्षण ..	6.22	0.27	0.51	0.49	0.48	1.93	1.09
2103	निरोध केन्द्रों की स्थापना ..	3.35	0.36	0.40	0.36	0.40	0.38	..
2104	राज्य के अन्तर्राज्यक सीमा पर बीस टीका चौकियों की स्थापना..	14.58	0.75	2.28	2.19	2.19	2.11	..
	भैंसोर, नौगढ़ ब्लाक में वृहद स्तर पर भेड़ फार्म की स्थापना	—	—	—	—	—	35.79	14.44
	योग—2.1. पशुपालन	54.97	5.87	8.89	9.57	8.46	46.36	15.53
	3.2—सामुदायिक विकास							
3201	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	162.52	37.63	39.10	35.02	34.47	31.28	—
3202	उत्पादक केन्द्रों के लिये पाईलेट रिसर्च प्रोजेक्ट ..	6.70	—	—	2.25	1.25	2.25	—
	योग—3.2—सामुदायिक विकास	169.22	37.63	39.10	37.27	35.72	33.53	—
	4.1—सिंचाई							
4101	ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण ..	—	—	—	2.37	2.37	23.55	—
	4.3. विद्युत्							
4301	अन्तर राज्यीय कड़ी ..	175.00	9.48	37.75	68.00	77.96	49.48	49.48

विवरण-पत्र –2 (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73	
			1969–70	1970–71	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.3. ग्रामीण एवं लघु उद्योग							
5301	ग्रामीण औद्योगिक परियोजना ..	199.50	6.69	7.10	11.57	15.65	24.40	..
5302	फूलपुर में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना ..	104.59	1.74	1.69	1.73	4.89	7.05	1.25
5303	ग्राम तथा लघु उद्योगों का सर्वेक्षण	5.00	0.60	0.72	1.50	1.50	1.12	..
	योग 15.3 ग्रामीण एवं लघु उद्योग..	309.09	9.03	9.51	14.80	22.04	32.57	1.25
	6.1. सड़कें							
6101	बेरोजगारी दूर करने की परियोजना	1.09	0.46	0.33	..	..	..	..
6102	पौंता-राजभान-मीनस रोहरु सड़क का विकास ..	3.00	1.23	1.28	0.31	0.31	0.10	..

6103	उत्तर प्रदेश-तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का विकास ..	1.21	0.01	0.12	0.30	0.30	0.15	.
6104	इलाहाबाद जिले में सोरों—फूलपुर —हंडिया सड़क का निर्माण	7.84	3.00	2.50	2.50	1.75	0.50	.
6105	मिर्जापुर जिले में सिंगरौली पिपरो सड़क का निर्माण ..	8.97	..	..	..	..	..	..
6106	गंगा तथा रामगंगा पर पुल निर्माण	600.00	27.64	50.68	82.00	79.50	47.50	47.50
6107	पार्शिवक सड़क प्रायोजना ..	775.00	153.86	261.93	175.00	131.50	20.00	..
6108	अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की सड़कों और उन पर पुलों का निर्माण ..	167.00	..	..	..	..	15.00	..
6109	उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण ..	150.00†	..	..	..	..	..	..
6110	अन्तर्देशीय जल परिवहन ..	5.00	..	..	..	..	..	..
	योग, 6.1. सड़कें ..	1719.11	186.20	316.84	260.11*	213.36	83.25	47.50
	7.1. सामान्य शिक्षा							
7101	विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना ..	100.00	7.00	5.00	20.00	4.00	20.00	..
7102	संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण	0.20	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	..
7103	क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण ..	1.29	..	..	0.40	0.40	0.43	..
	योग ..	101.49	7.04	5.04	20.44	4.44	20.47	..

†पुल का निर्माण बिहार सरकार कर रही है

विवरण-पत्र–2 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद /योजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73	
		1969–74	1969–70	1970–71	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन							
	1—चिकित्सा शिक्षा							
7401	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ..	99.08	0.05	3.41	10.00	7.47	13.55	4.60
	योग वर्ग–1 ..	99.08	0.05	3.41	10.00	7.47	13.55	4.60
	2—प्रशिक्षण कार्यक्रम							
7421	लखनऊ मेडिकल कालेज में फिजियोथिरैपी और आकूपेशनल थिरोपिस पाठ्यक्रम की व्यवस्था	4.03	..	..	0.86	0.86	0.86	..
	योग वर्ग–2	4.03	..	..	0.86	0.86	0.86	..
	3—चिकित्सालय तथा औषधालय							
7431	मानसिक रोगों के क्लीनिक्स की स्थापना ..	13.50	..	..	..	..	0.60	..
	योग वर्ग–3 ..	13.50	..	..	..	..	0.60	..

4--प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आधारित स्वास्थ्य सेवायें

7441	प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	900.00	..	0.03	39.07	36.93	40.87	..
	योग वर्ग-4 ..	900.00	..	0.03	39.07	36.93	40.87	..

5--संचारी रोगों का नियन्त्रण

7451	भारत सरकार के आदेशानुसार 37 अन्य रोग क्लीनिक्स क्रमोन्नति अन्य रोग निरोध दवाओं, भवन निर्माण और जिला अस्पतालों में 400 छूत शंय्याओं की व्यवस्था ..	178.40	7.17	13.76	27.89	27.67	33.68	1.75
7452	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1280.59	151.86	156.11	160.14	160.14	160.14	..
7453	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम ..	436.52	..	..	57.80	54.63	60.67	..
7454	जमी व सूखी वैक्सीन का उत्पादन	40.00	0.26	14.24	13.00	14.24	13.26	1.00
7455	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों की स्थापना 50 एस० ई० टी० इकाइयों की स्थापना तथा 6 इकाइयों का विस्तार	65.78	..	0.41	6.65	6.65	11.03	..
7456	फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ..	60.80	..	1.99	9.21	8.70	16.50	..

विवरण-पत्र—4 (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना		चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय		1971—72		1972—73	
			1969—74	1969—70	1970—71	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2		3	4	5	6	7	8	9
7457	ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम	..	9.00	..	0.07	2.70	2.70	1.07	..
7458	हैजा नियंत्रण कार्यक्रम	..	7.50	..	..	..	..	0.56	..
7459	वी० डी० नियन्त्रण कार्यक्रम	..	15.00	0.19	0.09	1.70	1.70	1.77	..
	योग वर्ग—5	..	2093.59	159.48	186.67	279.09	276.43	298.68	2.75
	6—परिवार नियोजन								
7461	नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र	..	198.70	27.16	27.69	38.17	43.47	43.30	..
7462	ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र	}	2220.92	263.48	281.71	590.10	527.60	780.50	400.000
7463	उपकेन्द्र								
7464	परिवार नियोजन प्रशिक्षण	..	264.43	13.11	16.03	33.40	34.81	24.71	10.000
7465	नसबन्दी कार्यक्रम	..	744.96	25.34	25.05 }	62.25	80.00	42.50	..
7466	लूप कार्यक्रम ..	..	185.59	6.95	7.82 }				

7467 परिवार नियोजन के लिये अन्य कार्यक्रम	1769.72	111.17	119.85	207.39	181.37	260.62	13.90
विकास अन्वेषणालय							
7466 परिवार नियोजन संचार से संबंधित अनुसंधान प्रायोजना ..	15.41	2.19	2.34	3.13	2.50	3.00	..
योग वर्ग–6 ..	5399.73	449.40	480.49	934.44	867.25	1154.63	423.80
7—भारतीय चिकित्सा पद्धति							
7471 भारतीय चिकित्सा पद्धति में उच्च शिक्षा प्रशिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था ..	50.00	..	..	5.81	3.00	3.00	..
योग वर्ग–7 ..	50.00	..	..	5.81	3.00	3.00	..
8—अन्य कार्यक्रम							
7481 सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में नेहरू नेत्र संस्था के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की व्यवस्था ..	9.58	0.84	1.05	1.12	1.12	1.40	..
योग वर्ग–8 ..	9.58	0.84	1.05	1.12	1.12	1.40	..
योग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन ..	8569.51	609.77	671.65	1270.39	1193.06	1513.59	431.15

विवरण-पत्र 2—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	1971-72 परिव्यय	1971-72 अनुमानित व्यय	1972-73 परिव्यय कुल परिव्यय	1972-73 परिव्यय पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7.5. जल सम्पूर्ति							
7501	केन्द्रीय सर्वेक्षण तथा अनुसंधान नियोजन प्रतिष्ठान ..	30.00	8.30	6.40	8.45	8.45	11.422	11.422
	7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण							
	(अ) अनुसूचित जन जातियां							
	(1) शिक्षा—							
7701	दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्तियां ..	6.70	1.14	1.50	1.50	0.75	2.00	..
7702	छात्रों/छात्राओं के लिए छात्रावास	8.00	0.99	..	2.00	2.00	2.00	2.00
	योग (1) ..	14.70	2.13	1.50	3.50	2.75	4.00	2.00

	(2) आर्थिक विकास—							
7711	विशेष क्षेत्रीय प्रायोजना ..	26.00	0.45	1.61	6.00	4.25	4.25	..
7712	सहकारिता							
	(अ) अनुदान एवं प्रबन्ध हेतु राज्य सहायता ..							
	(ब) व्यवस्था एवं निरीक्षण	15.00	0.37	2.39	5.00	2.70	3.75	..
	(स) ऋण ..	..	..	..	..	1.00	..	..
	योग (2)	41.00	0.82	4.00	11.00	7.95	8.00	..
	(3) स्वास्थ्य ,आवास एवं अन्य योजनायें—							
7721	शोध प्रशिक्षण एवं अग्रगामी प्रायोजना	6.75	0.52	0.82	2.00	0.50	1.00	..
7722	प्रौढ़ साक्षरता तथा सामाजिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..	..
	योग (3) ..	6.75	0.52	0.82	2.00	0.50	1.00	..
	योग (अ) ..	62.45	3.47	6.32	16.50	11.20	13.00	2.00
	(ब) अनुसूचित जातियां							
	(1) शिक्षा—							
7731	दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां	203.30	26.66	50.75	90.00	94.60	100.00	..

विवरण-पत्र 2—(क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय		1971–72		1972–73	
			1969–70	1970–71	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7732	छात्राओं के लिए छात्रावास ..	9.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	..
7733	राज्य सेवाओं की परीक्षा में बैठने के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	6.00	0.52	1.24	1.00	1.00	1.25	..
	योग (1) ..	218.30	28.18	54.99	93.00	98.60	104.25	..
	(2) आर्थिक विकास—	..	.	—	..	..	—	..
	(3) स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं—							
7741	शहरी क्षेत्रों में मेहतरों के लिए गृह निर्माण	10.00	3.00	2.49	2.50	2.25	1.50	..
7742	कमर व सिर पर मल ढोने की प्रथा का उन्मूलन ..	5.00	1.00	0.96	0.75	1.00	1.00	..

7743	अस्वच्छ पेशों में लगे अनुसूचित जाति के लोगों का गृह निर्माण हेतु अनुदान ..	..	..	..	..			
7744	अस्वच्छ पेशों में लगे अनुसूचित जाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने हेतु अथवा क्रय करने हेतु अनुदान	5.00	0.46	0.42	0.75	0.75	1.50	..
	योग (3) ..	20.00	4.46	3.87	4.00	4.00	4.00	..
	योग (ब) ..	238.30	32.64	58.86	97.00	102.60	108.25	..
	(स) विमुक्त जातियां							
	(1) शिक्षा—							
7751	विज्ञान तथा तकनाकी विषयों में कक्षा 9 व 10 के छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां ..	2.50	1.42	1.33	1.50	1.50	1.75	..
7752	पूर्व दशम् कक्षाओं के छात्रों को छात्र-वृत्ति	5.00	..	..	..	..	..	..
7753	आश्रम पद्धति विद्यालय ..	34.00	3.75	4.13	7.00	6.00	6.00	..
	योग (1) ..	41.50	5.17	5.46	8.50	7.50	7.75	..
	(2) आर्थिक विकास—							
7761	शिल्पकला प्रशिक्षण हेतु छात्र वेतन	1.50	..	0.06	0.20	0.20	0.25	..

विवरण-पत्र 2 (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	मद/योजना	चौथी योजना परिव्यय 1969-74	वास्तविक व्यय		1971-72		1972-73	
			1969-70	1970-71	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल परिव्यय	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7762	कृषि विकास हेतु राज्य सहायता ..	7.00	0.88	1.85	1.50	1.50	1.50	..
7763	कुटीर उद्योग विकास हेतु राज्य सहायता ..	10.00	1.01	1.94	2.00	2.00	2.00	..
7764	भूमि सेवायोजन/प्रायोजना/या कारखाने क्षेत्रों में पुनर्वासन ..	5.00	1.00	1.55	1.00	3.05	2.00	..
	योग (2) ..	23.50	2.89	5.40	4.70	6.75	5.75	..

(3) स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य

योजनायें—

7771	गृह निर्माण हेतु अनुदान ..	10.00	0.95	2.02	1.50	1.50	2.25	..
	योग (स) ..	75.00	9.01	12.88	14.70	15.75	15.75	..
	योग—7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण ..	375.75	45.12	78.05	128.20	129.55	137.00	2.00

7.8—समाज कल्याण

7801	पूर्व व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना	19.54	3.36	2.79	3.48	3.50	4.10	..

विवरण-पत्र 3 (क्रमशः)

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968-69	चौथी योजना (1969-74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70	1970-71	1971-72 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. कृषि तथा सिंचाई								
	वन के अन्तर्गत क्षेत्र								
(1)	वर्क प्लान क्षेत्र	लाख हेक्टर	33.15	38.00	37.66	37.66	37.66	37.66	38.00
(2)	जल्दी उगने वाले आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र ..	,,	0.21	1.14	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23
(3)	ईंधन वृक्षों का क्षेत्र	,,	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
(4)	अन्य (रेवाइन सहित)	,,	0.10	0.38	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
(5)	वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र	,,	6.17	3.19	3.53	3.53	3.53	3.53	3.19
	वन के अन्तर्गत क्षेत्र (1) व (5)		39.32	41.19	41.19	41.19	41.19	41.19	41.19

बागवानी क्षेत्र	लाख हेक्टेर	6.37	7.55	6.28	7.06	8.84	7.26	7.46
शुद्ध काण्ड क्षेत्र	,,	167.89	175.04	168.56	168.21	164.25	169.59	170.14
समग्र काण्ड क्षेत्र	,,	216.54	241.39	221.68	224.87	231.51	229.79	233.88
योग सिंचित क्षेत्र	,,							
शुद्ध	,,	65.32	99.78	67.88	77.76	88.33	84.10	90.58
समग्र	,,	75.19	114.70	78.85	89.38	99.08	96.67	104.12
लघु सिंचाई के अंतर्गत								
क्षेत्र ..	हजार हेक्टर	599	3,193	649	697	702	699	681
(क) नए क्षेत्र (क्षमता)								
निजी लघु सिंचाई ..	,,	548	2,638	548	603	561	561	561
राज्य लघु सिंचाई ..	,,	51	555	100	94	141	138	120
(ख) मौजूदा कार्य में हानि	,,	172	1,214	191	210	226	228	245
निजी लघु सिंचाई ..	,,	172	1,214	191	210	226	228	245
राज्य लघु सिंचाई ..	..	..	..	..	..	..	..	..
(ग) कुल क्षमता (योग)	,,	5,355	7,334	5,814	6,301	6,777	6,771	7,207
निजी लघु सिंचाई ..	,,	3,537	4,961	3,896	4,289	4,624	4,621	4,937
राज्य लघु सिंचाई ..	,,	1,818	2,373	1,918	2,012	2,153	2,150	2,270
(घ) उपयोग ..	,,	5,194	7,108	5,607	6,134	6,571	6,568	6,972
निजी लघु सिंचाई..	,,	3,537	4,961	3,896	4,289	4,624	4,621	4,937
राज्य लघु सिंचाई ..	,,	1,657	2,147	1,711	1,845	1,947	1,947	2,035
बड़े तथा मध्यम सिंचाई के अन्तंगत क्षेत्र								
क्षमता	हजार हेक्टर	3,607	4,619	3,683	3,712	3,905	3,812	3,939
उपयोग	हजार ,,	3,521	4,147	3,561	3,600	3,713	3,666	3,762

विवरण-पत्र—3 (क्रमशः)

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968-69	चौथी योजना (1969-74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70	उपलब्धियां 1970-71	1971-72 लक्ष्य	1971-72 अनुमानित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	खाद्यान्न								
	खरीफ								
(क)	कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	85.17	94.78	85.26	86.66	90.10	83.31	92.57
(ख)	सिंचित क्षेत्र	,,	10.66	17.49	9.72	13.51	16.28	15.12	16.91
(ग)	उत्पादन ..	लाख टन	55.87	77.15	62.27	73.33	70.00	62.76	70.65
	रबी								
(क)	कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	103.99	112.00	107.22	121.22	110.85	110.40	111.30
(ख)	सिंचित क्षेत्र	,,	49.54	64.01	52.92	56.01	61.44	58.65	61.39
(ग)	उत्पादन ..	लाख टन	104.54	136.85	111.86	121.32	120.00	130.24	130.35
	खाद्यान्न (योग)								
(क)	कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	189.16	206.78	192.48	194.86	200.95	193.71	203.87
(ख)	सिंचित क्षेत्र	,,	60.20	81.50	62.64	69.52	77.72	73.77	78.30
(ग)	उत्पादन ..	लाख टन	160.41	214.00	174.13	194.65	190.00	193.00	201.00

वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्रफल—

(1) तिलहन—								
(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	6.29	8.26	6.61	7.24	7.52	7.52	8.00
(ख) सिंचित क्षेत्र	„	0.40	0.48	0.48	0.71	0.45	0.45	0.47
(ग) उत्पादन	लाख मी० टन	14.67	19.00	16.45	18.27	18.00	17.47	18.60
(2) कपास—								
(क) कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	0.48	0.80	0.51	0.52	0.68	0.62	0.75
(ख) सिंचित क्षेत्र	„	0.43	0.78	0.43	0.44	0.60	0.50	0.70
(ग) उत्पादन ..	लाख गांठें	0.41	0.95	0.49	0.43	0.65	0.26	0.60
(3) गन्ना								
(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	12.03	13.50	13.77	13.69	13.50	11.00	12.00
(ख) सिंचित क्षेत्र	„	8.49	12.50	9.65	10.70	11.20	9.35	10.90
(ग) उत्पादन (गुड़)	लाख मी० टन	50.54	65.75	60.68	54.67	64.00	48.61	60.00
(4) जूट—								
(क) कुल क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	0.19	0.24	0.20	0.23	0.24	0.24	0.24
(ख) सिंचित क्षेत्र	„	..	..	..	..	..	..	..
(ग) उत्पादन	लाख गांठें	1.68	2.20	1.55	1.83	2.13	1.70	2.16
अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र—								
(क) विदेशी—								
मैक्सिकन गेहूं ..	लाख हेक्टर	13.58	23.85	16.40	19.38	22.00	22.00	25.00
ताईचुंग धान ..	„	3.31	10.15	5.61	6.77	7.97	8.50	9.25

विवरण-पत्र—3 (क्रमशः)

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968-69	चौथी योजना (1969-74) का लक्ष्य	उपलब्धियां		1971-72		1972-73
					1969-70	1970-71	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हाईब्रिड मक्का ..	,,	0.85	0.40	0.81	0.63	0.30	0.15	0.30
	हाईब्रिड ज्वार ..	,,	0.08	0.08	0.07	0.01	0.07	0.02	0.02
	हाइब्रिड बाजरा ..	,,	0.10	0.24	0.22	0.30	0.26	0.25	0.35
	योग ..		17.92	34.72	23.11	27.09	30.60	30.92	34.92
	(ख) उन्नतशील किस्मों का क्षेत्र (राजकीय अधिक उपज वाली किस्में)—								
	उ०प्र० धान ..	लाख हेक्टर	4.29	8.10	6.42	8.45	7.56	7.65	7.83
	उ०प्र० मक्का ..	,,	2.91	6.08	4.54	5.86	5.81	5.81	5.94
	उ०प्र० गेहूं ..	,,	11.59	14.17	11.99	12.43	12.72	12.72	13.45
	योग, (ख)		18.79	28.35	22.95	26.74	26.09	26.18	27.22
	योग (क) व (ख)		36.71	63.07	46.06	53.83	56.69	57.10	59.92

अन्य उन्नतशील किस्में		94.33	90.86	88.56	86.17	88.09	86.90	89.44
योग ..		131.04	153.93	135.62	140.00	144.78	144.00	149.36
उन्नतशील किस्मों के बीजों का वितरण	लाख मी० टन							
(क) अधिक उत्पादन वाली किस्में		0.94	1.38	0.73	1.07	1.00	2.50	1.16
(ख) उन्नतशील किस्में	,,	0.47	1.75	1.38	1.99	1.61	1.60	1.68
योग ..		1.41	3.13	2.11	3.06	2.61	4.10	2.84
उर्वरक का वितरण								
नत्रजन (N)	लाख मी० टन	2.20	5.50	3.06	2.91	4.10	3.50	4.30
फास्फटिक (P_2O_5)	,,	0.77	2.20	0.99	0.75	1.40	0.70	1.50
पोटास (N_2O)	,,	0.42	1.60	0.55	0.45	1.00	0.50	1.00
हरी खाद के अंतर्गत क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	5.66	12.00	5.13	4.71	9.71	6.00	10.93
शहरी कम्पोस्ट (उत्पादन)	लाख मी० टन	6.89	9.50	6.79	7.12	8.10	8.10	8.80
पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र								
(1) खाद्यान्न ..	लाख हेक्टर	42.27	86.80	49.93	64.95	65.35	65.35	76.07
(2) वाणिज्यिक फसलें	,,	3.37	6.75	3.73	4.50	5.25	5.25	6.00
(3) हार्टीकल्चर	,,	1.05	2.45	1.37	1.60	1.90	1.90	2.18
योग		46.69	96.00	55.03	71.05	72.50	72.50	84.25

विवरण पत्र--3 (क्रमशः)

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उपलब्धि 1969-70	उपलब्धि 1970-71	1971-72 लक्ष्य	1971-72 अनुमानित उपलब्धियां	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण-- (अतिरिक्त) ..	लाख हेक्टर	1.46	10.80	2.38	2.42	2.26	2.25	2.28
	(1) राम गंगा जलाशय के जलगम क्षेत्र में भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास	,,	0.04	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	(2) रेवाइन्स का पुन-र्वापण एवं रोपण		0.06	0.25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	जोतों की चकबन्दी	,,	88.96	115.26	93.47	97.85	104.67	104.65	110.65
	नियन्त्रित बाजारों की संख्या		58	250	79	171	..	..	..
	उपलब्ध संग्रहण क्षमता--								
	(क) उर्वरक (कृषि विभाग)	लाख टन	1.40	2.48	1.38	1.58	2.05	2.05	2.30
	(ख) सहकारिता विभाग	,,	3.15	4.15	3.15	3.15	3.92	3.92	4.00
	योग		4.55	6.63	4.53	4.73	5.97	5.97	6.30
	खाद्यान्न के लिए								
	सहकारिता विभाग	लाख टन	2.22	2.94	2.22	2.33	2.54	2.54	2.55

कृषि उद्योग निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण—								
पम्पसेट ..	संख्या	1,310	6,000	1,142	200	2,000	अप्राप्य	अप्राप्य
शक्ति चालित टिलर्स	..	,,	..	..	14	..	1	..
ट्रैक्टर्स	,,	353	1,25,000	1,333	781	25,000	785	30,000
पशुपालन—								
पशु चिकित्सालय	,,	994	95 (160)	24	37 (50)	25 (50)	25 (50)	13 (60)
पशु सेवा केन्द्र	,,	1,407	508	140	87	110	110	124
वीर्य संग्रह केन्द्र ..	,,	14	15	5	4	2	2	2
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	,,	616	110	18	29	23	23	14
कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	,,	481	1,042	150	347	370	370	144
सघन पशु विकास खण्ड ..		3	3	2	1	..	..	..
चारों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र ..	हेक्टर	14,252	57,705	11,350	14,996	14,734	14,734	17,503
प्रमुख ग्राम खण्ड	संख्या	76	..	..	..	..	..	..
पशु प्रजनन फार्म ..	,,	14	..	..	..	..	..	..
भेड़ प्रजनन फार्म ..	,,	15	..	..	..	..	..	..
भेड़ प्रजनन इकाई	,,	4	..	..	..	..	..	..
भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र		84	..	2	2	27	27	18
ऊन वर्गीयकरण केन्द्र	,,	..	1	..	1	..	..	..

विवरण-पत्र—3 (क्रमशः)

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968–69	चौथी योजना (1969–74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70	उपलब्धियां 1970–71	1971–72 लक्ष्य	1971–72 अनुमानित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पशु जनित पदार्थ का निर्माण								
	(अ) दूध की वस्तुयें	हजार टन	5,203	5,844	5,325	5,450	5.579	5,579	5,710
	(ब) गोश्त की वस्तुयें	मिलयन कि ग्रा०	122.55	145.05	126.83	131.27	135.85	135.85	140.59
	(स) अन्डे की वस्तुयें	मिलयन	168	206	175	183	190	190	198
	(ड) ऊन की वस्तुयें	हजार कि ग्रा०	2,096	2,324	2,140	2,185	2,230	2,230	2,275
	राजकीय कुक्कुट फार्म	संख्या	45	1	..	1	..	..	..
	सहकारी कुक्कुट फार्म	..	264	5	..	..	..	..	..
	कुक्कुट पालने वाले कृषकों का प्रशिक्षण								
	(अ) अल्पकालीन कोर्स	संख्या	1684	8900	2401	2520	2280	2280	1980
	(ब) दीर्घकालीन कोर्स	संख्या	66	400	63	60	80	80	80
	सघन कुक्कुट विकास खंड	,,	5	2	2	..	..	..	..
	मत्स्य पालन—								
	नावों का मशीनीकरण ..	संख्या							
	फिशिंग टालर्स ..	,,							
	कोल्ड स्टोरेज ..	,,			अप्राप्त				
	सहकारी क्रय विक्रय समितियां	,,							

बन्दरगाहों पर लेइंग और बर्निंग सुविधा—		अप्राप्य						
(क) बड़े बन्दरगाह ..	,,							
(ख) छोटे बन्दरगाह ..	,,							
श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों को ऋण ..	लाख रुपये	..	1.10	..	..	0.20	0.20	0.20
अंगुलिकाओं का वितरण ..	लाखों में	40.17	199.20	42.27	42.96	40.80	40.80	42.80
मत्स्य बीज फार्म ..	संख्या	89	33	98	102	106	106	108
मत्स्योत्पादन—								
(1) देशी ..	मी टन	20.00	24.25	20.70	21.70	22.55	22.55	23.40
(2) समुद्रीय ..	,,	..	..	..	..	..	..	..
दुग्धशाला एवं दुग्ध सम्पूर्ति								
मिल्क हैण्डलिंग ..	प्रति दिन औसत (लीटर में)	94,500	4,10,000	120,065	1,55,142	2,32,300	2,32,300	3,10,700
(2) सहकारिता								
प्राथमिक सहकारी समितियां (कृषि ऋण) ..	संख्या	1392	2500	522	405	1000	1000	500
सदस्यता ..	हजार	5,561	1,700	283	306	350	350	350
शेयर कैपिटल ..	लाख रु०	1621.00	550.00	168.66	151.25	111.00	111.00	114.00
डिपाजिट ..	,,	462.00	250.00	47.08	103.36	50.00	50.00	50.00
कृषि ऋण								
(क) लघु और मध्यम ऋण	करोड़							
वर्ष के दौरान अग्रिम ऋण	,,	52.57	85.00	64.41	55.97	59.50	59.50	62.00
वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	,,	69.89	..	80.52	74.97	..	..	..

विवरण-पत्र 3—(क्रमशः)

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968–69	चौथी योजना (1969–74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70	उपलब्धियां 1970–71	1971–72 लक्ष्य	1971–72 अनुमानित उपलब्धियां	1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ब)	दीर्घकालीन—								
	वर्ष में अग्रिम ऋण ..	,,	14.19	140.00	20.02	20.08	20.00	20.00	20.00
	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	,,	37.24	..	57.56	76.12	..	..	..
(3)	प्राथमिक क्रय विक्रय समितियां ..	संख्या	203	7	..	..	3	3	7
	वर्ष के अन्तर्गत व्यापार	करोड़ रु०	17.23	31.50	13.27	15.00	15.00	15.00	25.00
	(क) चावल मिल ..	संख्या	17	..	..	..	..	..	..
	(ख) व्यापार की रकम	लाख रु०	60.28	..	38.99	52.71	55.20	56.00	57.00
	(ग) चीनी मिल ..	संख्या	6	..	..	..	..	..	..
	(घ) उत्पादन ..	लाख रु०	16.62	..	10.08	6.87	..	..	..
	(च) काटन गिनिंग एवं प्रोसेसिंग	संख्या ..	..	..	..	..	..	2	..
	(छ) व्यापार ..	लाख रु०	..	..	..	..	..	..	..
	(ज) अन्य विधायन इकाइयां ..	संख्या ..	78	8	..	..	2	2	5
	(द) व्यापार ..	लाख रु०	55.93	..	24.98	40.16	..	..	..

3—विद्युत्—								
1—अधिष्ठापित क्षमता ..	मेगावाट							
(क) यू० पी० राज्य विद्युत् परिषद् ..	मेगावाट	1135.79	2305.24	1193.77	1259.77	1552.77	1397.77	1652.77
(ख) निजी सेक्टर ..	..	174.25	174.25	174.25	174.25	174.25	174.25	174.25
कुल ..	..	1310.04	2479.49	1368.02	1434.02	1727.02	1572.02	1827.02
2—विद्युत् उत्पादन—								
(क) यू० पी० राज्य विद्युत् परिषद् ..	..	4781	9155	5038	9445	6200	6290	7558
(i) उत्पादन ..	..	4371	..	4701	5531	5850	5605	7000
(ii) आयातित ..	..	410	..	337	414	350	685	558
(ख) निजी क्षेत्र ..	..	940	975	1185	1105	975	1100	1100
कुल	..	5721	10130	6223	7050	7175	7390	8658
3—विद्युत् विक्रय—								
(क) ..	..	3563	7050	,3712	4291	4710	4685	5549
(i) राज्य में	..	3503	6973	3634	4204	4633	4608	5472
(ii) राज्य से बाहर		60	77	78	87	77	77	77
(ख) निजी क्षेत्र	..	785	850	1,040	972	900	970	910
कुल ..		4348	7900	4752	5263	5610	5655	6519

विवरण-पत्र 3 (क्रमशः)

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968-69	चौथी योजना (1969-74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70	उपलब्धियां 1970-71	1971-72 लक्ष्य	1971-72 अनुमानित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4—ग्रामीण विद्युतीकरण—									
	(क) विद्युतीकृत ग्राम..	संख्या	12926	27926	17336	20719	19924	22719	25719
	(ख) निजी नलकूपों/पम्पसेटों का विद्युतीकरण..								
	(i) सामान्य कार्यक्रम..	संख्या	58049	158049	79221	94455	114455	1 14455	128455
	(ii) उपभोक्ता जमा योजना	संख्या			9686	11556	} 52166	52166	88166
	(iii) वाणिज्य योजना	संख्या	7464	1 07464	3070	10610			
	कुल योग (ख)	..	65513	2 65513	91977	1 16621	1 66621	1 66621	2 16621
4—परिवहन—									
	1—राज्य मार्ग								
	(अ) समतल सड़कें	कि० मी०	7,446	7,496	7,446	7,446	7,446	7,446	7,446
	(ब) असमतल सड़कें	तदेव	56	6	56	56	56	56	56
	योग ..		7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502	7,502

2, 3, 4—वृहत जिला मार्ग, जिले की अन्य सड़कें तथा ग्रामीण मार्ग–								
(अ) समतल सड़कें	कि० मी०	21,767	24,409	22,061	22,534	22,779	23,064	23,388
(ब) असमतल सड़कें	,,	37,107	37,107	37,107	37,107	37,107	37,107	37,107
योग ..		58,874	61,516	59,168	59,641	59,886	60,171	60,495
5—सड़कों का योग ..								
(अ) समतल सड़के	,,	29,213	31 905	29,507	29,980	30,225	30,510	30,834
(ब) असमतल सड़कें	,,	37,163	37,113	37,163	37,163	37,163	37,163	37,163
योग ..		66,376	69,018	66,670	67,143	67,388	67 673	67,997
6—ग्राम जो सड़कों से वंचित हैं।	संख्या	उपलब्ध नहीं है।						
7—राज्य ट्रांसपोर्ट अन्डर टेकिंग/निगम द्वारा खरीदी हुई गाड़ियां—								
(अ) ट्रक ..	संख्या	525	..	506	469†	..	469	..
(ब) बस ..	,,	3,821	4,594	3,963	4,058*	4,238	4,253	4 162
(स) टैक्सी ..	,,	111	..	132	126†	..	126	..
(ग) अन्य	,,	(बसों की संख्या में शामिल हैं)						

†सैंतीस ट्रक तथा छः टैक्सियां नीलाम कर दी गईं।

*पन्द्रह बसों की बाडी तैयार की जा रही थीं।

विवरण-पत्र—3 (क्रमशः)

क्रम-संख्या	मद	इकाई	1968-69	(1969-74) के लक्ष्य	1969-70	1970-71	1971-72 लक्ष्य	1971-72 अनुमानित उपलब्धि	1972-73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**सामान्य शिक्षा**								
	(क) छात्र संख्या								
	(1) कक्षा 1-5	लाख में	99.35	116.33	103..00	108.28	113.44	113.44	114.67
	छात्र संख्या का आयु वर्ग 6-11 की जनसंख्या से प्रतिशत								
	(क) बालक ..	प्रतिशत	100+	100+	100+	100+	100+	100+	100+
	(ख) बालिका	,,	65	71	65	67	71	71	71
	(ग) योग ..	,,	85	89	86	88	90	90	90
	(2) कक्षा 6-8	लाख में	17.27	21.60	18.08	18.68	19.38	19.38	20.38
	छात्र संख्या का आयु वर्ग 11-14 की जनसंख्या से प्रतिशत								
	(क) बालक ..	प्रतिशत	43.6	45.9	43.4	42.8	43.3	43.3	43.9
	(ख) बालिका	,,	10.9	13.4	11.4	11.6	12.1	12.1	12.4
	(ग) योग ..	,,	27.9	30.3	28.1	27.9	28.4	28.4	28.8
	(3) कक्षा 9-12	लाख में	9.53	12.5	10.1	10.7	11.3	11.3	11.9

छात्र संख्या का आयु वर्ग 14–18 की जन संख्या से प्रतिशत							
(क) बालक .. प्रतिशत	21.1	22.3	21.6	24I.	22.2	22.2	22.3
(ख) बालिका „	4.6	6.3	5.0	5.0	5.7	5.7	6.0
(ग) योग .. „	13.1	14.7	13.6	142.	14.2	14.2	14.5
(4) प्रति 10,000 जन-संख्या पर हाई स्कूल पास व्यक्तियों का उत्पादन							
(क) बालक .. संख्या	32	47	35	37	38	38	38
(ख) बालिका „	9	13	9	11	12	12	12
(ग) योग .. „	21	30	23	24	25	25	25
(5) विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों की छात्र संख्या							
योग (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) .. लाख में	1.26	1.66	1.34	1.42	1.50	1.50	1.58
केवल विज्ञान .. लाख में	0.42	0.52	0.44	0.46	0.48	0.48	0.50
(ख) अध्यापक							
(1) प्रारम्भिक विद्यालयों में .. संख्या	2,47,843	3,10,712	2,63,551	2,72,206	2,84,787	2,90,987	2,96,211
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत .. प्रतिशत	77	86	80	83	85	82	84
(2) माध्यमिक विद्यालयों में .. संख्या	42,730	52,730	44,730	46,730	48,730	48,730	40,730
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत .. प्रतिशत	85	96	88	91	92	92	95

विवरण-पत्र—3 (क्रमशः)

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968–69	चौथी योजना (1969–74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70	उपलब्धियां 1970–71	1971–72 लक्ष्य	1971–72 अनुमानित उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्राविधिक शिक्षा								
	डिग्री पाठ्यक्रम—								
	संस्थाओं की संख्या ..	संख्या	7	7	7	7	7	7	7
	स्वीकृत प्रवेश क्षमता ..	,,	930	1565	980	980	980	980	980
	उत्तीर्ण संख्या ..	,,	849	1260	827	1358	790	790	790
	डिप्लोमा संस्थायें—								
	संस्थाओं की संख्या ..	,,	34	34	34	34	34	34	34
	स्वीकृत प्रवेश संख्या ..	,,	5750	6550	5530	5530	5990	5990	6180
	उत्तीर्ण संख्या ..	,,	2802	3500	3798	3400	3300	3300	3300
	6. स्वास्थ्य—								
1	चिकित्सालय/औषधालय—								
	शहरी ..	संख्या	938	957	941	942	946	946	953
	ग्रामीण ..	संख्या	2119	2335	2136	2158	2219	2219	2463
2	शय्यायें—								
	शहरी चिकित्सालय एवं औषधालय ..	संख्या	26,761	33390	27386	28441	29240	29240	29820
	ग्रामीण चिकित्सालय एवं औषधालय ..	संख्या	5981	6847	5995	6005	6411	6411	8381

3—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—								
मुख्य केन्द्र ..	संख्या	875	..	..	..	..	..	..
उप केन्द्र ..	,,	2625	..	..	..	..	..	..
4—परिचारिका प्रशिक्षण—								
संस्था	..	11	12	..	..	..	..	..
वार्षिक प्रवेश ..	,,	1081	1684	1084	1084	1084	1084	1084
वार्षिक निकासी ..	,,	255	145	188	224	224	214	..
5—सहायक परिचारिका प्रशिक्षण—								
मिडवाइफ संस्था ..	,,	17	33	33	..	..	..	..
वार्षिक प्रवेश ..	,,	650	1400	1350	1400	1400	1400	1400
वार्षिक निकासी ..	,,	133	800	206	600	600	600	600
6—संचारी रोग—								
क्षयरोग रुजालय ..	,,	22	58	25	31	38	38	45
कुष्ठ नियंत्रण इकाई ..	,,	14	24	14	17	21	21	21
रंजितरोग रुजालय ..	,,	10	20	12	14	16	16	18
फाईलेरिया इकाइयां ..	,,	10	22	10	12	12	12	12
एस० ई० टी० केन्द्र ..	,,	55	105	65	65	75	75	90
7—मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र	,,	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550
8—चिकित्सा शिक्षा ..								
वार्षिक प्रवेश ..	,,	874	953	874	858	908	908	908
मेडिकल कालेज ..	,,	8	8	8	8	8	8	8
वार्षिक निकासी ..	,,	502	3500	682	694	690	690	690

विवरण-पत्र—3 (क्रमशः)

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि 1968-69	चौथी योजना (1969-74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70	उपलब्धियां 1970-71	1971-72 लक्ष्य	1971-72 अनुमानित उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7—जल संपूर्ति तथा स्वच्छता									
(अ) नागर—									
	महापालिका शहर—								
(1)	जल की बढ़ौतरी ..	लाख गैलन	150	185	154	164	174	174	178
(2)	जनसख्या लाभान्वित	लाखो म	35.51	4.51	37..41	39.31	41.21	41.21	51.21
	अन्य शहर								
(1)	शहर लाभान्वित ..	संख्या	139	159	141	144	148	148	152
(2)	जनसंख्या लाभान्वित ..	लाखों में	51.91	54.59	52.07	52.32	52.68	52.68	53.32
(ब) ग्रामीण									
	नलों द्वारा पेय जल—								
(1)	ग्राम लाभान्वित ..	संख्या	2837	4111	2935	3232	3715	3715	4153
(1)	ग्राम लाभान्वित ..	संख्या	2837	4111	2935	3232	3715	3715	4153
(2)	जनसंख्या लाभान्वित ..	लाखों में	14.02	18.89	14.36	15.65	19.31	19.31	21.47

नागर जलोत्सारण—								
(1) जलोत्सारण की बढ़ोत्तरी	संख्या	26	40	28	30	30	30	33
(2) जनसंख्या लाभान्वित ..	(लाखों में)	42.75	55.72	43.33	44.04	46.59	46.59	47.98
8—आवास—								
औद्योगिक ..	आवासों की संख्या	544	5440	486	640	1120	1120	1440
अल्प आय वर्ग गृह निर्माण ..	,,	111	1600	15	480	400	400	408
मलिन बस्ती विकास ..	,,	12	725	108	128	160	160	192
मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण ..	,,	156	800	48	160	160	160	205
9—शिल्पकार प्रशिक्षण—								
(1) संस्थान								
(क) वर्तमान ..	सं०	48	48	48	48	48	48	48
(ख) नये ..	,,	..	..	2	3	3	3	..
(2) भर्ती ..	,,	22,580	65,120	10,914	21,100	11,192	11,192	10,914
(3) निकासी ..	,,	22,580	65,120	10,914	21,100	11,192	11 192	10,914
पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण								
पोस्ट मैट्रिक छात्र वृत्तियां—								
(क) सामान्य कोर्स—								
(1) अनुसूचित जनजातियां ..	संख्या	..	1,852	264	270	167	57	333
(2) अनुसूचित जातियां ..	,,	22,000	1,34,000	28,314	30,000	33,300	33,380	34,670
(ख) प्राविधिक एवं पेशेवार कोर्स—								
(1) अनुसूचित जन जातियां ..	,,	..	926	64	70	33	33	67
(2) अनुसूचित जातियां ..	,,	10,000	66,000	11,000	12,000	16,700	16,700	17,330
छात्राओं के लिये छात्रावास	,,	..	9	3	7	2	2	2

विवरण-पत्र 3—(समाप्त)

क्रम संख्या मद	इकाई	उपलब्धि 1968–69	चौथी योजना (1969–74) का लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70	उपलब्धियां 1970–71	1971–72 लक्ष्य	1971–72 उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—संस्थान—								
(क) वर्तमान	..	संख्या	48	48	48	48	48	48
(ख) नये	..	,,	..	..	2	3	3	3
2—भरती	..	22580	65120	10914	21000	11192	11192	10914
3—निकासी	..	22580	65120	10914	21000	11192	11192	10914
10—ग्रामीण एवं लघु उद्योग औद्योगिक आस्थान—								
1—नवीन औद्योगिक आस्थान	संख्या	..	7	..	..	2	..	7
2—वर्तमान औद्योगिक आस्थानों का प्रसार ..	,,	..	6	..	..	4	4	2
3—वर्तमान औद्योगिक आस्थानों में कार्य की पूर्ति	,,	..	11	2	1	4	4	3
योग ..		..	24	2	1	10	8	12